खण्ड-475, अंक-4
बुधवार, 20 माघ, शक संवत् 1932
(09 फरवरी, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2011)

(खण्ड 475 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
एक मंत्री का नाम हत्याकाण्ड में आने विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	7-8
प्रश्नोत्तर (जारी)	8-9
एक मंत्री का नाम हत्याकाण्ड में आने विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	9
प्रश्नोत्तर	9-102
आज की कार्य-सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	102-103
अतारांकित प्रश्न संख्या-186 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	103
विधान परिषद् की भांति विधान सभा में प्रश्नकाल में अधिक से अधिक तारांकित प्रश्न लिए जाने के सम्बन्ध में सर्वदलीय बैठक बुलाकर तय किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	103-104
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	104-105
जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध माइनरों/नहरों में पानी टेल तक न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	105-106
जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में रजवाहों, माइनरों में पानी न आने से किसानों की फसल बर्बाद होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद बदायूं में प्रमुख विभागों के कार्यालय न होने के कारण उन विभागों का कार्य जनपद बरेली में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
जनपद बागपत पूर्वी यमुना नहर रजवाहे अल्पिकाओं में सिल्ट की सफाई तथा टूटे हुये जर्जर पुल आदि का निर्माण कराते हुए सामानान्तर देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड करंजा कलां, ग्राम भदेठी के प्रमुख नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश में संचालित अरबी, फारसी मदरसों में नियुक्त गणित एवं साइन्स के अध्यापकों को जिनकी संख्या 14000 है, मदरसा शिक्षकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108-109
जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिंदवारी, बड़ोखर खुर्द के दर्जनों गांवों में प्राथमिक पाठशाला खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा क्षमता से अधिक चीनी के भण्डारण तथा बाजार में होने वाली काला बाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
जनपद सहारनपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110-111
पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में वी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये स्वीकृत धनराशि उपलब्ध न कराये जाने एवं दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111
विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में जल निकासी की समस्या एवं जर्जर सड़कों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	111-112
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम खड़िया की ओर जाने वाली भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हजारों शिक्षकों को नियुक्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112-113
जनपद गोण्डा के गौसिया-उसरैना मार्ग में बाढ़ के कारण ध्वस्त पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जलेसर, एटा में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	113-114
उत्तर प्रदेश विधान सभा की उन समितियों जिनमें मा0 उपाध्यक्ष सभापति होते हैं, उपाध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण सभापति की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114-118

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 5 फरवरी, 2010 तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 पर निर्धारित अवधि में कृत कार्यवाही की सूचना न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118-122
प्रदेश के स्टेट लैण्ड पर आवास बनाकर दो दशकों से रह रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में जमीन फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	122-123
प्रदेश के छावनी परिषदों में चुंगीकर एवं पथकर के मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि के बदले राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि बन्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	123-124
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 की नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	124
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1237/30-4-2010-3(13)-2007, दिनांक 12 जुलाई, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	124
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1286/20-4-10-20(75)-2001, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	124
श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ...	125
जनपद बागपत कस्बा बड़ौत में रोडवेज विभाग की भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	125
जनपद बागपत के उपनगर बड़ौत के जर्जर तार बदलने व ट्रांसफार्मरों की भार क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज जैन आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	125
जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत स्थित मीरापुर रजवाहे की पटरी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्जू तोमर आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	125
जनपद बागपत स्थित मीरापुर रजवाहे में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में श्री भोपाल सिंह राणा आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत स्थित पूर्वी यमुना नहर की पटरी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	126
जनपद बागपत के मुख्य उपनगर बड़ौत की विद्युत व्यवस्था सुधार कराने के सम्बन्ध में श्री प्रभात जैन आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	126
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम चफला के मजरा मोहरवा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दरोगा यादव आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	126
इलाहाबाद-जौनपुर मार्ग पर स्थिति फूलपुर टाउन एरिया में बाईपास मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	127
जनपद-महामायानगर के कस्बा सहपऊ के बाईपास मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद-महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	127
श्री सुखलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के पहले बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 2010 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का निदेश संख्या-45(3) के अन्तर्गत संशोधित उत्तर	127-129
नियम-311 और नियम-56 में प्राप्त सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था	129
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	129-186
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2011-2012 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा सदस्यों का नाम-निर्देशित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	186-187
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	187-189
नत्थियां	190-327

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 09 फरवरी, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-333

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय यादव, श्री — एटा
7. अजय सिंह, श्री — जालौन
8. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
15. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
20. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
21. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
22. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
23. अमित गौरव, श्री — एटा
24. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
25. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
26. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
30. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
31. अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
33. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
34. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
35. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
36. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
38. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
41. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
43. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
44. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री — लखीमपुर खीरी
45. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
46. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली

47. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
48. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
49. आसिफ, श्री हरदोई
50. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
53. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
55. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
56. उदयराज, श्री उन्नाव
57. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
60. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
61. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
62. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
63. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
64. काशीराम, श्री रामपुर
65. कुवेर सिंह, श्री एटा
66. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
69. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
70. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
71. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
72. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
73. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
74. कैलाश साहू, श्री झांसी
75. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
76. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
77. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
78. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
79. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
81. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
82. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
83. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
84. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
85. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
86. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
87. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
88. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
89. छोटे सिंह, श्री जालौन
90. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
91. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
94. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
97. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
98. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
99. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
100. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
101. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
102. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
103. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
104. दयाराम, श्री कौशाम्बी
105. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीरनगर
106. दाउद अहमद, श्री हरदोई
107. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
108. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया

109. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
110. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
111. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. दूधराम, श्री बस्ती
114. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
115. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
116. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
117. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
118. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
119. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
120. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
121. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
122. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
123. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
124. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
125. नारायण सिंह, श्री आगरा
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
130. पशुपति, श्री गाजीपुर
131. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
132. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
133. प्रजापालन, श्री एटा
134. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
135. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
136. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
137. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
138. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
139. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
140. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
141. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
142. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
143. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
144. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
145. फागू चौहान, श्री मऊ
146. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
147. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
148. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
149. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
150. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
151. बिरजू राम, श्री जौनपुर
152. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
153. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
154. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
155. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
156. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
157. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
158. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
159. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
160. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
161. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
162. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
163. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
164. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
165. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
166. ममतेश शाक्य, श्री एटा
167. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
168. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
169. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
170. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
171. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़

172. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
173. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
174. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
175. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
176. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
177. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
178. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
179. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
180. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
181. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
182. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
183. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
184. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
185. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
186. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
187. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
188. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
189. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
190. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
191. याकूब हाजी, श्री मेरठ
192. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
193. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
194. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
195. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
196. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
197. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
198. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
199. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
200. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
201. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
202. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
203. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
204. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
205. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
206. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
207. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
208. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
209. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
210. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
211. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
212. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
213. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
214. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
215. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
216. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
217. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
218. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
219. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
220. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
221. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
222. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
223. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
224. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
225. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
226. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
227. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
228. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
229. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
230. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
231. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
232. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
233. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
234. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
235. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
236. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस

237. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
238. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
239. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
240. राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
241. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
242. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
243. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
245. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
246. लखीराम नागर, श्री मेरठ
247. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
248. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
249. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
250. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
251. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
252. वारिस अली, श्री बहराइच
253. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
254. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
255. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
256. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
257. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
258. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
259. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
260. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
261. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
262. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
263. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
264. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
265. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
266. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
267. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
268. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
269. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
270. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
271. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
272. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
273. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
274. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
275. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
276. शिवशंकर, श्री बलिया
277. शीशराम, श्री बिजनौर
278. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
279. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
280. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
281. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
282. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
283. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
284. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
285. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
286. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
287. संजय कपूर, श्री रामपुर
288. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
289. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
290. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
291. संध्या, कुमारी मैनपुरी
292. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
293. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
294. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
295. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
296. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
297. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
298. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
299. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
300. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
301. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ

302. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
303. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
304. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
305. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
306. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
307. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
308. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
309. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
310. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
311. सुभाष, श्री बलिया
312. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
313. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
314. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
315. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
316. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
317. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
318. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
319. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
320. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
321. सुल्तान बेग, श्री बरेली
322. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
323. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
324. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
325. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
326. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
327. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
328. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
329. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
330. हरिओम, श्री जालौन
331. हसरत उल्ला, श्री एटा
332. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
333. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर

नोट :-मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती), लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास, कृषि तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, अवस्थापना विभाग एवं संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

एक मंत्री का नाम हत्याकाण्ड में आने विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम-311 में सूचना दी है, कृपया पहले उसे सुन लें, सत्ता पक्ष के एक माननीय मंत्री जी का नाम हत्या जैसे जघन्य अपराध में आया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 फातिमा जी पहले आप हमारी बात को सुन लें, इनकी किसी बात को नोट न किया जाय। आप लोग शान्त होकर बैठ जायं। चौधरी साहब अभी हमारी व्यवस्था होने दीजिए, आप बैठ जाएं, हमारी व्यवस्था सुन लीजिए।

माननीय चौधरी साहब, इन्होंने नियम-311 में सूचना दी थी, आज नेता प्रतिपक्ष जी का भाषण है, हमने निवेदन किया था सभी माननीय सदस्यों से जिनकी सूचनाएं नियम-311, नियम-56 में हैं और अनुरोध भी किया कि सब सूचनाओं को हम ले रहे हैं। इन्हीं सूचनाओं को हम 14 तारीख को लेंगे, जिसमें मा0 फातिमा जी की भी सूचना नियम-311 की थी। इस संदर्भ में मैंने कहा कि हम आपकी सूचनाओं को चयनित कर लेंगे और 14 तारीख को आपको सुन लेंगे, लेकिन आज थोड़ा एडजेस्टमेंट कर लीजिए, इन सभी माननीय सदस्यों की नोटिसों को हम 14 तारीख को सुन लेंगे क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को 12.30 बजे के बाद हमको बोलवाना है। तो आप 14 तारीख को कहिये मैं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा तब कहियेगा।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, 14 तारीख को हम लोग यहां पर नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष-

हम आपके लिए अलग से व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, सब माननीय सदस्य मान गये हैं, हर दल के नेता मान गये हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी के भाषण के एडजेस्टमेंट के लिए मैंने निवेदन कर लिया तो आपकी केवल अलग सुनेंगे तो और दल की नहीं सुनेंगे क्या ? आप इतना अनुरोध तो मान लीजिए, 14 तारीख तक कोई बात बिगड़ नहीं जायेगी। आप 14 तारीख को कहियेगा।

श्री उदयराज यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उदयराज यादव जी, आप शान्त होकर बैठ जायें। मैंने कहा है कि 14 तारीख को आप लोगों की बात को सुन लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है नियम-311 में, एक मंत्री पर माननीय मुख्य मंत्री की उपस्थिति में हत्या का आरोप लगा है और एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब वह जो भी हो उसी सूचना पर मैंने पहले ही निर्णय दे दिया कि आपकी सूचना को 14 तारीख को ले लूंगा, तब आप उसमें सब कह लीजिएगा। फातिमा जी, आप बैठ जायें, आप इतना अनुरोध तो मान लिया करिये, आप 14 तारीख को बोल दीजिएगा। अब सभी दल के नेता मान गये, मैंने सभी नेताओं से अनुरोध कर लिया है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना का उल्लेख नियम-311 में किया है उसमें माननीय मंत्री जी का नाम हत्या के आरोप में आया है और उस घटना की अभी तक एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं हुई है। मान्यवर, हमारा दल यह जानना चाहता है कि पोस्टमार्टम की कार्यवाही क्यों हुई है ? वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गयी है। लाश पर घाव के निशान थे।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। मैं 14 तारीख को इस पर आपको सुन लूंगा।

श्री उदयराज-

मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें हो रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी सूचना गम्भीर है। मैं 14 तारीख को सुन लूंगा। ताकि शासन का भी उस पर उत्तर आ जाये।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम के उपाय

**1-श्री जोखू लाल यादव, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी एवं श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार की कोई प्रभावी नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण शासन की प्रमुख वरीयताओं में से एक है। वर्तमान सरकार द्वारा सरकार गठन के प्रारम्भ से ही अपराध नियंत्रण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अपराधों का सहज पंजीकरण एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही, समाज के संगठित अपराधियों, माफियाओं, गुण्डा तत्वों, कुख्यात, पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की नीति अपनायी गयी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रदेशवार प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपराध दर की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में 34वें स्थान पर है तथा इससे कई गुना अपराध दर अन्य प्रदेशों में है। यह स्थिति सरकार की अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की दशा में विशेष संवेदनशीलता बरतने एवं कटिबद्धता तथा कठोर कार्यवाही के कारण ही संभव हो सकी है।

इसके अतिरिक्त अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है तथा बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त अपराधों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

(श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

एक मंत्री का नाम हत्याकाण्ड में आने विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता, विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह मामले हैं बहुत गम्भीर हैं जो माननीय उदयराज जी ने और माननीय फातिमा जी ने प्रस्तुत किये हैं अपनी सूचनाओं के माध्यम से। वास्तव में आज महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न की घटनायें हो रही हैं और वह भी मंत्रि-मण्डल के सदस्यों द्वारा की जा रही हैं। जो महिलायें शिकायत करने जाती हैं मुख्य मंत्री के समक्ष, उल्टे उन महिलाओं पर अलग से मुकदमें कायम किये जा रहे हैं। उनको जेल में भेजा जा रहा है। मान्यवर, इसमें एक महिला के पति की हत्या हो गयी है और दूसरे मामले में एक के पति का अपहरण कर लिया गया है और तीस लाख रु0 भी लूट लिये गये हैं। यह बहुत गम्भीर मामले हैं। मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी कि इनको सुन लिया जायेगा तो उपयुक्त होगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

माननीय जोखू लाल यादव जी आप अपना अनुपूरक प्रश्न उपस्थित करें।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैंने प्रश्न यह किया था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार की कोई प्रभावी नीति है ? मान्यवर, जो इनका उत्तर आया है उसको आप देखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो पीड़ा है वह मैं समझता हूं पूरे सदन की पीड़ा है। यह सच्चाई है कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए आज सारे दल के लोग चिन्तित हैं और सभी सदस्य चिन्तित हैं आज पूरा का पूरा समूचा प्रदेश बढ़ते हुए अपराधों के, गम्भीर अपराधों की चपेट में है। मान्यवर, यहां तक स्थिति बनी है कि हर व्यक्ति प्रदेश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, महिलाओं की दशा यह है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करें।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, उसी पर आ रहा हूं।

इसलिए यह पूरे सदन की पीड़ा है। भाई उदयराज जी और माननीय सदस्या जी उन्हीं गम्भीर अपराधों के बारे में जिक्र करना चाहती थीं। मान्यवर, यह प्रदेश 34वें नम्बर पर है तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जो आपसे बेहतर कानून व्यवस्था दे रहा है दूसरा मेरी जो जानकारी है कुल राज्य 28 हैं और केन्द्र शासित प्रदेश 7 हैं कुल मिलाकर 35 राज्य हुआ करते हैं उसमें यह 34वें स्थान पर है तो एक वह कौन सा राज्य है जिसकी शासन व्यवस्था इनसे बेहतर है ? अगर यही मानक है इनका तो मैं समझता हूं कि यह सरकार उन अपने सारे काले कारनामों पर जो बढ़ते हुए अपराध लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों में पर्दा डालने का कार्य कर रही है। यह सरकार का जवाब उचित और तर्कसंगतपूर्ण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि 34वें के बाद एक नाम केवल बचता है तो वह 35वां कौन सा राज्य है जिससे यह एक नम्बर बाद सेकेन्ड नम्बर पर है ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा कि इससे कम कौन सा राज्य है तो मान्यवर, पांडिचेरी केवल है, नहीं मान्यवर, नागालैण्ड है जो 35वें स्थान पर है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हमने तो यह पूछा ही नहीं था कि आप कौन से स्थान पर हैं हमने यह पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं आप उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं और यह देश में चले गये कि कौन से स्थान पर हैं, इनको कोई इनाम विनाम मिला हो तो मान्यवर, अलग बात है ?

श्री अध्यक्ष-

वह अनुपूरक पूछे थे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उसी अनुपूरक की बात कर रहा हूं। इनको कोई इनाम विनाम मिला हो कि यह देश में पहले नम्बर पर हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जोखू लाल यादव जी के बाद तो मेरा नम्बर है मेरा पायदान कहां चला गया ?

श्री अध्यक्ष-

वहीं फिसल गये, वहीं पर। महाना साहब के बगल में ही फिसल गये आप।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मैं बहुत नीचे पायदान पर क्यों चला गया ?

श्री अध्यक्ष-

अरे, वही ऊपर जाते हैं सब।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

जोखू लाल जी के बाद तो मेरा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, ठीक है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अपराधों की समीक्षा के बारे में हम सब लोगों ने अखबार में पढ़ा और कई बार यह बात यहां आई अपराध की समीक्षा बैठक में कि माननीया मुख्य मंत्री जी के द्वारा अपराध की समीक्षा बैठक में यह कहा गया कि थाने बिक रहे हैं। मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह बयान आता है कि थाने बिक रहे हैं तो कौन-कौन से ऐसे थाने बिके जिसकी उन्हें जानकारी थी और जो थाने बिके, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि कितनी महिलाओं के साथ अभी हाल में बलात्कार की घटनायें हुयी हैं जो बहुत वीभत्स हैं और उन घटनाओं के बाद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, उसमें कितने लोग पकड़े गये हैं और जो हत्यायें हुयी हैं और जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जेल में भेजे गये हैं, उनको जेल में भेजे जाने के क्या कारण थे और वह अपराधी होने के बावजूद इतने साल तक क्यों छूटे रहे ? यह माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने क्या पूछा है ?

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने यह पूछा है कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने कभी बयान दिया है कि थाने बिक रहे हैं तो उसकी संख्या क्या है ? यह प्रश्न बिल्कुल अलग है। प्रश्न तो अपराध रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी नीति के सम्बन्ध में था। इसके अलावा आपने पूछा है कि कितनी महिलाओं के साथ में घटना हुयी है और कितने लोग इसके सम्बन्ध में पकड़े गये हैं और कितने बाहर हैं ?

(उत्तर न आने पर)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह क्या जानना चाहते हैं। इन्होंने तो भाषण दे डाला, लेकिन जानना क्या चाहते हैं, यह तो साफ नहीं हुआ ?

श्री सतीश महाना-

मैं यह पूछ रहा हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह बयान आया कि प्रदेश में थाने बिक रहे हैं तो मैं जानना यह चाह रहा हूं कि कौन-कौन से और कितने थाने बिके हैं और कितने में बिके हैं इसकी स्पष्ट सूचना दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा कोई बयान तो आया नहीं है। महाना जी ने कहीं पढ़ लिया होगा, लेकिन ऐसा कोई बयान मेरे संज्ञान में नहीं आया।

श्री सतीश महाना-

माननीय मंत्री जी, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि दलित उत्पीड़न के कितने मामले पिछले वर्ष में रजिस्टर हुए हैं। इसके सम्बन्ध में कितने लोगों पर कार्यवाही हुयी है और कितने लोग जेल गये हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार दलित उत्पीड़न के 2009 में 6391 अभियोग दर्ज हुए थे और वर्ष 2010 में 5367 अभियोग दर्ज हुए हैं इस प्रकार इसमें 16 प्रतिशत की कमी आयी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना और कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार सत्ता में आई वह कानून व्यवस्था के नाम पर ही आयी। यह जो घोषणा की गयी थी कि अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त और भयमुक्त, निश्चित रूप से यह स्लोगन अच्छा है और यह जनता को आश्वस्त करने वाला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि अपराध रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी नीतियों का तथा बैठकों का आयोजन किया जाता है और उसे लागू किया जाता है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आयी है क्योंकि यह स्पष्ट है कि अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जो पुलिस की संख्या है, जो थानों की संख्या है जो चौकियों की संख्या है, उसमें वृद्धि भी आवश्यक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितने पुलिस कर्मियों की नियुक्ति आपने की कितनी चौकियों की स्थापना आपने की, कितने थानों की स्थापना आपने की ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पहले प्रति हजार व्यक्ति कितने पुलिसकर्मी थे उसके अनुपात में अब कितनी बढ़ोत्तरी हो गई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने पहली बार दो लाख से अधिक पदों को स्वीकृत करने का काम किया है और उसके सापेक्ष 35 हजार पुलिस कर्मियों की पारदर्शी ढंग से नियमावली के अनुसार नियुक्ति की है, जिसकी पूरे देश ने सराहना की है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने पूछा था कि प्रति हजार व्यक्तियों का और पुलिस कर्मियों का अनुपात क्या है ? अनुपात कुछ कम हुआ है या बढ़ा है। इनको तो इतना भी संज्ञान नहीं है कि मुख्य मंत्री क्या बयान देती हैं बराबर में यहां पर बैठते हैं। पूरे प्रदेश की जानकारी में है कि मुख्य मंत्री का क्या बयान आया। सबने पढ़ा, सबने सुना और सबने देखा टी0वी0 पर कि थाने बिक रहे हैं और इनकी जानकारी में नहीं हैं जो मंत्री मुख्य मंत्री के बराबर में बैठता हो उसको इस बात का संज्ञान न हो कि मुख्य मंत्री का बयान क्या है तो वह सदन को क्या जानकारी देंगे ? मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं उत्तर स्पष्ट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आम जनता और पुलिस का अनुपात मा0 सदस्य ने पूछा है, क्या आपके पास इसकी कोई सूचना है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं इसको बता दूंगा। इस समय मौके पर हमारे पास यह सूचना नहीं है।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सुरेश कुमार खन्ना, श्यामदेव राय चौधरी (दादा) और श्री अम्बिका चौधरी के एक साथ खड़े होने पर)

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, हमारा सूची में नाम है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें, मैंने श्री अम्बिका चौधरी जी को बुला लिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, अभी पूरा उत्तर नहीं आ पाया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कह दिया है कि अभी उनके पास पूरी सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अभी अम्बिका चौधरी जी का नाम बुला लिया है उसके बाद अनुपूरक के लिए मैं सूची में से ही बुलाऊंगा। जो प्रश्नकर्ता हैं उन्हीं में से मैं अनुपूरक कराऊंगा।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है तो नियम-49 में चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने तो कह दिया कि मैं आपको बता दूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं जो उत्तर है वह सत्य से परे है इसलिए मैंने यह अनुपूरक किया है। आप हम सभी लोगों के संरक्षक हैं मैंने जो प्रश्न किया और उसके उत्तर के संदर्भ में जो अनुपूरक किया वह सिर्फ इस बात को आश्वस्त करने के लिए किया कि पहले की तुलना में पुलिस की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई, कितने थानों की बढ़ोत्तरी हुई, कितनी चौकियों की स्थापना की गई तो इससे यह सम्बन्धित है। खाली घोषणा से अपराध नियंत्रण नहीं होगा। अपराध की स्थिति यह है कि मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में हैं कि विधायक निवास भी नहीं बच रहा है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, मेरे कमरे का ताला तोड़कर टी0वी0, डी0वी0डी0, कम्बल और कई अन्य चीजें चोर चुरा कर ले गये। जो परिस्थिति है उसमें उत्तर कहां इससे मेल खा रहा है। बनारस में अपराध की इतनी बढ़ोत्तरी हो रही है तो मैं आपसे यह संरक्षण चाहता हूं कि अगर संगत उत्तर नहीं आ रहा है तो इसको आप स्थगित करा दें, यह नियमों में है। अगर अनुपूरक का सुसंगत उत्तर नहीं आ रहा हो तो मा0 मंत्री जी सुसंगत उत्तर देंगे और अगर सुसंगत उत्तर नहीं आ रहा है तो इसे आप स्थगित करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपने तीन अनुपूरक किये, प्रतिशत के सम्बन्ध में पूछा, दूसरा पूछा कि पुलिस की कितनी संख्या में भर्ती की, क्या व्यवस्था किया उसके बारे में बता दिया, तीसरे अनुपात की बात कही। अनुपात के बारे में मा0 मंत्री जी ने अनुरोध किया कि उसको सूचित कर दूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे किसी भी अनुपूरक का उत्तर नहीं आया है। मैंने कोई भाषण नहीं दिया है, अनुपूरक किया है। मेरे अनुपूरक का उत्तर तो दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक ही होता है, प्रश्नों में भाषण नहीं होता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अनुपात के बारे में मैंने पहले ही कहा कि इस समय मेरे पास सूचना नहीं है, मैं उसको अवगत करा दूंगा लेकिन जो प्रश्न का मुख्य मकसद था अपराधों में कमी आने का। मैंने उत्तर में ही इस बात का जिक्र किया है और अपराधों में नियंत्रण के लिए जो कार्यवाही की गयी है अपराधों का सहज एवं सही पंजीकरण, पंजीकृत अपराधों की गुणवत्ता व समयबद्ध विवेचना, न्यायालयों में लम्बित वादों के परिणामजनक पैरवी, संगठित अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध योजनाबद्ध कार्यवाही, पेशेवर अपराधियों के क्रिया-कलापों पर सतर्क दृष्टि एवं गतिविधियों के आधार पर कार्यवाही।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

मान्यवर, यह सुनना नहीं चाहते हैं जो कार्यवाही की गयी वह बता रहा हूं। समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और इनके विरुद्ध हुई अपराधों में त्वरित कार्यवाही, साम्प्रदायिक सोहार्द व जातिगत सोहार्द पर कुप्रभाव डालने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही, जन शिकायतों का संवेदनशील व समयबद्ध निस्तारण। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जन सामान्य की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है और उसके परिणामस्वरूप जो अपराधों में कमी आयी उसका मैंने जिक्र किया। हत्या में 2009 के मुकाबले 6 प्रतिशत की कमी आयी, बलवा में 2009 के मुकाबले 3 प्रतिशत की कमी आयी, गृह-भेदन में 2009 के मुकाबले 6 प्रतिशत की कमी आयी, रोड होल्ड-अप में 2009 के मुकाबले 100 प्रतिशत की कमी आयी।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

मान्यवर, यह सुनना नहीं चाहते। दहेज हत्या में 7 प्रतिशत की कमी आयी, बलात्कार में 17 प्रतिशत की कमी 2009 के मुकाबले 2010 में आयी है।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री श्यामदेव चौधरी जी, आपके अनुपूरक का जवाब मंत्री जी ने दे दिया है, कृपया बैठिये। फिर पूछ लीजिएगा। अब मैंने श्री अम्बिका चौधरी जी को आमंत्रित कर लिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, चौकियों की संख्या बढ़नी चाहिए, थानों की संख्या बढ़नी चाहिए, खाली बैठकों के आयोजन से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस मूल प्रश्न में जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है मैं उसके बाहर कोई बात नहीं पूछना चाहता। श्रीमन्, 3 पैरे में उत्तर है। सबसे प्रथम उत्तर का जो अंश है उसमें यह है कि वर्तमान सरकार द्वारा सरकार के गठन के प्रारम्भ से ही अपराध नियंत्रण पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके सम्बन्ध में यह है कि यह पूरा ध्यान अपराधों का सहज पंजीकरण का मतलब एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाना त्वरित कार्यवाही का मतलब उस पर तत्काल कार्यवाही करना। आपने अपने उत्तर के दूसरे पैरे में जो आंकड़े दिए हैं उसमें अपराध की दृष्टि से प्रदेश को 34 वें स्थान पर रखा है पता नहीं इस समय देश में 34 प्रदेश है कि नहीं लेकिन आपने 34 वें स्थान पर रखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपने कल्पना की दृष्टि से प्रदेश को 34 वें स्थान पर रखा उसके लिए बधाई। एक और प्रश्न है आपने उत्तर में कहा कि अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है तथा बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त अपराधों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। इसी पैरे से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है। मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट सचिव, प्रिंसिपल सेकेट्री होम, डी0जी0पी0 और इससे जुड़े जिन विभागों के लोगों को आमंत्रित करके प्रदेश भर के कलेक्टर, कप्तान, आई0जी0, डी0आई0जी0 व पुलिस के आला अधिकारियों को तिलक हाल में बुलाकर समीक्षा की और उसका निष्कर्ष यह निकाला कि प्रदेश में थाने बिक रहे हैं। जो समीक्षा बैठक तिलक हाल में हुई जिसमें प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा के उपरान्त मुख्य मंत्री जी ने कहा कि थाने बिक रहे हैं और मैं छोड़ूंगी नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जिन थानों के बिकने की बात की वह कौन-कौन से थाने थे ?

श्री अध्यक्ष-

यह अनुपूरक आ चुका है यही प्रश्न महाना साहब ने पूछा था।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप हमारे संरक्षक हैं आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा शिरोधार्य लेकिन आप हमरी हिफाजत नही करेंगे तो कठिनाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी हिफाजत है हमारे लिए दोनों लोग बराबर हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मुख्य मंत्री जी ने तिलक हाल में समीक्षा के उपरान्त यह बात कही कि थाने बिक रहे हैं तो कौन-कौन से थाने बिक रहे हैं यह सूची हो तो बता दें नहीं तो बाद में दे दें। हो सकता है कि आज न हो। दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इन थानों को बिकने के लिए जो जिम्मेदार थे उनके विरुद्ध

क्या कार्यवाही हुई कौन-कौन अधिकारी थे ? एक अनुपूरक यह है उत्तर में यह कहा गया कि अपराधों का सहज पंजीकरण जबकि स्थिति यह है कि प्रदेश में मुख्य मंत्री जी के दौरे के समय उनकी उपस्थिति में डिप्टी एस0पी0 को चार झापड़ देवरिया में मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में लोगों के मन में इतना आक्रोश है और वह इस कदर फूट रहा है यह फट जाएगा एक दिन यह सामान्य स्थिति नहीं है। मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में एक राज्य मंत्री के ऊपर.....

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब अनुपूरक करिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न नहीं आने देंगे नाम लेकर अपराध दर्ज कराने की मांग करना यह सहज पंजीकरण की बात नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

यही आचरण है आपका।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपकी आज्ञा से पूछ रहा हूं। प्रदेश के राज्यमंत्री के विरुद्ध नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई यह सहज पंजीकरण है ? सहज पंजीकरण की परिभाषा क्या है यह बता दें ? एफ0आई0आर0 दी गई और वह दर्ज नहीं हुई तो इस सम्बन्ध में नीति क्या है ? अध्यक्ष जी हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

(सपा के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने व श्री रियाज अहमद के वेल की ओर बढ़ने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं मंत्री जी से उत्तर दिलवा रहा हूं। मौलाना साहब कहां जा रहे हैं। आप बैठाएंगे तभी तो पुछवाएंगे।

(श्री रियाज अहमद अपने आसन पर चले गए)

श्री अम्बिका चौधरी-

हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवाइए। बलात्कार के बाद हत्या, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या और यह हँस रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है। मान्यवर, मेरा प्वाइंटेड क्वैश्चन है और मुझे उसका उत्तर चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सहज पंजीकरण को डिफाइन करना है कि अपराधों के सम्बन्ध में सहज पंजीकरण कराया जा रहा है कि नहीं। यह माननीय चौधरी साहब पूछ रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर राज्य मंत्री के खिलाफ दर्खास्त दी गई और दर्ज नहीं हुई ? क्या परिभाषा है सहज पंजीकरण की।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मूलतः यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन मान्यवर, अगर उसके बारे में जानना चाहते हों तो सहज पंजीकरण पूरी तरह से हो रहा है और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है कि पंजीकरण नहीं हो रहा है। (व्यवधान) पूरी बात सुन लीजिए। अब पूरी बात सुनेंगे नहीं मान्यवर। पूरी बात यह सुनेंगे नहीं इसलिये कि प्रायोजित ढंग से इनके सल्तनत को चुनौती देने वाले लोगों के खिलाफ अगर प्रायोजित ढंग से इस तरह से शिकायत कराई जायेगी तो मान्यवर, उसका उत्तर तो नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इन कुर्सियों पर बैठकर इस तरह से होगा तो ठीक नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर सुनना चाहते हैं तो पूरी तरह से सुनें। अगर हिम्मत है तो बैठकर पूरी बात सुनें। अगर दम है तो बैठकर सुनें। आपने कहा और हमने आपकी बात को सुना, आप भी हमारी बात सुनें।

(सपा के सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग इनकी भी बात सुन लें। अरे भाई चलाइये न चलाइये लेकिन इनकी भी बात सुन तो लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर हिम्मत हो तो सुन लें।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना, विकास एवं चीनी उद्योग एवं कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, हम इनसे चलाने न चलाने के मोहताज नहीं हैं। मान्यवर, यह अपने जमाने की याद करके जो इनके जमाने में होता रहा। थाना बिकते रहे वही इनको सपना होता है। अगर हिम्मत है तो हमारी भी बात सुनें जैसे हमने इनकी बात को सुना है। वैसे ही मान्यवर, इनको भी हिम्मत के साथ पूरे जवाब को सुनना चाहिए। जवाब सुनने को तैयार नहीं। अब इनका जवाब यह हमारे मुंह में डालें और फिर यह निकलवायेंगे ? अब हमारा जो जवाब है जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसके अनुसार जो होगा वह देंगे। यह अपना जवाब हमारे मुंह में डालना चाहते हैं वो सम्भव नहीं है। यह प्रेशर इस तरह से नहीं चलेगा। बनायें जितना प्रेशर बनाना है।

(सपा के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

अब आप सरकार की बात सुन नहीं रहे हैं। बात तो सुनिये ना। मैं 12.00 बजे तक के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 35 मिनट पर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच हेतु भेजे गये प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी

**2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में भ्रष्टाचार के कितने मामले भ्रष्टाचार निवारण संगठन को जांच हेतु भेजे गये तथा अभी तक कितने मामलों की जांच पूर्ण हो गई है तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती मुख्य मंत्री-

वर्ष 2007-08 में 81, वर्ष 2008-09 में 25, वर्ष 2009-10 में 27 मामले भ्रष्टाचार निवारण संगठन को भेजे गये।

111 मामलों की जांच पूर्ण की जा चुकी है।

15 प्रकरणों में मुकदमा पंजीकरण किये गये।

13 प्रकरणों पर विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गयी।

03 प्रकरणों में खुली जांच की संस्तुति की गयी।

45 प्रकरणों पर आरोप-पत्र की संस्तुति की गयी।

35 प्रकरण अप्रमाणित पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का वितरण एवं पेट्रोल पम्पों पर मिलावट की रोकथाम हेतु उपाय

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाला मिट्टी का तेल पात्र लोगों तक उचित दर और मात्रा में नियमित रूप से उपलब्ध न होकर पेट्रोल पम्पों पर मिलावट हेतु पहुंचाया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाराणसी के रोहनियां थानान्तर्गत क्षेत्र में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को 6 हजार लीटर मिट्टी का तेल भरा टैंकर जो पेट्रोल पम्प पर बेचने के लिये मिर्जापुर से लाया जा रहा था, आपूर्ति विभाग द्वारा पकड़ा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने एवं मिलावट करने वाले पेट्रोल पम्पों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जी नहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत त्रिस्तरीय सत्यापन एवं रोस्टर व्यवस्था के अनुसार उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारकों को नियमित रूप से मिट्टी का तेल वितरित कराया जाता है।

आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 01-04-2010 को वाराणसी के रोहनिया, थानान्तर्गत क्षेत्र में 6 हजार लीटर मिट्टी तेल भरा टैंकर पकड़ा गया था। लेकिन टैंकर के पेट्रोल पम्प पर बेचने के लिए मिर्जापुर से लाये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी।

मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने तथा वितरण की पारदर्शी व्यवस्था बनाने हेतु शासनादेश दिनांक 24-12-2008 में त्रिस्तरीय सत्यापन, रोस्टर व्यवस्था तथा उचित दर विक्रेताओं के यहां रैण्डम आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम के माध्यम से औचक निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह पेट्रोल/डीजल पम्पों में मिलावट एवं घटतौली की रोकथाम हेतु शासनादेश दिनांक 5-8-2008 एवं 12-1-2009 द्वारा पम्पों के आकस्मिक निरीक्षण/छापे की कार्यवाही एवं नमूनों के परीक्षण की व्यवस्था की गयी है। अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित पम्पों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी एवं निजी चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया एवं ब्याज सहित भुगतान कराये जाने की मांग

*2-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल तथा श्री जोखू लाल यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी एवं निजी चीनी मिलों पर सितम्बर, 2010 तक किसानों का कुल कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार बकाये का ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश की सरकारी व निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार कुल रु0 166.39 करोड़ बकाया था।

प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

पेराई सत्र, 2006-07 व 2007-08 के गन्ना मूल्य निर्धारण का प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय से अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त यथा निर्देश कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों का गन्ना मूल्य भुगतान जिन चीनी मिलों पर अवशेष है, उनके प्रकरण बी0आई0एफ0आर0 अथवा मा0 न्यायालयों में विचाराधीन है। तद्क्रम में यथा निर्देश भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पेराई सत्र, 2006-07 व 2007-08 में मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम निर्णय के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली तीन-तीन चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार पेराई सत्र, 2008-09 में भुगतान न करने वाली एक मात्र चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

पेराई सत्र, 2009-10 में निजी क्षेत्र की 10 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था जिसमें से 06 चीनी मिलों से सम्पूर्ण गन्ना मूल्य की सब्याज वसूली की जा चुकी है, जिसमें ब्याज की धनराशि रु0 13.11 करोड़ है।

पेराई सत्र 2009-10 तक का दिनांक 20-01-2011 की स्थिति के अनुसार कुल रु0 73.96 करोड़ अवशेष है।

*3-डा0 अजय तोमर-

[पहले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के गांवों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने की मांग

*4-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उन गांवों को जो डामर रोड से नहीं जुड़े हैं, को डामरीकृत सड़क से जोड़ने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

भारत सरकार की नीति के अनुसार राजस्व ग्रामों के उन मजरों, जिनकी आबादी 500 या अधिक है तथा मजरा जोड़ने हेतु आवश्यक लम्बाई 500 मीटर से अधिक है, को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्पर्क मार्गों से संतृप्त किया जाता है।

प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को प्रति कुन्तल भुगतान में बढ़ोत्तरी कराये जाने की मांग

*5-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2009-10 में कुल कितना गन्ना उत्पादन हुआ ? क्या सरकार आगामी पेराई-सत्र से गन्ना उत्पादकों को 300/- रु0 प्रति क्विंटल भुगतान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश में वर्ष 2009-10 में कुल 1051.26 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था।

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन पर आने वाली लागत एवं गन्ना कृषकों के हितों के दृष्टिगत सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण किया जाता है। तद्नुसार गत पेराई सत्र की अपेक्षा रुपये 40/-प्रति कुन्तल की अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए वर्तमान पेराई सत्र 2010-11 के लिए निम्न प्रकार गन्ना मूल्य घोषित किया गया है।

1-अगेती प्रजाति-	रु0 210.00 प्रति कु0
2-सामान्य प्रजाति-	रु0 205.00 प्रति कु0
3-अनुपयुक्त प्रजाति-	रु0 200.00 प्रति कु0

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु प्रभावी नीति

*6-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इनमें मुख्य रूप से रोस्टर प्रणाली, त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था, शिकायतों के निराकरण हेतु काल-सेन्टर की व्यवस्था, पायलट बेसिस पर जनपद जालौन एवं बहराइच में एस0एम0एस व्यवस्था, राशन कार्डों का डाटा डिजिटाइजेशन, पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के समक्ष कार्डधारकों को उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न/चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण कराये जाने की व्यवस्था तथा नक्सल प्रभावित जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू किया जाना सम्मिलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में जनपदवार जहरीली शराब पीने से हुई मृतकों की संख्या एवं पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता

*7-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2010 से अब तक जनपदवार कितने लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है ? क्या सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश में जनवरी, 2010 से अब तक (दिसम्बर, 2010 तक) तथाकथित जहरीली शराब पीने से जनपद वाराणसी में 20, गाजियाबाद में 17, बुलन्दशहर में 15, संतरविदासनगर में 05, इलाहाबाद में 10 एवं जनपद मिर्जापुर में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

जी हां।

पीड़ित परिवारों को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। समस्त घटनाओं में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि विकास दर का लक्ष्य

*8-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 में निर्धारित कृषि विकास दर का लक्ष्य क्या था ? क्या सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाई है ? यदि नहीं, तो निर्धारित कृषि विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार कोई प्रभावी योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश में वर्ष 2009-10 के लिए कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत था।

जी नहीं।

सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कई योजनायें पूर्व से संचालित हैं यथा-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रसार सुधार योजना, किसान हित योजना तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन योजना। इसके अतिरिक्त प्रदेश में धान्य फसलें, दलहन एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु भारत सरकार से वित्त पोषित नई योजनायें वर्ष 2010-11 में प्रारम्भ की गयी है यथा-पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की रणनीतिक योजना, वाटरशेड केन्द्रित वर्षा आधारित दलहन एवं तिलहन ग्राम स्थापना की योजना तथा त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बंजर होती भूमि के नियंत्रण हेतु उपाय

*9-श्री मदन चौहान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धरती से पोषक तत्व गायब होने के कारण धरती बंजर होती जा रही है जिससे किसानों के सामने खेती का संकट उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर नियंत्रण हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जमीन बंजर नहीं हो रही है, वरन् पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सघन कृषि होने के कारण जमीन में मुख्य पोषक तत्वों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के दोहन के फलस्वरूप इनकी कमी हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जमीन में पोषक तत्वों की पर्याप्तता बनाये रखने हेतु कृषि विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जैसे-

1-मृदा स्वास्थ्य के सुधार हेतु हरी खाद की योजना।

2-वर्मी/नादेप कम्पोस्ट के उत्पादन एवं प्रयोग की योजना।

3-जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की योजना।

4-अपनी मिट्टी पहचाने अभियान चलाकर कृषकों को मृदा परीक्षण के आधार पर सन्तुलित प्रयोग को बढ़ाना।

5-मृदा स्वास्थ्य के सुधार हेतु सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ चयनित लाभार्थियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम सम्मिलित है।

*10-श्री अब्दुल वारिस खां-

[तीसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

1-श्री रियाज अहमद

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के जलेसर, सिकन्दराराऊ के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

2-श्री कुवेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-क-4 098035, दिनांक 30 अगस्त, 2010 के साथ संलग्नक जिलाधिकारी एटा, के पत्र संख्या-328/ओ0एस0डी0, दिनांक 22-2-10 तथा 1465/एस0टी0 दिनांक 11-06-10 जो आगरा जलेसर, सिकन्दराराऊ मार्ग के मध्य 11.20 कि0मी0 क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त मार्ग के प्रश्नगत 11.20 कि0मी0 भाग की विशेष मरम्मत का कार्य राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत शासनादेश सं0-965 रा0स0नि0/23-1-10-136 रा0स0नि0/2010, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 द्वारा स्वीकृत हो चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के जलाशय शारदा सागर की सफाई कराये जाने की मांग

3-श्री सुखलाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-पीलीभीत की तह0 पूरनपुर में स्थित कच्चे जलाशय शारदासागर की काफी समय से सफाई न कराये जाने से डैम में जलकुम्भी, खरपतवार, खरिया, नरकुल उग आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण डैम की नियमित सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

4-श्री कुवेर सिंह-

[पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

5-डा0 अनिल चौधरी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बागपत में डी0वाई0 रोड को चार लेन करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

6-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी0 10211237, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-211237/2009, जो डी0वाई0 रोड को चार लेन करने के सम्बन्ध में था, तथा जो दिनांक 28-10-2009 को प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग

को, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्रेषित किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की उत्तर प्रदेश में कुल लम्बाई 206 कि0मी0 है। जनपद बागपत में कि0मी0 26 से 40 तक का भाग चार लेन का स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। कि0मी0 55.700 से 58.700 का भाग पूर्व में ही चार लेन का है मार्ग की शेष लम्बाई दो लेन है। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग को दो लेन से चार लेन बनाने का कार्य सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक पूरा की ग्राम पंचायत खानपुर कोनहा में अनेक पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

7-श्री लल्लू सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- फैजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक-पूरा की ग्राम पंचायत-खानपुर कोनहा के पुनहत तालाब से आशापुर चन्दई जाने वाले नाले पर दुर्गा प्रसाद तिवारी के खेत के पास पुलिया निर्माण तथा कादीपुर ड्रेन पर पुनहत के पास राम छविला के खेत के समीप नाले पर पुलिया निर्माण एवं रोशन नगर माइनर पर मीन का पुरवा चौराहे पर टूटी पुलिया का निर्माण और द्वारिकापुर माइनर पर रापुरवा तथा द्वारिकापुर के पास टूटी पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 42/आ0स0/09, दिनांक 12-11-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित जनपद फैजाबाद के ब्लाक-पूरा में ग्राम पंचायत-खानपुर कोनहा के पुनहत तालाब से आशापुर चन्दई जाने वाले नाले पर दुर्गा प्रसाद तिवारी के खेत के पास पुलिया के निर्माण तथा कादीपुर ड्रेन पर पुनहत के पास राम छबिला के खेत के समीप नाले पर पुलिया के निर्माण के कार्य प्रस्तावित नहीं है।

रोशन नगर माइनर पर मीन का पुरवा चौराहे पर टूटी पुलिया के निर्माण कार्य मनरेगा मद में ग्राम पंचायत द्वारा करा दिया गया है।

द्वारिकापुर माइनर पर रामपुरवा के पास टूटी पुलिया का निर्माण जिला पंचायत निधि से कराया जा चुका है।

द्वारिकापुर के पास टूटी पुलिया के निर्माण की मांग से सम्बन्धित पहुंच मार्ग एवं पुलिया सिंचाई विभाग से निर्मित न होने के कारण कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद के कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

8-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के अन्तर्गत मार्ग डा0 एच0 पी0 सिंह पब्लिक स्कूल से रामपुर हलवारा खान का पुरवा तथा तिहुरा-बड़का पुरवा से धरमू का पुरवा मार्ग लगभग 3 कि0मी0 और अमरनाथ पासी के घर से राम सेवक उ0प्र0 विद्यालय पाराखान, दर्शन नगर के समाहाखुर्द लगभग 2.50 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 86/आ0स0/09, दिनांक 14-12-2009 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पत्र पर प्रमुख अभियन्ता (विकास) की आख्या मांगी गई थी। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त आख्यानुसार डा0 एच0पी0 सिंह पब्लिक स्कूल से खान का पुरवा (रतन का पुरवा) तथा दर्शननगर-समाहाखुर्द मार्ग जिला योजना समिति से अनुमोदित न होने के कारण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सका। धरमू का पुरवा व तिहुरा बड़का पुरवा लेपित/सी0सी0 मार्ग से जुड़े हैं। दोनों ग्रामों को आपस में सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

9-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के क्षतिग्रस्त मार्ग मिर्जापुर माफी से धरमपुर तक 1.5 कि0मी0, मिर्जापुर परिक्रमा मार्ग से कुसमहा मार्ग तक लगभग 1 कि0मी0 कुरौनी से जयनगर-दुगवा मलखानपुर मार्ग तक लम्बाई 2 कि0मी0 एवं सनेयू सम्पर्क मार्ग से कुतुबपुर अनुसूचित पुर्वे तक लगभग 2 कि0मी0 समस्त मार्ग ब्लाक पूरा बाजार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-54/आ0स0/09, दिनांक 13-11-2009 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, परन्तु पत्र दिनांक 13-11-09 का न होकर अपितु दिनांक 23-11-09 का है।

ग्राम मिर्जापुरमाफी, धरमपुर, कुसमहा, जयनगर, दुगवा, मलखानपुर, कुतुबपुर, अनुसूचित जाति का पुरवा पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं उक्त ग्रामों को दो तरफ से जोड़े जाने की कोई योजना नहीं है। कुरौली ग्राम की आबादी 250 से कम है, वर्तमान में 250 से कम आबादी के ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक मया में कतिपय ब्रिज, पुल एवं नाले के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

10-श्री लल्लू सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- फैजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक-मया में ग्राम सभा-रामपुर मया (रमनपट्टी) के सामने बड़ी नहर पर क्षतिग्रस्त ब्रिज का पुनर्निर्माण, ब्लाक पूरा में ग्राम सभा-भदौली (पीठिया) के पश्चिम नाले पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण एवं रहीमपुर जुगवां से देवसड़ा तालाब तक नये नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 43/आ0स0/09, दिनांक 12-11-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित कोई कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

01-शारदा सहायक परियोजना वर्ष 2000 में पूर्ण घोषित हो चुकी है तथा वर्तमान में इस परियोजना पर धन उपलब्ध नहीं है।

02-ब्लाक पूरा में ग्राम सभा-भदौली (पीठिया) के प्रश्नगत नाले के निर्माण के उपरान्त ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा सड़क बनायी गयी है। अतः प्रश्नगत पुल के निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया जाना है।

03-रहीमपुर जुगवा से देवसड़ा तालाब तक पुराना नाला है तथा देबसड़ा तालाब तक पानी जाने के लिए पाइप लगा हुआ है।

प्रदेश में मलिन बस्तियों में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सर्वे में पात्रता का कथित प्रकरण

11-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मलिन बस्तियों में निवासित गरीबों 60 वर्ष से अधिक गरीब विधवाओं, आवासहीन लोगों को ''अन्त्योदय योजना'' के अन्तर्गत लाभान्वित/आच्छादित किये जाने हेतु कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे में पात्रता का क्या आधार बनाया गया है तथा कितने लोग पात्र पाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ से ग्राम उजयानपुरा में सड़क निर्माण की मांग

12-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड मोंठ में सेरसा-लोहागढ़ मार्ग से ग्राम उजयानपुरा तक सड़क मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

ग्राम उजयानपुरा सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत समथर पिपरीकला मार्ग की ओर से लेपन स्तर तक निर्मित मार्ग से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में शासन की नीति ग्राम को सिंगल कनेक्टिविटी से जोड़ने की है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के कतिपय विकास खण्डों में क्षतिग्रस्त पुलों एवं पुलियों का निर्माण कराये जाने की मांग

13-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ, बामौर, गुरसराय, चिरगांव में नहरों, माइनरों पर बनाये गये कुल कितने पुल, पुलिया क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त पुलों एवं पुलियों का निर्माण/मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ में 42 पुल, पुलिया एवं विकास खण्ड चिरगांव में 1 पुल (कुल 43 पुल) क्षतिग्रस्त है। विकास खण्ड बामौर एवं गुरसराय में कोई पुल क्षतिग्रस्त नहीं है।

वर्तमान में इन क्षतिग्रस्त पुलों एवं पुलियों के निर्माण/मरम्मत की कोई कार्य-योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में इन क्षतिग्रस्त पुलों एवं पुलियों के निर्माण/मरम्मत की कोई कार्य-योजना स्वीकृत नहीं है।

जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद करबन नदी के जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

14-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस जनपद के कस्बा सादाबाद में एन0एच0 93 पर बने करबन नदी के जर्जर पुल के पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष 2007-08 की योजना में सम्मिलित कर भारत सरकार परिवहन मंत्रालय को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का पुनर्निर्माण वर्ष 2010-11 में कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

यद्यपि वर्ष 2007-08 की योजना में प्रश्नगत कार्य का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया जा सका था परन्तु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 की अनुमोदित कार्य-योजना में प्रश्नगत पुल का पुनर्निर्माण अनुमोदित किया गया था।

जी नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 93 का चैनेज 0.00 (आगरा) से चैनेज 79.000 (अलीगढ़) तक का कार्यभार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) को हस्तान्तरित कर दिया गया है। एन0एच0ए0आई0 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में किमी0 28 (सादाबाद) में करवन नदी पर नया पुल बनाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षतिग्रस्त मंगरौरा-दीवानगंज सेइखा मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ मंगरौरा-दीवानगंज सेइखा मार्ग लगभग 3 कि0मी0 क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद प्रतापगढ़ में मंगरौरा दीवानगंज मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 9.00 कि0मी0 है। इस मार्ग का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2008 में पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग के कि0मी0 09 में केवल आबादी भाग में हैण्डपम्प होने से जल भराव के कारण मार्ग में कुछ पैच हो गये थे, जिन्हें ठेकेदार द्वारा ठीक करा दिया गया है। इस मार्ग पर सेइखा नाम का कोई ग्राम नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मदाफरपुर नहर के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

16-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत मदाफरपुर नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मदाफरपुर रजवाहा की कुल लम्बाई 13.625 कि0मी0 है। मा0 जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ में चल रहे वाद में दिये गये स्थगन आदेश के कारण कि0मी0 10.800 से 10.920 तक कुल 120.00 मीटर की खुदाई नहीं हो पायी है, जिसके कारण कि0मी0 10.800 तक ही पानी पहुंचता है।

मा0 न्यायालय में लम्बित वाद के निस्तारण के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड बेलखरनाथ के ग्राम बनी से खरखेलपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

17-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ विकास खण्ड बेलखरनाथ के अन्तर्गत नागापुर रजबहा के ग्राम बनी से खरखेलपुर तक सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में निजी बीज, निर्माताओं को सरकार द्वारा सब्सिडी दिलाये जाने की मांग

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रदेश के निजी बीज निर्माताओं को सरकार द्वारा अनुमन्य सब्सिडी अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक सब्सिडी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में निजी बीज निर्माताओं को सब्सिडी अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के ग्राम अधकटा जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

19-श्री सुखलाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर ब्लाक बरखेड़ा, जिला-पीलीभीत से ग्राम अधकटा तक जाने वाला मार्ग पिछले 4 वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। क्षतिग्रस्त थी।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कार्य वर्ष 2010-11 में दिनांक 30-11-2010 को पूर्ण कराया जा चुका है।

जनपद पीलीभीत के ग्राम सुहास के क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण कराये जाने की मांग

20-श्री सुखलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिपरिया भजा, ब्लाक मुरौरी जिला-पीलीभीत से ग्राम सुहास तक जाने वाला मार्ग पिछले 5 वर्ष से क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इसे बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वर्तमान में मार्ग वर्षा एवं बाढ़ से कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे यातायात में असुविधा होना स्वाभाविक है।

मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के अनेक राजवाहे के नाला व अल्पिकाओं में किसानों को रोस्टर के अनुरूप पानी उपलब्ध कराये जाने की योजना

21-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के राजवाहे बराल खदरावली, बाबली मीरापुर, इदरीशपुर, फदलपुर, नाला व इसकी अल्पिकाओं में वर्ष 2010-11 में फसल चक्रों के अनुरूप पानी उपलब्ध कराने के रोस्टर के सापेक्ष पूर्ण पानी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों को रोस्टर के अनुरूप पानी उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जल उपलब्धता के अनुसार रोस्टर के सापेक्ष जनपद बागपत के राजवाहे वराल खदरावली, बावली, मीरापुर, इदरीशपुर, फदलपुर, नाला व इसकी अल्पिकाओं में वर्ष 2010-11 में जल उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में पानी की आंशिक कमी को दूर करने के लिए समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल का निर्माण किया जा चुका है तथा पानी मिलना प्रारम्भ हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के राजवाहों/नहरों/अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

22-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010-11 में जनपद बागपत के राजवाहों/नहरों/अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई टेल तक कराये जाने की क्या कोई कार्य योजना है ? उक्त नहर/राजवाहा/अल्पिका की सफाई कब तक करा दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

जनपद मेरठ के मुख्य अभियन्ता (गंगा) को नहरों/राजवाहों/अल्पिकाओं को पटरी पर खड़ंजा स्तर तक के कार्य हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

23-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010-11 में नहरों/राजवाहों/अल्पिकाओं का पटरी पर लेपन स्तर तक खड़ंजा स्तर तक कार्य कराने हेतु मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? उक्त में से कितनी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपदवार कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई विभाग, मेरठ को नहरों/रजवाहों/अल्पिकाओं की पटरी पर लेपन स्तर एवं खड़ण्जा तक के कार्य कराने हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग

24-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के अन्तर्गत बलिया-नगरा मार्ग से सुल्तानुपर, बलिया-नगरा से सोनपुरवा होते हुए बसनवार तक, बलिया नगरा से असनवार तक, मलय से तियरा छेदापुर होते हुए अतरौली तक, बलिया-लखनऊ मार्ग से औदी तक के मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन असुविधाजनक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बलिया के अन्तर्गत बलिया-नगरा मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है, जो मार्च, 2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। नगरा से सोनपुरवा होते हुए असनवार तक मार्ग तथा बलिया नगरा से असनवार तक मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। यह मार्ग जिला परिषद् बलिया के अधीन है, जिस पर कार्यवाही जिला परिषद् बलिया द्वारा की जानी है। मलप से तियरा छेदापुर होते हुए अतरौली तक मार्ग से मलप से तियरा हैदरपुर भाग में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। एवं दूसरा भाग तियरा हैदरपुर होते हुए अतरौली तक 1.37 कि0मी0 लम्बाई से लेपन स्तर का कार्य अवशेष है। यह कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

बलिया लखनऊ मार्ग से आंदी तक मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है, जिसके पैच मरम्मत का कार्य प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया की अनेकों अधूरी सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

25-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के अन्तर्गत चिलकहर-टिकादेवरी मार्ग से मटिहीगंज, चौगड़ा चही से असनवार, सलेमपुर-डिहवा मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग, मलयचही से तियरा होते हुए अतरौली मार्ग पर लगभग 4 से 5 वर्ष पूर्व प्रथम व कहीं-कहीं पर द्वितीय कोट की पत्थर की कुटाई करके बिना पिच किये छोड़ दिया गया है जिसके कारण गिट्टी के उखड़ने और तितर-बितर होने से आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बलिया के अन्तर्गत चिलकहर टीकादेवरी मार्ग से मटिहीगंज मार्ग समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 1.425 कि0मी0 लम्बाई एवं रु0 14.38 लाख लागत का निर्माणाधीन मार्ग है, जिसके अन्तर्गत आवंटित रु0 3.65 लाख के अनुसार कार्य कराया गया है।

चौगड़ा चट्टी से असनदार मार्ग समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 2.50 कि0मी0 लम्बाई एवं रु0 25.23 लाख लागत का निर्माणाधीन मार्ग है, जिसके अन्तर्गत आवंटित रु0 15.61 लाख के अनुसार कार्य कराया गया है।

सलेमपुर विहवां मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग आर0आई0डी0एफ0-7 योजना के अन्तर्गत 1.17 कि0मी0 लम्बाई एवं रु0 15.53 लाख लागत का निर्माणाधीन मार्ग है, इस कार्य के लिये लेपन स्तर तक कार्य न कराये जाने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

मलप पट्टी से तियरा होते हुए अतरौली मार्ग 1.50 कि0मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त है एवं 1.37 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया-लखनऊ मार्ग पर ध्वस्त पुलियों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग

26-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया-लखनऊ मार्ग पर देवसयली के आगे से फतेहपुर होते हुए कोड़रा तक सड़क मरम्मत के अभाव में ऊबड़-खाबड़ हो गई है तथा पुलिया भी ध्वस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सड़क एवं पुलियों की मरम्मत/निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। पुलिया का निर्माण कार्य करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

27-श्री सनातन पाण्डेय-

[पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलहर के अनेकों मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

28-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत बेलसरा, पलटा, सिकरिया, कलां सरांव से कोढऊपुर तक एवं बलिया से गोपालपुर तक की सड़क अत्यन्त जीर्णशीर्ण होने के कारण आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

(1) बेलसरा, पलटा, सिकरिया कला मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(2) सराव से कोकउपुर मार्ग का स्वामित्व ग्राम विकास विभाग का है। कार्य उनके द्वारा कराया जाना है।

(3) बलिया से गोपालपुर मार्ग कुछ स्थानों पर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन से असुविधा होना स्वाभाविक है। विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

मेरठ विकास प्राधिकरण में डिफेन्स एन्कलेव एवं सैनिक बिहार आवासीय योजना के भू-खण्डों के आवंटन सम्बन्धी पत्रावली के गायब होने का कथित प्रकरण

29-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण में डिफेंस एन्कलेव एवं सैनिक बिहार आवासीय योजना के भू-खण्डों के आवंटन सम्बन्धी पत्रावली मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय से गायब है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच किसी उच्च स्तरीय कमेटी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत सीलिंग भूमि का मुआवजा बांट दिये जाने की जांच

30-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत जमीनों में से सीलिंग की भूमि का भी मुआवजा बांट दिये जाने की राजस्व परिषद् द्वारा की जा रही जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्यालय समय में मेरे कार्यालय कक्ष में किसी भी दिन मा0 सदस्य द्वारा जांच रिपोर्ट देखी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की पूर्वी यमुना नहर तथा राजबाहों व अल्पिकाओं की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत/ पुनर्निर्माण का कार्य

31-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बागपत की पूर्वी यमुना नहर तथा इसकी रजवाहों व अल्पिकाओं पर स्थित पुल, पुलिया, पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष इन्हें बनवाने/मरम्मत कराने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। 14 स्थलों पर पुल/पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थी, जिनमें 8 रां0पुल/पुलियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करा दिया गया है। शेष का कार्य अवशेष है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के गन्ना विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

32-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में कौन-कौन से मार्ग गन्ना विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 व 2010-11 में स्वीकृत हुए हैं ? क्या स्वीकृत मार्गों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2009-10 में 14 मार्ग तथा वर्ष 2010-11 में 15 मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये। (विवरण संलग्न है)[†]

धन की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2009-10 में स्वीकृत 14 मार्गों के सापेक्ष 13 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष एक मार्ग, इन्द्रप्रस्थ स्कूल (काठा) से बन्दपुर मोड़ पी0एम0जी0एस0वाई रोड तक को वर्ष 2010-11 में सम्मिलित करते हुए स्वीकृत 15 मार्गों के सापेक्ष 14 मार्गों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2010-11 का अवशेष एक मार्ग, बड़ौत कोताना रोड पर बोहला के पास से मलकपुर मार्ग धनराशि के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो सका।

निर्माणाधीन मार्गों का निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद लखीमपुर खीरी के सैधरी पुल की मरम्मत कराये जाने की मांग

33-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी के लखीमपुर बेलरायां पनवारी मार्ग के मध्य ऊलनदी पर बना सैधरी पुल कमजोर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 190-192 पर।)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत सेतु की दशा संतोषजनक है एवं यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के नाले निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

34-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़क-फतेहगंज रेलवे क्रासिंग से वजीरगंज नाला तक सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण तथा देवकाली से वजीरगंज नाले तक सड़कों के दोनों तरफ नाले का निर्माण एवं देवकाली से आचार्य नरेन्द्र देव रेलवे स्टेशन के पास स्थित नाला तक सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 142/आ0स0/10, दिनांक 15-2-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत प्रकरण में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-3-2010 प्राप्त हुआ है।

उल्लिखित भाग नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि शहरी क्षेत्र में नाला निर्माण की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कतिपय मार्गों का निर्माण पूरा कराये जाने की मांग

35-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, फैजाबाद के अन्तर्गत आने वाले मार्ग-साधू पाण्डे का पुरवा अलावलपुर सम्पर्क मार्ग से तुला का पुरवा तक 1200 मीटर, ब्लाक पूरा बाजार तथा कर्मा कोड़री सम्पर्क मार्ग से गड़ेरिया का पुरवा होते हुए कुटी तक, ब्लाक पूरा बाजार एवं नरियांवा सम्पर्क मार्ग से बाबा कुटी होते हुए दर्शननगर रसूलाबाद मार्ग तक 1.5 कि0मी0 पूरा बाजार का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 57/आ0स0/09, दिनांक 13-11-2009 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पत्र पर प्रमुख अभियन्ता (विकास) की आख्या मांगी गई थी। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त आख्यानुसार साधू पाण्डेय का पुरवा सम्पर्क मार्ग जिला योजना समिति से अनुमोदित न होने के कारण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सका। तुला का पुरवा, गड़ेरिया का पुरवा नरियावां सम्पर्क

मार्ग से बाबा कुटी होते हुए दर्शन नगर रसूलाबाद तक के मार्ग से पाठक का पुरवा जुड़ेगा जिनकी आबादी 250 से कम होने के कारण निर्माण के मानकों से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र पंचायत पुरा को बाढ़ से बचाने हेतु मड़ना माइनर को चालू कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

36-श्री लल्लू सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मड़ना, क्षेत्र पंचायत-पूरा, जनपद-फैजाबाद को घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है की कृषि भूमि एवं आबादी को बाढ़ से बचाने हेतु 5 ठोकरों का निर्माण करवाने तथा सूखे की विभीषिका से बचने के लिये मढ़ना माइनर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 48/आ0स0/09, दिनांक 13-11-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विभागीय नीति के अनुसार एकाकी ग्रामों को नदी की कटान से बचाने हेतु योजना बनाने का प्राविधान नहीं है।

मड़ना माइनर की लम्बाई 2.500 कि0मी0 है, परन्तु कि0मी0 0.250 से कि0मी0 0.550 तक भूमि विवाद के कारण गैप है। शेष भाग में नहर निर्मित है।

भूमि विवाद के कारण नहर निर्माण का कार्य बाधित है।

जनपद फैजाबाद में मसौधा ब्लाक के 18 बिन्दुवार कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

37-श्री लल्लू सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद में मसौधा ब्लाक के अन्तर्गत 18 बिन्दुवार कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-12-2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें से कितने कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं और कितने कार्य शेष हैं ? उक्त शेष सभी कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में क्रमांक-2 पर उल्लिखित 01 कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा अवशेष 17 कार्यों में से 09 कार्यों को तकनीकी रूप से साध्य न पाने के कारण 08 कार्य कराना शेष है।

शेष 08 कार्यों हेतु रु0 49.53 लाख का प्राक्कलन गठित किया गया, जिसकी स्वीकृति मनरेगा योजना से प्राप्त है। धनावंटन प्राप्त होने पर शेष कार्यों को कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रयागराज में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी

38-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के प्रयागराज में आगामी कुम्भ (जनवरी, 2013) मेला को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 2,24 बी तथा 96 एवं राज्य मार्गों एवं स्थानीय मार्गों के सुदृढ़ीकरण/निर्माण आदि हेतु योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसका कार्यान्वयन कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

महाकुम्भ वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्य मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण रोड साइनेज एवं तहसील-हण्डिया में गंगा नदी के सिरसा घाट पर पक्का पुल प्रस्तावित है परन्तु अभी उक्त कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

जनपद बलरामपुर में उतरौला एवं नवाबगंज के बौद्ध परिपथ मार्गों को बनवाये जाने का कथित प्रकरण

39-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवाबगंज-उतरौला एवं उतरौला-बलरामपुर मार्ग को बौद्ध परिपथ श्रावस्ती से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों को हाट मिक्स प्लांट से बनवाकर जनता को सुविधा उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, पूर्व से जुड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से जुड़े होने के कारण।

जनपद गोण्डा के जरवल रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

40-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जरवल रोड गोण्डा मार्ग अत्यन्त जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को हाटमिक्स प्लान्ट से बनवाकर जनता को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, मार्ग में दबकें हो गई है जिन्हें सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत नियमित रूप से मरम्मत करके यातायात योग्य रखा जा रहा है।

इस मार्ग का निर्माण विश्व बैंक पोषित परियोजना एस0आर0पी0-III में प्रस्तावित है। वर्तमान में हॉटमिक्स प्लान्ट से बनाने का कोई कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

जनपद महामायानगर (हाथरस) की कतिपय तहसीलों हेतु लोक निर्माण विभाग के खण्ड को आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

41-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में जनपद महामायानगर (हाथरस) में शासन द्वारा कितनी धनराशि विभिन्न कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के खण्ड को आवंटित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त धनराशि में से वर्षवार तहसील-सादाबाद, हाथरस, सासनी एवं सिकन्दराराऊ में आवंटित/ व्यय धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद महामायानगर को वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में विभिन्न कार्यों हेतु कुल रु0 10946.87 लाख की धनराशि आवंटित की गई।

वर्षवार आवंटित/व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

तहसील	वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
सादाबाद	2007-08	938.94	938.94
	2008-09	1095.51	1095.51
	2009-10	885.98	885.98
	2010-11	698.35	608.02
हाथरस	2007-08	663.26	663.26
	2008-09	904.19	904.19
	2009-10	794.37	794.37
	2010-11	483.53	314.40
सासनी	2007-08	575.43	575.43
	2008-09	761.31	761.31
	2009-10	448.57	448.57
	2010-11	352.48	284.75
सिकन्दराराऊ	2007-08	635.79	635.79
	2008-09	971.21	971.21
	2009-10	428.52	428.52
	2010-11	309.43	224.22
कुल योग :	**2007-08**	**2813.42**	**2813.42**
	2008-09	**3732.22**	**3732.22**
	2009-10	**2557.44**	**2557.44**
	2010-11	**1843.79**	**1431.39**

कराये गये कार्यों का विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय में उपलब्ध है जिसे किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

42-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर की तहसील-महमूदाबाद में रमकुण्डा चौराहे से मीरानगर, पैतेपुर से चांदपुर, पर्वतपुर से खरवल, सदरपुर से बिसवां एवं फिरोजपुर से बाबूपुर आदि जर्जर सड़कों की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रमकुण्डा चौराहे से मीरानगर-मार्ग के प्रथम 6.00 कि0मी0 तथा अन्तिम 3.80 कि0मी0 में कुछ स्थानों पर पैच हो गये है, जिसकी सामान्य मरम्मत एक सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत की जा रही है। मार्ग के बीच का 100 कि0मी0 भाग नगर पंचायत के स्वामित्व में है।

पैतेपुर से चांदपुर-इस मार्ग के प्रथम 2.00 कि0मी0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व में है। शेष का स्वामित्व जिला पंचायत/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का है। लो0नि0वि0 के भाग की दशा संतोषजनक है।

पर्वतपुर से खरवल-इस मार्ग के प्रथम 2.50 कि0मी0 व अन्तिम 1.00 कि0मी0 का स्वामित्व लो0नि0वि0 का है, जिसकी दशा संतोषजनक है। शेष भाग जिला पंचायत के अधीन है।

सदरपुर से बिसवां-इस मार्ग की दशा संतोषजनक है।

फिरोजपुर से बालूपुर-इस मार्ग का प्रथम 1.00 कि0मी0 व अन्तिम 2.00 कि0मी0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व में है, जिसकी दशा संतोषजनक है। शेष भाग का स्वामित्व जिला पंचायत का है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ में सदर से चारबाग का हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाइ-वे के तृतीय चरण के कार्यों के प्रारम्भ कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

43-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के पहले बुध के अता0प्र0सं0-45 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर से चारबाग तक हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाइवे के तृतीय चरण को कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

तृतीय चरण के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के ग्राम पूरब पट्टी मदुरा रानीगंज शाहपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्रों को राशन कार्ड के आवेदन-पत्र को निस्तारित कराये जाने की मांग

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के ग्राम पूरब पट्टी मदुरा रानीगंज शाहपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी पात्रों के राशन कार्ड बनाये गये हैं ? क्या सभी प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी हां।

ग्राम पूरबपट्टी में बी0पी0एल0 के 87 व अन्त्योदय के 53 कुल 140 राशन कार्ड, ग्राम मदुरा रानीगंज में बी0पी0एल0 के 59 व अन्त्योदय के 36 कुल 95 राशन कार्ड एवं ग्राम सभा शाहपुर में बी0पी0एल0 के 78 व अन्त्योदय के 55 कुल 133 राशन कार्ड बनाये गये हैं।

जनपद महामायानगर के विकास खण्डों में किसान गोष्ठियों के आयोजन का विवरण

45-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड- सादाबाद, सहपऊ एवं मुरसान में वर्ष 2007-08, 2008-09 2009-2010 व 2010-2011 में विभाग द्वारा वर्षवार व विकास खण्डवार कितनी किसान गोष्ठियां आयोजित की गई ? क्या इन किसान गोष्ठियों में राष्ट्र/प्रादेशिक स्तर के कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। किसान गोष्ठियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	विकास खण्ड	आयोजित गोष्ठियों की संख्या
2007-08	सादाबाद	20
2007-08	सहपऊ	09
2007-08	मुरसान	18
2008-09	सादाबाद	12
2008-09	सहपऊ	06
2008-09	मुरसान	11
2009-10	सादाबाद	14
2009-10	सहपऊ	12
2009-10	मुरसान	17

वर्ष	विकास खण्ड	आयोजित गोष्ठियों की संख्या
2010-11	सादाबाद	05
2010-11	सहपऊ	05
2010-11	मुरसान	05

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिन योजनान्तर्गत कृषक गोष्ठियां आयोजित की गई हैं, उन योजनाओं की गाइड लाईन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश में सड़क किनारे फोन कम्पनियों द्वारा गड्ढ़े खोदकर सड़क खराब होने से बचाने के उपाय

46-श्री सुखलाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में सड़क किनारे प्राइवेट फोन कम्पनियों द्वारा सड़कों पर गड्ढे खोद कर लाइन डालने के बाद उसे पटवाती नहीं है, जिससे प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सड़क को खराब होने से बचाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फोन कम्पनियों से कटिंग चार्ज प्राप्त कर विभाग द्वारा मार्ग की मरम्मत कराई जाती है।

दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन की कैन्टीन में घटिया किस्म के खान-पान की रोकथाम के उपाय

47-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन की संचालित कैण्टीन में घटिया किस्म के खान-पान परोसे जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई जांच समिति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में गंगा नदी को घाटों पर लाने की कार्य-योजना

48-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में गंगा नदी घाटों से दूर चली गई है ? यदि हां, तो गंगा को पुनः घाटों पर लाने के लिये सरकार किसी कार्य योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में गंगा नदी पर गंगा बैराज परियोजना के अन्तर्गत निर्मित बैराज से गंगा नदी प्रवाहित होते हुए गंगा नदी कानपुर में घाटों से प्रवाहित हो रही हैं।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नं0 दीपा ब्लाक सुल्तानगंज में राशन कार्ड बनाये जाने की मांग

49-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद-मैनपुरी के ग्रा0 न0 दीपा ब्लाक सुल्तानगंज में एक भी राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में राशन कार्ड बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम पंचायत अहिरबा में कुल 07 मजरे हैं जिसमें प्रश्नगत ग्राम नं0 दीपा ग्राम पंचायत अहिरबा का ही एक मजरा है। ग्राम पंचायत अहिरबा में ए0पी0एल0 के 730, बी0पी0एल0 के 248 तथा अन्त्योदय के 151 राशन कार्ड निर्मित किये गये थे, जिनमें प्रश्नगत ग्राम नं0 दीपा में ए0पी0एल0 के 95 तथा बी0पी0एल0 के 03 कुल 98 राशन कार्ड प्रचलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पतरासी से कोढ़िया तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

50-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम पतरासी से कोढ़िया तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। मार्ग कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।

सम्प्रत्ति विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

लखीमपुर-शारदानगर क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

51-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के लखीमपुर-शारदानगर मार्ग पर अचाकापुर से तैतारपुर तक सड़क गड्ढायुक्त होने के कारण जनता को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

यह मार्ग भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होना स्वाभाविक है।

मार्ग के विशेष मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम दुलही से मल्लबेहड़ क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

52-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम दुलही से मल्लबेहड़ सम्पर्क मार्ग बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

दुलही की ओर 2.05 किमी से लेपन स्तर तक निर्माण 6/2010 में पूर्ण कराया गया है तथा मल्लबेहड़ की ओर 1.00 किमी0 भाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है।

क्षतिग्रस्त भाग की विशेष मरम्मत का कार्य 02/2011 तक किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा पोषक नहर की सभी साइफनों की सफाई कराये जाने की मांग

53-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में मल्लबेहड़ के दोनों साइफनों की सफाई करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ढखेरवा चौराहे से शारदानगर व कैलाशपुरी तक शारदा पोषक नहर के सभी साइफनों की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी में मल्लबेहड़ के दोनों साइफनों की सफाई तथा ढखेरवा चौराहे से शारदानगर व कैलाशपुरी तक तथा शारदा पोषक नहर (शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 26.300) तक के सभी साइफनों की सफाई मानसून से पूर्व करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की उचौरी माइनर की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

54-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाली उचौरी माइनर जो गूढा रजबहा से निकाली गई है वह टेल तक नहीं खोदी गई है ? क्या यह भी सत्य है कि

उक्त माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त माइनर की टेल तक खुदाई एवं सम्बन्धित किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नहर का निर्माण चकबन्दी से प्राप्त भूमि पर कराया गया है।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में गत वर्षों में स्वीकृत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

55-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के बछरावां विधान सभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में कौन-कौन क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए ? क्या स्वीकृत मार्गों का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद रायबरेली के बछरावां विधान सभा क्षेत्र के लिये वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में संलग्न सूची † के अनुसार क्रमशः 40 कार्य तथा 09 कार्य नवीनीकरण व मरम्मत मद में स्वीकृत हुए।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ से इलाहाबाद मार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी जानकारी

56-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से इलाहाबाद रायबरेली जाने वाली सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण को हटाने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत प्रशासन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में अप्रैल, 2010 व जुलाई, 2010 में प्रशासन के मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 192-195 पर।)

जनपद रायबरेली के महराजगंज शुक्ल बाजार वाया इन्हौंना मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

57-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड द्वारा सी0आर0एफ0 (केन्द्रीय सड़क निधि) से निर्माणाधीन महराजगंज-शुक्ल बाजार वाया इन्हौना मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक बन जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक कटेहरी के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने की मांग

58-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकर नगर स्थित ब्लाक कटेहरी में सेमराघाट पुल से करमपुर नरहरिया सम्पर्क मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को कठिनाइयां हो रही हैं ? क्या वित्तीय वर्ष 2010-2011 में उक्त मार्ग के डामरीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, सुगम यातायात बनाये रखने हेतु क्षतिग्रस्त भाग में पैच मरम्मत का कार्य कराया गया है।

जी नहीं।

मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं हैं।

उपुर्यक्तानुसार।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में कतिपय ब्रान्च गंगनहर हेतु स्वीकृत धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण

59-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में मॉट ब्रान्च गंगनहर, खण्ड-मथुरा व हाथरस ब्रान्च गंगनहर, खण्ड-हाथरस को वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में कुल कितना धन शासन से आवंटित हुआ तथा इस धन से कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मॉट ब्रान्च गंगनहर खण्ड मथुरा व हाथरस ब्रान्च गंगनहर, खण्ड-हाथरस को वर्षवार निम्नवत् धन आवंटित हुआ :-

खण्ड का नाम	वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
निचली मॉट शाखा गंगनहर मथुरा	2007-08	565.28
	2008-09	458.708
	2009-10	186.77
	2010-11	557.10
सिंचाई खण्ड हाथरस	2007-08	735.22
	2008-09	141.53
	2009-10	108.227
	2010-11	75.79

तद्नुसार विभागीय मद एवं अन्य योजनाओं में आवंटित धन से तहसील सादाबाद में चिन्हित अनुरक्षण, सिल्ट सफाई, चौ0 चरण सिंह परियोजना के कार्य, निरीक्षण भवनों की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास एवं मनरेगा से संबंधित कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में उप गन्ना आयुक्त के रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर ज्येष्ठता निर्धारित कराये जाने की मांग

60-श्री सुखलाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में डी0पी0सी0 किस वर्ष से नहीं कराई गयी जिसके कारण सामान्य व आरक्षित श्रेणी के उपायुक्त, गन्ना के कई पद रिक्त होने के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार डी0पी0सी0 न कराये जाने के कारणों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए डी0पी0सी0 करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2009 से उप गन्ना आयुक्त के पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं कराई गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007, दिनांक 14-9-2007 के नियम-8क के अधीन उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-1 व 2 के अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारित/संशोधित करते हुए कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8-8-2008 द्वारा संबंधित अधिकारियों से आपत्तियां

प्राप्त किये जाने हेतु अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गई। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध डा0 सुल्तान अहमद व अन्य, उप गन्ना आयुक्त द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-393/2009 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6-3-2009 द्वारा याचीगण की ज्येष्ठता डिस्टर्ब न किये जाने के निर्देश दिये गये तथा उक्त रिट याचिका एक अन्य रिट याचिका संख्या-1389/2007 के साथ सम्बद्ध कर दी गई।

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों की उक्त नियम-8क के अधीन ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही स्थगित होने के कारण उप गन्ना आयुक्त के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

सम्प्रति उक्त रिट याचिका संख्या-1389/2007, मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4-1-2011 द्वारा निस्तारित कर दी गई है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ज्येष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर उप गन्ना आयुक्त के रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

मेरठ विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से कराये गये कथित कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी

61-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से कमिश्नर आवास की चाहरदीवारी एवं कक्षों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या विकास के पैसे से अधिकारियों के आवास का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कराया जा सकता है ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

62-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में निर्माणाधीन तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार द्वारा उक्त सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पहुंच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तथा रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु की जी0ए0डी0 की स्वीकृति के उपरान्त मुख्य सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव है।

उपर्युक्तानुसार।

बी0पी0एल0 के अन्तर्गत बने राशन कार्डों का सत्यापन कर नीति निर्धारित करने की मांग

63-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0पी0एल0 श्रेणी के कार्ड की जांच सरकार द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो उसमें कितने कार्ड गलत पाये गये हैं एवं कितने निरस्त हुए हैं ? नये कार्ड बनाने हेतु क्या नीति निर्धारित की गयी है ? उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां। बी0पी0एल तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बने राशन कार्डों का नियमित रूप से सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।

बी0पी0एल0/अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राशन कार्डों के सत्यापन में दिनांक 01-04-2010 से 31-12-2010 तक 35537 कार्ड धारक अपात्र पाये जाने के कारण उनके राशनकार्ड निरस्त कर दिये गये।

नये राशन कार्ड बनाने हेतु नीति निम्नवत् है :-

ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 परिवारों का चिन्हींकरण आय के आधार पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं लेखपाल द्वारा किया जाता है। चिन्हींकरण के पश्चात् ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाई जाती है जिसमें ब्लाक स्तर के पर्यवेक्षकीय अधिकारी की उपस्थिति में लाभार्थियों की सूची का सत्यापन/अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदित सूची में उल्लिखित लाभार्थियों को बी0पी0एल0 राशनकार्ड निर्गत किया जाता है।

शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के अधिकारी यथा नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के अधिकारियों/डूडा की मदद से लाभार्थियों का चिन्हींकरण कर उन्हें राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा वाह्य विकास शुल्क से प्राप्तियों एवं खर्च का मदवार विवरण

64-डा0 अनिल चौधरी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण को वर्ष 2005 से अगस्त, 2010 तक वाह्य विकास शुल्क के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से कुल प्राप्तियों एवं खर्च का मदवार व क्षेत्रवार पृथक-पृथक विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। आगरा विकास प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के माह अगस्त, 2010 तक वाह्य विकास शुल्क मद में कुल रु0 116.36 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष माह अगस्त, 2010 तक रु0 80.96 करोड़ कुल 467 विकास कार्यों में तथा रु0 765 करोड़ विकसित की जा रही कालोनियों की पहुंच मार्ग के लिये सड़क निर्माण हेतु भू-अधिग्रहण के प्रतिकर एवं व्यवस्थापन मद में व्यय किया गया। कुल 467 विकास कार्यों के सापेक्ष व्यय किये गये रु0 80.96 करोड़ के कार्यों की सूची मा0 सदस्य मेरे कार्यालय में अवलोकित कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लो0नि0 विभाग द्वारा विधायकों की संस्तुति पर सड़क बनाने सम्बन्धी जानकारी

65-श्री सतीश महाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विधायकों की संस्तुति पर सड़क बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष से इस हेतु प्रस्ताव मांगे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार जिला योजना समिति के अनुमोदन पर प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राजकीय कृषि फार्म एवं उसका क्षेत्रफल एवं उन्हें आवंटित धनराशि का विवरण

66-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने राजकीय कृषि फार्म हैं एवं इनका कुल क्षेत्रफल कितना है ? वर्ष 2009-10 व वर्ष 2010-11 में इन कृषि फार्मों से हुए उत्पादन/आय का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वर्षों में इन कृषि फार्मों को धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्ष 2009-10 में कुल रु0 19,51,20,000/- एवं वर्ष 2010-11 में कुल रु0 24,18,38,000/- की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल 165 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र हैं एवं इनका कुल क्षेत्रफल 7057 हेक्टेयर है।

वर्ष 2009-10 में खरीफ एवं रबी में कुल 1,28,226 कुंतल बीजों का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2010-11 में खरीफ में कुल उत्पादन अनुमानतः 55 हजार कुन्तल है। वर्ष 2009-10 के उत्पादन का विक्रय वर्ष 2010-11 में किया गया है। तुलन पत्र तैयार किये जाने के पश्चात् आय-ज्ञात होगी जो प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के उत्पादन की आय वर्ष 2011-12 के बीज के विक्रय के पश्चात् तुलन-पत्र तैयार करने के उपरान्त ज्ञात होगी।

67-श्री लल्लू सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

68-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के क्षतिग्रस्त मवाई पटरंगा मार्ग लगभग 12 कि0मी0 तथा दुल्लापुर उमापुर मार्ग लगभग 16 कि0मी0 एवं भेलसर रुदौली इन्हौना मार्ग लगभग 22.50 कि0मी0 के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-85/

आ0स0/09, दिनांक 8-12-2009, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, परन्तु पत्र दिनांक 08-12-09 को न होकर अपितु 16-12-2009 का है, जो मार्गों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत तीनों मार्ग पूर्व से निर्मित है। अतः निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता। उक्त मार्गों पर अनुरक्षण मद हेतु धन अवमुक्त किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-फैजाबाद के क्षतिग्रस्त मार्ग-डी0एम0 चौराहे से मऊ शिवाला, प्रधान मंत्री मार्ग काली चौरा, अहिरनपुरवा से पैगापुर होते हुए रायबरेली रोड तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

69-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद के क्षतिग्रस्त मार्ग-डी0एम0 चौराहे से मऊ शिवाला, प्रधान मंत्री मार्ग काली चौरा, अहिरनपुरवा से पैगापुर होते हुए रायबरेली रोड तक लगभग 1 कि0मी0 ग्राम मलिकपुर जोलहन टोला के पास से दर्शननगर लंगड़ा चौकी सम्पर्क मार्ग तक 1.5 कि0मी0 इलाहाबाद मेन रोड से (स्टेडियम के बगल से) अशरफपुर (लोनिया बिहारीपुर तक) 1.5 कि0मी0, ब्लाक मसौधा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-55/आ0स0/09, दिनांक 13-11-2009, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, पत्र दिनांक 13-11-09 का न होकर अपितु दिनांक 23-11-09 का है।

प्रथम मार्ग से जुड़ने वाले ग्राम पैगापुर की आबादी 250 से कम है वर्तमान में 250 से कम आबादी होने के कारण इस लेपित मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। अन्य दो मार्गों से जुड़ने वाले ग्राम मलिकपुर से जोलहनटोला, लोनिया बिहारीपुर एवं अशरफपुर पूर्व में ही लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं ग्रामों को दो तरफ से लेपित मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के ब्लाक बनीकोडर के ग्राम टिकरा में नलकूप लगाये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

70-श्री लल्लू सिंह-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टिकरा, पोस्ट खेराजपुर, ब्लाक बनीकोडर, जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-31/आ0स0/09, दिनांक 22-10-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य यांत्रिक मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयवीर सिंह)-

जी हां।

ग्राम टिकरा, पोस्ट खेराजपुर, ब्लाक बनीकोडर, जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत सिंचाई हेतु नया नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षण कराने पर पाया गया कि उक्त ग्राम नहरी कमाण्ड में आता है जिससे इस क्षेत्र की सिंचाई नहर द्वारा की जाती है। अतः नहरी कमाण्ड क्षेत्र होने के कारण उक्त ग्राम में नये नलकूप लगाये जाने की साध्यता नहीं बनती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम टहारा से झण्डी तथा बन्धा के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग

71-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम टहारा से झण्डी तक बन्धा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इस मार्ग के चैनेज 0.000 से 8.000 के मध्य मरम्मत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 26-3-2010 द्वारा लागत रु0 110.98 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। कार्य प्रगति में है तथा दिनांक 31-3-11 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

चैनेज 8.000 से 15.730 तक के भाग का पुनः निर्माण/सुधार का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सड़क निर्माण में सफेद पत्थर के स्थान पर काली गिट्टी के उपयोग को लागू कराने की मांग

72-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क निर्माण में सफेद पत्थर (कच्चे) की बनी गिट्टी के उपयोग से सड़कें बहुत कम दिनों में ही खराब हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में बन रही सड़कों में काली गिट्टी के उपयोग को अनिवार्य रूप से लागू करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सड़कों में अनुमोदित खदानों से निकले पत्थरों का ही उपयोग किया जाता है।

जी नहीं।

सड़क निर्माण में पत्थर की गिट्टी का प्रयोग रंगों के आधार पर निर्धारित नहीं होता है। लो0नि0वि0 एवं भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुसार पत्थर की गिट्टी की मजबूती/गुणवत्ता का निर्धारण इम्पैक्ट वैल्यू एवं एवरेजन वैल्यू के आधार पर की जाती है।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में स्थापित राजकीय नलकूपों का विवरण

73-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007, 2008 व 2009 एवं चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने राजकीय नलकूप अधिष्ठापित किये गये व कितने प्रस्तावित हैं तथा उनका विवरण क्या है ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007 में 02 राजकीय नलकूप, 2008 में 03 राजकीय नलकूप एवं 2009 में 03 राजकीय नलकूप कुल 08 राजकीय नलकूप चौधरी चरण सिंह 3000 नलकूप परियोजना के अन्तर्गत अधिष्ठापित किये गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई राजकीय नलकूप अधिष्ठापित नहीं किया गया है और न ही प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	वर्ष	नलकूपों की संख्या	ग्राम का नाम
1	07-08	02	ग्राम-काण्डौर, ग्राम-झबरा
2	08-09	03	ग्राम-लोहगढ़, ग्राम-छपार, ग्राम-दातावली
3	09-10	03	ग्राम-बदरपुर, ग्राम-बांगरी, ग्राम-झबरा
4	10-11	शून्य	--
		कुल 08 नलकूप	

जनपद झांसी के ग्राम सजोखरी व सेसा काशीपुरा में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कराये जाने की मांग

74-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के ग्राम सजोखरी व ग्राम सेसा काशीपुरा ब्लाक मोंठ सम्पर्क मार्ग पर नहर के पुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलों की मरम्मत व पुनः निर्माण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद झांसी में ब्लाक मोंठ के सजोखरी से पीपरी कलां मार्ग पर कुटौंद शाखा के किमी0 11.726 पर तथा सेसा पहाड़ गांव मार्ग पर काशीपुरा ग्राम के समीप हमीरपुर शाखा के कि0मी0 21.4 पर क्षतिग्रस्त पुल अनुरक्षण मद में प्राप्त सीमित धनराशि से अतिआवश्यक मरम्मत कार्य कराकर आवागमन बहाल कर दिया गया है। बजट व्यवस्था के अभाव में उक्त पुलों का पुनः निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की नहरों एवं माइनरों पर गत वर्षों में कराये गये कार्यों एवं धनराशि का विवरण

75-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पड़ने वाली समस्त नहरों एवं माइनरों पर वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं चालू वित्तीय वर्ष में क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये हैं तथा उसके सापेक्ष कितनी धनराशि प्राविधानित की गयी थी ? क्या उपरोक्त खर्च की गयी सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष योजना के अनुरूप शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पड़ने वाली समस्त नहरों एवं माइनरों पर वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य एवं उसके सापेक्ष प्राविधानित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	मद/कार्य का नाम	वर्षवार प्राविधानित धनराशि (रु0 लाख में)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
(क) डिपोजिट मद के कार्य :-					
i	गुरसहाय मुख्य नहर की लाइनिंग कार्य कि0मी0 46.0 से टेल	--	--	20.0	393.0
ii	डेल्टा मुख्य नहर की लाइनिंग कार्य कि0मी0 28.1 से टेल	--	--	--	350.0
iii	कुटौंद शाखा की लाइनिंग का कार्य किमी0 11.8 से 13.6	--	--	100.0	0.0
iv	हमीरपुर शाख की लाइनिंग का कार्य कि0मी0 3.0 से 4.8 एवं 8.4 से 7.2	--	--	300.0	0.0
	योग डिपाजिट	--	--	420.00	743.0
(ख) कैपिटल मद के कार्य :-					
i	कुटौंद शाखा, हमीरपुर शाखा, पुलिया माइनर के रेगुलेटर के ऊपर एवं नीचे लाइनिंग का कार्य	--	50.0	150.0	
ii	कुटौंद शाखा के अवशेष कार्य (राजघाट नहर परि0 फेज-II के अन्तर्गत)	--	--	77.40	--

क्र0सं0	मद/कार्य का नाम	वर्षवार प्राविधानित धनराशि (रु0 लाख में)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
iii	पर वार नहरों यथा कुम्हरिया ना0, नन्दखारा मा0, पहाड़पुर मा0 एवं पडरी माइनर का निर्माण	--	--	77.32	--
iv	बेतवा मुख्य नहर पर किमी0 19.70 से 19.74 तक नहर के आन्तरिक सेक्शन का कार्य, कि0मी0 21.6 पर रेगुलेटर का अवशेष कार्य, कि0मी0 252.42 पर जुल/फाल का निर्माण एवं पुंछ स्कैप के कि0मी0 0.0 से 8.0 तक रिनोवेशन का कार्य	46.19	--	--	--
v	कुदौरा रावाहा एवं छिरौरा आ0 का निर्माण कार्य	54.3	--	--	--
	योग डिपाजिट मद	100.49	50.0	304.72	--
(ग) मनरेगा मद के कार्य :-					
	कडकर मुख्य नहर के कि0मी0 3.0 पर साइफन का निर्माण	--	--	--	95.76
	योग-मनरेगा मद के कार्य	--	--	--	95.76
	कार्यों का कुल योग	100.49	50.0	724.72	838.76

कैपिटल मद से विभिन्न वर्षों में वर्षवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं एवं डिपाजिट तथा मनरेगा अन्तर्गत कार्य प्रगति में है।

विवरण उपरोक्त सारणी के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के टूटे हुए साइफन को ठीक कराये जाने की मांग

76-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में ग्राम इहौरा के पास माइनर का साइफन टूटा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त साइफन को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। क्षतिग्रस्त था।

प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना किसानों को 300/- प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य दिलाये जाने की मांग

77-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों को बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए चालू पेराई सत्र में रु0 300/-प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन पर आने वाली लागत एवं गन्ना कृषकों के हितों के दृष्टिगत सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण किया जाता है। तद्नुसार गत पेराई सत्र की अपेक्षा रुपये 40/-प्रति कुन्तल की अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए वर्तमान पेराई सत्र 2010-11 के लिये निम्न प्रकार गन्ना मूल्य घोषित किया गया है :-

1-अगेती प्रजाति-	रु0 210.00 प्रति कु0
2-सामान्य प्रजाति-	रु0 205.00 प्रति कु0
3-अनुपयुक्त प्रजाति-	रु0 200.00 प्रति कु0

कानपुर महानगर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने की मांग

78-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के बी0पी0एल0 कार्ड न बनाये जाने के कारण आम गरीब जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या इसके दोषियों को दण्डित करके बी0पी0एल0 कार्ड बनवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवश्यक पौष्टिक तत्व उपलब्ध करवाने की मांग

79-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) परिवारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ? क्या खाद्यान्न की उक्त मात्रा आवश्यक पौष्टिक तत्व (कैलोरीज) उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से अतिरिक्त पुष्टाहार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

गरीबी रेखा से नीचे बी0पी0एल0 परिवारों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को प्रतिमाह 373764.00 मी0टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थियों को आवश्यक पौष्टिक तत्वों/कैलोरीज की पूर्ति खाद्यान्न के साथ-साथ अन्य खाद्य पदार्थों से भी होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में उपरिगामी सेतु निर्माण से अवमुक्त धनराशि का विवरण

80-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में निर्माणाधीन चार फाटक उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु अवमुक्त हुये धन तथा अब तक हुये कार्य का विवरण क्या है ? इस सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

परियोजना की कुल लागत रु0 1130.60 लाख है जिसमें मुख्य सेतु की लागत रु0 323.94 लाख एवं पहुंच मार्ग सेतु की लागत रु0 806.66 लाख है। पहुंच मार्ग सेतु हेतु रु0 806.66 लाख सेतु निगम को अवमुक्त किया गया है, जिसका निर्माण कार्य अवमुक्त धनराशि से उ0प्र0 सेतु निगम द्वारा किया जा रहा है। मुख्य सेतु का निर्माण रेलवे विभाग द्वारा निविदा के आधार पर उ0प्र0 सेतु निगम के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसका भुगतान रेलवे द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में इस उपरिगामी सेतु के पहुंच मार्ग सेतु की भौतिक प्रगति 91.00 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 833.06 लाख है। रेलवे पोर्सन (मुख्य सेतु) की भौतिक प्रगति 63 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति रु0 55.92 लाख है।

परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सेतु का पूर्ण किया जाना पुनरीक्षित स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में कतिपय पुलियों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने की मांग

81-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में गोड़धईया नाले पर तीन पुलिया के चौड़ीकरण तथा मैत्रीपुरम् में नई पुलिया के निर्माण का आगणन लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा तैयार किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या उक्त निर्माण हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

1-पी0ए0सी0 कैम्प मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण (4x6.00 मी0 स्पान) लागत रु0 50.82 लाख।

2-विछिया रेलवे कालोनी में शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण (2x6.00 मी0 स्पान) लागत रु0 30.63 लाख।

3-शाहपुर पादरी बाजार मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण (4x6.00 मी0 स्पान) लागत रु0 50.82 लाख।

4-मैत्रीपुरम से विछिया गांव को जोड़ने हेतु नये लघु सेतु का निर्माण (1x6.00 मी0 स्पान) लागत रु0 20.53 लाख।

जी नहीं। उक्त कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में चेकडैम निर्माण के स्थल की जानकारी

82-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में वर्ष 2007, 2008, 2009 एवं 2010-2011 में कितने चेकडैम कहां-कहां बनवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में वर्ष 2007, 2008, 2009 में कोई चेकडैम का निर्माण नहीं कराया गया है तथा वर्ष 2010-2011 में निम्न चैक डैमों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है :-

वित्तीय वर्ष	चेकडैम का नाम	ग्राम/स्थल का नाम
2010-11	टोलारामपुरा	टोला/गोमती नाला
	सुजानपुरा	सुजानपुरा/रामपुर नाला

प्रश्न नहीं उठता।

83-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

84-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने के उपाय

85-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खाद एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रसोई गैस की काला बाजारी रोकने व उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

इस सम्बन्ध में कार्य योजना पूर्व से ही विद्यमान है।

प्रदेश में गैस सिलेण्डर में घटतौली रोकने हेतु मानक बांट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 33/51(2) एवं मानक बांट माप (डिब्बा बन्द वस्तु) अधिनियम, 1977 के नियम 24, 25 एवं 26 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 12-7-2010, 04-09-2010 एवं 21-01-2011 के द्वारा एल0पी0जी0 गैस की कालाबाजारी एवं घटतौली रोके जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को समुचित निर्देश हैं। यदि किसी स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो संबंधित गैस एजेन्सियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की कतिपय सिंचाई खण्डों में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कराये जाने की मांग

86-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली, खण्ड दक्षिणी शारदा नहर व लखनऊ खण्ड, शारदा नहर तथा सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़ एवं खण्ड 28 हैदरगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बछरावां में कितनी और कौन-कौन सी ड्रेन/नाले के पुल क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रायबरेली खण्ड (दक्षिण), शारदा नहर, रायबरेली व लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ तथा सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़ के नियंत्रणाधीन ड्रेन/नाले के पुल क्षतिग्रस्त नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र बछरावां में शारदा सहायक खण्ड-28, हैदरगढ़ के नियंत्रणाधीन 03 अदद ड्रेनों क्रमशः शिवगढ़, महराजगंज एवं कशमौरा ड्रेनों पर स्थित 12 अदद पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना फेज-1 की अवधि अक्टूबर, 2010 में समाप्त हो चुकी है, अतः उक्त कार्य कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में नजूल भूमि पर सागर पेशावासियों को पुनर्वासित किये जाने विषयक माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्यवाही की मांग

87-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मंत्री जी द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित उनके पत्र संख्या-45 वी0 आई0 पी0/8-3-09-200 विविध/09, दिनांक 30 जुलाई, 2009, जो इलाहाबाद स्थित नजूल भूमि पर बसे गरीब कमजोर वर्ग के सागर पेशावासियों की माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 25 मार्च, 1986 के निर्णयानुसार पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में था, पर अब तक जिला प्रशासन तथा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या और कब तक पुनर्वासन पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

नजूल भू-खण्ड पर स्थित सागर पेशावासियों के सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है अब तक विभिन्न 23 साइडों पर 449 सागर पेशावासियों की सूची तैयार की गई है। सर्वेक्षणोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

88-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग प्रधान मंत्री सड़क से कोहरी बाजार होते हुए कालीचौरा प्रधान मंत्री सड़क तक लगभग 700 मीटर, दर्शननगर भरत कुण्ड मार्ग पर स्थित ददेरा गांव तक लगभग 1200 मीटर, दर्शननगर लंगड़ा चौकी (फिरोजपुर) सम्पर्क मार्ग से मलकंठा बाग/नन्दापुर तक लम्बाई लगभग 14 किमी0 तथा बिल्हर घाट से नरहिवहां होते हुए दर्शनगंज रसूलाबाद मार्ग तक के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-38/आ0स0/09, दिनांक 11-11-2009 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इन मार्गों का स्वामित्व लो0नि0वि0 का न होकर क्रमशः मण्डी परिषद् ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा जिला पंचायत का है अतः कार्यवाही भी सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

89-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत धर्मगंज सेमरनी सम्पर्क मार्ग लगभग 3 कि0मी0 सेमरनी से टेर सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0, नयागंज से ऐहार सम्पर्क मार्ग 6 कि0मी0 तथा ऐहार से भागी चांद सम्पर्क मार्ग लगभग 3.50 कि0मी0 क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-90/आ0स0/09, दिनांक 14-12-2009 तथा पत्र सं0-87 आ0स0/09, दिनांक 8-12-09, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण, उ0 प्र0 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, परन्तु पत्र दिनांक 16-12-09 का प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत मार्गों में से दो नयागंज से ऐहार एवं ऐहार से मागी चांदपुर सम्पर्क मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु राहत आपदा कोष से जिलाधिकारी, फैजाबाद के पत्र दिनांक 20-11-2010 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष जिलाधिकारी, फैजाबाद से धन प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा तथा अन्य दो मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम चदवाडीह कोडरी में क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने की मांग

90-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के भदाफरपुर-धरौली मार्ग पर ग्राम चदवाडीह कोडरी के पास के पुल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुल को कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

क्षतिग्रस्त पुल को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूमि पर बने विद्यालयों में गरीब छात्रों की फीस में छूट

91-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों के द्वारा आवंटित भूमि पर बने किन-किन विद्यालयों द्वारा जनपद-लखनऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ में नियमावली के अनुरूप गरीब छात्रों की फीस में छूट दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रदेश में इसको लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शासनादेश संख्या-1889/आठ-1-09-10 विविध/04, दिनांक 03 जून, 2009 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् समस्त विकास प्राधिकरण तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं पर प्रभावी है।

उक्त शासनादेश दिनांक 03-06-2009 के अनुक्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं पर रियायती दर पर आवंटित 58 विद्यालयों में नियमानुसार गरीब बच्चों को फीस में छूट दी जा रही है तथा 05 विद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रियायती दर पर आवंटित 06 स्कूलों में से 03 स्कूलों में नियमानुसार गरीब बच्चों को फीस में छूट दी जा रही है तथा 02 विद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं हैं तथा 01 विद्यालय के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है। उक्त स्कूलों की सूची मा0 सदस्य मेरे कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में अवलोकित कर सकते हैं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ एवं इलाहाबाद में कुल 44 एवं 09 शैक्षिक भू-खण्डों का आवंटन किया गया है। उक्त विद्यालयों में नियमावली के अनुरूप गरीब छात्रों की फीस मे छूट दिये जाने की सूचना प्राप्त की जा रही है। जनपद प्रतापगढ़ में किसी भी शैक्षिक भू-खण्ड का आवंटन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विकास निधि जिलांश एवं राज्यांश से सी0सी0 मार्ग निर्माण के प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

92-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश एवं राज्यांश से सी0सी0 मार्ग निर्माण कराना प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के वियाबा नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य

93-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के वियाबा नाले पर सुगम आवागमन हेतु डब्लू0 एस0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

डब्लू0एस0आर0पी0 परियोजना का प्रथम चरण का कार्य दिनांक 31-10-10 को समाप्त हो चुका है।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम आहोपुर-मानापुर में पुलिया निर्माण का कार्य

94-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पीली नाले पर ग्राम आहोपुर-मानापुर के बीच पुलिया न होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण डब्लू0एस0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

डब्लू0एस0आर0पी0 परियोजना का प्रथम चरण का कार्य दिनांक 31-10-10 को समाप्त हो चुका है।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना

95-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों को रोजगार दिये जाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू)-

जी हां।

उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा मा0 श्री कांशीराम जी अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) समुदाय के शहरी क्षेत्र के बेरोजगार परिवारों जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों, को स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से निगम द्वारा बैंकों के सहयोग से उक्त योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत रुपये 50,000/-तक की परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अर्थात् रुपये 7,500/- की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है तथा लाभार्थी द्वारा परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के श्रोतों से लगाना होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद में सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

96-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सुसाइन (ऊंचा गांव) वि0 खण्ड सादाबाद, जनपद महामायानगर में श्री चरन सिंह के घर के पास से करसौरा वाले पुल तक नहर की पटरी पर अधूरी बनी सड़क से ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्तमान में अधूरी नहर पटरी को पक्का किये जाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला में गवन्स नाले पर पुनः पुल निर्माण के निर्देश

97-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेदकर ग्राम सभा (भाग बहा सोनिगा) वि0 खण्ड अकोला, जनपद आगरा के पास गवन्स नाले का पुल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त पुल के पुनः निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पुल के पुनः निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 570 रा0स0नि0/23-1-10-341-रा0स0नि0/2010, दिनांक 07 सितम्बर, 2010 द्वारा रुपये 15,13,000.00 (रुपये पन्द्रह लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है तथा प्रमुख अभियन्ता को प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31 मार्च, 2011 तक कर लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद रायबरेली में कृषकों को अनुदान के सम्बन्ध में जानकारी

98-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में प्रदेश के 46 जनपदों में रायबरेली जनपद भी है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि वानिकी आदि हेतु कितना अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित 46 जनपदों में जनपद रायबरेली सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम बैती में शिवगढ़ ड्रेन की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने की मांग

99-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत शिवगढ़ विकास खण्ड के बैती गांव में शिवगढ़ ड्रेन का पुल क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विश्व बैंक पोषित यू0पी0 डब्लू0आर0एस0सी0 प्रथम चरण की परियोजना का कार्य समाप्त हो चुका है। अतः प्रश्नगत कार्य कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के सिंचाई खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा शारदा नदी के वाह्य तटबन्ध में करोड़ों रुपये के फर्जी बिल भुगतान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

100-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड सीतापुर के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शारदा नदी के वाह्य तटबन्ध लगाने में करोड़ों रुपये के फर्जी बिल भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र पैड सं0-क-3 नं0 444594 दिनांक 10-8-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शासन के पत्र सं0-74एम/10-27-सिं0-5-151/2010, दिनांक 31-08-2010 द्वारा प्रकरण की जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिये गये हैं।

जनपद कानपुर के काकादेव स्थित नहर की सफाई एवं सिल्ट कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

101-श्री सतीश महाना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के काकादेव स्थित नहर की सफाई एवं सिल्ट हटाने का काम माह मार्च-अप्रैल, 2010 में कराया गया है ? यदि हां, तो सफाई के पश्चात् उक्त स्थान से सिल्ट हटाई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कानपुर नगर के काकादेव क्षेत्र में सिंचाई योग्य क्षेत्र न रह जाने के कारण नहर की सफाई व सिल्ट हटाने का कोई कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कृषि विभाग में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों की संख्या एवं उस पर नियुक्ति की मांग

102-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषि विभाग में विभिन्न संवर्गों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि विभाग में रिक्त विभिन्न संवर्गों के पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कुल रिक्त पद	सीधी भर्ती के रिक्त पद	पदोन्नति के रिक्त पद
समूह 'क'	188	9	--	9
समूह 'ख'				
विकास शाखा	423	343	199	144
शोध शाखा	191	123	74	49
अभियंत्रण शाखा	91	79	38	41
समूह 'ग'				
व0प्रा0सहा0 ग्रुप 'ए'	1038	803	456	347
अभियंत्रण शाखा	67	18	18	--
अवर अभियन्ता संवर्ग	330	97	95	02
व0प्रा0सहा0 ग्रुप 'बी'	3150	721	--	721

पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कुल रिक्त पद	सीधी भर्ती के रिक्त पद	पदोन्नति के रिक्त पद
रेखांकन संवर्ग मानवित्रक	135	48	10	38
व0प्रा0सहा0 ग्रुप 'सी'	10531	4578	4578	--
सहायक लेखाकार	196	182	182	--
लेखाकार	784	454	--	454
व0प्र0अ0 (मु0)	01	01	--	01
प्र0 अधिकारी	15	12	--	12
का0 अधीक्षक	20	10	--	10
व0 सहायक	81	15	--	15
व0 सहायक	102	04	--	04
कनिष्ठ सहायक	182	12	12	--
व0 प्र0 अ0 ज0	36	20	--	20
का0 अधीक्षक ज0	06	--	--	--
व0 सहायक ज0	323	272	--	--
व0 सहायक ज0	1522	81	--	81
कनिष्ठ सहायक ज0	1009	111	111	--
वैयक्तिक सहायक (आशु0)	01	--	--	--
वैयक्तिक सहायक (आशु0)	07	04	--	04
आशुलिपिक (मु0)	21	07	--	07
आशुलिपिक	141	42	42	--
वाहन चालक	886	326	326	--
व0श्रे0मु0	235	57	57	--
व0श्रे0मु0	30	02	--	02
व0श्रे0ज0	3413	1158	1158	--
कामदार	1870	611	--	611
अनुरेक्षक	142	13	13	--

जी हां, समूह 'क' के पदों पर पदोन्नति विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाती है। समूह 'ख' के पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को प्रेषित है। समूह 'ग' के पदों हेतु सेवा नियमावलियां प्रख्यापन में हैं। समूह 'घ' के रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध है।

प्रदेश के सिंचाई विभाग के रिक्त पदों की संख्या एवं उन पर नियुक्ति की मांग

103-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सिंचाई विभाग में विभिन्न संवर्गों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के विभिन्न संवर्गों के कुल 6797 पद रिक्त हैं।

शासकीय नीति के अनुसार।

यथावश्यकता नियमानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के उपाय

104-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डी0ए0पी0 व यूरिया खाद की काला बाजारी रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

डी0ए0पी0 व यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु प्रदेश शासन कृत संकल्पित है।

उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाये गये हैं। उर्वरक व्यवसायी उर्वरकों का कृत्रिम अभाव पैदा करके कालाबाजारी की समस्या उत्पन्न करते हैं, इस समस्या की सम्भावना को समाप्त करने के मंतव्य से शासन द्वारा जिलाधिकारियों को उर्वरक वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगाह रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या : 1050/12-2-2010-एफ0 50/2009, दिनांक 23 मार्च, 2010 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को उर्वरक वितरण व्यवस्था का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर क्रेता कृषकों का विवरण रखे जाने एवं उपलब्ध भण्डारित मात्रा का रेन्डम आधार पर सत्यापन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि जनपदों में उर्वरकों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न न हो तथा कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे। शासनादेश संख्याः 1436/12-2-2010-एफ0 58/2008, दिनांक 26 मई, 2010 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में समिति गठित है जिसमें सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग, कृषि विभाग, पी0सी0एफ0 के प्रतिनिध भी सम्मिलित हैं। यह समिति कृषकों की मांग के दृष्टिगत उर्वरकों के सुगमतापूर्वक वितरण हेतु जनपद में प्राप्त/उपलब्ध समस्त प्रकार के उर्वरकों के आवंटन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के सुसंगत प्राविधानों का क्रियान्वयन प्रभावी

ढंग से किया जा रहा है। इस निमित्त वर्ष 2010-11 में 30 नवम्बर, 2010 तक निम्नवत् कार्यवाही की गई है :-

क्र0सं0	मद	प्रगति
1	आयोजित छापे	16175
2	ग्रहित उर्वरक नमूने	5940
3	पाये गये अमानक नमूने	245
4	कुल दण्डात्मक कार्यवाही	--
क	उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त	207
ख	उर्वरक व्यवसायियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0	32
ग	जेल भेजे गये उर्वरक व्यवसायी	12

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की बड़वार झील में निकले माइनरों द्वारा पानी टेल तक पहुंचाये जाने की मांग

105-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी स्थित बड़वार झील पिछले तीन वर्षों से वर्षा कम होने के कारण पूरी तरह से भर नहीं पाती है तथा झील से निकले माइनरों से सिंचाई हेतु पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बड़वार झील को पारीक्षा बांध से नहर निकाल कर वर्षा के जल को झील में पहुंचाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विचार किया गया किन्तु तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मांठ के ग्राम खिल्ली से मड़ोरा खुर्द तक सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

106-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड मांठ के ग्राम खिल्ली से मड़ोरा खुर्द मार्ग ऊबड़-खाबड़ हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का समतलीकरण कर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदिं नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में मंहगाई पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग

107-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मंहगाई को नियन्त्रित करने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

इस सम्बन्ध में कार्य योजना पहले से ही विद्यमान है।

प्रदेश में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-5 के अधीन आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की रोकथाम, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से अधिसूचना दिनांक 01-06-2008 द्वारा चावल, दाल, खाद, तिलहन तथा खाद तेल पर स्टाक लिमिट लागू है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 07-01-2011 द्वारा चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट दिनांक 31-03-2011 तक के लिये निर्धारित की गई है।

शासनादेश दिनांक 25-06-2008 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें वित्त, नियोजन, खाद्य एवं रसद, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, खाद्य एवं रसद के साथ-साथ निदेशक, मण्डी परिषद् को भी सदस्य नामित किया गया। उक्त समिति आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु वस्तुस्थिति की समीक्षा करती है और समिति की संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय कक्ष में खाद्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा करता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना हेतु आयुक्त खाद्य एवं रसद कार्यालय की टोलफ्री नम्बर 1800 180 5046 की व्यवस्था है।

शासन के आदेश दिनांक 01-02-2010 के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु जिलाधिकारियों को जमाखोरी में लिप्त पाये गये लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं।

शासनादेश दिनांक 24-12-2010 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 प्याज के थोक व फुटकर भावों के अन्तर का नियमित रूप से विश्लेषण कर तथा सतत अभियान चलाकर प्याज के मूल्यों को नियंत्रित करते हैं तथा इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में हुई असामान्य मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से परिपत्र दिनांक 08-01-2011 के द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत वे थोक व्यापारियों के साथ बैठक कर समन्वय तथा स्थानीय स्तर पर बाजार हस्तक्षेप आदि के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करते हैं।

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के विभिन्न डिपोज के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पीली मटर की दाल रु0 15.50 प्रति कि0ग्रा0, अरहर की दाल 54 से 62 रु0 प्रति कि0ग्रा0, चीनी 29 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से उपभोक्ताओं को वितरित की गई तथा निगम के डिपोज/सचल वाहनों के माध्यम से जनपद लखनऊ में प्याज 25 से 30 रुपये प्रति कि0 ग्रा0 की दर से तथा जनपद गोरखपुर में 25 रु0 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से बिक्री करायी गयी। इसके अतिरिक्त उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से लखनऊ मेरठ, वाराणसी एवं आगरा नगर में प्याज का वितरण कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय गेटों के पास जल भराव की समस्या का निराकरण कराने की कार्य योजना

108-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2010 में प्रथम बुध0 के अतारांकित प्रश्न संख्या-183 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय गेटों से बरसात के दौरान जल भराव से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

वर्षा ऋतु के दौरान विधान सभा के गेटों के निकट, अनवरत व अतिवृष्टि के फलस्वरूप अल्पसमय के लिये जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि स्वतः ही विद्यमान जल निकासी व्यवस्था से निस्तारित भी हो जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के हंसारा चन्द्रा का नरायनपुर में खराब पड़े नलकूप को चालू कराये जाने की मांग

109-श्री राजेन्द प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हंसारा चन्द्रा का नरायनपुर, तहसील-पट्टी, प्रतापगढ़ का नलकूप वर्तमान में खराब होने के कारण बन्द है ? यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

ग्राम नरायनपुर में स्थित राजकीय नलकूप संख्या-70 पट्टी सिंचाईरत है। हंसारा चन्द्रा ग्राम में स्थित राजकीय नलकूप संख्या-42 पट्टी अत्यधिक बालू देने एवं कम निकास होने के कारण चलित की श्रेणी में नहीं है, अपितु सुधारात्मक श्रेणी में वर्गीकृत है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की पुवायां शुगर मिल के उत्पादन को बढ़ाये जाने की मांग

110-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुवायां चीनी मिल, शाहजहांपुर बहुत अधिक गन्ने के क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद इससे शक्कर आदि का उत्पादन कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मिल को आगामी वर्ष में पूरे सत्र में चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शाहजहांपुर जनपद में स्थापित सहकारी चीनी मिल पुवायां द्वारा पेराई सत्र 2009-10 में राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य रु0 165/- प्रति कु0 के अतिरिक्त प्रोत्साहन/बोनस सम्मिलित करते हुए रु0 190/-प्रति कु0 की दर से गन्ना मूल्य भुगतान करने पर भी मिल को कुल 1.66 लाख कुन्तल गन्ना प्राप्त हुआ, जिसकी पेराई कर 0.10 लाख कुन्तल चीनी उत्पादन किया गया तथा पुवायां चीनी मिल की क्षमता उपयोग 33 प्रतिशत और गन्ने में चीनी परत प्रतिशत 5.83 रहा।

पुवायां चीनी मिल की पेराई क्षमता 2150 टी0सी0डी0 है और इस क्षमता की मिल को लाभप्रदया की दृष्टि से एक पेराई सत्र में 30 से 32 लाख कुन्तल गन्ने की आवश्यकता होती है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में चीनी मिल को क्रमशः 0.36 लाख एवं 1.66 लाख कुन्तल गन्ना ही उपलब्ध हो सका। वर्ष 2009-10 के अन्त तक मिल की संकलित हानियां रु0 168.34 करोड़ होने से यह आर्थिक रूप से जर्जर हो गई है।

पेराई सत्र 2010-11 में 05 सहकारी चीनी मिल द्वारा गन्ना पेराई न करने के सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 27-7-2010 को आहूत बैठक में पुवायां चीनी मिल के सम्बन्ध में भी विचार किया गया। पेराई सत्र 2009-10 में मिलों द्वारा की गई गन्ना पेराई ड्राल प्रतिशत तथा कुल पेराई दिवस एवं वित्तीय हानियों की समीक्षा उपरान्त समिति ने पाया कि पुवायां चीनी मिल क्षेत्र में गत वर्ष गन्ना उत्पादन 20.78 लाख कुन्तल हुआ। चीनी मिल द्वारा राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य रु0 165/-प्रति कु0 से अधिक रु0 190/-प्रति कु0 की दर से भुगतान किये जाने पर भी कृषकों से मात्र 1.66 लाख कु0 गन्ना ही प्राप्त हुआ। गन्ना ड्रील 8 प्रतिशत ही रहा। कम क्षमता उपयोग के कारण कुल 5.83 प्रतिशत रिकवरी प्राप्त हुई। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सहकारी क्षेत्र की पुवायां चीनी मिल को पेराई सत्र 2010-11 में चलाया जाना किसी भी स्थिति में सम्पोषकीय न पाते हुए सत्र 2010-11 में चलाया जाना किसी भी स्थिति में सम्पोषकीय न पाते हुए सत्र 2010-11 के लिये इस सहकारी चीनी मिल का गन्ना व्यावर्तन अन्य निकटवर्ती चीनी मिलों को किये जाने की एवं सहकारी चीनी मिल पुवायां को 2010-2011 में संचालित न किये जाने की संस्तुति की गई। तत्क्रम में गन्ना आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अपने आदेश संख्या-137सी/ क्रय/सुरक्षण/2010-11, दिनांक 03-12-2010 द्वारा पुवायां चीनी मिल का गन्ना मकसूदापुर, निगोही, अजबापुर, कुम्भी, बीसलपुर एवं रोजा चीनी मिलों के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में पेराई सत्र 2010-11 में पुवायां चीनी मिल को नहीं चलाया गया है।

जनपद वाराणसी की पूर्वी काशी में हज हाउस निर्माण हेतु गठित समिति

111-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्ष पूर्व काशी से काबा तक की उड़ान सेवा शुरू हुई थी और हज यात्रियों की सुविधा हेतु एक स्थायी हज हाउस बनाने का भी निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त हज हाउस का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू-

जी हां।

हज हाउस निर्माण हेतु उपयुक्त भूखण्ड प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है तथा जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है।

जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर की पटरी के चौड़ीकरण की मांग

112-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत मु0 नगर सहारनपुर स्थित पूर्वी यमुना नहर की पटरी को चौड़ा करके चार लेन करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

पूर्वी यमुना नहर की पटरी को निरीक्षण कार्य के निमित्त प्रयोग किया जाता है, जिसके लिये वर्तमान में निर्मित नहर की पटरी पर्याप्त है। उसके चौड़ीकरण एवं चार लेन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत छपिया के कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

113-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत छपिया में उचित दर की कितनी दुकानें हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि विक्रेताओं द्वारा गोदाम से खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री के उठान का सत्यापन पर्यवेक्षीय अधिकारियों द्वारा करने के पश्चात् ही खाद्य सामग्री का वितरण कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या अन्त्योदय, बी0 पी0 एल0, ए0पी0एल0 के सभी कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

क्षेत्र पंचायत छपिया में 91 उचित दर की दुकानें कार्यरत है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर के ग्राम मलेहरा के मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

114-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर में ग्राम मलेहरा मार्ग का निर्माण न होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, किन्तु मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड गुरसराय के ग्राम मड़ैयन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

115-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड गुरसराय में ग्राम मड़ैयन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद झांसी के विकस खण्ड गुरसराय में ''मड़ैयन'' नाम का कोई ग्राम नहीं है। अपितु अम्बेडकर ग्राम भगवन्तपुरा के मजरा ''मड़ैयन'' हेतु रास्ता कच्चा होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है।

उक्त मजरा को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण को स्वीकृति दिनांक 14-12-10 को निर्गत की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकपुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर में अन्त्योदय कार्ड सूची में अपात्रों का नाम दर्ज करने की विरुद्ध कार्यावाही

116-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर में अन्त्योदय कार्ड सूची में दर्ज पात्र व्यक्ति हंसराज व टीटू पुत्रगण सन्तराम कार्ड नं0-39138 व 39139 के स्थान पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रधान के दो पुत्रों को उसी कार्ड नम्बर पर दर्ज करके लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

श्री ईदल प्रसाद, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड-बभनजोत के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही आदेश दिनांक 03-08-2010 द्वारा दोषी ग्राम प्रधान-अम्बरपुर प्रशासनिक/वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में राजकीय नलकूपों की संख्या एवं उसमें भूमि की सिचाई तथा राजस्व प्राप्ति का विवरण

117-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने राजकीय नलकूप वर्तमान समय में अधिष्ठापित हैं एवं उनमें से कितने चालू हालत में हैं ? वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं अक्टूबर, 2010 तक किन-किन नलकूपों पर मरम्मत हेतु कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वर्षों में किन-किन नलकूपों से कितने-कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी एवं किन-किन नलकूपों से कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति की गयी ? क्या सरकार पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कुल 78 राजकीय नलकूप अधिष्ठापित है। उक्त में से 69 राजकीय नलकूप चलित हैं।

वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं अक्टूबर, 2010 तक नलकूपों पर व्यय धनराशि का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है तथा नलकूपवार सूची संलग्न है†:--

वर्ष	ब्लाक का नाम	व्यय धनराशि
2008-09	मनकापुर	458325.00
	छपिया	185828.00
2009-10	मनकापुर	239983.00
	छपिया	104342.00
अक्टूबर, 2010 तक	मनकापुर	114371.00
	छपिया	23469.00

नलकूपों से की गयी सिंचाई एवं प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नवत् है:--

वर्ष	खरीफ		रबी	
	रकबा (एकड़ में)	राजस्व (रु0 में)	रकबा (एकड़ में)	राजस्व (रु0 में)
2008-09	725	83343.00	828	129495.00
2009-10	821	88669.00	822	132326.00
अक्टूबर, 2010 तक	575	59934.00	50	

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

† छापी नहीं गयी।

जनपद झांसी की तहसील मोंठ के ग्राम पुलगहना व शाहजहांपुर की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

118-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के ग्राम-पुलगहना, तहसील-मोंठ से ग्राम-शाहजहांपुर की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग में निहित नहीं हैं। इस सड़क के स्वामित्व के सम्बन्ध में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मण्डी परिषद, जिला पंचायत एवं ग्राम्य विकास विभाग से पुष्टि करायी गयी है। उक्त सड़क लगभग 15 वर्ष पुरानी है। अतः इस सड़क के स्वामित्व की पुष्टि नहीं हो पायी है। इस सड़क पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व न होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की मरम्मत कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के ब्लाक मोंठ कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

119-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के ब्लाक मोंठ से ग्राम सेरसा से ग्राम लोहागढ़ तथा ग्राम बिरौना ब्लाक गुरसराय से मऊ मरौठा तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जनपद-झांसी के ब्लाक मोंठ में ग्राम सेरसा से लोहागढ़ को जोड़ने वाली सड़क की लेपित सतह आशिक लम्बाई में क्षतिग्रस्त है तथा ग्राम बिरौना ब्लाक गुरसराय से मऊ गरौठा तक जाने वाली सड़क की दशा वर्तमान में ठीक है तथा आवागमन सुरक्षित है।

ब्लाक मोठ के ग्राम सेरसा से लोहागढ़ को जोड़ने वाली सड़क की विशेष मरम्मत/लेपन का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्राम खिल्ली में फोरलेन सड़क पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने की मांग

120-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्राम खिल्ली में फोर लेन सड़क बनने के कारण लेवल 8-10 फिट ऊँचा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को ओवर ब्रिज का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, प्रश्नगत मार्ग का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) का है। एन0एच0ए0आई0 से प्राप्त आख्यानुसार मार्ग की ऊंचाई 5 से 7 फिट है।

जी नहीं, एन0एच0ए0आई0 की परियोजनानुसार इस भाग पर ओवरब्रिज बनाने का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

जनपद झांसी के ब्लाक मोंठ नगर वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

121-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के मोंठ नगर वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है। उनसे प्राप्त आख्यानुसार मार्ग पर कुछ भाग पर सामान्यतः होने वाली पैच एवं पाटहोल्स के अतिरिक्त मार्ग यातायात हेतु सुलभ है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में व्यापक सिंचाई हेतु योजना के सम्बन्ध में जानकारी

122-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यापक सिंचाई हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

क्षेत्रीय आवश्यकता एवं जल की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई हेतु परियोजनाएं बनाई जाती हैं। पंचवर्षीय योजना के प्राविधान के अनुसार ही कार्य योजना/प्रारूप तैयार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम एवं सीतापुर रोड में निर्मित ई0डब्लू0एस टाइप भवनों के पंजीकरण में कीमत लागत की उच्चस्तीय जांच की मांग

123-श्री सुखलाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना, सीतापुर रोड, लखनऊ के से0-एच के फेज-1 में निर्मित ई0डब्ल्यू0एस0 टाइप के भवनों का पंजीकरण वर्ष 1989-90 में भू-खण्डों का क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर एवं अनुमानित कीमत/लागत लगभग 26,600 रुपये निर्धारित करके आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निर्माण के समय प्रश्नगत भवनों के भू-खण्डों के क्षेत्रफल घटाकर 33×10 वर्ग फीट कर दिया गया किन्तु कीमत/लागत यथावत् ही रही ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की उच्चस्तरीय

जांच कराकर भू-खण्डों के घटे क्षेत्रफल के अनुसार कीमत का निर्धारण करने व इसके दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित/किराया क्रय पद्धति में निर्मित होने वाले भवनों तथा विभिन्न आकार के भूखण्डों के विक्रय हेतु दिनांक 20-06-88 से दिनांक 19-07-88 को पंजीकरण आमंत्रित किये गये थे। ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग) भवनों का मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर एवं अनुमानित मूल्य रु0 22000.00 तत्समय निर्धारित किया गया था। स्थल पर उपलब्ध भूमि के अनुसार इन भवनों का नियोजन 36.75 वर्गमीटर के स्थान पर 30 वर्गमीटर कर, भवनों का निर्माण किया गया है। जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है, भवन निर्माण के समय निर्माण लागत आदि कारकों को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। निर्माण के पश्चात् इन भवनों की प्रति यूनिट लागत रु0 26700.00 निर्धारित की गई है, जो पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु संख्या 06 में उल्लिखित तथ्य के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर की चीनी मिल की बिक्री पश्चात् स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों के रोजगार एवं बी0आर0एस0 लेने वालों के समस्त देयो के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

124-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी निगम की बुलन्दशहर चीनी मिल की बिक्री के बाद मिल में कार्यरत बेरोजगार हुए स्थाई/अस्थाई तथा सीजनल कर्मचारियों को रोगजार दिलाने हेतु सरकार की क्या कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि बी0आर0एस0 लेने वाले कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चीनी निगम की इकाईयों के विनिवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत रिक्वेस्ट फार प्रपोजल में वेजबोर्ड के स्थाई एवं सामयिक कर्मचारियों तथा केन्द्रीयकृत वेतनमान के कर्मचारियों हेतु निम्न व्यवस्था दी गयी है :--

1-प्रथम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प।

2-प्रथम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प न देने पर नये क्रेता के साथ कार्यरत रहने की व्यवस्था।

3-द्वितीय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प (एक वर्ष के अन्दर या एक पेराई सत्र पूर्ण होने पर जो पहले हो)।

इकाई बुलन्दशहर में कार्यरत वेजबोर्ड के स्थाई एवं सामयिक 371 कर्मचारियों में से 365 कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया एवं उक्त 365 कर्मचारियों को समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है। अवशेष कर्मचारी क्रेता के साथ पूर्व की भांति कार्यरत रहेंगें।

प्रदेश में एक एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि के कृषकों को बी0पी0एल0 सूची में शामिल करने का कथित प्रकरण

125-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में एक एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि के कृषकों को बी0पी0एल0 सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के चिन्हीकरण का आधार वार्षिक आय सीमा निर्धारित है।

जनपद जौनपुर के ब्लाक खुज्झी से केराकत तथा स्वीकृत सड़क के निर्माण कार्य का पूर्ण कराये जाने की मांग

126-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार के अता0प्र0सं0-22 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 में स्वीकृत खुज्झी मोड़ से केराकत तक निर्माणाधीन मार्ग पर रु0 2408.75 लाख के विरुद्ध आवंटित धनराशि रु0 2000.00 लाख द्वारा कितने किमी0 तक की सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है ? क्या किसी सड़क के पूर्ण निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

यह कार्य 3255 कि0मी0 हेतु रु0 24.08 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। वर्ष 2009-10 तक रु0 20.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष 26.15 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य कराया गया है।

किसी मार्ग को पूर्ण करने की आवधि उसके विरुद्ध गठित अनुबंध में अंकित की जाती है।

प्रश्नगत सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के महराजगंज व भदिहा माइनर की सफाई कराये जाने की मांग

127-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत महराजगंज व भदिहा माइनर की सफाई वर्ष 2008-09 से अब तक नहीं कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में महराजगंज व भदिहा माइनर की सफाई मनरेगा के अन्तर्गत एवं वर्ष 2010-11 में महराजगंज माइनर में विभागीय मद से एवं भदिहा माइनर में मनरेगा मद से सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है।

जनपद रायबरेली के कतिपय मार्गो की मरम्मत कराये जाने की मांग

128-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली से हैदरगढ़ वाया हलोर तथा महराजगंज से बछरावां तथा महराजगंज से इन्हौना मार्ग अत्यन्त खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग ऊसर भूमि में होने के कारण कहीं-कहीं वोगी-एक्शन होने व पैच पॉटहोल्स होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत सामान्य मरम्मत का कार्य अनवरत कराया जाता है। विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

129-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् क्षेत्र में मिल एरिया चौकी के सामने से टैम्पो स्टैण्ड होते हुए धनिया महरी पुल तक लोक निर्माण विभाग की सड़क जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क का लेपन स्तर तक पुनः निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत करायी जा रही है।

सड़क पूर्व से ही लेपन स्तर तक निर्मित है अतः पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ की सभी सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराये जाने की मांग

130-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की सभी सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि हां, तो किन-किन भवनों में कब की गयी है ? क्या शेष भवनों पर उक्त व्यवस्था को लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2001 में विहित प्राविधानों के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में स्थित सरकारी भवनों यथा-रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ मानवाधिकार आयोग, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, समाज कल्याण, निर्माण निगम, टी0सी0जी0-46बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन, कैसरबाग बस अड्डा, लखनऊ, इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, नवीउल्ला रोड, लखनऊ, छत्रपति शाहू जी चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रांगण चौक, लखनऊ, ट्रेनिंग सेन्टर पंचायती राज, उ0 प्र0 शासन, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, वाणिज्य कर भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, मिनी स्टेडियम, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ आदि जैसे कुल 22 सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करा दी गयी है। भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली वर्ष 2003 से वर्ष 2010 के मध्य स्थापित हुयी है।

जी हां।

शासनादेश का अनुपालन चरणबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

131-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[विस्तीर्णता एवं मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बागपत की डी0वाई0 रोड की लेन को बढ़ाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

132-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में पड़ने वाली डी0 वाई0 रोड को छः अथवा चार लेन करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिल्ली यमुनोत्री (डी0वाई0) मार्ग को दो लेन से चार लेन बनाने का कार्य सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर उ0 प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत कृषकों को पम्पिंग सेट हेतु अनुदान दिये जाने की मांग

133-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष से संचालित है ? क्या इस योजना में पम्पिंग सेट अनुदान कृषकों को दिया गया है ? यदि हां, तो वर्षवार कितना-कितना अनुदान दिया गया है ? क्या अनुदान प्राप्त कृषकों की सूची पुराने डीजल पम्प

सेट धारकों की ही बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थलीय परीक्षण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रबी 2007-08

जी हां।

कृषकों को दिये गये अनुदान का वर्षवार विववरण :-

2007-08	रु0 5,20,000.00
2008-09	रु0 34,61,479.00
2009-10	रु0 83.98,228.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सरयू नहर के निर्माण खण्डों में गत वर्षों में पुलों/पुलियों के निर्माण में टेण्डर प्रक्रिया न अपनाने की जांच कर कार्यवाही की मांग

134-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत सरयू नहर के निर्माण खण्ड एक, दो, तीन, चार एवं पांच में विगत वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में कितने पुलों/पुलियों का निर्माण किन-किन स्थानों पर कराया गया तथा उसकी लागत क्या है ? क्या उसके निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुसार है ? क्या यह सही है कि उक्त निर्मित सभी पुलों/पुलियों के निर्माण में टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी और न ही समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत सरयू नहर का निर्माण खण्ड-एक, दो, तीन, चार एवं पांच में विगत वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में निर्मित कराये गये पुलों/पुलियों के स्थान व लागत की सूची संलग्न है।

प्रकरण की टी0ए0सी0 से जांच करायी जा रही है।

जांचोपरान्त नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा विकास खण्डों में नलकूपों की संख्या एवं कराये गये मरम्मत के कार्यों का विवरण

135-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने-कितने राजकीय नलकूप हैं ? इनमें से कितने चालू हालत में हैं और कितने बन्द पड़े हैं ? वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में नवम्बर, 2009 तक कितने राजकीय नलकूपों की मरम्मत कराकर चालू कराया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि विकास खण्ड मनकापुर में जिन-जिन राजकीय

नलकूपों पर मरम्मत कार्य कराया गया है उसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार है एवं उनसे कितना-कितना राजस्व की प्राप्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद गोण्डा में दिनांक 1-4-2010 को कुल 16 विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	नलकूपों की संख्या
1	कटरा बाजार	11
2	हलधरमऊ	11
3	झंझरी	37
4	परसपुर	17
5	करनैलगंज	25
6	पण्डरी कृपाल	31
7	मुजेहना	29
8	रूपईडीह	42
9	इटियाथोक	58
10	वजीरगंज	29
11	बेलसर	18
12	तरबगंज	11
13	नवाबगंज	16
14	बभनजोत	19
15	छपिया	18
16	मनकापुर	49
	योग :-	421

दिनांक 23-12-2010 की बन्दी के अनुसार 412 नलकूप चालू हालत में है और 9 अदद नलकूप अस्थाई रूप से बन्द है।

वर्ष 2007-08 में 441 चलित नलकूपों में 311, वर्ष 2008-09 में 448 चलित नलकूपों में 240 एवं वर्ष 2009-10 में नवम्बर, 2009 तक 447 चलित नलकूपों में से 140 अदद नलकूपों को मरम्मत कराकर चालू कराया गया है।

जी हां।

जिन-जिन राजकीय नलकूपों पर मरम्मत कार्य कराया गया है उनसे वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में निम्न विवरण के अनुसार राजस्व की प्राप्ति हुई है :-

वर्ष	खरीफ राजस्व (रु0 में)	रबी राजस्व (रु0 में)
2007-08	9101	30226
2008-09	17082	40587
2009-10	36129	60832

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई के ग्राम इमिलिहा के राशन कोटेदार के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच की कार्यवाही

136-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इमिलिहा मजरे रेछ, विकास खण्ड मवई, क्षेत्र देवइत जिला-फैजाबाद के राशन कोटेदार की अनियमितता के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को मंत्रि-मण्डलीय सचिव के प्रमुख स्टाफ आफिसर का पत्र दिनांक 16-8-10 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

ग्राम इमिलिहा मजरे रेछ, विकास खण्ड मवई, तहसील-रूदौली के उचित दर विक्रेता श्रीमती गमला देवी के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांचोपरान्त वितरण में प्राप्त अनियमितताओं पर श्रीमती गमला देवी, उचित दर विक्रेता, ग्राम इमिलिया मजरे रेछ की दुकान का अनुबन्ध-पत्र उप जिलाधिकारी, रूदौली द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलाये जाने की योजना

137-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में मेट्रो ट्रेन चलवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो मेट्रो ट्रेन किस स्थान से किस स्थान तक तथा कब से प्रारम्भ की जायेगी ? क्या इस ट्रेन का रूट एस0जी0पी0जी0आई0 से सीतापुर रोड, जानकीपुरम् तक तथा गोमतीनगर से जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इस मेट्रो रेल परियोजना हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। डी0एम0आर0सी0 द्वारा इस हेतु दो मार्गों का सुझाव है :-प्रथम मार्ग अमौसी से मुंशी पुलिया तक तथा द्वितीय मार्ग चारबाग से बसन्तकुंज तक प्रस्तावित है।

अभी डी0एम0आर0सी0 द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

डी0एम0आर0सी0 द्वारा सुझावित मार्ग के अनुसार यह ट्रेन एस0जी0पी0जी0आई0 से सीतापुर रोड, जानकीपुरम् तक तथा गोमतीनगर से नहीं जोड़ेगी।

डी0एम0आर0सी0 द्वारा प्रस्तावित मार्गों का चयन उस मार्ग पर उपलब्ध होने वाली सतत् यात्री राइडरशिप के आधार पर योजना की वायबिलिटी के दृष्टिगत किया गया है।

विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत भुमि का मुआवजा उपरान्त प्राधिकरण के फायदे में किसानों की हिस्सेदारी की मांग

138-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों द्वारा किसानों की ली जाने वाली जमीन को मुआवजा दिये जाने के उपरान्त प्राधिकरण के फायदे में किसानों की हिस्सेदारी एवं शेयर का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

उल्लेख करना है कि प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व से प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1307/1-13-10-20(29)/2004, दिनांक 03-09-2010 द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित व्यवस्था को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विकास प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास-विकास परिषद् पर प्रभावी करते हुए शासनादेश संख्या-3993/8-3-10-177 विविध/2010, दिनांक 10-09-2010 द्वारा प्रसारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

139-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया अन्तर्गत शारदा नदी के बाढ़/कटान से प्रभावित क्षेत्र को बचाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

140-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया अन्तर्गत शारदा नदी के बाढ़ एवं कटान से प्रभावित क्षेत्र को बचाये जाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के अन्तर्गत नेबुआबोझ से रेलवे लाइन क्रासिंग तक 10.10 कि0मी0 लम्बाई में बन्धे एवं डौला निर्माण की परियोजना रु0 680.52 लाख तथा

भीरा-पलिया रेलवे लाइन एवं भीरा कस्बा, पिपरिया भूड, बोझवा आदि ग्रामों की कटान से सुरक्षा हेतु परियोजना रु0 1883.11 लाख की स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित है।

उपरोक्त दोनों परियोजनाएं तकनीकी स्वीकृति हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में नहरों की पटरी पर बनी सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

141-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में नहरों, राजवाहों, अल्पिकाओं की पटरी पर पूर्व में लेपन स्तर तक निर्मित सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जर्जर सड़कों का पुनः निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

समय-समय पर नहर सेवा मार्ग की यथा आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी यमुना नहर की सिल्ट सफाई की योजना सम्बन्धी जानकारी

142-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर की सिल्ट सफाई की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

पूर्वी यमुना नहर एक मुख्य नहर है। मुख्य नहर की सिल्ट सफाई सामान्यतः नहीं कराई जाती है।

जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद के ब्लाक पिहानी की ग्राम पंचायत नरघिरा में अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बनाये जाने का कथित प्रकरण

143-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई की तहसील शाहाबाद के ब्लाक पिहानी की ग्राम पंचायत नरघिरा में बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड धारकों की सूची में कितने अपात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाये गये हैं ? क्या सरकार नियमानुसार सभी कार्ड बनाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम पंचायत नरघिरा विकास खण्ड पिहानी, तहसील-शाहाबाद में किसी अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बनाये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद के ग्राम पंचायत नरघिरा में राशन कोटे की दुकान के आवंटन का कथित प्रकरण

144-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई की ग्राम पंचायत-नरघिरा, ब्लाक-पिहानी, तहसील-शाहाबाद में वर्ष 2005 से सितम्बर, 2010 तक की अवधि में राशन के कोटे की दुकान का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कोटा/उचित राशन की दुकान निरस्त कर ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्रता के आधार पर आवंटित की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर के विकास खण्ड सहपऊ के रजवाहा के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य

145-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजवाहा-सहपऊ, हाथरस ब्रान्च गंगनहर का ग्राम लोधई, वि0 खण्ड सहपऊ, जनपद-महामायानगर पर 10 मील 1 फर्लांग पर बना नहर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सहपऊ रजवाहा के मील 10,01 फर्लाग पर पुल की मरम्मत का कार्य ''मनरेगा'' के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम पल्हरी से मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग एवं क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

146-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के अन्तर्गत ग्राम पल्हरी से ग्राम मुबारकपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 1.50 कि0मी0 जो जर्जर हालत में है तथा उक्त सम्पर्क मार्ग में बनी पुलिया भी टूटकर ध्वस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत लेपन स्तर तक कराने व क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, यह मार्ग खड़न्जा स्तर का था, जो नरहरपुर से फर्रूखाबाद होते हुए सेदापुर मार्ग का भाग है। इस सम्पूर्ण मार्ग का नवनिर्माण वर्ष 2010 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रगति में है। पुलिया निर्माण का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाये जाने की मांग

147-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का कोटा कम है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी हां।

भारत सरकार से प्रदेश का मिट्टी तेल का कोटा बढ़ायें जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में बन्द पड़े नलकूपों को चलाने एवं उसमें चालक की तैनाती की जाने की मांग

148-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं ? उक्त में कितने संचालित हैं और कितने बन्द हैं ? क्या बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सभी नलकूपों पर नलकूप चालक तैनात है ? यदि नहीं, तो नलकूप चालकों की कब तक तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रेहरा बाजार में कुल 29 अदद राजकीय नलकूप हैं।

वर्तमान में सभी राजकीय नलकूप संचालित हैं, कोई बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, 19 अदद राजकीय नलकूपों पर नलकूप चालक पदस्थापित हैं, शेष 10 नलकूपों का द्वैत कार्यभार मे संचालन हो रहा है।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में जिला योजनान्तर्गत सड़को का निर्माण

149-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र, गरौठा के अन्तर्गत वर्ष 2007, 2008, 2009 तथा चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि अवंटित की गयी है ? क्या उक्त मांर्गों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, विवरण संलग्न है[†]।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के बेतवा नदी पर पुल निर्माण के रुके हुये कार्य को चालू कराये जाने की मांग

150-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के गरौठा नगर से कुचैचा मार्ग पर बेतवा नदी पर बन रहे पुल के निर्माण हेतु कितना धन अवमुक्त हुआ तथा उसके सापेक्ष कितना कार्य करा लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पुल का निर्माण कार्य कितने समय से रुका हुआ है ? क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद झांसी के गरौठा नगर से कुछेछा मार्ग पर निर्माणाधीन सेतु बेतवा नदी पर न होकर धसान नदी पर है। प्रश्नगत सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु मूल स्वीकृत लागत रु0 1180.48 लाख के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, जिससे सेतु का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लगभग 65 प्रतिशत करा लिया गया है।

उक्त सेतु का निर्माण कार्य विगत अगस्त, 2009 से रुका हुआ है।

श्रम एवं सामग्री की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप मूल स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। कार्य के पुनरीक्षित आंगणन में कतिपय कमियां पायी गयी हैं, जिनका निराकरण कराया जा रहा है। पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति के पश्चात शेष निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 196-198 पर।)

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ में पूंछ से एरच तक क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत का कार्य

151-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड मोंठ में पूंछ से एरच तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, उक्त सड़क की मरम्मत माह जनवरी, 2011 में पूर्ण करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ में बसोवई की नहर से ग्राम बसोना तक मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग

152-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड, मोंठ में बसोवई की नहर से ग्राम बसोना तक मार्ग नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में गत वर्षो में सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण की मांग

153-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007, 2008, 2009 एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी सड़कों की मरम्मत तथा नवनिर्माण कराया गया है ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उक्त विभिन्न वर्षों में सड़कों के मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य संलग्न विवरण के अनुसार कराया गया है।

विवरण संलग्न है[†]।

उपर्युक्तानुसार।

[†] छापा नहीं गया।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम मोहम्मदपुर की नहर की पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

154-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड, फूलबेहड़ के ग्राम मोहम्मदपुर एवं रसूलपुर के मध्य निकली नहर पर पुलिया न बनी होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त नहर पर पुलिया का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पुलिया निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर मनरेगा के अन्तर्गत प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्रेषित किया गया है। धन की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य

155-श्री काशीराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद, जनपद-रामपुर के उदयपुर में बाढ़ से पुल दोनों तरफ से बह गया है व सड़क कट गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल में दो गोले बढ़वाकर पुल एवं सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, केवल पहुंच मार्ग ही वहां है।

पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अतः गोले गलाकर पुल बनाने का प्रश्न नहीं उठता। पहुंच मार्ग का पुन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मार्च, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य चीनी निगम की मिलों का विक्रय एवं उसके विवरण सम्बन्धी जानकारी

156-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य चीनी निगम की घाटे में चल रही कितनी चीनी मिलें सरकार द्वारा अब तक बेची जा चुकी हैं ? क्या यह सही है कि एक ही उद्योगपति को पांच-पांच चीनी मिलें बेची गयी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अब तक निगम की कुल 21 चीनी मिलों का विक्रय किया जा चुका है, जिसमें से 10 संचालित चीनी मिलों का विक्रय एवं कब्जा हस्तान्तरण क्रेता को किया जा चुका है तथा 11 बन्द चीनी मिलों का विक्रय आदेश जारी किया गया है।

जी नहीं। क्रेता कम्पनी इण्डियन पोटाश लि0 की जरवल रोड, सिसवा बाजार राकौतीटाडा, रोहानाकला एवं खड्डा, क्रेता कम्पनी मैसर्स वेव इण्डस्ट्रीज लि0 को अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, बुलन्दशहर एवं शाहगंज, मैसर्स पी0बी0एस0 फूड्स प्रा0लि0 को चांदपुर, गिरिआशो कम्पनी प्रा0लि0 को रामकोला, छितौनी एवं बाराबंकी, नम्रता मार्केटिंग प्रा0लि0 को बरेली, देवरिया, हरदोई एवं लक्ष्मीगंज, नीलगिरि फूडस प्रा0लि0 को बैतालपुर, त्रिकाल फूड्स एण्ड एग्रो प्रोडक्ट प्रा0लि0 को भटनी तथा एस0आर0 बिल्डिकान प्रा0लि0 को घुघली चीनी मिल का विक्रय किया गया है।

राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विस्तृत प्रचार-प्रसार के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक उच्चतम बिड के आधार पर चीनी मिलों का विक्रय किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतन खण्ड योजना में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

157-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री लालजी यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0-157 के उत्तर के क्रम में क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेगें कि क्या उक्त विद्युत कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड में वाह्य विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत पार्ट-ए एवं डी का कार्य पूर्ण कराकर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को दिनांक 22-12-10 को हस्तांतरित कराकर उर्जीकृत किया जा चुका है। शेष भाग को उर्जीकृत करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 33/11 के0वी0 सब स्टेशन एवं 33 के0वी0 लाइन निर्माण हेतु रुपया 7,19,73,895.00 की धनराशि पत्र संख्या 274/एस0ई0 (ई0/एम0)/10 द्वारा दिनांक 03-11-10 को प्राप्त करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की शाखा योजना रतन खण्ड में मूलभूत सुविधाएं उपलब्लध कराये जाने की मांग

158-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड, लखनऊ में नालियां, पानी व विद्युत कनेक्शन की सुचारू व्यवस्था अभी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड, लखनऊ में नालियां, पानी, विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य कराया गया है। जलापूर्ति हेतु अपर जलाशय का निर्माण व जल नलिकायें बिछाई जा चुकी है। विद्युत कनेक्शन हेतु बिजली के खम्भे आदि की स्थापना की जा चुकी है। विद्युत आूपर्ति के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को भूमि एवं सब स्टेशन निर्माण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है। पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत आपूर्ति अभी प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के कतिपय गावों को घाघरा नदी की कटान से बचाने की मांग

159-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अंगरौरा, फतुल्लापुर, परमगोंड़ा, दूबेपुरवा, मनेरा आदि गांवो को घाघरा नदी की कटान से रोकने के लिए ठोकर का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय नीति के अनुसार एकांकी ग्रामों को नदी की कटान से बचाने हेतु योजना बनाने का प्राविधान नहीं है।

लखनऊ के मानक नगर में नहर की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण

160-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि द्वारा वर्ष 2006 में साहू सेतु मानक नगर, लखनऊ के पास नहर पर पुलिया का निर्माण कराया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि साहू सेतु से लगा हुआ एक अन्य सेतु के निर्माण होने से उक्त पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी

जी हां।

जी नहीं, केवल प्रश्नगत पुलिया के एक तरफ पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके पुनः निर्माण का कार्य निर्माणाधीन रिंग मार्ग के सर्विस लेन के अन्तर्गत निर्माणाधीन है एवं आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

मेरठ विकास प्राधिकरण की हर्ष नगर योजना में गत वर्षो में विकास कार्यों हेतु व्यय धनराशि का विवरण

161-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण की पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना (हर्षनगर) किस वित्तीय वर्ष में लागू की गई थी तथा इस योजना में कितने भूखण्ड विक्रय होने शेष है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि इस योजना में वर्ष 2008-2009, 2009-10 में सड़क, पार्क एवं सीवर आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मेरठ विकास प्राधिकरण की हर्ष नगर योजना वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लागू की गई थी। योजना हेतु अर्जित 10.34 एकड़ भूमि का विक्रय प्राधिकरण द्वारा एक मुश्त बल्क में कर दिया गया था। इस योजना में अन्य भूखण्ड विक्रय हेतु शेष नहीं है।

इस योजना में वर्ष 2008-09, 2009-10 में सड़क पार्क एवं सीवर आदि पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है। प्रश्नगत भूखण्ड वल्क में विक्रय किया गया है इसलिये विकास कार्यों का दायित्व क्रेता का है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के दारुलशफा स्थित गैराजों को जरूरतमंद विधायकों को आवंटित कराने की मांग

162-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित दारुलशफा में गाड़ी खड़ी करने हेतु निर्मित गैराज विधायकों को न देकर कपड़े धोने वाले धोबियों को आवंटित हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक गैराज से कितना किराया प्राप्त हो रहा है और इसे किस मद में जमा कराया जा रहा है ? क्या सरकार जरूरतमंद विधायकों को गैराज आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विधायक निवास-1 सी ब्लाक में 01 गैराज और विधायक निवास-2 (पुराना) में 25 गैराज कुल 26 गैराज हैं जिसमें से 24 गैराज मा0 विधायकों के पक्ष में तथा 02 गैराज पत्रकारों के पक्ष में आवंटित हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 परिवारों का चिन्हीकरण आय के आधार पर राशनकार्ड उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया

163-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है तथा इसका नोडल विभाग कौन है ? क्या पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कारगर कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 परिवारों का चिन्हीकरण आय के आधार पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं लेखपाल द्वारा किया जाता है। चिन्हीकरण के पश्चात् ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाई जाती है जिसमें ब्लाक स्तर के पर्यवेक्षकीय अधिकारी की उपस्थिति में लाभार्थियों की सूची का सत्यापन/अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदित सूची में उल्लिखित लाभार्थियों को बी0पी0एल0 राशनकार्ड निर्गत किया जाता है जिसका नोडल विभाग खाद्य एवं रसद विभाग है।

जी हां। विभाग द्वारा नियमित रूप से बी0पी0एल0 राशन कार्डों की जांच करायी जाती है, जिसमें अपात्र व्यक्तियों के राशनकार्ड निरस्त कर उतनी ही संख्या में पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में मध्य रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया

164-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी के शहर के मध्य रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ के ग्राम लोहागढ़ से सेरसा तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

165-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड मोंठ में ग्राम लोहागढ़ से ग्राम सेरसा तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। मार्ग की लेपित सतह आंशिक लम्बाई में क्षतिग्रस्त है।

वर्तमान में मार्ग का मरम्मत कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर की गैस एजेन्सियों द्वारा गैस की कालाबाजारी एवं घटतौली के निराकरण के उपाय

166-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर स्थित गैस एजेसिंयों द्वारा गैस की कालाबाजारी तथा घटतौली करके आम ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके निराकरण हेतु कोई ठोस योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में पूर्व से ही पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। प्रदेश में गैस सिलेण्डर में घटतौली रोकने हेतु मानक बांट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा-33/51 (2) एवं मानक बांट माप (डिब्बा बन्द वस्तु) अधिनियम, 1977 के नियम-24, 25 एवं 26 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 12-7-2010, 4-9-2010 एवं 21-1-2011 के द्वारा एल0पी0जी0 गैस की कालाबाजारी एवं घटतौली रोके जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को समुचित निर्देश हैं। यदि किसी स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित गैस एजेन्सियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के रैडीगारापुर से उसरौली तक मार्ग का निर्माण एवं उस पर व्यय धनराशि की जानकारी

167-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत मार्ग रैडीगारापुर से उसरौली जनपद-प्रतापगढ़ जो शासन द्वारा दिनांक 23-8-2000 को स्वीकृत किया गया है कि कुल लम्बाई कितनी है तथा उक्त मार्ग को शून्य से लेपन तक पूर्ण कराये जाने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रैडीगारापुर से उसरौली मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 3.50 कि0मी0 है एवं लागत रु0 26.39 लाख है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ग्राम पतनारी में अखोप माइनर की पक्की गली पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

168-श्री सुधीर कुमार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ में दोहरी घाट पम्प कैनाल की अखोप माइनर पर ग्राम पतनारी में निर्मित 1000 मीटर लम्बी नाली में से 120 मीटर पक्की नाली को ग्राम प्रधान द्वारा अतिक्रमण करके खड़ंजा बिछा दिया गया है ? क्या अतिक्रमण से पानी की निकासी कम होने के कारण सफाई एवं सिंचाई हेतु समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार खड़ंजा हटवाकर नाली को साफ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

अतिक्रमण से उत्पन्न पानी की निकासी एवं सिंचाई बाधित होने की समस्या का निराकरण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम हलालपुर के खढरावली राजवाहे पर पुलिया निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

169-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी-10211929 पत्र सं0 सी0एम0/ वि0को0/एम/211929/2009 जो जनपद-बागपत के ग्राम हलालपुर में राजवाहे खढरावली पर पैदल पुलिया की मरम्मत/पुनः निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

ग्राम हलालपुर में प्राथमिक पाठशाला नं0-1 राजवाहा खढरावली के कि0मी0 30.574 पर स्थित है। इसके दोनों ओर पुल बने हुए हैं। उक्त पाठशाला के डाउन स्ट्रीम में 90 मीटर दूरी पर पैदल पुलिया और अपस्ट्रीम में 200 मीटर दूरी पर एक वी0आर0वी0 बनी हुई है। सिंचाई विभाग के मानक के अनुसार इतनी कम दूरी पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा सकता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत गत कई वर्षों में बर्मी कम्पोस्ट नैडप कम्पोस्ट के निर्माण में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

170-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में बर्मी कम्पोस्ट, नैडप कम्पोस्ट किन-किन कृषकों के यहां बनाये गये हैं ? क्या कृषकों का चयन खुली बैठक में प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कृषकों के चयन में अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थलीय परीक्षण करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा में मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में वर्मी कम्पोस्ट, नैडप कम्पोस्ट के लाभार्थियों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है। वर्ष 2010-11 हेतु कृषकों का चयन प्रक्रियाधीन है।

नैडप/वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु कृषकों का चयन खुली बैठक में प्रचार-प्रसार के माध्यम से सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि)/प्रभारी, राजकीय कृषि बीज भण्डार द्वारा उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के नेतृत्व में किया गया है।

नैडप/वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु कृषकों के चयन में अनियमितता की जानकारी नहीं है।

नैडप/वर्मी कम्पोस्ट के स्थलीय सत्यापन हेतु विकास खण्डवार अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम गठित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानान्तरण सत्र शून्य घोषित होने के पश्चात् अन्तर्जनपदीय किये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

171-श्री राम प्रकाश यादव-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में स्थानान्तरण सत्र शून्य घोषित होने के फलस्वरूप विशेष परिस्थितियों में विभागीय प्रस्ताव पर आपके अनुमोदनोपरान्त ही किसी भी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा सकता है ? यदि हां, तो सिंचाई (यांत्रिक) के प्रमुख सचिव के आदेश सं0-3557/10-सत्तासी-1 (20) 10 लखनऊ, दिनांक 2 अगस्त, 2010 तथा आदेश सं0-3551/10-सत्तासी-7 (20) 10, लखनऊ दिनांक 2 अगस्त, 2010 द्वारा जारी अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आदेश जारी करने से पूर्व क्या उक्त नीति का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त करते हुए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल के वितरण में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के उपाय

172-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी तेल के वितरण के सम्बन्ध में पारदर्शी व्यवस्था बनाये जाने हेतु खाद्य तथा रसद अनुभाग-7 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 में जारी शासनादेश संख्या-2404/29-7-2008-एम-143/2008, का अनुपालन प्रदेश में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या जनपद-कानपुर नगर में मै0 चौरसिया एण्ड कम्पनी, एच0पी0सी0 लिमिटेड के थोक मिट्टी के तेल के विक्रेता को आवंटित कोटे में व्याप्त असमानता को दूर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जनपद कानपुर नगर में कार्यरत एच0पी0सी0 के थोक मिट्टी के तेल के विक्रेताओं का वर्तमान आवंटन विगत कई वर्षों से यथावत् चला आ रहा है। जनपद के थोक विक्रेताओं के मासिक आवंटन में परिवर्तन का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के ग्राम बाजीपुर के बावली राजवाहा पर पुल निर्माण की मांग

173-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या : सी-10211925 पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-/211925/2009 जो जनपद बागपत स्थित राजवाहा बावली पर ग्राम बाजीपुर के कुलावा संख्या-27 के पास पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद बागपत के अन्तर्गत राजवाहा बावली के कुलाबा नं0-27 के समीप पुल निर्माण की मांग की गयी है, जबकि कुलाबा नं0-27 के अपस्ट्रीम में 700 मीटर की दूरी पर बड़ौत-मेरठ मार्ग पर एक डी0आर0बी0 तथा डाउन स्ट्रीम में 390 मी0 की दूरी पर पूर्व से ही एक अन्य पुल स्थित हैं कुलाबा नं0-27 के पास कोई मुख्य मार्ग भी नहीं है। अतः कुलाबा नं0-27 के पास पुल की मांग विभागीय मानकों के अनुसार नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया एवं उसका ब्याज सहित भुगतान कराये जाने की मांग

174-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009-10 में गन्ना किसानों का कुल कितना भुगतान बकाया है ? क्या सरकार बकाया भुगतान को ब्याज सहित दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र, 2009-10 में दिनांक 20-1-2011 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र की मात्र 02 चीनी मिलों यथा मझावली जनपद मुरादाबाद व न्योली जनपद कांशीराम नगर पर कुल रु0 431.32 लाख बकाया है।

उक्त चीनी मिलों के विरुद्ध बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें नियमानुसार ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में हिण्डन नदी के कटाव को रोकने के उपाय

175-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के गांव गिठलोकर में हिण्डन नदी के कटान के कारण ग्रामवासियों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटान को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

ग्राम पिठलोकर जनपद गोण्डा एवं हिण्डन नदी के किनारे स्थित न होकर जनपद मेरठ में काली नदी के बायें किनारे पर स्थित है।

ग्राम पिठलोकर एवं मुल्हेड़ा में काली नदी द्वारा किये गये कटान को रोकने के उद्देश्य से काली नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम पिठलोकर एवं मुल्हेडा की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना लागत रु0 111.80 लाख के अन्तर्गत 6 नग स्टडो का निर्माण वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण करा दिया गया है। उक्त नदी द्वारा ग्राम पिठलोकर की आबादी के समीप कोई कटान नहीं किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बागपत के कृष्णा नदी के चेकडैम का शेष कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

176-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में कृष्णा नदी पर निर्माणाधीन चेकडैम का कितना कार्य पूर्ण हो गया है एवं कितना कार्य शेष है ? शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बागपत में कुल 04 चेकडैम प्रस्तावित थे, जिन्हें पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

177-श्री राम बिशुन आजाद-

[पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतन खण्ड योजना में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

178-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार के अता0प्र0सं0-158 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष 15 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त खण्ड का अवशेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

अवशेष कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद गोण्डा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कतिपय योजनाओं में खाद्यान्न वितरण की जांच कराये जाने की मांग

179-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के ब्लाकवार कुल कितने अन्त्योदय/बी0पी0एल0/ ए0पी0एल0 कार्ड धारक हैं ? वर्ष 2008-09 से दिनांक 30-9-2009 तक ब्लाकवार उक्त कार्ड धारकों का कुल कितने कुन्टल गेहूं, चावल, चीनी एवं मिट्टी तेल का आवंटन किया गया तथा प्रत्येक माह वितरण के बाद अवशेष बचे हुए खाद्यान्न का विवरण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद गोण्डा में कुल 1,01,147 बी0पी0एल0 63,285 अन्त्योदय एवं 3,80,274 ए0पी0एल0 कार्डधारक हैं। ब्लाकवार विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, मा0 सदस्य किसी कार्यदिवस में अवलोकित कर सकते हैं।

उक्त कार्डधारकों हेतु वर्ष 2008-09 से दिनांक 30-9-2009 तक आवंटित गेहूं, चावल, चीनी एवं मिट्टी के तेल तथा अवशेष खाद्यान्न एवं चीनी का ब्लाकवार विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, मा0 सदस्य किसी कार्यदिवस में अवलोकित कर सकते हैं।

किसी जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अवशेष बचे खाद्यान्न की मात्रा का समायोजन करते हुए अगले माह में आवंटन किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत असरफपुर में आवंटित राशन की दुकान की जांच

180-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के जिला अधिकारी के आदेश सं0-141, दिनांक 23-2-08 के आधार पर क्या क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत असरफपुर में रिक्त राशन की दुकान जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी, को क्या पिछड़ा वर्ग को आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है।

उत्तरदायित्व निर्धारित होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में शारदा नदी की बाढ़ व कटान से बचाने का कथित प्रकरण

181-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- प्रतापगढ़ के उप निदेशक क्षेत्र को शारदा नदी की बाढ़ व कटान से बचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या सरकार राहत कार्य सुनिश्चित कराते हुए क्षेत्र को बचाने के लिये कोई स्थाई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, जनपद प्रतापगढ़ में शारदा नदी प्रवाहित नहीं होती।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना का अधिकार अन्तर्गत प्राविधानों के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

182-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0टी0आई0 कानून के अन्तर्गत फाइलों का निरीक्षण पहले एक घण्टे तक करने की अनुमति निःशुल्क तथा उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5 रुपये फीस लेने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 सूचना आयोग द्वारा आदेश की प्रति लेने एवं निरीक्षण करने के लिए 10 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से शुल्क लिया जा रहा है ? यदि हां, तो

क्या सरकार आर0पी0आई0 कानून के प्राविधानों के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रख्यापित उ0 प्र0 राज्य सूचना आयोग (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 यथा संशोधित के अनुसार अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टे के लिए 10.00 रुपये का शुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) 5.00 रुपये का शुल्क निर्धारित है।

जी नहीं। सम्बन्धित पक्षकारों को पारित अन्तिम आदेशों की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है, उक्त के अतिरिक्त पत्रावलियों के निरीक्षण हेतु प्रति पत्रावली के हिसाब से अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-18 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रख्यापित सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के पैरा 256 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों में पारित अंतरिम आदेशों की प्रतियों हेतु तथा वाद के पक्षकारों से भिन्न अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर आदेशों की प्रतियों हेतु 10/-रु0 का शुल्क लिया जा रहा है।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़ा बोर्ड लगाये जाने की मांग

183-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित लाल बहादुर शास्त्री भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लाल बहादुर शास्त्री भवन नामक छोटा सा बोर्ड लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार लाल बहादुर शास्त्री भवन के पंचम तल के ऊपर बड़ा बोर्ड लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

लाल बहादुर शास्त्री भवन के मुख्य द्वार पर लगा छोटा बोर्ड सड़क से गुजरने वाले जन सामान्य के लिए अधिक उपयुक्त है।

184-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

[पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पंचायत महामायानगर में जलेसर रोड से मनकापुर वाले रास्ते की क्षतिग्रस्त पुलिया का पूर्ण कार्य

185-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत महामायानगर द्वारा वर्ष 2009 में निर्मित जलेसर रोड (वि0खण्ड सहपऊ) से मकनपुर वाले रास्ते की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत पुलिया का पुनर्निर्माण पूर्ण करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद की बैशाली आवासीय कालोनी के पानी आपूर्ति की क्षतिग्रस्त पाइप को बदलने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

186-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की बैशाली आवासीय कालोनी के सेक्टर-1 में चार माह पूर्व पानी की आपूर्ति हेतु सीमेन्टेड पाइप लाइन डाली गयी थी ? क्या उसी पाइप लाइन के स्थान पर पुनः लोहे की पाइप लाइन डाली जा रही है ? यदि हां, तो दुबारा पाइप लाइन डालने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त पाइप लाइन कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी थी, इस कारण उसके स्थान पर लोहे की पाइप लाइन डाली जा चुकी है।

कालान्तर में मैट्रो रेल पथ के लिए रूट डायवर्जन होने से इस सड़क पर भारी वाहनों के चलने से पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती रही है, जिस कारण योजना के सेक्टर-1 में पेयजल की आपूर्ति बाधित हो जाती थी। अतः पेयजल की निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने के लिए सड़क के कुछ स्थानों पर सीमेन्ट की पाइप लाइन के स्थान पर डी0आई0 पाइप लाइन (लोहे की पाइप लाइन) बिछाये जाने की आवश्यकता थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के भगवन्त नगर चुंगी के अकबरपुर मोड़ के मार्ग पर सी0सी0 मार्ग व नाली बनाये जाने की मांग

187-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के बिलग्राम डिवीजन के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्ग भगवन्त नगर चुंगी के अकबरपुर मोड़ वाया बरहुआ पर बरहुआ गांव में आबादी के भाग में सी0सी0 मार्ग दोनों तरफ नाली सहित तथा मार्ग के अन्य भाग में दोनों तरफ ईंटों की पट्टी का धन स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की परेशानी को देखते हुए आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग के दोनों तरफ नाली सहित ईंटों की पट्टी के लिये धन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग पूर्व से लेपित है एवं आबादी भाग में नाली पूर्व से निर्मित है। मार्ग के आबादी भाग को छोड़कर अन्य में विशेष मरम्मत का कार्य पूर्ण है। आबादी भाग में जनता द्वारा विरोध करने के कारण विशेष मरम्मत का कार्य नहीं हो सका है। स्वीकृत कार्य में सी0सी0 मार्ग व ईटों की पट्टी का प्राविधान न होने के कारण धन स्वीकृत नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

आज की कार्य-सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या प्रश्न है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हमारे और इस सदन के संरक्षक हैं, आज की कार्य-सूची मान्यवर, देख लें, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में पहला प्रश्न जो है, उसमें मा0 जोखू लाल यादव, श्यामदेव राय चौधरी (दादा), विशम्भर प्रसाद निषाद, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, मेरा नाम है, उसके बाद मा0 सतीश महाना, राजाराम त्यागी एवं कृष्ण गोपाल पटेल का नाम है। मान्यवर, अभी तक इस सदन की परम्परा रही है कि जिन लोगों का नाम प्रश्न की कार्य-सूची में रहा है उनको बुलाया जाता है और उसके बाद जिस प्रश्न में माननीय सदस्य इन्ट्रस्टेड होते हैं, उस पर अनुपूरक पूछ लेते हैं। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं और हम अपनी व्यथा आपसे ही कह सकते हैं। हम लोग चाहते थे कि कम से कम इस प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुपूरक पूछ सकें, लेकिन आज हम लोगों को मौका नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह का आचरण प्रस्तुत किया गया कि पूरे हाउस का ही माहौल खराब हो गया। पहली बार हाउस 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ, हम लोगों ने सोचा कि उसके बाद शायद मौका मिल जायेगा, लेकिन मान्यवर, फिर मौका नहीं मिला। तो मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और आगे किसी कार्य-दिवस पर इसको ले लिया जाए ताकि हम लोग उस पर अनुपूरक पूछ सकें। बहुत से माननीय सदस्य अनुपूरक नहीं पूछ पाए हैं, इसलिए मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

हमारा तो इसमें पूरा प्रयास रहा कि इसमें जितने अनुपूरक हों, एक प्रश्नकर्ता श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जी ने इस पर अलग से अनुपूरक कर लिया था, वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जो प्रश्नकर्ता है, उनको बोलने का मौका न दें। मा0 चौधरी साहब को हमने बुला लिया था, इसलिए मैंने किसी क्रम को नहीं तोड़ा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल अब खत्म हो चुका है, व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

हम देख लेंगे।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी और चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हाशमी साहब, अब हो गया, आप क्यों परेशान हैं ?

अतारांकित प्रश्न संख्या-186 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के संदर्भ में क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, आज की कार्य-सूची में क्रम संख्या-186 में मेरा प्रश्न लगा है। जो गाजियाबाद जनपद से सम्बन्धित है। मान्यवर, अक्सर यह देखने में आ रहा है कि जो हमारे प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं वह बिल्कुल तोड़मरोड़कर दिये जाते हैं। अधिकारी उसे गम्भीरता से नहीं लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल गलत दिया गया है। मान्यवर, मैं प्रश्न आपको स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, अगर प्रश्न का उत्तर गलत आया है तो नियमों में व्यवस्था है कि अगर कोई भ्रामक या तथ्य के विपरीत प्रश्न का उत्तर आया है तो नियम में व्यवस्था है तो हम कार्यवाही करेंगे।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, एकदम गलत और तथ्य के विपरीत उत्तर आया है। राजकीय पैसे के दुरुपयोग का मामला था। उसमें घोटाला किया गया उसका उत्तर तोड़मरोड़कर दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अगर सदन में गलत उत्तर दिया गया है, तो नियमों में व्यवस्था है। आप नियमों में लिखकर दे दीजिए तो कार्यवाही करेंगे।

विधान परिषद् की भांति विधान सभा में प्रश्नकाल में अधिक से अधिक तारांकित प्रश्न लिए जाने के सम्बन्ध में सर्वदलीय बैठक बुलाकर तय किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि हमारे साथ ही विधान परिषद् चलती है। हम यहां पर उसका उल्लेख अच्छे दृष्टान्त के लिए कर सकते हैं। मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि वहां पर प्रश्नकाल में 25-26-27 प्रश्न तक आ रहे हैं

और हम अपने यहां एक प्रश्न भी नहीं ले पाते हैं। तो मान्यवर, इस पर दलीय नेताओं के साथ सदन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर लें। मान्यवर, 20 प्रश्न लगते हैं तो कम से कम 15 प्रश्न तो आ जायें जिससे हमारे बहुत से प्रश्नकर्ताओं को उत्तर तो मिल जाये। उत्तर तो लिखित रूप से आ जाता है पर उत्तर से बहुत से प्रतिउत्तर बनते हैं प्रतिप्रश्न करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब 20 प्रश्न प्रकाशित करने की व्यवस्था है तो क्या 20 प्रश्न उत्तरित करने के लिए हम अपने आपको तैयार नहीं कर सकते। मेरा अनुरोध है कि आप अपने यहां एक बैठक बुला लें, नेताओं से भी विचार-विमर्श कर लें। कम से कम 15-20 प्रश्न तो आ जाने चाहिए। जब विधान परिषद् में 27-28 प्रश्न आ रहे हैं तो विधान सभा में क्यों नहीं आ सकते ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आप इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रहे हैं यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्नकाल हमारे उपवेशन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस प्रश्नकाल को तो मैं एक इंस्टीट्यूशन कह सकता हूं। एक संस्था के रूप में है और वास्तव में जो अल्पसूचित या तारांकित प्रश्न रखे जाते हैं वह ज्यादा से ज्यादा उत्तरित हों तो यह हमारी संसदीय परम्परा के लिए एक शुभ संकेत रहेगा। मैं पक्षधर भी हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आयें, सभी माननीय सदस्य अपने अनुपूरक करें, सरकार भी जवाब दें। आप लोगों के जो सुझाव है, मैं सहमत हूं कि सभी दल के लोग हमारा सहयोग करें। बैठ लें और एक सर्वदलीय बैठक बुला ली जाएगी। उसमें हम लोग तय कर लें उस प्रश्नकाल के जितने प्रश्न हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ जायें। ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य अनुपूरक भी कर सकें और सरकार भी जवाब दे सके। मैं इससे सहमत हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09 फरवरी, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री जोखू लाल यादव की जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से संबद्ध माइनर नहरों में पानी टेल तक न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियबाद गढ़मुक्तेश्वर में रजवाहों, माइनरों में पानी न आने से किसानों की फसल बर्बाद होने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जनपद बदायूं में प्रमुख विभागों के कार्यालय न होने के कारण उन विभागों का कार्य जनपद बरेली में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर के रजवाहे अल्पकाओं में सिल्ट की सफाई तथा टूटे हुये जर्जर पुल आदि का निर्माण कराते हुये समानान्तर देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री जावेद अंसारी की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड कर्जा कलां ग्राम भदेठी के प्रमुख नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की उत्तर प्रदेश में संचालित अरबी फारसी मदरसों में नियुक्त गणित एवं साइंस के अध्यापकों को जिनकी संख्या 14000 है मदरसा शिक्षकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द के दर्जनों गांवों में प्राथमिक पाठशाला/उच्च प्राथमिक पाठशाला खुलवायें जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा क्षमता से अधिक चीनी के भण्डारण तथा बाजार में होने वाली काला बाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री राघव लखनपाल शर्मा जनपद सहारनपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में वी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये स्वीकृत धनराशि उपलब्ध न कराये जाने एवं दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अशोक कंसल की विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में जल निकासी की समस्या एवं जर्जर सड़कों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में ग्राम खड़िया की ओर जाने वाली भखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हजारों शिक्षकों को नियुक्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रुपईडीह में बाढ़ के कारण ध्वस्त पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की जलेसर, एटा में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई।

1-श्री राम विशुन आजाद, 2-श्री जगन प्रसाद गर्ग, 3-श्री राधेश्याम गुप्ता, 4-श्री लल्लू सिंह, 5-श्री माधव पासवान, 6-श्री अनूप कुमार गुप्ता, 7-श्रीमती मधुबाला पासी, 8-श्री पूरन प्रकाश, 9-श्री इमरान मसूद, 10-श्री प्रदीप माथुर, 11-श्री राजाराम त्यागी, 12-श्री पंकज मलिक, 13-श्री निर्मल वर्मा तथा 14-श्री सत्य नारायण जैसल।

(संलग्न स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध माइनरों/नहरों में पानी टेल तक न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय,

जनपद इलाहाबाद की विधान सभा प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद से सम्बद्ध निम्नलिखित माइनर नहरों में टेल तक नहीं पहुंचता है जिससे फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। जिससे किसानों में रोष व्याप्त है।

1-प्रतापपुर माइनर।

2-रसूलहा माइनर।

3-मैथवल माइनर।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-रामपुर माइनर।

5-जघई माइनर।

यह जनहित का प्रश्न है तथा किसानों से सम्बन्धित है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।]

जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में रजवाहों व माइनरों में पानी न आने से किसानों की फसल बर्बाद होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय,

मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में कई महीनों से नहरों राजवाहों व माइनरों से होने वाली सिंचाई ठीक से नहीं हो रही है। कभी-कभी नाम मात्र का पानी आता है जिससे रबी की फसल भी बर्बाद होने पर है तथा कितने ही महीनों से बैराज पर काम चलने का बहाना किया जाता है। मान्यवर, इस मंहगे बीज, खाद, उर्वरक निवेश करने के बाद फसल सिंचित न होने से क्षेत्रीय किसान संकट में हैं। यू0पी0 गढ़ राजभाया, किढौर राजभाया, अनूपशहर, शाखा नहर तथा माइनरों में पानी तुरन्त छोड़ने के निर्देश व लगातार पानी से सिंचाई करने हेतु सरकार से आग्रह करता हूं। ताकि कृषकों को भुखमरी के कगार से बचाया जा सके। यह सूचना अत्यन्त लोक महत्व व अविलम्बनीय है। अतः मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

जनपद बदायूं में प्रमुख विभागों के कार्यालय न होने के कारण उन विभागों का कार्य जनपद बरेली में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से जनपद बदायूं में प्रमुख विभाग के कार्यालय न होने तथा उनका कार्यालय बरेली में होने के कारण विकास कार्यों में हो रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद बदायूं में बहुत से विभागों के कार्यालय नहीं है और उसका कार्य बरेली जनपद के कार्यालय से हो रहा है। जैसे सेतु निगम विभाग, भू-गर्भ जल विभाग, नहर विभाग, रेशम विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, मौसम विभाग आदि प्रमुख रूप से बहुत से ऐसे विभागों के कार्यालय जनपद बदायूं में न होकर बरेली में है जिनका कार्य बरेली से हो रहा है। भू-गर्भ जल विभाग का कार्यालय जनपद बदायूं में न होने के कारण यह जनपद भू-गर्भ जल के संकट से जूझ रहा है जिले के 18 ब्लाकों में 12 भू-गर्भ संकट से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार जनपद बदायूं में विभिन्न नदियां और दर्जनों पुल हैं। गंगा, सोत, महोबा आदि नदियों पर बड़े पुल हैं और सेतु निगम निर्माण इसके देखभाल का कार्य करता है और यह विभाग बरेली में है। जिले में कोई पुल जर्जर हालत में है कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। परन्तु बदायूं में कार्यालय न होने के कारण इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है और इसकी शिकायत भी जिला स्तर पर नहीं की जा सकती है। नहर विभाग की भी यही समस्या है। बदायूं जनपद भू-गर्भ जल संकट से जूझ रहा है नदियों का भी बुरा हाल है, सोत अरिल आदि नदियां सूख रहीं, नदियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विभाग की काफी आवश्यकता है इसका भी कार्यालय बदायूं न होकर बरेली में है। जिले में कृषि विभाग से जुड़े विभाग की एक संस्था बनाई गई है। कृषि विकास एवं तकनीकी अभिकरण में रेशम कीट पालन का कार्य शामिल है। इस विभाग के जनपद बदायूं में नहीं होने से युवकों को रोजगार सम्बन्धी कार्य नहीं मिल पाते हैं। इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण विभाग का कार्यालय भी जनपद बदायूं में न होने के कारण वायु प्रदूषण की वजह से लोग धीमा जहर ग्रहण कर रहे हैं और तमाम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसका कार्यालय तो बुलन्दशहर में है। इस प्रकार से प्रमुख विभागों के कार्यालय जनपद बदायूं में न होने के कारण जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यहां का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त विभागों के कार्यालय जनपद बदायूं में स्थापित कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत पूर्वी यमुना नहर रजवाहे अल्पिकाओं में सिल्ट की सफाई तथा टूटे हुये जर्जर पुल आदि का निर्माण कराते हुए सामानान्तर देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय तोमर-

[पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद-बागपत एक कृषि प्रधान जनपद है। कृषकों को फसल की सिंचाई के लिये केवल एक मात्र साधन नहर/राजवाहे है इस जनपद को पूर्वी यमुना नहर इसके राजवाहे व अल्पकाओं के द्वारा सिंचाई हेतु पानी मिलता है परन्तु पूर्वी यमुना नहर में यमुना में पानी के कमी के उपरान्त पानी की उपलब्धता के लिये गंगा का पानी लाने के लिये समानान्तर देवबन्द चैनल का निर्माण कराया गया था परन्तु समानान्तर देवबन्द चैनल के द्वारा इसकी क्षमता के सापेक्ष गंगा का पानी पूर्वी यमुना नहर को नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण पूर्वी यमुना नहर में इसकी राजवाहे-खन्दरावली, बराल, बावली, मीरापुर, इदरीशपुर, नाला, बिहारीपुर आदि को इनके रोस्टर के अनुसार तथा इनकी क्षमता के अनुसार टेल तक पानी नहीं मिल पा रहा है इन राजवाहों की अल्पकाओं की यही स्थिति है दूसरी और अगर पानी आता भी है तो पूर्वी यमुना नहर सहित सभी राजवाहों, अल्पकाओं में सिल्ट की अधिकता होने के कारण सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी के साथ-साथ यह भी अवगत कराना है कि समानान्तर देवबन्द चैनल से चौधरी चरण सिंह हिण्डन कृष्णा नहर परियोजना में पिछले तीन वर्षों से कभी भी पानी नहीं छोड़ा गया है। इसी के साथ यह भी सूच्य कि जनपद-बागपत के पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र इसके राजवाहे अल्पकाओं, खास नालों पर बने पुल/पुलिया, पशुघाट, पीचिंग वाल आदि अधिकतर टूटे हुए हैं या आंशिक खराब हो चुके हैं। क्षेत्रीय जनता इन सब मांगों के लिये आन्दोलनरत है। किसान भुखमरी के कगार पर है। आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः निश्चित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पूर्वी यमुना नहर इसके राजवाहे, अल्पकाओं के शिल्ट सफाई तथा टूटे हुये जर्जर पुल आदि का निर्माण कराते हुए समानान्तर देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाना निश्चित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड करंजा कलां, ग्राम भदेढ़ी के प्रमुख नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जावेद अंसारी, एडवोकेट-

[महोदय,

मैं अतिलोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर के वि0ख0 करंजा कलां के ग्राम भदेढ़ी में एक चौड़ा नाला बहता है। एक तरफ भदेढ़ी गांव है तो दूसरी तरफ सोंगर सहित विभिन्न गांवों के लोग इस नाले में से होकर एक दूसरी तरफ आवागमन करते हैं। कारण यह है कि इस रास्ते से गांवों की दूरी 10 से 15 कि0मी0 कम हो जाती है और दूसरी तरफ के रास्तों से अधिक दूरी तय करने को स्थानीय नागरिक मजबूर होते हैं।

मजबूरन इस नाले पर यहां के नागरिक बांस-बल्लियों या विद्युत पोल के टूटे अवशेषों को जोड़कर, पुल बनाकर खतरनाक आवागमन को बाध्य होते हैं। रोजाना 4-6 लोग इस अस्थाई आवागमन मार्ग से नाले में गिरकर घायल होते रहते हैं इस समस्या पर पूर्व में भी सदन को कई अवसरों पर अवगत करा चुका हूं। परन्तु समाधान न होने से नित्य सैकड़ों राहगीरों को भारी परेशानियों को झेलना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि नाले की इस महत्वपूर्ण पुलिया का निर्माण जनहित में कराने की त्वरित व्यवस्था करें।]

उत्तर प्रदेश में संचालित अरबी, फारसी मदरसों में नियुक्त गणित एवं साइन्स के अध्यापकों को जिनकी संख्या 14000 है, मदरसा शिक्षकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में लगभग 14000 शिक्षक जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रदेश के मदरसों में तैनात हैं जो गणित एवं साइंस की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं जिनका पैसा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा शिक्षकों का वेतन दिया जाता है। किन्तु बड़े दुःख के साथ अवगत कराना है कि दो वर्षों से इन 14000 मदरसा शिक्षकों को वेतन न मिलने से भुखमरी एवं गरीबी का दंश झेल रहे हैं। इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मदरसा शिक्षकों द्वारा कई बार ज्ञापन एवं अन्य माध्यम से सूचना दी गयी किन्तु अभी तक राज्य सरकार के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भारत सरकार से मदरसा के इन शिक्षकों के वेतन भुगतान का आग्रह भी नहीं किया है। जिससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। प्रकरण अत्यन्त गम्भीर एवं लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार शीघ्र भारत सरकार से धन की मांग करते हुए उक्त 14000 मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द के दर्जनों गांवों में प्राथमिक पाठशाला/उच्च प्राथमिक पाठशाला खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द के दर्जनों गांवों में जिनकी आबादी 250 से अधिक है तथा प्राथमिक पाठशाला/उच्च प्राथमिक पाठशाला की दूरी मानक के अनुसार है। देश में अनिवार्य शिक्षा लागू हो जाने के बावजूद भी अभी तक उक्त आदेश लागू नहीं कराया गया है। कुन्डाडोल (बहुन्डरी), मथुरापुरी, शंकरपुरवा मजरा नांदादेव व मरोहला डेरा (अमारा) पहड़िया (भूरागढ़) में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायं तथा ग्राम बरेहटा के मजरा बलकू डेरा, नया डेरा तथा अमारा ग्राम के धीहाडेरा, खैराहा डेरा, खेता डेरा तथा ग्राम गड़रिया के नोहहा डेरा खोढ़डेरा में तथा जौहरपुर के मजरा कांग्रेस डेरा में तथा बेन्दा के मजरा, गाड़ी डेरा, भगदरा, लगदेउरा में प्राथमिक पाठशाला खोले जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त स्थानों एवं मजरों, ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा क्षमता से अधिक चीनी के भण्डारण तथा बाजार में होने वाली काला बाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णाराज-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

चीनी का स्वाद कड़वा होने के पीछे उत्पादन की कमी से ज्यादा बड़ी वजह व्यापार के तिकड़म है। गन्ना किसान अपनी मेहनता का मूल्य पाने के लिए चीनी मिल मालिकों के इशारे पर नाचने के लिए बाध्य है। यह स्थिति तब है जब देश में गन्ने से उत्पादित चीनी विदेशों से आयातित चीनी से सस्ती पड़ रही है। यह पहला मौका है जब प्रदेश की चीनी मिलों ने गन्ना सुरक्षण आदेश का उल्लंघन कर दूसरे क्षेत्रों से गन्ने की अवैध खरी की है। गन्ना विभाग के अधिकारियों का कहना है कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चीनी मिलों ने क्षेत्र संरक्षण निर्देशों का उल्लंघन कर दूसरे क्षेत्रों से गन्ने की खरी की और चीनी निर्माण का स्टाक भी छिपाया है इससे चीनी मिलें जहां गन्ना सहकारी समितियों के कमीशन की चोरी के साथ ही चीनी विक्रय के करों की भी चोरी कर रही है। गन्ना विभाग का दावा है कि चीनी मिलों ने लगभग 50 लाख टन से ज्यादा गन्ने की अवैध पेराई की है। गन्ना अधिनियम के तहत मिलों के खिलाफ इस पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान है। इस प्रकार मिलों द्वारा चीनी का सीमा से ज्यादा भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम का भी उल्लंघन किया है। गन्ने की अवैध खरीद में सर्वाधिक बजाज ग्रुप, बिड़ला तथा त्रिवेणी ग्रुप, डी0सी0एम0 ग्रुप, उत्तम तथा मवाना ग्रुप, सिम्भावली तथा टिकोला ग्रुप की मिलें शामिल हैं। इनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद सहारनपुर में बाल पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हॉट कुक्ड मील योजना को जिले के हर ब्लाक में जमकर चूना लगाया जा रहा है जो डा0 अनुपमा शांडिल्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहारनपुर के संरक्षण में चल रहा है। 08 जनवरी, 2007 से मार्च, 2009 तक हॉट कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत चारों परियोजनाओं को कुल रु0 07,09,02,654/-(सात करोड़ नौ लाख दो हजार छः सौ चौवन रुपये मात्र) धनराशि भेजी गयी है जिसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। जिसके क्रम में थाना सहारनपुर में मु0अ0सं0-48/10, धारा 409, 420, 467/468, 471 आई0पी0सी0 जिला कार्यक्रम अधिकारी समेत 12 के विरुद्ध दर्ज है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को दिये जाने वाले पुष्टाहार का वितरण एक मजाक बनकर रह गया है। इस पूरे खेल में बच्चों की संख्या अधिक दर्शाकर इस खेल को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा विगत वर्ष जिलाधिकारी के निरीक्षण में हो चुका है। जिसमें कई सेंटर तो ऐसे पाये गये जहां आंगनबाड़ी केन्द्र खुले ही नहीं मिले। जहां-जहां निरीक्षण भी हुआ वहां बच्चों की संख्या नगण्य ही रही। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी, सदर, जनपद-सहारनपुर द्वारा भी आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण में अनियमिततायें पायी गयी थीं। इसी योजना में बर्तनों की खरीद में भी गोलमाल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्यकर, सहारनपुर की रिपोर्ट के अनुसार बर्तनों के खरीद से सम्बन्धित जो बिल-बाउचर लगाये गये वे समस्त बिल ऐसे फर्मों के हैं जो फर्म विभाग में पंजीकृत ही नहीं है। बर्तनों की खरीद में गोलमाल की शिकायत पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अदालत ने जिला कार्यक्रम अधिकारी डा0 अनुपमा शांडिल्य समेत 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये थे।

सम्पूर्ण प्रकरण में जिला कार्यक्रम अधिकारी, डा0 अनुपमा शांडिल्य की संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। आपराधिक मुकदमा कायम होने के बावजूद भी डा0 अनुपमा शांडिल्य अपनी पहुंच का लाभ उठाकर पूर्ववत् अपने पद पर कार्य कर रही है जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में वी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये स्वीकृत धनराशि उपलब्ध न कराये जाने एवं दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[पंचायती राज विभाग द्वारा वी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए नगर पंचायत पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की प्रस्तावित योजनाओं को जिला नियोजन समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में भारत सरकार द्वारा उ0 प्र0 सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है फिर भी पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा आज तक वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए स्वीकृत धनराशि न उपलब्ध कराये जाने के कारण जनहित के कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके है। जबकि नगरपालिका परिषद् प्रतापगढ़ एवं नगर पंचायत अन्तू के लिए उक्त धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। विभाग द्वारा किस आधार पर दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है यह समझ के परे है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 31-1-2011 को प्रमुख सचिव, पंचायती राज को पत्र भी लिखा गया है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के माध्यम से जनहित के कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अविलम्ब धन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में जल निकासी की समस्या एवं जर्जर सड़कों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कंसल-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में जल निकासी की समस्या से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी बस्ती की जल निकासी व सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मेरे द्वारा नियमों के अन्तर्गत इस समस्या को सदन में पहले भी प्रमुखता से उठाया गया था जिसके बाद शासन ने इस समस्या का संज्ञान लेते हुए पालिका परिषद् मुजफ्फरनगर से प्रस्ताव बनवाकर शासन के सम्मुख भेजने के निदेश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में पालिका परिषद् द्वारा शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया था। लेकिन लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के पश्चात् भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। जिससे उस क्षेत्र के नागरिक नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं वहां की जनता को नरकीय जीवन से निजात दिलाने के लिये भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार शीघ्र धन आवंटित कराकर उपरोक्त समस्या के निदान हेतु कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रस्ताव के अनुसार धन आवंटित कर समस्या के निदान हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम खडीया की ओर जाने वाली भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में तीन पानी से ग्राम खडीया की ओर से जाने वाली भाखड़ा नदी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। भाखड़ा नदी पर पुल नहीं है, जिससे लगभग 70-80 गांवों का रास्ता बन्द है। यह पुल जनपद रामपुर को जनपद बरेली से जोड़ता है पुल न होने की वजह से क्षेत्रवासियों को शीशगढ़ जाने के लिए लगभग 100 कि0मी0 का रास्ता तय करना पड़ता है। इस पुल को बनाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। इस पुल के बन जाने से लाखों क्षेत्रवासियों को काफी सुविधा हो जायेगी। इसका आगणन भी शासन में लम्बित है तथा इस पुल को वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति भी मिल गयी है। इस पुल का निर्माण होना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हजारों शिक्षकों को नियुक्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हजारों शिक्षक नियुक्ति न मिलने से अनिश्चित भविष्य के अधर में लटक रहे हैं। विज्ञापन सं0-1/2009 के अन्तर्गत चयनित 1855, वर्ष 2004 में 58 तथा वर्ष 2005 में 145 चयनित शिक्षक विद्यालयों के प्रबन्धतंत्र, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं। इन सभी का चयन प्रबन्ध तंत्र द्वारा भेजी गयी रिक्तियों एवं बोर्ड द्वारा उनको विज्ञापित करके साक्षात्कार के उपरान्त किया गया है। विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र अब रिक्तियां न होने, इन पदों पर दूसरों के अध्यापन करने आदि का बहाना बनाकर नियुक्ति के लिये शोषण करना चाह रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक भी नियुक्ति दिलाने कें आना-कानी या असमर्थता व्यक्त करते हैं। आयु सीमा पूर्ण होने तथा चयनोपरान्त भी अनिश्चित भविष्य से इनमें निराशा, कुण्ठा व आक्रोश व्याप्त हो रहा है। 28 जनवरी, 2011 को सैकड़ों शिक्षकों ने बोर्ड कार्यालय पर सामूहिक उपवास किया। विधान सभा के समक्ष भी प्रदर्शन की तैयारी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर चयनित अध्यापकों को तत्काल नियुक्ति प्रदान कराने अथवा समायोजन कराने तथा दोषियों को दण्डित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के गौसिया-उसरैना मार्ग में बाढ़ के कारण ध्वस्त पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर,

आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गौसिया-उसरैना मार्ग 8 किमी0 की सड़क निर्मित है। इस मार्ग पर बना आर0सी0सी0 पुलिया एवं करीब 200 मीटर सड़क माह सितम्बर में आयी बाढ़ से बढ़ गयी है, जिससे इस क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांवों का आवागमन बन्द हो गया है। कई बार जनता व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद स्तर से प्रयास के बाद पुलिया का निर्माण एवं सड़क का निर्माण नहीं हो सका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए पुलिया एवं सड़क निर्माण हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जलेसर, एटा में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुवेर सिंह-

[महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र जलेसर, जनपद एटा में कई गांव पूर्णतः खारे पानी से प्रभावित है। इन गांवों में अधिकांश लोग पानी की कमी के कारण तालाब के पानी से स्नान करते हैं। इतना ही नहीं पिछले वर्ष एक लड़का तालाब से पानी लेने गया और उसमें डूबकर उसकी मौत हो गयी। इससे पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है तथा जनता आये दिन आन्दोलन करती रहती है। जिससे कभी भी स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। ग्राम सभा करथनी, हसन अलीपुर (बसई), बहादुरपुर कासनपुर, जलेसर देहात, समसपुर, बढ़नपुर, सोनामई, गनेशपुर, पिलखतरा, सकरां, पटना, शाहनगर, टिमरूआ, भ्याऊ, मुडसमा, बोराकला, जलूखेड़ा, मुडई प्रहलादनगर, जिनावली, अन्निया, हसनगढ़, मोहम्मदपुर गहरवार, खैरारा, सहालवानपुर, लोहचा, वीरनगर लोदीपुर, खेड़ा, नूह, गोपालपुर, महापुर, सकरौली, रजानगर तथा नीमखेड़ा चिरावली ग्रामों में एक-एक पानी की टंकी बनवाया जाना तत्काल आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुए जनहित में उपरोक्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु पानी की टंकी बनवाये जाने की कार्यवाही का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 फरवरी, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिन सूचनाओं को सुना जायेगा, उसमें पहली सूचना है श्री प्रमोद तिवारी जी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की उन समितियों, जिनमें माननीय उपाध्यक्ष सभापति होते हैं, में माननीय उपाध्यक्ष का पद रिक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने के कारण सभापति की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की प्रदेश के आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में तैनात तृतीय श्रेणी लिपिकों को जिलों में समायोजन न किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डा0 अनिल चौधरी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 167/168 के अन्तर्गत दी गई सूचना, दिनांक 5 फरवरी, 2010 तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 पर निर्धारित अवधि में कृत कार्यवाही की सूचना न प्राप्त होने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-86 के अन्तर्गत प्राप्त ग्राह्य संकल्पों की सूचना मा0 सदस्यों को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में। शेष सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये पूरे 12 कैण्टोनमेण्ट ऐसे हैं कि जहां पर जब जिस समय ऑक्ट्राय बन्द हुआ था मान्यवर। उस समय क्षतिपूर्ति के रूप में तब से पैसा दिया जाता था और वो 20 साल से मान्यवर, वह परम्परा चली आ रही थी। इस बार एक 28.11 को एक शासनादेश जारी करके उसको बन्द कर दिया। मान्यवर, हमने हाईकोर्ट का एक आदेश लगा करके मान्यवर, 300 में सूचना दी थी। 2 मिनट का समय मान्यवर, उसमें भी दे दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की उन समितियों जिनमें मा0 उपाध्यक्ष सभापति होते हैं, उपाध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण सभापति की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

चलिये तिवारी जी आप कहें और तो सब हो गयी है, नहीं सुनी जायेगी।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं जो इस सदन के संचालन से सीधे, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, लगभग 4 वर्ष होने को आये हैं, मा0 उपाध्यक्ष का आसन इस सदन में खाली है, यह सदन अपूर्ण है। मान्यवर, उपाध्यक्ष, आपके न रहने पर आपके दायित्वों को निर्वाहन करते हैं। मान्यवर, कल भी इस प्रस्ताव को लाया गया था। लेकिन मान्यवर, उसके अलावा भी उपाध्यक्ष के कुछ संवैधानिक दायित्व है। जिसमें कई समितियों के वह पदेन अध्यक्ष होते हैं। समितियों का गठन नियम-200 नियमावली के अध्याय-16 के अन्तर्गत होता है और जो बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं जो विधायकों की मान-मर्यादा, कार्य-संचालन और कर्तव्यों से जुड़ी हुयी है, उनमें है जिलाधिकारी समिति, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति। अभी प्रश्नों से सम्बन्धित विषय उठा था मान्यवर और यह अगर संदर्भित करना पड़ जाय प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को तो नहीं हो पाता है। इससे पहले जब हम लोगों ने उठाया था तो एक व्यवस्था की भी गयी थी। आप उसको देखे और उस समिति के अध्यक्ष रहें या वरिष्ठतम् सदस्य जो हो, उसका सभापति बन जाय। लेकिन मैं देख रहा हूं मान्यवर कि उसका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसका एक मात्र कारण है मान्यवर, कि यह एक तरह से पूरी तरह से एक टाइम गैप जिसे कहते हैं एक छोटे समय के लिए एक छोटे अन्तराल के लिए इसका गठन हुआ है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी इच्छा बता दे कि अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे एक उपाध्यक्ष नहीं चुनना है मान्यवर, तो वह न चुने। यह एक विरोध पक्ष का एक अधिकार है, इसे न देना चाहे तो न दे, ये उनकी इच्छा है, लेकिन अगले सदन तक जो बचा कार्यकाल है 15 माह तक, उसके लिए एक संकल्प आ जाये मान्यवर, उसके लिए एक निर्णय हो जाए कि इस विधान सभा के अन्तिम दिनों के लिए इन समितियों के पदेन अध्यक्ष के रूप में आप द्वारा मनोनीत या जो वरिष्ठतम हो, उसे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अधिकार मिल जाए। उससे इन समितियों को कार्यकाल व्यावहारिक रूप से संचालित होने लगेगा। आज स्थिति तो यह है मान्यवर, कि यह भ्रम की स्थिति में है। पौने चार साल हो गये हैं, इन समितियों में सदस्यों का जो चयन होता है, वे अपने दायित्वों का निर्वाह इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहते हैं, पर वे हेडलैस बॉडी है। मान्यवर, जिनके शीर्ष पर कोई है ही नहीं तो वह कार्य कैसे करे ? मान्यवर, आपने एक व्यवस्था वैकल्पिक की है। तो अब यह तय हो गया है कि उपाध्यक्ष नहीं बनना है तो मेरा कहना है मान्यवर, कि एक प्रस्ताव ला दिया जाए। एक यह प्रस्ताव आ जाये कि जब तक उपाध्यक्ष का चयन न हो जाए या इस सदन के बचे हुए कार्यकाल तक वरिष्ठ सदस्य या आप जिन्हें मनोनीत करें या आप स्वयं उस समिति के अध्यक्ष हो जाएं, जिससे कि इन समितियों को जो गठन हुआ है मान्यवर, जो इनका उद्देश्य है, जहां हमारे विधायकों के प्रश्न संदर्भित हैं, जहां हमारे विधायकों के विशेषाधिकार सम्बन्धित है, वे समितियां कार्य करने लगे। मान्यवर, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को कोई आपत्ति होगी, क्योंकि एक बार पहले भी निर्णय लिया जा चुका है तो इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इसे कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। जहां तक इस सूचना के संदर्भ में मा0 सदस्य जैसा आपने सुझाव दिया है। ऐसी व्यवस्था एक बार और करने के लिए सदन में...

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारी नोटिस में है कि हम नहीं बोल सकते। यह एक ऐसा विषय है कि यह सदन की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित है और एक संवैधानिक प्रश्न है। हमारा इसमें अनुरोध यह है कि सरकार अगर उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं चाहती है तो इसको स्पष्टता से ले। यह बात स्पष्टता से आ जानी चाहिए संसदीय कार्य मंत्री जी यह सरकार की ओर से अवगत करा दें कि हम उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं चाहते हैं तो हम दूसरी बात चाहते हैं कि मान्यवर, नियमावली में संशोधन करके उपाध्यक्ष का पद समाप्त करते हुए जैसा प्रमोद तिवारी जी ने कहा है वह व्यवस्था कर दी जाए। श्रीमन् उपाध्यक्ष का पद रहते हुए यह व्यवस्था किया जाना उचित नहीं होगा यह हमारा विनम्र अनुरोध है तो पहले यह सरकार अपना संकल्प ले आवे कि उपाध्यक्ष का पद पूरी तरह हम समाप्त करते हैं और इस व्यवस्था में हमारा विश्वास नहीं है, उसके बाद यह अगली व्यवस्था आये तो यह मुनासिब होगा, यह मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मेरी भी नोटिस है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, वह तो कल हुआ था। जैसा कि इस संदर्भ में अभी श्री चौधरी साहब और श्री तिवारी जी ने भी कहा है। उपाध्यक्ष का जो पद है जहां-जहां वे समितियों के सभापति हैं, उस

सम्बन्ध में एक निर्देश जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में जिन समितियों के उपाध्यक्ष सभापति होते हैं उन समितियों में अध्यक्ष विधान सभा अपने द्वारा अन्य समितियों के सभापति या सभापतित्व इस सम्बन्ध में किया जा सकता है। इस तरह हुआ, इस पर व्यवस्था की गयी, इसकी कार्यवाही की गयी है। इसलिए नियम-300 में मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

व्यवस्था हुई पर कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कि व्यवहारिक रूप से ये समितियां कार्य नहीं कर पा रही हैं और हम सबने सुझाव दिया था। मान्यवर, उसका होना या न होना बराबर है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, मैं चाहता हूं कि मान्यवर, इसे आज ही से लागू किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह हो गया है। अब इसको सम्बद्ध कर दिया जाता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उस दिन यह अपने आप भंग हो जायेगी और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि नियमावली से उपाध्यक्ष का पद हटा दिया जाए। वह पद एक महत्वपूर्ण पद है उसे बना रहने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

वह हो गया है, जो समितियों के सभापति हैं, कुछ ऐसी समितियों में जहां अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सभापति हैं, उसमें उनको सम्बद्ध कर दिया गया है, उस तरह से वह काम करेंगे। इसलिए इस सूचना को नियम-300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे अनुरोध पर आपका निर्णय कदाचित छूट गया है, उस पर आपकी व्यवस्था में छूट गया है, वह पूर्ण हो जायेगा। मान्यवर, हमारा अनुरोध इसमें यह है कि सरकार की मंशा अगर बिल्कुल है कि उपाध्यक्ष नहीं बनाना है इस 15वीं विधान सभा में तो इसका स्पष्ट प्रस्ताव लाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आपको निर्देश देना चाहिए था। मेरा अनुरोध है कि इस पर आपकी व्यवस्था आ जाए। मैं अनुरोध इसलिए कर रहा था कि सरकार की ओर से जवाब देते हुए पहले भी यह बात आ चुकी है कि हमारा विषय नहीं है, माननीय अध्यक्ष का है। सारा दोषारोपण अध्यक्ष पर है और अध्यक्ष दोषारोपण के योग्य नहीं है, इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दोष सरकार का और आरोप अध्यक्ष पर, यह उचित नहीं है। इन कारणों से आपकी व्यवस्था आ जायेगी, संसदीय कार्य मंत्री जी सीधे प्रस्ताव कर दें। इस पर आपकी व्यवस्था आ जाये मान्यवर, कि आप पर आरोप गलत लगता है कि आप इसको टाल रहे हैं और सरकार इससे क्यों बचना चाहती है, सरकार जाने, तो इस पर मान्यवर, आपके आदेश आ जायें, आपकी व्यवस्था आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस पर हमारी व्यवस्था यही है कि जब हमको अधिकार है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें, मेरा आग्रह यह है कि आपको यह अधिकार है मान्यवर, तो इस अधिकार का पालन भी हो जाए। एक बार आप तिथि तो निश्चित करें, यह तो केवल आपके अधिकार क्षेत्र में है, इसके बारे में तो परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तिथि निश्चित करें, तिथि निश्चित करने के बाद में अगर यह प्रस्ताव लाते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तो तिथि ही निश्चित नहीं हुई है, कम से कम इतनी औपचारिकता तो पूरी हो जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर हम लोग बैठकर विचार कर लेंगे, इसमें संकल्प प्रस्ताव की क्या जरूरत है ?

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं तो इस विषय पर नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि चार वर्ष से लगातार जब सत्र होता है, तब यह प्रश्न उठता है और यह बात सही है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है और चेयर को यह विशेषाधिकार है और सदन की एक बहुत ही गरिमामय परम्परा है कि आपके अधिकार पर कोई टिप्पणी न की जाय, लेकिन बड़ा दुःखद पहलू है मान्यवर, बहुत ही दुःखद कि आपके अधिकार क्षेत्र में रहते हुए आप चुनाव नहीं करा रहे हैं तो या तो आप अधिकार का प्रयोग करने में अपने आपको सक्षम नहीं पा रहे हैं या आप इस सदन की जो गरिमामय परम्परा है, उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आप अपने ऊपर ओन भी कर रहे हैं और कार्यान्वित भी नहीं कर रहे हैं, अब इसको क्या कहा जाय, यह विशेषाधिकार की आड़ में सदन की गरिमा को बनाये रखने का कार्य है या सदन की गरिमा की उपेक्षा है मान्यवर, विशेषाधिकार की आड़ में क्या हो रहा है। यह अत्यन्त चिन्तनीय है और यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं हो रहा है। जैसा माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा, पहले तो यह होता था कि एक-दो बार डेट की तारीख तय होती थी लेकिन सभी नेताओं को बुला कर के किसी अपरिहार्य परिस्थिति में स्थगित कर दिया जाता था कि अच्छा भई बाद में चुनाव हो जायेगा, यहां वह भी नहीं हो रहा है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार कहती है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो आखिर इस सदन की गरिमा को विशेषाधिकार की आड़ में पल्लवित किया जा रहा है या उसे कुण्ठित किया जा रहा है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह आक्षेप है, सीधे आप पर। मान्यवर, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। इतने वरिष्ठ सदस्य की ओर से।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, जब परम्पराओं का सम्मान नहीं होता, परम्पराओं का पालन नहीं होता और विशेषाधिकार की आड़ में अधिकारों का हनन होता है तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्पराएं टूटती हैं, बगावत होती है। इसका क्या मतलब है मान्यवर, इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर हमारी व्यवस्था है, हम इसको देखेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आक्षेप की आड़ में कितने दिनों तक अधिकारों का हनन होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको आक्षेप मानता ही नहीं हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन परिस्थितियों को पैदा करने के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है, यह तो निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था में आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको आक्षेप नहीं मानता हूं, आपका सुझाव आता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, यह पीड़ा व्यक्त किया है, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है, मैं वहां तक आपसे सहमत हूं, मैं इसको आक्षेप नहीं मानूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, एक सुझाव दिया है, इस परम्परा को सुदृढ़ किया जाय, इसके बारे में, मैं शिरोधार्य करता हूं। आप कह रहे हैं तो इस पर विचार करेंगे। यह सूचना अग्राह्य कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 5 फरवरी, 2010 तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 पर निर्धारित अवधि में कृत कार्यवाही की सूचना न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

डा0 अनिल चौधरी जी, यह सूचना आपने दी है, इस सन्दर्भ में एक व्यवस्था है, अच्छा कहिये आप, दो मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

*डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है, मैं सिर्फ दो मिनट में ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, अभी चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी ने प्रश्न उठाया था कि अधिकारियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर गलत दिये जा रहे हैं। मान्यवर, हमारी प्रक्रिया नियमों में व्यवस्था है उसके अन्तर्गत यदि गलत उत्तर होते हैं तो हम संशोधित उत्तर देने की मांग उसमें कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकते हैं। मान्यवर, हमने पिछली 5 फरवरी, 2010 को इस सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 में एक सूचना दी थी जिसके अन्तर्गत हमने यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम किसानों की भूमि बड़े सरमायेदारों को टाउनशिप बनाने के लिए देने व पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने से सम्बन्धित है। मान्यवर, इसमें यह कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो गयी है लेकिन उसके बावजूद जो विधान परिषद् सदस्य के चुनाव में उन्हीं मतदाताओं को मतदाता बनाकर चुनाव में भाग लेने की अनुमति देकर एक असंवैधानिक कार्य किया गया है उसके ऊपर सरकार से हमने उत्तर मांगा था। मान्यवर, इसी प्रश्न के आधार पर नियम-300 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाही थी उसकी जानकारी नहीं आ पायी है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और उत्तर दिलवा दें। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक पत्र विशेष सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, श्री धीरज साहू जी का आया हुआ है यह 11-8-2010 का है। वह अंतरिम सूचना है और उसमें 15 दिन के समय का उल्लेख है। लेकिन मान्यवर, आप देखें कि इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक हमें उत्तर नहीं मिल पाया है।

दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि एक श्रीमती किरन देवी राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बामौती, अलीगढ़ की अनियमितताओं का मामला उठाया था। उसमें भी गलत उत्तर आया है। उसकी बाबत भी मैंने एक नोटिस निदेश संख्या-167/168 में दी है पिछली फरवरी में लेकिन उसका भी सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। जबकि उप जिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ ने अपनी जांच आख्या प्रस्तुत भी कर दी है, मई, 2010 में। वहां के प्रिंसिपल साहब ने सभी पदों-क्लर्क, चपरासी आदि पर अपने रिश्तदारों की नियुक्ति कर दी है। मान्यवर, यहां पर उसका सही उत्तर नहीं आ पा रहा है। जबकि वहां पर रोजाना अखबारों में छप रहा है और यहां तक छप रहा है कि जिलाधिकारी ने उनकी बर्खास्तगी के लिये शासन को लिख दिया है। मान्यवर, आप इन चीजों को कृपया गम्भीरता से लेने का कष्ट करें। शासन तो इन्हें बहुत ही हल्केपन से ले रहा है। मैं चाहता हूं कि समयबद्ध तरीके से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जायें।

श्री अध्यक्ष-

जैसाकि माननीय अनिल चौधरी जी ने कहा है कि निर्धारित समय के अन्दर उनको जवाब मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। इसको मा0 मंत्री जी आप दिखवा लेंगे। जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है उन्होंने उसके बारे में भी कहा है कि जवाब नहीं मिला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको कृपया दिखवा लें और उनके उत्तर समय से दिलवा दें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ठीक है।

*श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, मैंने बिजली विभाग से जो एक गलत उत्तर आया था उसके सम्बन्ध में निदेश संख्या-167/168 में सूचना दी थी उसका संशोधित उत्तर नहीं मिल पाया है। फिर मैंने उस पर विशेषाधिकार हनन की एक नोटिस दी है। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपने विशेषाधिकार की नोटिस दी है उसको हम दिखवा लेते हैं।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, दिनांक 8-2-2011 को विधान सभा में मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा ''द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट 2010 (अधिनियम संख्या-23 सन् 2010) जो भारत सरकार द्वारा पारित किया जा चुका है को अंगीकार करने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया तथा विधान सभा द्वारा अंगीकार कर लिया गया, लेकिन इसमें विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का अतिक्रमण हुआ है। नियम-86 के अनुसार यदि मंत्री संकल्प उपस्थित करना चाहें तो वे सात दिन की सूचना देंगे और उसके साथ संकल्प की एक प्रति प्रमुख सचिव को भेजेंगे जो साधारणतया उसकी प्राप्ति के अड़तालिस घण्टों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेंगे, न तो अभी तक संकल्प की प्रति सदस्यों को मिली न निर्धारित नियमों का पालन हुआ। इसलिए मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, कल की हमने इस बात को रखा था कि इस विषय को स्थगित कर दिया जाय ताकि इसके प्रावधानों को हम लोग देख सकें। मान्यवर, इसमें नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना हुई है। हम लोगों को उसकी प्रतियां भी नहीं मिली हैं न नियमों के अनुसार प्रमुख सचिव को उसकी सूचना दी गयी थी। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने यह सूचना नियम-300 में दी कि ग्राह्य संकल्पों की सूचना माननीय सदस्यों को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में। जितने भी हमारे संकल्प ग्राह्य हो जाते हैं उनकी सब सूचनाएं पिजन होल में हर माननीय सदस्य की सूचना जिनका जो पिजन होल है उसमें डाल दिया जाता है। आपने ग्राह्य संकल्पों का तो कल का संकल्प कोई ग्राह्य हुआ नहीं ग्राह्य संकल्पों के सम्बन्ध में जितने हमारे ग्राह्य हो जाते हैं उसकी सूचना हम पिजन होल में सभी माननीय सदस्यों को सूचित कर देते हैं। यह हमारी व्यवस्था है और इस तरह से किया भी गया है। इसलिए सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

जो ग्राह्य संकल्प है उसके सम्बन्ध में व्यवस्था करी है। यह संकल्प ग्राह्य नहीं हुआ था, प्रस्तुत हुआ और पारित हुआ। उस विधेयक के बारे में कोई संकल्प नहीं था इस तरह का कि ग्राह्य हुआ हो जिसकी आपको सूचना दें। यह तो आपने ग्राह्य संकल्पों के बारे में पूछा है। जो ग्राह्य संकल्प होते हैं उसको पिजन होल में सूचना दे देते हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

कल के संकल्प के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

कल का संकल्प तो पारित हो गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो पारित हुआ उसके बारे में वह कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट उल्लेख वह कर रहे हैं कि क्या-क्या इसमें होना चाहिए था ? उसके प्रस्तुत होने के पहले क्या होना चाहिए था ? उसकी प्रति यहां आनी चाहिए थी, उसकी प्रति प्रमुख सचिव को मिलनी चाहिए थी दोनों काम नहीं हुए इसलिए घोर अनियमितता हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा उक्त संकल्प से सम्बन्धित सूचना दिनांक 3 फरवरी, 2011 को विधान सभा सचिवालय को भेजी गयी थी उसमें यह अनुरोध किया गया था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 8 फरवरी, 2011 अथवा वह तिथि जो निर्धारित हो को माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा उक्त संकल्प सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। तद्नुसार सदन द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार उक्त संकल्प दिनांक 8 फरवरी, 2011 को सदन में प्रस्तुत किया गया उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-86 में यह व्यवस्था है कि यदि मंत्री कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह 7 दिन की सूचना देंगे और उसके साथ संकल्प की एक प्रति प्रमुख सचिव को भेजेंगे जो साधारणतया उसकी प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उसकी प्रतिलिपि सदस्यों को भिजवायेंगे परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे। तो मान्यवर, आपको अधिकार है कि इससे कम की सूचना भी स्वीकार कर सकते हैं। 3 फरवरी, 2011 को यह संकल्प दिया गया था आपने 8 फरवरी, 2011 को इसको लगाया। इसमें कुछ अनुचित नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि इनका नियम-300 का जो प्रश्न है उसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधक्ष-

उसको अग्राह्य कर दिया गया।

माननीय करवरिया साहब यह जो सूचना है आपकी इसको अग्राह्य कर चुका हूं यह सभी सूचनाएं।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, यह द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने की बात कही गयी है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि प्रतियां माननीय सदस्यों को 48 घन्टे के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेंगी वह प्रतियां अब तक हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुई हैं जिससे कि उनका हम अध्ययन कर सकें। कल बल्कि माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि आप लोगों को लाइब्रेरी जाकर पढ़ लेना चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने अधिनियम कहा, अधिनियम जो होता है उसको वितरित करने की व्यवस्था नहीं है और संकल्प की जो हमारी प्रति है उसको आप लोगों को भिजवाने की व्यवस्था है जो नियमों में है और विधान सभा सचिवालय का काम है कि इस काम को करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा सचिवालय से वह प्रतियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे दिखवा लूंगा वैसे 4 फरवरी को जहां तक है संकल्प पिजन होल में गया है अगर नहीं है तो मैं इसे फिर दिखवा लूंगा।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उस अधिनियम की प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायें आपके आदेश से जिससे कि हम लोग भी उसका अध्ययन कर सकें, उसका अवलोकन कर सकें कि उस ऐक्ट में क्या है ? उसमें क्या कमियां हैं ? उसके बारे में जानकारी हो सके हम लोगों को।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अधिनियम की प्रति उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है और किसी भी विधान मंडल में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

संकल्प की प्रति गयी है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, विधेयक दिया जाता है अधिनियम नहीं दिया जाता है।

प्रदेश के स्टेट लैण्ड पर आवास बनाकर दो दशकों से रह रहे मध्य वर्गीय परिवारों के हित में जमीन फ्री होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरा प्रदेश की स्टेट लैण्ड पर दो दशकों से आवास बनाकर रह रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में जमीन फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता है फ्रीहोल्ड कराना यह 300 में नहीं आता है, मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करा दें।

मान्यवर, स्टेट लैण्ड की जमीनों पर पिछले लगभग दो दशक से अधिक समय से मध्यमवर्गीय लोग आवास बनाकर अपने परिवार के साथ.....

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में कहां आता है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अब फ्रीहोल्ड कराना हम नियम-300 में सुनेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, यदि यह नियम-300 में सुना जायेगा तो फिर सारे नियमों का क्या मतलब रह जायेगा ?

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, आप मेरी सूचना पर सरकार का ध्यानाकर्षण करा दें।

श्री लाल जी वर्मा-

नियम-300 की सूचना में ध्यानाकर्षण का क्या मतलब है ?

(श्री उदयभान करवरिया के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-301 में दे दीजिये, हम ध्यानाकर्षण करा देंगे। फ्रीहोल्ड कराना, किसी को कब्जा कराना यह सब नियम-300 में नहीं आता। इस तरह तो नियम-300 की ग्रेविटी जायेगी। आप और नियमों में दे दीजिये हम ध्यानाकर्षण करा देंगे। लेकिन इसमें कहां ध्यानाकर्षण होता है।

(श्री उदयभान करवरिया के पुनः खड़े होने पर)

करवरिया साहब आप वरिष्ठ सदस्य है। आप प्रश्नों के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यम से दे दीजिये। यह नियम-300 में नहीं आता।

प्रदेश के छावनी परिषदों में चुंगीकर एवं पथकर के मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि के बदले राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि बन्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब जैसे खन्ना साहब कहना चाहते हैं। प्रदेश के छावनी परिषद् में पथ कर और चुंगी कर के मुआवजा के रूप में दी जाने वाली राशि को बदलें। राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति बंद किये जाने के सम्बन्ध में। इसे भी आप दूसरे नियमों में देते तो अच्छा होता। हम नियम-300 में कोई व्यवस्था भी नहीं देंगे।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें हाईकोर्ट का आदेश भी है। आप मुझे सिर्फ दो मिनट सुन लें। मान्यवर, इसमें ऐसा है कि बारह छावनी परिषद् को अभी तक.....

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, यह नियम-300 का विषय कहां से बन गया ?

श्री अध्यक्ष-

अब बन तो नहीं रहा है। लेकिन खन्ना साहब वरिष्ठ सदस्य हैं। वह जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में बारह छावनी परिषदों को जो क्षतिपूर्ति पिछले 20 वर्षों से मिलती थी वह 28-1-11 को एक शासनादेश के माध्यम से बंद कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब मेरा आपसे एक निवेदन है इसमें हम नियम-300 के अन्तर्गत कोई व्यवस्था भी नहीं दे सकते। यह नियम-300 की परिधि में आ भी नहीं रहा है फिर भी मैंने आपकी बात सुन ली। आप और नियमों में दे दीजियेगा, मैं सुन लूंगा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के और भी रास्ते हैं। आप हमको दे दीजिये हम उसको दिखवाते हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिये। माननीय मंत्री जी उसका पालन करा देंगे।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 की नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण[1]

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 2010 (दिनांक 06 अगस्त, 2010 से 13 अगस्त, 2010 तक) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1237/30-4-2010-3(13)-2007, दिनांक 12 जुलाई, 2010††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1237/30-4-2010-3(13)-2007, दिनांक 12 जुलाई, 2010 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-212 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1286/तीस-4-10-20(75)-2001, दिनांक 15 सितम्बर, 2010††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1286/30-4-10-20(75)-2001, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-212 (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

[1] छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-61, दिनांक 03 फरवरी, 2011 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

> वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ उत्तर प्रदेश ने अपने फैक्स सन्देश दिनांक 08 फरवरी, 2011 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, विधान सभा को थाना कोतवाली, इलाहाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-237/2010 भा0द0वि0 की धारा-302/307/427/429/120बी, 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 08 फरवरी, 2011 को दिल्ली के थाना हौज खास क्षेत्र में लगभग 15.45 बजे गिरफ्तार कर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-514, साकेत दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर लेकर इलाहाबाद लाया जा रहा है।

जनपद बागपत कस्बा बड़ौत में रोडवेज विभाग की भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य डॉ0 अजय तोमर कृपया याचिका प्रस्तुत करें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बागपत कस्बा बड़ौत में रोडवेज विभाग की भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरपाल सिंह तथा श्री प्रीतम सिंह वर्मा, निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बागपत के उपनगर बड़ौत के जर्जर तार बदलने व ट्रांसफार्मरों की भार क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज जैन आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बागपत के उप नगर बड़ौत के जर्जर तार बदलने व ट्रान्सफार्मरों की भार क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज जैन व अन्य, निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत स्थित मीरापुर रजवाहे की पटरी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्जू तोमर आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बागपत कस्बा बड़ौत स्थित मीरापुर रजवाहे की पटरी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्जू तोमर तथा श्री जयवीर सिंह एडवोकेट, निवासीगण जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बागपत स्थित मीरापुर रजवाहे में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में श्री भोपाल सिंह राणा निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बागपत स्थित मीरापुर रजवाहे में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में श्री भोपाल सिंह राणा तथा श्री रतन सिंह निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत स्थित पूर्वी यमुना नहर की पटरी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत स्थित पूर्वी यमुना नहर की पटरी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह तथा श्री रमेश सिंह, निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बागपत के मुख्य उप नगर बड़ौत की विद्युत व्यवस्था सुधार कराने के सम्बन्ध में श्री प्रभात जैन आदि निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बागपत के मुख्य उप नगर बड़ौत की विद्युत व्यवस्था सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभात जैन व अन्य, निवासीगण जनपद-बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम चफला के मजरा मोहरवा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दरोगा यादव आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री जोखू लाल यादव कृपया याचिका प्रस्तुत करें।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम-चफला के मजरा मोहरवा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दरोगा यादव तथा श्री बाबा यादव, निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

इलाहाबाद जौनपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर टाउन एरिया में बाईपास मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इलाहाबाद-जौनपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर टाउन एरिया में बाईपास मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव तथा श्री नन्हें लाल विश्वकर्मा, निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर के कस्बा सहपऊ के बाईपास मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल कुशवाहा एडवोकेट आदि निवासीगण जनपद-महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य डा0 अनिल चौधरी जी कृपया याचिका प्रस्तुत करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महामायानगर के कस्बा सहपऊ के बाईपास मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल कुशवाहा एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद-महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 10 और 11 में कुछ नहीं है।

श्री सुखलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के पहले बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 2010 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का निदेश संख्या-45(3) के अन्तर्गत संशोधित उत्तर

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री सुखलाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के प्रथम बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 2010 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के सम्बन्ध में ''उ0 प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या-45(3) के अन्तर्गत संशोधित उत्तर-

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लाल जी वर्मा-

[मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
1	2	3
क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना के से0 एच के फेज-1 में निर्मित ई0डब्लू0एस0 टाइप के भवनों के भू-खण्डों का क्षेत्रफल पंजीकरण के समय 36.75 वर्गमीटर एवं अनुमानित लागत रु0 26 हजार निर्धारित करके पंजीकरण आमंत्रित किया गया था ?	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित/ किराया क्रय पद्धति में निर्मित होने वाले भवनों तथा विभिन्न आकार के भू-खण्डों के विक्रय हेतु दिनांक 20-06-2008 से दिनांक 19-7-2008 को पंजीकरण आमंत्रित किये गये थे। विवरण पुस्तिका के क्रमांक-3 के उप क्रमांक-3 पर आवंटन हेतु प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग के भवन) भवनों का मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर एवं अनुमानित मूल्य रु0 22000.00 तत्समय निर्धारित किया गया था।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित/किराया क्रय पद्धति में निर्मित होने वाले भवनों तथा विभिन्न आकार के भू-खण्डों के विक्रय हेतु दिनांक 20-06-88 से दिनांक 19-7-88 को पंजीकरण आमंत्रित किये गये थे। विवरण पुस्तिका के क्रमांक-3 के उप क्रमांक-3 पर आवंटन हेतु प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग के भवन) भवनों का मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर एवं अनुमानित मूल्य रु0 22000.00 तत्समय निर्धारित किया गया था।
यदि हां, तो क्या यह सही है कि भवन निर्माण के समय भू-खण्ड का क्षेत्रफल घटाकर 30X10 वर्गफीट कर दिया गया किन्तु कीमत यथावत् ही रही ?	स्थल पर उपलब्ध भूमि के अनुसार इन भवनों का नियोजन 36.75 वर्गमीटर के स्थान पर 30 वर्गमीटर कर, भवनों का निर्माण किया गया है। जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है भवन निर्माण के समय निर्माण लागत आदि कारकों को दृष्टि में रखते हुये किया गया है। निर्माण के पश्चात् इन भवनों की प्रति यूनिट लागत रु0 26700.00 निर्धारित की गई है, जो पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु संख्या 06 में उल्लिखित तथ्य के अनुरूप है।	स्थल पर उपलब्ध भूमि के अनुसार इन भवनों का नियोजन 36.75 वर्गमीटर के स्थान पर 30 वर्गमीटर कर, भवनों का निर्माण किया गया है । जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है भवन निर्माण के समय निर्माण लागत आदि कारकों को दृष्टि में रखते हुये किया गया है। निर्माण के पश्चात् इन भवनों की प्रति यूनिट लागत रु0 26700.00 निर्धारित की गई है, जो पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु संख्या 06 में उल्लिखित तथ्य के अनुरूप है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
1	2	3
यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करके आवंटियों को राहत देगी ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।]

नियम-311 और नियम-56 में प्राप्त सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09-02-2011 को नियम-311 व नियम-56 में प्राप्त सभी सूचनाओं को यथावत दिनांक 14-02-2011 को सुना जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी महामहिम राजयपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखें।

(नेता प्रतिपक्ष, श्री शिवपाल सिंह यादव के खड़े होने पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से श्री राम सागर अकेला द्वारा ''प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित संशोधन जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- महिलाओं का बलात्कार, उत्पीड़न व अत्याचार .....

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसी के साथ बाकी संशोधन भी रखे हुये मान लिये जायं। ††

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

1-[रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

2-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

---

† दिनांक 8 फरवरी, 2011 की कार्यवाही से।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†† देखिये नत्थी ''घ'' आगे पृष्ठ संख्या 199-327 पर।

3-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली के सम्बन्ध में,

4-प्रजापति, बिन्द, निषाद, मल्लाह, राजभर, तुरहा सहित 16 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने के पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी के सरकार के फैसले को लागू करने के सम्बन्ध में,

5-बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई लूट के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

8-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

9-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

11-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

12-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

13-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

14-बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

15-बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

17-नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

18-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस जमीनी हकीकत में पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में,

19-गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने, गन्ना किसानों की जीवन्त समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है जबकि गन्ना किसानों द्वारा अपनी ट्रैक्टर ट्राली द्वारा उतारा गया गन्ना सड़कों पर पड़ा है, किसान परेशान होने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। जबकि पिछली सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान की व्यवस्था की थी के सम्बन्ध में,

21-किसानों के गेहूं की खरीददारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है जिससे किसान उहापोह की स्थिति में है के सम्बन्ध में,

22-सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

23-मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, सत्तापक्ष के इशारे पर प्रतिपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

24-सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

26-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

28-कन्या विद्या धन योजना को यथावत् लागू करने के सम्बन्ध में,

29-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

30-वैट जैसे काला कानून को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

31-किसानों को खाद बीज व पानी समय पर न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-छात्र यूनियन को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश की वित्तीय कानून व्यवस्था को रोकने में सरकार के असफल होने के सम्बन्ध में, तथा

34-पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में।'']

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह सरकार बनने के बाद इस सरकार ने घोषणा की थी कि हम विकास की दर बढ़ायेंगे।.....

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, परम्परा रही है कि जब भी नेता प्रतिपक्ष बोलें तो नेता सदन, सदन में रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष सदन में बोलें तो नेता सदन, सदन में रहें, स्वस्थ राजनीति का यही सिलसिला रहा है और सदन में नेता सदन का होना एक शुभ-लक्षण भी माना गया है और लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिये संरक्षण भी माना गया है। यह अलग बात है कि नेता सदन का अपना जाती मिजाज कुछ भी हो, उनकी राजनीति का और जीवन का तरीका कुछ भी हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया में बदलाव आ रहा है और पूरी दुनिया अराजकता के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकलकर आयी है और बड़ी-बड़ी तानाशाह ताकतों को भी अपनी जिन्दगी से पनाह मांगनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उससे पूरा

उत्तर प्रदेश वाक़िफ़ है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का बोलना यह दर्शाता है कि नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में रहने वाले उन करोड़ों इन्सानों को, जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुरूष है, महिलायें हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करने वाले वो लोग हैं जो ताकत में है, सत्ता की ताकत है, शरीर की ताकत है, सैक्स की ताकत है। उस ताकत के लोग जिन हालात से प्रदेश को गुजार रहे हैं, उसे पूरा देश जान रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग का जो दबा हुआ है, उपेक्षित है और ऐसे वक्त नेता सदन का सदन में न होना यह साबित करता है कि प्रदेश की वह जनता जो पीड़ित है, उसके साथ अपमानजनक रवैया हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है क्यों कि संरक्षण का दायित्व आप पर है और आप पर बहुत जिम्मेदारी है। सुबह से मैंने उपाध्यक्ष के सिलसिले में आपकी मायूसी और आपकी कमजोर आवाज महसूस की है कि आप अपने आप को कितना लाचार और मजबूर महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि आप एक शरीफ इंसान भी हैं। मेरा आपसे बड़ा विनम्र आग्रह है बावजूद इसके कि हम सरकार की जुल्म की चक्की के पिसे हुए लोग हैं तथा और पिसने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी यह चाहते हैं कि रिवायात कायम हों और यह सदन अपनी शानदार रिवायात के साथ चले और नेता सदन को यह चाहिए वह बड़े होने का सबूत दें, सिर्फ जूते साफ करा लेने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा होने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जो तस्वीर आपके पीछे लगी है इनके पैरों में जूते नहीं हैं क्योंकि इन्हें मालूम था कि उस वक्त जब देश आजाद हुआ था तो तीन चौथाई आबादी हिन्दुस्तान की वह थी जिसके पैरों में जूते नहीं थे। लिहाजा आज नेता सदन का सदन में न होना, न सिर्फ यह कि सदन का अपमान है बल्कि करोड़ों उत्तर प्रदेश के उन कमजोर लोगों का जिनकी बात नेता विरोधी दल रखने वाले हैं, उनका भी अपमान है। मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि सदन रुका रहे या सदन आज के लिए उठा दिया जाए और जब नेता सदन, सदन में हों तभी नेता विरोधी दल अपना भाषण दें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सामान्य रूप से ऐसी स्थिति नहीं रही है लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि नेता सदन बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहते और कोई ऐसे कार्यक्रम पहले से निर्धारित रहते हैं। मा0 नेता सदन ने महसूस किया था कि 8 तारीख को जब चर्चा की शुरुआत होगी, उस दिन मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बोलेंगे। तो मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कि कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी रहती हैं पिछली बार मान्यवर,, नेता सदन को जिस दिन उत्तर देना था, नेता प्रतिपक्ष जी नहीं थे।.....

कुछ ऐसी परिस्थितियां, कभी-कभी ऐसी व्यस्तताएं होती हैं जिनके कारण न रह पाना भी संभव होता है। मान्यवर, नियमावली में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, कि रहने की आवश्यकता महसूस की गई हो। कहीं भी नियमावली में व्यवस्था नहीं दी गई है। एक सामान्य व्यवस्था एडाप्ट करते रहे उसके अनुसार चलते रहे। हमेशा इसके पहले जितनी भी बार नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ है। माननीय नेता सदन हमेशा उपस्थित रही हैं चाहे आप दिखवा लें। इस बार कोई ऐसा कारण हो सकता है। इसलिए अभी नेता प्रतिपक्ष शुरू करें कुछ ऐसी व्यस्तताएं हो जाती हैं इसलिए कोई आवश्यक आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसमें कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई ह्रास भी नहीं है। निश्चित

रूप से नेता सदन जो नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे उसका जवाब देने के लिए निश्चित रूप से आएंगी और उसका जवाब भी देंगी। ऐसे कई अवसर आए हैं जब ऐसी स्थिति रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन एक बाध्यता हो गई है सदन में तत्काल अभी संसदीय कार्य मंत्री जीने जो बात रखी है इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं उन तथ्यों का उल्लेख आपके सम्मुख करना चाहिए मान्यवर, नेता सदन कब उपलब्ध रहेंगी इसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को होनी चाहिए कदाचित रही होगी और नेता प्रतिपक्ष कब बोलेंगे इसके सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूछा था और इन कारणों से यह तय हुआ था कि 8 तारीख को नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तो इस बात की सहमति व्यक्त की थी कि 8 तारीख को सिर्फ यह प्रस्ताव रख दिया जायेगा प्रस्ताव के समर्थक बोल लेंगे और नेता प्रतिपक्ष 9 तारीख को रखेंगे और आज भी नेता प्रतिपक्ष के यहां आने के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में बात हुई कि इनके आने का क्या समय होगा कब रहेगा यह बात पूरी तरह से उनकी सहमति से ही 9 तारीख का समय तय किया गया मैं उनसे इस बड़प्पन की उम्मीद करता था कि वह इस बात के लिए खेद प्रकट करेंगे कि किस आकस्मिकता के कारण नेता सदन नहीं हैं बजाय इसके वह नियमावली पढ़कर बता रहे हैं उस नियमावली को आप जानते हैं सदन में आया हुआ प्रत्येक सदस्य जानता है और हमने नियमावली की बात नहीं की। बात सिर्फ यह हुई है कि एक परम्परा और इस परम्परा के अतिरिक्त आपकी सहमति से उस समय को निश्चित और नियत किया जाना कि आपने बताया कि 9 तारीख को माननीया नेता सदन रहेंगी और नेता सदन उपस्थित रहें इसलिए 9 तारीख की गई। इन स्थितियों में संसदीय कार्य मंत्री जी का जो उत्तर आ रहा है यह पूरी तरह से न सिर्फ लोक तांत्रिक परम्पराओं का अपमान करने वाला है बल्कि स्वयं उनके द्वारा जो बातें की जाती हैं उनकी अपनी विश्वसनीयता को समाप्त करने वाला है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जो परम्पराएं हैं, जो कार्य मंत्रणा समिति में बातें होती हैं, आपके कक्ष में जो बातें होती हैं, उन बातों का आदर होना चाहिए। परम्पराओं के आधार पर ही यह लोकतंत्र चल रहा है सिर्फ लिखी हुई बात पर लोकतंत्र नहीं चल रहा है इसलिए इन परम्पराओं का एक ओर हनन हुआ है और जैसा हमारे नेता आजम खां साहब ने कहा है। सचमुच नेता सदन के न आने का एक मात्र कारण परिलक्षित हो रहा है कि या तो प्रदेश की करोड़ों जनता की आवाज को सुनने की उनमें सामर्थ्य नहीं है या वह पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना चाहती है कि तुम चिल्लाते रहो हम तुम्हारी बात को सुनेंगे नहीं। हम पूरी तरह से उनके इस आचरण की निन्दा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और संसदीय कार्यमंत्री जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम इसकी पूरी तरह आलोचना करते हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं सबसे ज्यादा संक्षेप में बोलता हूं और आपके हर इशारे को समझने का प्रयास करता हूं और उसी के अनुरूप अपना आचरण करता हूं। लगभग 6 महीने के बाद हम लोग मिले हैं। विधान सभा के सत्र से अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य नेता सदन के लिए है मैं नहीं समझता। अगर दो महीने बाद सदन का सत्र होता तो मैं समझ सकता था कि व्यस्त हैं यह उनके लिए भी लाजिमी था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि सदन के कार्यक्रम के अनुरूप अपना कार्यक्रम लगाएं प्रधानमंत्री तक अपनी विदेश यात्रा टाल देते हैं जब नेता प्रतिपक्ष वहां पर बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष के भाषण के महत्व को समझते हुए।

हमारे कार्य-स्थगन या नियम-311 के प्रस्ताव जो भी थे आपने उन्हें स्थगित कर दिया और हमने आपके आदेश को शिरोधार्य किया लेकिन केवल हमारे शिरोधार्य करने से काम नहीं चलता मान्यवर। यह बात कि जो वो भाषण देंगे उसका उत्तर आ जायेगा, यह पर्याप्त नहीं है। मान्यवर, यहां पर उपस्थित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके यहां पर उपस्थित होने पर लगता कि वह सदन की गरिमा के अनुकूल अपने आचरण को कर रही हैं। मान्यवर, आज हमें बहुत खेद है, दुःख है कि इतने हल्केपन से इस सदन को लिया जा रहा है कि जब मर्जी हो तब आयेंगे जब मर्जी हो नहीं आयेंगे। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अवसर और क्या होता है मान्यवर। हम भी लगभग 35 साल से इस सदन में बैठे हैं और हमने वह समय देखा है जब वहां पर माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी बैठते थे और इधर चौधरी चरण सिंह जी यहां पर बैठते थे। हम लोग प्रतीक्षा करते थे इस बात की कि कब नेता प्रतिपक्ष बोलें, कब नेता सदन बोलें और मान्यवर, आज स्थिति यह आ गई है कि नेता प्रतिपक्ष तो बोलने के लिये हैं और उनको आपने पुकारा है और नेता सदन का स्थान रिक्त हैं। मान्यवर, इसको इतने हल्केपन से न लें। मान्यवर, परम्पराओं को हम सबने मजबूत किया है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन परम्पराओं को कितना मजबूत करें, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या रास्ता दिखायें, कैसा सदन हम दिखायें ? मान्यवर, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो नेता सदन पर है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष पर है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप निर्देश दें और निर्देश पहले दिये गये हैं कि नेता सदन उपस्थित हों और नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, नेता सदन अपनी सुविधानुसार समय निश्चित कर लें और तब ही हम अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसे अवसर आये हैं मान्यवर। मान्यवर, परम्परा दोनों तरफ से चलती है। नेता सदन बोलते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को भी रहना चाहिए, नहीं रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। कम से कम तीन बार ऐसा हुआ है कि नेता सदन को जब उत्तर देना था तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। (शोर) आप दिखवा लीजिये कार्यवाही में। मान्यवर, ऐसी स्थिति हुई है। तो मान्यवर, परम्परा दोनों तरफ से चलती है। आप आज बोलना शुरू करेंगे, बोलेंगे मान्यवर। उस स्थिति में माननीय नेता सदन का भी कोई हो सकता है व्यस्तता हुई हो। ऐसी स्थिति में इसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए। हम चाहेंगे कि उनके विचार आने चाहिए और हमारे पूरे मंत्रि-मंडल के सहयोगी लोग उनकी बातों को सुनने के लिये और उनके जो सारगर्भित विचार आयेंगे उसको सुनने के लिये हम सब यहां पर हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसको इस ढंग से शुरू कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो....

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक मिनट। मान्यवर, आज बड़ी अजीब स्थिति पैदा हुई। पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अनभिज्ञता जाहिर की कि आज वह माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे। उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं नहीं अनभिज्ञता नहीं, जानकारी थी। हमने अनभिज्ञता जाहिर नहीं की।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अनभिज्ञता नहीं तो फिर स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत थी।

श्री लाल जी वर्मा-

कोई स्पष्टीकरण नहीं। हमें जानकारी थी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नहीं, यह ठीक किया कि इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। मैं इसी बात पर कह रहा हूं कि 1974 में जब माननीय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी वित्त मंत्री थे इधर माननीय चौधरी चरण सिंह जी बैठते थे। उस कुर्सी पर प्रोफेसर वासुदेव सिंह थे उस समय हमें नये सदस्य के रूप में यहां आने का मौका मिला था उस समय हमने जाना कि कब माननीय नेता सदन बोलेंगे मुख्य रूप से श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बजट भाषण पर। कब उत्तर देंगे और कब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर, बजट पर। या कोई विशेष अवसर हो। यह दो तीन विशेष अवसर होते थे जब दोनों के बीच सुविधाओं का आदान प्रदान होता था और दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाकर तारीख तय होती थी, समय तय होता था। इस तरह से दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए और एक दूसरे के प्रति सम्मान से ज्यादा इन संसदीय परम्पराओं का अनुपालन करते हुये उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उपस्थित रहते थे। यह कई बार प्रश्न उठा है कि नेता सदन इस सदन में जैसे पहले मुख्य मंत्री उपस्थित रहते थे, जैसे उदाहरण के लिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहले दिन 12.30 बजे सदन बैठा, नेता सदन अनुपस्थित थे, जब यह तय हो गया कि नेता प्रतिपक्ष आज बोलेंगे और यह माननीय नेता सदन को पता था हम जानते है। कि आजकल औचक निरीक्षण चल रहा है वह कितना सार्थक है और पूर्वघोषित है तो फिर वह औचक कैसे हुआ यह समझ में नहीं आता जब पूर्वघोषित रहता है कहां जाएंगे किस गांव में जाएंगे किस जिले में जाएंगे तो फिर औचक कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जब दोनों को पता था, तो अगर नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे और नेता सदन अनुपस्थित रहेंगे और नेता सदन बोलेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष अनुपस्थित रहेंगे, यह दोनों का परस्पर एक दूसरे के प्रति असम्मान है जो भी परिस्थितियां रही हों और उससे भी ज्यादा परम्पराओं के प्रति उपेक्षा का भाव है। इसलिए इस पर विचार कर लें, कल बोलना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण नहीं बोल पाए, आज का समय पहले से तय था तो इसमें कोई रास्ता निकाल सकें, समन्वय से आगे के लिए कोई निर्देश दे सकें, क्योंकि बजट के भाषण पर भी यही होगा। जिससे कि आगे यह परम्परायें टूटती हुई या एक दूसरे के प्रति असम्मान प्रकट करते हुए न दिखें। जानते हुए न आना यह असम्मान है सही अर्थ में यह असम्मान है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नेता प्रतिपक्ष स0पा0 के नेता नहीं है पूरे प्रतिपक्ष के नेता है। मुझे यह गौरव प्राप्त है जब मैं चुनकर आया था और मैंने कार्य-स्थगन का मामला सदन में उठाया था तो दो बार चौधरी चरण सिंह जी ने हमारा खड़े होकर समर्थन किया था जबकि मैं उस समय जनसंघ में था, उन्होंने कहा कि नहीं इस लड़के का कथन ठीक है इसका कार्य-स्थगन स्वीकार होना चाहिए और चेयर से मेरा कार्य-स्थगन स्वीकार होकर के उस पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। यह स्वस्थ परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है अब बैठें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

लेकिन अब परम्पराएं व्यक्तिगत राग द्वेष में आ गई है यह उचित नहीं है इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है तो मैं चाहूंगा कि इसमें आपका मार्गदर्शन मिले इसमें भविष्य के लिए आपके निर्देश हो जाएं, ताकि समस्या का समाधान हो जाए। आपका मार्गदर्शन इस परिस्थिति से बचा सकता है यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक अनुरोध करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष से, माननीय चौधरी साहब, जहां तक व्यवस्था की बात है इसमें कोई व्यवस्था नहीं है मैं एक अनुरोध करूंगा नेता प्रतिपक्ष से, नेता प्रतिपक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, जो भी परिस्थितियां हों, वास्तव में संसदीय व्यवस्था जो है, जो संसदीय परम्परायें सदन की हैं, आप सबने उन भावनाओं का आदर किया है, मानीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, होना चाहिए, मैं पक्षधर हूं, यह परम्परायें मजबूत हों, सदन मजबूत हो, हमारी गरिमा रहे, लेकिन इन सबके बावजूद भी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखें यह मेरा अनुरोध है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

भविष्य में उपस्थित रहें नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री तो सुन ही रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय नेता सदन आ जाएं अपनी सुविधा से तभी हमारा भाषण करा दीजिएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

उनको जब सुविधा हो, हम आग्रह नहीं करते उनको जब सुविधा हो तब नेता प्रतिपक्ष का भाषण करा दें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, मैं सभी दलों के नेताओं से अनुरोध कर रहा हूं ठीक है नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही हमारे सदन के महत्वपूर्ण अंग है जिनकी बदौलत सदन की कार्यवाहियां चलती हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष बोल लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम विपक्ष में हैं लेकिन संख्या के बल पर इस सदन की परम्परायें नष्ट की जा रही हैं। व्यवस्था आपको देनी हैं नेता सदन से आग्रह करने के बजाय मान्यवर आपने नेता प्रतिपक्ष से ही आग्रह किया है और नेता सदन, जिनकी सुविधा से ही तिथि तय हुई थी अगर आपने इसको ठीक नहीं समझा है तो जैसा मैंने अनुरोध किया आप इस पर विचार करेंगे, आप हमारे संरक्षक हैं लेकिन ऐसी अपमान जनक स्थिति में श्रीमन् जिसमें पूरे प्रदेश की जनता का अपमान हो रहा है उसमें आज इस सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए नेता विरोधी दल के क्षुब्ध होकर जाने की स्थिति में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन किया)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, आप कार्यवाही पूरी करा लें, हम लोग भी बाहर जा रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन से बहिगर्मन कर गए)

श्री अध्यक्ष-

चलिए, संशोधन प्रस्तुत हो चुका था। माननीय नेता प्रतिपक्ष का संशोधन मैंने प्रस्तुत मान लिया है। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा है, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को अपना भाषण सदन में रखना था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

हम बात कर लेते हैं। अभी 15 मिनट के लिए मैं सदन को स्थगित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 25 मिनट पर वस्तुस्थिति पर विचार करने के लिए सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित

किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। सदन की कार्यवाही 2 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

हमने उन्हें आमंत्रित किया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दूसरे मा0 सदस्य कोई बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

अब वह उप नेता हैं, वकार साहब हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के पास आज कुछ कहने के लिये है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित किया है, वह नहीं हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसी दूसरे मा0 सदस्य को, भाजपा के सदस्य को बुला लें। अब तो ऐसी कोई बात है नहीं। मान्यवर, किसी दूसरे मा0 सदस्य को बुला लें।

श्री वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसी दूसरे मा0 सदस्य को बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

आप सही कह रहे हैं, सदन चल रहा है, हम मौन होकर तो बैठेंगे नहीं। इस कार्यवाही को हम इतना रोक नहीं सकते।

(तत्पश्चात् नेता प्रतिपक्ष ने सदन में प्रवेश किया और आसन ग्रहण किया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार जब से बनी है और सरकार बनने के बाद मा0 नेता सदन ने बहुत-बहुत लंबी-लंबी घोषणायें की हैं और कहा कि हम उत्तर प्रदेश के विकास की दर बढ़ायेंगे। विकास की दर 10 प्रतिशत तक ले जायेंगे, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश को पता हो गया है कि विकास की दर 7 प्रतिशत से ऊपर नहीं हुई है और कहा कि हम जनता की आय को बढ़ायेंगे, प्रति

व्यक्ति की आय बढ़ायेंगे। केन्द्र सरकार की जितनी आय है उसके बराबर हम ले जायेंगे लेकिन आय आज जो दिखाई गयी है कि 18 हजार प्रति व्यक्ति की आय हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 15 हजार से 18 हजार हो गई है। 3 हजार बढ़ी दिखाई गई है। ये सरकारी अधिकारियों ने आंकड़े पेश किये हैं। कितने सच्चे हैं ये आंकड़े, यह तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ ही रही है। महंगाई भी बढ़ी है। इस समय में जबरदस्त महंगाई बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश विकास के मामले में बहुत पीछे है। अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास के दर्पण में आज केवल प्रश्न ही है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? आज उत्तर प्रदेश में लूट-खसोट के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है और यहां तक कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और यहां तक कि किसानों के बारे में भी सरकार ने कहा था कि हम कृषि की भी विकास दर को बढ़ायेंगे। इन्होंने कहा था कि हम इसे 5.2 तक ले जायेंगे। कृषि की विकास दर 5.2 प्रतिशत तक ले जायेंगे और आज जब मैंने पढ़ा और जब पता किया तो कृषि की विकास दर 1.2 प्रतिशत है, इतनी तो कृषि की उपेक्षा है तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस सरकार के आने के बाद विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया है और आज कानून-व्यवस्था की तो यह हालत है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। उत्तर प्रदेश में हत्याएं, लूटें और महिलाओं के साथ बलात्कार और यहां तक की रेपों की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंसने पर)

हंस लो, हंस लो, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है और सरकार हंस रही है और माननीय अध्यक्ष जी इनको कोई चिंता नहीं। इनमें भी बहुत-से बलात्कारी हैं, जो आज हंस रहे हैं। माननीय नेता सदन को तो फुर्सत ही नहीं है किसी की समस्याओं को सुनने की उन्हें फुर्सत ही नहीं है। अभी आपने देखा ही है कि अलीगढ़ में कुछ महिलाएं अपनी शिकायत करने आई थी, वहां मंत्रियों के द्वारा, अब तो आपको पता हो गया होगा और अब तो आपने अखबारों में भी पढ़ लिया होगा कि सुमन सागर नाम की महिला केवल शिकायत करना चाह रही थी कि ब्लाक प्रमुख के चुनाव में उसके पति को ब्लाक प्रमुख बनाने के लिए केबिनेट मंत्री साहब ने 30 लाख रुपये उसे ब्लाक प्रमुख बनाने के लिए ले लिये थे। ब्लाक प्रमुख बनाने का उससे वायदा कर दिया था। यह शिकायत करने आई थी महिला और दूसरी जो महिला आई थी, उसका पति जो अवर अभियन्ता था नल-कूप विभाग में, उसके पति का अपहरण हुआ फिर हत्या हुई और अभी तक एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई, तो वह शिकायत करने आई थी माननीय मुख्य मंत्री जी से और इसी तरीके से शीलू काण्ड जो बांदा में हुआ, शीलू का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ बसपा के विधायक के द्वारा और उल्टा उसी शीलू लड़की को ही जेल भेज दिया गया, झूठे मुकदमें में, फिर हाईकोर्ट के द्वारा उसकी जमानत हुई, अगर समाजवादी पार्टी के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो फिर शीलू को न्याय भी नहीं मिलता। इसी तरीके से दिव्या काण्ड भी हुआ कानपुर में, भारतीय ज्ञान स्थली कालेज के प्रबन्धक का बेटा जिसने दिव्या के साथ बलात्कार भी किया और बलात्कार करने के बाद उस लड़की की हत्या भी हो गई और इस तरीके से कानपुर में कई घटनाएं हुई नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और उनकी हत्या हुई और इसी तरीके से इटावा में, इटावा में सोनम उर्फ प्रीती नाम की लड़की चार महीने पहले उसकी शादी हुई थी और एक बार नहीं चार महीने के अन्दर कई बार उस लड़की के साथ बलात्कार के साथ-साथ कई बार रेप हुआ।

(कई सदस्य हंसने लगे)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों सुनें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उसके बाद जब किसी तरीके से उसने अपनी मां और अपनी भाभी को सूचना दे दी तो उसके परिवार के लोग आये, जब उसके परिवार के लोग आये थाने पर शिकायत की और थाने पर केवल इतना कहा कि हमारी बहन को हमारे साथ घर भेज दो, केवल इतनी सी बात थी और उसके घर वाले पुलिस चौकी पर ही पड़े रहे और उसके बाद जब उस लड़की के पति ने सल्फास खा ली, यह पुलिस चौकी के इन्चार्ज को पता था, लेकिन भर्थना के विधायक का दबाव था, इसलिए दबाव में उसकी एफ0आई0आर0 भी नहीं लिखी जा रही थी और सोनम जो 19 साल की लड़की है मान्यवर, उसके पति ने सल्फास खा करके हत्या कर ली और उसके बाद सोनम के खिलाफ ही झूठा मुकदमा लिख करके उसको जेल भेज दिया। मान्यवर, सोनम को अपना पति भी खोना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा और उसके साथ बलात्कार भी हुआ। मान्यवर, तीन-तीन सजायें उस निर्दोष लड़की को दे दी गयी। अगर दबाव न होता तो यह बात खुलती भी नहीं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वहां के चौकी इंचार्ज ने उसकी बात सुन ली होती, वहां के एसओ ने सुन ली होती और अगर वह लोग उसे न्याय दिला देते तो न तो उसको अपने पति को खोना पड़ता और न ही जो उसके साथ हुआ है वह होता और उसे जेल भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन नेता सदन को कहां फुर्सत है इन सब बातों को देखने सुनने की। आपके पास कितनी शिकायतें आयी हैं। मान्यवर, मेरी जानकारी में भी नहीं था। मैं जब इटावा गया तो प्रेस वालों ने मुझे बताया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि यह शीलूकाण्ड से भी बड़ा काण्ड है। उस लड़की के साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि उसके भाईयों को भी जेल में डाल दिया गया है उसके रिश्तेदार को जेल में डाल दिया गया है। जब प्रेस वालों ने मुझे बताया और जब जिला जेल में मैं उनसे मिलने गया तो उसके पिता भी साथ में थे। मैं उसके भाईयों से मिला और सोनम ने पूरी घटना बतायी।

मान्यवर, चार महीने पहले उसकी शादी हुई है वह तीन महीने से प्रेगनेंट थी। मान्यवर, ऐसी घटनायें पूरे प्रदेश में हो रही हैं। कल ही घटना हो गयी। एक घटना फतेहपुर में हो गयी। एक घटना कल हुई, पूनम मौर्य नामक लड़की है 16 साल की लड़की है कक्षा 11 में पढ़ती है उसके साथ भी यही घटना हुई। वह आज जिन्दगी और मौत से जूझ रही है लेकिन सरकार को उसकी कोई चिन्ता नहीं है। अगर ऐसी घटनायें हुई हैं तो नेता सदन को उनमें से कुछ घटनाओं में जाना चाहिये था। कल कानपुर से जब मैं लौट रहा था और जब मैं मौके पर अस्पताल में गया तो यह जानकारी मिली कि माननीया मुख्य मंत्री जी वहां जायेंगी। मैं वहां दो घंटे विलम्ब से गया ताकि माननीया मुख्य मंत्री जी वहां से हो आयें और सब कुछ देख लें। लेकिन वह नहीं गयी। माननीया मुख्य मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनके पास सुबह से शाम तक एक ही काम है सम्पत्ति को बढ़ाओ। जितनी भी सम्पत्ति है उसे और बढ़ाओ। आज मान्यवर, पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। कमीशनखोरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में विकास की क्या हालत है यह सबको पता है। उत्तर प्रदेश में जो बजट है वह तो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पा रहा है। पिछले साल भी मैंने कहा था

बजट भाषण में कि बजट को पास कराके क्या करेंगे जब वह खर्च ही नहीं होता है। पचास प्रतिशत भी खर्च नहीं हो पाता है। जो बजट पिछले साल खर्च किया गया है किसी विभाग में 30 प्रतिशत किसी विभाग में 40 प्रतिशत खर्च हुआ है। यह आपको देखना चाहिये। उसके ऊपर भी कमीशन खोरी मची हुयी है। आप सबको पता है कि आज एक तरफ सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ से टूट रही है, वह उखड़ रही है। यह सब तो आपको देखना चाहिये था। आज सबसे ज्यादा हालत खराब है किसानों की। गन्ने की हालत क्या हो रही है। गन्ने का एरिया सीमित होता जा रहा है। पिछले साल गन्ने का मूल्य मिल रहा था 195 रुपये उससे पहले अधिक मिल रहा था और आज उसकी क्या मांग हो रही है। यह देखना चाहिये और इस वर्ष 205 और कितना मिला, अक्टूबर में चीनी मिल चल जाते थे कब से चीनी मिल चले ? यहां तक कि 11 चीनी मिलें औने-पौने में बेच दिये गये। केवल मतलब है मुख्य मंत्री जी का कि केवल सम्पत्ति बढ़ाओ, पूरा मंत्रि-मंडल लगा है सम्पत्ति बढ़ाने में, कमीशनखोरी, हर चीज में कमीशनखोरी मान्यवर, अगर जांच हो जाय तो कोई नहीं बच सकता है और यह उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है इसका एक-एक पैसे का हिसाब होगा और जनता लेगी हिसाब और होना भी चाहिए, एक-एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश की जनता का विकास का पैसा इसकी जिस तरीके से लूट हो रही है इस पैसे की और यहां तक नहीं यह पैसा इकट्ठा होकर, उत्तर प्रदेश का पैसा दूसरे प्रान्तों में जा रहा है, बजट का पैसा जो किसानों के बीच में खर्च होना चाहिए था बिजली मिल नहीं रही है किसानों को, किसानों की लूट गन्ने के बाद धान की लूट, धान का समर्थन मूल्य क्या किसी भी एक किसान को गन्ने का समर्थन मूल्य साढ़े 10 रुपये कुन्तल के हिसाब से मिलना चाहिए था, मिला क्या, किसी एक भी किसान को धान का मूल्य नहीं मिला है वहां पर सरकारी कर्मचारी और बिचौलिये मिल गये हैं।

मान्यवर, किसान अपना धान लाया भी तो उसको दिखा दिया कि तुम्हारे में नमी है और किसान भटकता रहा और भटककर बिचौलियों को 700 रुपये 750 रुपये कुन्तल देकर चला गया अगर इस तरह से है तो मैं सूची मांग रहा हूं मान्यवर, आपको मैंने लिखकर भेजा था कई बार सूचनाएं मांगी, मैंने कई बार सूचनायें मांगी फिर आपको भी मैंने लिखकर भेजा है, आपके निर्देशन के बाद भी, आपके निर्देश के बाद भी नेता प्रतिपक्ष को एक भी सूचना किसी भी अधिकारी ने नहीं दी है। एक भी सूचना नहीं मिली लिखित में, मैंने लिखित में मांगी थी पता नहीं यह सरकार क्या करना चाह रही है। इस सरकार के अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो चुके है और मिल करके अधिकारी और बिचौलिये लूट कर रहे हैं। इस प्रदेश में केवल लूट और लूट से इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल गया है कि विकास का काम कहीं हो नहीं रहा है। कहां से विकास दर बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की खस्ता हालत हो गयी है। इसी तरीके से कोई भी विभाग ले लीजिए। जिस तरीके से किसानों की खस्ता हालत हुई है, दुर्दशा हुई है उसी तरीके से हर विभाग मे लूट पड़ी है कमीशनखोरी। चाहे स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए। परिवहन विभाग में मान्यवर, 60 लाख की एक बस और 600 बसें खरीदी गयीं, चल रही हैं कहीं पर तो एक-आध बस चल रही है, 2-4 बसे चल रही होंगी और यहां तक कि अब तो आ गया होगा बस अड्डे जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं उनका भी अब निजीकरण होगा। प्राइवेट कम्पनी को, किसी न किसी को दे दिया जायेगा। यह हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नकली दवायें बड़े पैमाने पर बन रही हैं। अगर कोई बीमारी हालत में अस्पताल जाते हैं तो वह दवाई कोई असर ही नहीं करती। दिखाने को अभी दिखा देगें कि मैंनें इतने छापे मारे

लेकिन हर अस्पताल में नकली दवायें या बहुत घटिया दवायें मिल रही हैं, जिनका कोई असर नहीं। इसी तरीके से मान्यवर, व्यापारी परेशान हो गया है। वैट कानून लगाकर और इसके साथ-साथ सैट और लगा दिया है। तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। केन्द्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई की चपेट में है लेकिन न तो केन्द्र सरकार को महंगाई रोकने की चिन्ता है न उत्तर प्रदेश सरकार को चिन्ता है।

मान्यवर, सरकार और सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री जी को तो फुरसत ही नहीं हैं और प्रदेश की जनता तो परेशान है ही, जनता के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश विकास के मामले में बहुत पीछे चला जा रहा है। सिंचाई के मामले में बताना चाहता हूं कि सिंचाई और खाद की क्या हालत हुयी है। डी0ए0पी0 खाद बुवाई के समय में नहीं मिली। मिली तो उस पर ब्लैक। इसी तरह से यूरिया खाद गांव में मिल नहीं रही है। बिजली की हालत यह है कि बिजली दो-चार घन्टे से ज्यादा गांव में मिल नहीं रही है। इसकी वजह से फसलें भी चौपट हो रही हैं और अगर फसल पैदा भी हो गयी तो उसे कोई खरीदने वाला नहीं है। धान और धान के बाद गेंहू की यही हालत हो गयी। बिचौलियों, कर्मचारियों, अधिकारियों ने मिलकर के एक क्विंटल भी किसानों का न गेहूं, न धान खरीदा। इसी तरीके से आलू की स्थिति हुयी। आलू में किसी तरह से किसानों ने अपनी मेहनत से पैदा कर लिया है। तो अब 19 रुपया क्विंटल कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने और बढ़ा दिया और अब किसानों को आलू में उसकी कीमत नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से कभी किसानों की बात को इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के विकास का सारा पैसा मुख्य मंत्री जी ने स्मारक मूर्तियों पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अगर यही पैसा बिजली, खाद्य, पानी में खर्च हो जाता तो प्रदेश का विकास होता। अगर इसमें नहीं करते तो दलितों में ही खर्च कर देते तो कम से कम दलितों के पास मकान तो हो जाता। अगर बिजली में खर्च हो जाता तो कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घन्टे बिजली तो मिलने लग जाती। लेकिन स्मारक, मूर्तियों और हाथी जो अनुत्पादक हैं, जिससे कुछ नहीं मिलना हैं, पर खर्च कर दिया गया। सड़कों की हालत तो इतनी खस्ता हो गयी है कि जहां पर भी जाइये, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं-कहीं बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे हैं। बिजली मिल नहीं रही है, सिंचाई के लिए पानी मिल नहीं रहा है, जब बुवाई का समय होता है तो नहरों में पानी नहीं होता, जब लास्ट पानी की आवश्यकता होती है तो नहरों में पानी नहीं रहता है, इसके साथ ही आज डीजल के दाम बहुत बढ़ गये हैं। किसान परेशान है उसकी पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। एक जानवर है नीलगाय जिसे वनरोज भी कहते है आपने उसके आतंक को रोकने के लिए क्या इन्तजाम किये हैं वह पूरी की पूरी किसानों की फसल को उजाड़ रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो दलहन और तिलहन में कुछ बचेगा ही नहीं। क्या कभी इस बारे में भी आपने सोचा है ? किसान इस तरह से परेशान है कि वह आत्महत्या करने लगा है। इसके अतिरिक्त जो किसानों की उपजाऊ भूमि है उसे सरकार द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड की उपजाऊ जमीन जाने से एक किसान ने अभी आत्महत्या की है केवल सात लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मांग रहा था। इसी तरह से टप्पल में दो किसान मारे गये उसकी भी जमीन हाईटेक सिटी के लिए एक्वायर की जा रही थी, वहीं पर तीन किसान मारे गये। इसी तरह से नोएडा में घोड़ा-बछेड़ा गांव के छः किसान मारे गये। किसानों की जमीन को सस्ती दरों पर एक्वायर किया जाता है और उसके बाद उसे हाई रेट पर उद्योगपतियों को दिया जाता है लेकिन किसान को उसकी जमीन का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है, यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में।

बुन्देलखण्ड में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है लेकिन सरकार का और मा0 मुख्य मंत्री का उधर कभी ध्यान भी नहीं गया, यह हालात हैं आज प्रदेश में। मान्यवर, इसी तरीके से उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में बतायें तो बिना पैसा दिये किसी भी स्कूल की मान्यता नहीं मिल सकती, सभी के रेट बंधे हुए हैं। अगर विधायक भी किसी स्कूल की मान्यता के लिए जाता है तो उससे भी कह दिया जाता है कि हम तो छोड़ देंगे लेकिन ऊपर वाले नहीं छोड़ेंगे। मुख्य मंत्री जी पता नहीं आपके पास कितना आता है ? कई मंत्री ऐसे भी हैं हो सकता है कि वह आपसे थोड़ा-बहुत पीछे हों, कई मंत्रियों ने ऊपर जाने के नाम पर बहुत उगाही की है। मान्यवर, अब तो लोकायुक्त में भी शिकायत हुई, उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लोकायुक्त की रिपोर्ट आ गयी फिर उस पर कार्यवाही में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए जिन मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट है उन मंत्रियो पर कार्यवाही हो। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो इससे साबित हो जायेगा कि पैसा ऊपर भी जा रहा है। पूरा प्रदेश लूटा जा रहा है। मान्यवर, एक नहीं, पूरे विभाग के विभाग लूट लिये गये हैं, हर विभाग में लूट पड़ी हैं। खनिज विभाग में आप सबको पता ही है कितनी लूट मची है, कितनी मंहगाई है ? गरीब आदमी एक कमरा भी नहीं बना सकता है, गिट्टी, रेता, बालू इतनी मंहगी हो गयी है कि आम आदमी एक कमरा नहीं बना सकता है। बालू कहीं-कहीं फ्री मिल जाती थी लेकिन अब वह भी बहुत मंहगी हो गयी है। उसका कारण यह है कि जी0टी0 टैक्स लिया जाता है। पहले यह नहीं था। (सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि गुण्डा टैक्स आपके समय में लिया जाता था।) हमारे समय में गुण्डा टैक्स नहीं लिया जाता था। 4 साल का समय लगभग बीत गया है अब थोड़े दिन बचे हैं। चिन्ता मत करो, जनता आपको बता देगी और एक-एक पैसे का हिसाब हो जायेगा। देख लेना, जनता जब सड़कों पर निकलती है तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। बहुत बदनाम हो चुके हो।

मान्यवर, राजस्व की भी बहुत हानि हो रही है, क्या विकास करोगे, जब राजस्व ही नहीं है ? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के बनने से पहले उत्तर प्रदेश पर क्या कर्जा था ? एक करोड़, 10 लाख करोड़ रुपये का, उसमें भी हमारी सरकार ने कर्नाटक की तरह उस कर्जे को लौटाना शुरू कर दिया था और आज के 3 साल के बाद इस उत्तर प्रदेश पर एक करोड़, 90 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। यह पैसा कहां जा रहा है, विकास हो नहीं रहा है ? कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो फिर क्या उत्तर प्रदेश को गिरवी रखना चाहते हो। अगर इस तरह से कर्जे बढ़ते गये तो प्रदेश और देश दोनों गुलामी की तरफ चले जायेंगे, कर्ज लेकर विकास किया होता तो मान भी सकता था किन्तु विकास हुआ नहीं तो फिर कर्जा क्यों बढ़ा ? मैं पूछना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इतना कर्जा क्यों बढ़ा ? केवल पत्थर, स्मारक, मूर्तियां लगाने के लिए। बिजली मिल नहीं रही है, खाद्य, बीज मिल नहीं रहा है, सिंचाई हो नहीं रही, क्या हो रहा है इस उत्तर प्रदेश में। दवा मिल नहीं रही है, लोग बीमारी से मर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। ट्रांसफर-पोस्टिंग में अभी आपको पता ही है एक टीचर उमा यादव, कानपुर की लड़की थी। उसके पति बहुत अच्छे वकील थे, उसे कितना अपमानित किया गया। वह डी0एम0, एस0डी0एम0 और बी0एस0ए0 से भी मिला और एक बार नहीं 6 महीने के अन्दर 8 बार उस महिला टीचर का ट्रांसफर। वह वहीं पर फर्रूखाबाद में रहती थी, उसको सस्पैंड भी कर दिया गया। इतना ईमानदार

वकील, अच्छा वकील, काबिल वकील, सीनियर वकील जब उसकी बात नहीं सुनी गई अपमानित किया गया उसने आत्महत्या कर ली जब आत्महत्या के बाद उसका सोसाइड नोट मिला तो उसमें माननीय मंत्री जी का नाम लिखा कि मंत्री जी ने मुझे अपमानित किया उसकी वजह से मैं सोसाइड कर रहा हूं। यह हालत है मुख्य मंत्री जी किसी की नहीं सुनती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी विपक्ष के किसी विधायक की अभी तक कोई बात सुनी गई एक-आध चापलूसी करने वाले जो आगे पीछे लगे रहते हैं उनकी बात भले सुनी गई हो लेकिन जो स्वाभिमानी है उसकी बात नहीं सुनी गई किसी की बात नहीं सुनी गई न सुनी जाती है। मान्यवर, यहां तक कि माननीया नेता सदन से माननीया मुख्य मंत्री जी से विपक्ष के तो शायद कुछ ही लोग होंगे सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। परेशान हैं कोई भी समस्या हो बात सुनी नहीं जाती है। अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं। परम्पराओं का हाल यह हो गया है देखते ही रहे आप भी जान रहे होंगे जनता जान रही है परम्पराएं खत्म हो चुकी है थानों का क्या हाल है थाने बिक रहे हैं थानों पर कोई बात सुनी नहीं जा रही है थानों पर अगर सुनी जाती तो इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो सकता था अगर थाने सुन लेते।

नेता प्रतिपक्ष की बात अधिकारी नहीं सुनते हमने कई अधिकारियों को बुलाया आपसे भी शिकायत की है लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया और हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। यह हाल उत्तर प्रदेश में है हमारे विपक्ष में भी कई सीनियर विधायक हैं मंत्री भी रहे हैं क्या उनकी बात कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। इसलिए ला एण्ड आर्डर की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त है। बेईमानी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मंहगाई बढ़ती जा रही है यह हालत है प्रदेश के मंत्री और मुख्य मंत्री जी अपनी सम्पत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। जो सम्पत्ति इकट्ठी हो रही है जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वह दूसरे प्रदेशों में, हवाला के माध्यम से बाहर भी जा रहा है। विदेशों में भी जमा है इन सबकी जांच होनी चाहिए सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए जो विदेशों में अधिकारियों ने पैसा जमा किया है यह पैसा विदेशों मे पहुंच गया है दूसरे प्रान्तों में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की गिनती बहुत पीछे हो गयी है तीन चार साल में इतना पीछे हो गया है लोग पूछने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है यहां तक कि बहुत सी समस्याएं हैं, अल्पसंख्यकों की समस्यायें हैं, बुनकरों की समस्याएं हैं सूत कितना मंहगा होता जा रहा है क्या बुनकरों को 20-22 घण्टे बिजली मिल रही है। जो हमारी सरकार ने फ्लैट रेट पर बिजली 65 रुपए प्रति लूम के हिसाब से नहीं घोषित की होती। तो क्या होता बुनकर भाइयों का। सूत इतना महंगा। इसी तरह से हजारों उर्दू मुअल्लिम बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको ज्वाइन करवाना चाहिए था। अल्पसंख्यकों की बात सुनेंगी नहीं, किसानों की बात सुनेगी नहीं। बुनकरों की कोई बात होगी नहीं किसी की बात नहीं होगी। हजारों लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं उनको काम मिलेगा नहीं। पुलिस या किसी भर्ती में जायेंगे और उनको नौकरी मिलेगी नहीं वहां पर जायेंगे भर्ती के लिये तो कोई व्यवस्था होगी नहीं। उन पर डंडे चलाये जायेंगें। अभी यहां बरेली में आई0टी0बी0पी0 की भर्ती में जो हुआ। वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह व्यवस्था नहीं की गई। जिस वजह से वहां पर लड़के मारे गये। अभी तक सरकार ने उनके परिवार को आर्थिक मद्द जो करनी चाहिए थी नहीं की है। मैंने तो सुना नहीं कि इन्होंने उनके परिवार को कोई आर्थिक मदद दी हो। सरकार की अव्यवस्था के कारण जो बरेली में नौजवानों के साथ घटना हुई है वह बहुत निन्दनीय घटना है। अगर वहां व्यवस्था हो जाती

तो इतने लड़के नहीं मरते। मगर वहां व्यवस्था नहीं होगी ? जब मुख्य मंत्री जी औचक निरीक्षण पर जायेंगी तो पूरी फोर्स इनके पीछे लगी रहेगी। सबसे ज्यादा खतरा तो इन्हें है। जब महिलाएं मुख्य मंत्री जी को रोक कर अपनी शिकायत करनी चाह रही थी वहां पर तो उनकी बात नहीं सुनी। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर थोड़े मिनट के लिये रुक जातीं, उनकी बात सुन लेती अगर टाइम नहीं था तो डी0एम0 को आदेश दे देतीं कि इन महिलाओं को लेकर मेरे पास लखनऊ आओ। डी0एम0 उनको लेकर आते। कोई व्यवस्था करते। जरा सी तो बात थी उनकी बात की सुनवाई भी हो जाती तो यह जो लुटेरे मंत्री हैं शायद वह भी डरने लगते और वो भी सुनने लगते। आज तो कोई सुन ही नहीं रहा है, न मंत्री सुन रहे हैं न मुख्य मंत्री सुन रही हैं उत्तर प्रदेश की जनता की जो भी समस्या है। कितने कर्मचारी यहां पर आये, आज तक कोई ज्ञापन लिया गया ? पहले तो विधान सभा के सामने कर्मचारी आते थे, अपनी समस्या कहते थे, अपना ज्ञापन दे जाते थे लेकिन अब तो गोमती के किनारे शहीद स्मारक पर यहां से हटाकर और कितने तो बेचारे गोमती में गिरकर जब पुलिस ने डंडा बजाया तो शहीद हो गये। उनकी समस्या तो सुनी नहीं गई। कई बेचारे शहीद हो गये। तो यह किसी की समस्या सुनेंगे नहीं। तो मान्यवर, प्रदेश की जनता के सामने बहुत से ऐसे सवाल हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का जो मखौल उड़ाया गया है। विकास हो नहीं रहा है और कोई इंतजाम ही नहीं है इसलिये मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से साथी इस पर अपने विचार भी देंगें, सुझाव भी देंगें। लेकिन उन सुझावों पर अमल होना नहीं है। पिछले महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो सुझाव दिये गये थे, बजट भाषण पर जो सुझाव दिये गये थे। बजट अभिभाषण पर जो भी सुझाव दिए आज तक एक भी सुझाव पर अमल नहीं हुआ। कोई सुझाव नहीं माना और उनका कोई सटीक जबाव देना चाहिए था कोई सटीक जबाव नहीं आया तो मान्यवर, जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रस्ताव रखा है उसमें संशोधन पर जो भी सुझाव आएं उन पर अमल करना चाहिए और उस पर जितने भी सुझाव रखेंगे उस पर मैं बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अध्यक्ष-

एक अनुरोध है समय एडजेस्टमेंट का, जो माननीय दलों के नेता हैं उनको दस मिनट और जो माननीय सदस्यगण हैं उनको तीन मिनट समय दिया जाएगा उसमें वह अपनी बात रख दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैं दस मिनट से पहले ही खत्म कर दूंगा। मान्यवर, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव दिया हैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। संशोधन प्रस्ताव सुबह स्वीकार कर लिया गया है इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं। मान्यवर यह राज्यपाल के अभिभाषण किसी सरकार की नीति की घोषणा होती है लेकिन मैंने जब इसे सुना पढ़ा तो यह पाया कि यह मात्र पिछले वर्ष की कार्यपूर्ति रिपोर्ट है। इसमें भविष्य की नीतियों के बारे में कुछ नहीं है। यह केवल कार्यपूर्ति रिपोर्ट है। अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी पांच-सात मिनट और रुकती तो मैं। उन्हीं से उनके बारे में बात करता उनकी अनुपस्थिति में उनके बारे में क्या बोलूं। एक वाक्य लिखा है मैं अपना पूरा भाषण केवल उसी वाक्य तक सीमित रखूंगा।

सब लोग ध्यान से सुने और इस वाक्य की सत्यता पर जरा गौर करें। प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण के सृजन से समाज में कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित किया गया है। मान्यवर, एक ऐसा ही सकारात्मक वाक्य 1974 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपना बजट पेश करते हुए लिखा था और वह चीज थी नहीं, उन्होंने लिख दिया कि लागू कर दिया गया है और यह उस तिथि तक लागू नहीं हुआ था। मैं उस पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया। मेरा पहला साल था। मैं बिल्कुल नया-नया था। आधे घंटे तक उस पर बहस होती रही। उसमें श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने भी हमारा समर्थन किया था, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब नहीं जबाव रहा तो खेद व्यक्त किया था। तभी हमारे नेताओं ने हमें बताया था कि बैठ जाओ यही परम्परा है। अब इसके आगे कुछ और बोलते हुए मैं अपनी बात कहूंगा। हम अपने क्षेत्र के गांवों में गए, दूसरे क्षेत्र के गांवों में भी गए, बाराबंकी के एक गांव मे गए। वहां मान्यवर, एक गांव वाले ने बड़ी अच्छी बात कहीं, एक बार कहने में ही उसकी बात को मैंने याद कर लिया। उसने कहा कि इस सरकार की हालत कैसी है, ''डाक्टर है, दवाई नहीं, मास्टर हैं, पढ़ाई नहीं, अफसर हैं, सुनवाई नहीं, दरोगा है, एफ0आई0आर0 नहीं, पहले पैसा, फिर काम।'' उस एक लड़के ने यह सब एक वाक्य में ही कह दिया और यह पूरा परिचय है इस सरकार का। दूसरी बात इसमें कही गई है, 'भ्रष्टाचार मुक्त', तो उसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि इससे पारदर्शी भ्रष्टाचार की कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी और न किसी सरकार ने की होगी, न किसी विभाग ने की होगी। भ्रष्टाचार में पारदर्शिता, मान्यवर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे यहां विधायक निधि में पहले अधिकारी पैसा नहीं लेते थे, अब जे0ई0 ने हमारे कार्यकर्ताओं से कहा कि 3 परसेण्ट, 2.5 परसेण्ट पड़ेगा। एक ने कहा, 20 परसेण्ट कुल खर्च पड़ेगा, मैं न नाम बताऊंगा और न विभाग क्योंकि यह उचित नहीं होगा, रेट फिक्स है, हर जगह, यह सचिवालय की दीवारें, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन निर्जीव होते हुए भी चीख-चीख कर कहती हैं कि किस विभाग में किस कार्य का क्या रेट है। इसलिए मैंने पारदर्शिता की बात कही। किसी विभाग में चले जाइये, रेट फिक्स है, तहसील में चले जाइए, कार्य का रेट फिक्स है। अब खुल्लमखुल्ला हो रहा है, पहले तो टेबुल के नीचे से मांगते थे या किसी दूसरे से बात करते थे, अब खुल्लमखुल्ला है। इसलिए मैंने कहा कि इतनी पारदर्शिता और किसी काम में नहीं है जितनी भ्रष्टाचार में है।

मान्यवर, यह पारदर्शिता वाली भ्रष्टाचारी सरकार है। अपराध मुक्त, भयमुक्त, इस पर कल से चर्चा हो रही है, मैं इस पर केवल एक ही बात कहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से, क्या मा0 मुख्य मंत्री जी भयमुक्त हैं ? मैंने पहले तो नहीं देखा, 1974 से जानकारी में है, 8-10 मुख्य मंत्रियों को देखा है। आज तो देश में उतना आतंकवाद नहीं है जितना आतंकवाद इससे पहले के मुख्य मंत्रियों के कार्यकाल में था। पूरे देश में आतंकियों का आतंक था, अब तो कुछ शांत हो गया है आए दिन घटनाएं होती थी, फिर भी कहा जा सकता है, जो कहावत है कि मुख्य मंत्री जी के पास 'परिंदा पर नहीं मार सकता, व्यक्ति फटक नहीं सकता।' यह बोलेंगे नहीं, यह भी नहीं मिल सकते, मंत्री नहीं मिल सकते, अधिकारी नहीं मिल सकते, जनता को मिलने की तो बात ही अलग है। मान्यवर, चाणक्य और कौटिल्य ने भी कहा है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि 'जिस राजा को राज मद हो, जो राजा अपने अधिकारियों, कर्मचारियों से बिल्कुल घिर गया हो, जो राजा या तो भोग में डूबा हो, जो जनता के लिए उपलब्ध न हो, उसके यहां अन्याय पनपता है, आतंक बढ़ता है और वह शासन

अलोकप्रिय होता है, वह राजा आलोकप्रिय होता है क्योंकि जनता अपनी फरियाद नहीं कर पाती है। अकबर का न्याय हम सब जानते हैं, जो न्यायप्रिय राजा रहा है, उसके दरवाजे पर फरियादी जाता था, आवाज लगाता था तो उसे दरबार में बुलाया जाता था। यहां अभी चर्चा हुई है, आवाज न उठे, मीडिया में आवाज न उठे, विपक्ष आवाज न उठाये इसलिए शायद बलात्कार की शिकार महिलाओं को जेल में जाना पड़ा क्योंकि बलात्कार करने वाले सत्ता के लोग उन्हीं के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लिखा देते हैं और कहा जाता है कि अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त। रोज अखबार उठाइये तो आधा अखबार तो अपराध से भरा पड़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा पन्ना जो लोकल पन्ना है वह अपराध की खबरों से भरा पड़ा है। आज चर्चा किस बात की हो रही है। अगर अपराधमुक्त है तो विधायक क्यों जेल में गये हैं। चाहे वह किसी भी पक्ष का हो अगर वह अपराध कर रहा है तो जेल में जा रहा है। जेल में जगह नहीं है। जेल में जगह क्यों नहीं है इसलिये नहीं है क्योंकि वहां अपराधी भरे हैं तो अपराध हो रहा है तभी तो अपराधी भर गये और कहा जा रहा है कि अपराधमुक्त है। जहां अपराध होगा वहां भयमुक्त नहीं हो सकता। पहले कुछ मंत्री सिक्योरिटी में चलते थे, कुछ मंत्रियों के आगे स्कोर्ट रहती थी अब दो-दो स्कोर्ट लेकर चलते हैं। आगे भी पीछे भी, और उसके पीछे दो-तीन प्राइवेट वाली गाड़ियां। उसमें भी आर्म्स रहते हैं। तो क्या यह भयमुक्त होने का लक्षण है। यह पूरा सदन भयमुक्त है। कोई हो तो हो नहीं तो सब आर्म्स गार्ड लेकर चलते हैं। जब पूरा सदन जो सत्ता का केन्द्र है वह भययुक्त है तो इसमें भयमुक्त कैसे हो गया। इतना गलत बयान महामहिम राज्यपाल से दिलवाना चाहते हैं। कभी मैं महामहिम राज्यपाल जी से मिलूंगा तो कहूंगा कि जैसा लोगों ने पहले दिन कहा कि इसीलिये तो नहीं पढ़ा तो शायद इसीलिये नहीं पढ़ा हो। यानी कि महामहिम राज्यपाल से यह कहलवाया जाये कि यह प्रदेश अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, भयमुक्त, अन्यायमुक्त प्रदेश है, विकासयुक्त प्रदेश है। मान्यवर, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां विकास नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार और विकास दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विकास जहां सही अर्थ में होगा वहां भ्रष्टाचार नहीं पनप सकता। अगर भ्रष्टाचार पनप रहा है तो विकास अवरुद्ध होगा। कल ही बजट में विधायक निधि में लगभग 600 करोड़ देने की बात हुई। सवा करोड़ सभी को मिलता है, उसके हिसाब से अगर मैं अधिकारियों को दे दूं तो हर विधायक का तो 25 लाख रुपये अधिकारियों की पाकेट में चला जा रहा है। अभी डा0 साहब बता रहे थे कि इनके यहां के एक विद्यालय को एक माननीय विधायक ने 63 लाख दिया और एक माननीय विधायक ने 83 लाख दिया। एक प्राइवेट कालेज तो विधायक निधि से बन गया। तो क्या विधायक निधि इसीलिये है।

श्री लालजी वर्मा-

आपने तो करोड़ो में दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

किसी ने भी दिया हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हम आपसे इसीलिये सहमत नहीं हैं कि किसी ने भी दिया हो, अगर ओम प्रकाश सिंह ने भी दिया है तो उनकी भी आलोचना होनी चाहिये। इसे संरक्षण का आधार न बनाओ। जिस दिन हम यह शुरू कर देंगे, उस दिन पारदर्शिता आ जायेगी।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

उनका भी नाम ले लीजिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

नाम नहीं लिया तो इस बात का क्या मतलब है ? नहीं तो दल का नाम ले लीजिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैंने तो दल का भी नाम नहीं लिया। मैंने विधायक को कहा। दल को मैं जानता भी नहीं। न मैंने पूछा न मैं जानता हूं। संसदीय परम्परा क्या है मैं जानता हूं। बात संकेत में कह दीजिये कि बुराई कैसी है। उसका इलाज जरूरी है व्यक्ति नहीं और मान्यवर, गांधी जी कहते थे कि घृणा पापी से नहीं पाप से करो। इसलिये बुराई है, तो इसको दूर करना है तो सब मिलकर चाहेंगे तो यह होगा। इसलिये जब कल यह प्रस्ताव पास हो रहा था और वह प्रस्ताव फिर उठेगा क्योंकि जिस तरह से वह लाया गया है उसके पीछे तथ्य है। वह फिर उठेगा, वह फिर आयेगा। वह अधिकारियों ने अपने संरक्षण के लिये करा लिया है। जैसे भी हो लेकिन मान्यवर, ये प्रदेश न अन्यायमुक्त है, अन्याय से तो भरा हुआ है क्योंकि जब सुनवाई ही नहीं होती तो नीचे अधिकारी अन्याय करता है। तो जब सब जगह भय है, हम सब गार्ड्स लेकर चल रहे हैं और सबसे ज्यादा भयग्रस्त तो प्रदेश की महिलायें हो गई हैं। महिलाओं पर अत्याचार संख्या और आंकड़े से कमबेसी हो सकता है। लेकिन इधर पिछले 6-7 महीने में एक बाढ़ सी आयी है। क्यों आई है ये आप जानो और बहुत होगा तो इसका भी आरोप राजनैतिक विपक्षियों पर लगा दोगे। पकड़े जा रहे हैं आपके विधायक और आरोप लग जायेगा इधर पर। इधर के भी कुछ होंगे, इसलिये मान्यवर, न अपराधमुक्त है, न अन्यायमुक्त है तो भयमुक्त हो नहीं सकता। भ्रष्टाचारयुक्त है पारदर्शिता है। अब मैं चाहूंगा कि जो हमने प्रश्न उठाया, वह इसलिये उठाया कि इसको रोकने पर कुछ न कुछ तो हो। तो इस प्रकार विकास हो ही नहीं सकता। एक बात और मान्यवर, अभी हमने एक पत्र लिखा था प्रमुख सचिव, गृह को, आपको भी लिखा था मान्यवर, आपने भेज दिया होगा उन्हीं के पास। उनका उत्तर मिला है, मैंने ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में कितने गम्भीर आपराधिक मुकदमें लोगों पर से वापस लिये गये। मैंने मात्र यह सूची मांगी थी। क्योंकि जो मुकदमें सरकार वापस लेती है, वह जनहित में लेती है और जनहित में वापस लिये जाने वाले मुकदमें को गोपनीय रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब जहां गोपनीयता है वहीं भ्रष्टाचार है। मुझे यह उत्तर दे दिया मान्यवर, कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया बाधक है। न्यायालय के अन्दर विचाराधीन है इसलिये उसके बारे में बताना न्यायसंगत नहीं होगा। चूंकि आज मैं बहुत बोलने के मूड में नहीं था इसलिये वह कागज नहीं लाया, वरना लाता। मैंने सोचा कि समय बहुत कम है इसलिये बाकी सदस्य लोग भी बोलें। लेकिन हमारे सदस्यों ने कहा कि नहीं आप बोलें। मेरा आरोप है मान्यवर, मान्यवर, मेरा इस सरकार पर आरोप है कि इसने अपराधियों के ऊपर से गम्भीर आपराधिक मुकदमें अपने राजनीतिक हित और संरक्षण के लिये वापस लिया है इसलिये ये बता नहीं रहे हैं और अगर मेरा यह आरोप गलत नहीं मानते हो तो उत्तर देते समय पूरी सूची रख दो सदन के सामने। मुझे सूची नहीं दिया तो नहीं दिया। आप उन मुकदमों को बता दो कि कौन से मुकदमें आपने वापस लिये किसके ऊपर से क्योंकि सरकार हमेशा जनहित में मुकदमा वापस लेती है। जनहित शब्द उसमें जरूर लिखा जाता है। तो जनहित में गोपनीयता कैसी। आप छिपा रहे हो उन आपराधिक मुकदमों को जिनको

आप वापस लिये हो। यही आपके काले मन को, अन्दर के अपराधी मन को व्यक्त करता है। मैं कह रहा हूं, मैंने आरोप लगाया, आप उत्तर दे दो, सूची बता दो सदन को। मैं खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़कर के माफी मांग लूंगा कि मैंने आरोप गलत लगाया है, आपको पीड़ा हुई मुझे माफ करो। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो मैं बार-बार चाहे व्यक्तिगत भाषण हो, चाहे बजट भाषण हो, फिर कहूंगा बार-बार कहूंगा और उस पत्र के साथ आऊंगा।

मान्यवर, आपने इसमें भी व्यवस्था किया, बजट में भी व्यवस्था किया, पिछले में भी व्यवस्था किया था कि बफर खाद का बफर स्टाक बनाने के लिये धन का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में भी किया, इसमें भी किया। मेरी जानकारी में यह पहला वर्ष है जब यूरिया खाद की शार्टेज पूरे प्रदेश में रही। यूरिया खाद की शार्टेज नहीं होती थी कभी। डीएपी, टीएपी इन सबकी तो होती थी लेकिन यूरिया की नहीं होती थी। कहां गया बफर स्टाक का पैसा, क्यों नहीं लोगों को मिल रहा है। आखिर उस बफर स्टाक का हुआ क्या, उस पैसे का क्या हुआ और इसीलिये कल हमने कहा और आज फिर कह रहा हूं कि बजट भाषण में भी यही है कि इस मद में इतना पैसा बढ़ा दिया गया है, उस मद में उतना पैसा बढ़ा दिया गया है। वह सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाने वाला है। विकास नहीं हो रहा है। विकास सत्ता से जुड़े हुए लोगों का हो रहा है। इसमें अगर बुरा मानते हों तो बता दें। धान के क्रय केन्द्र नहीं खुले प्रदेश में। आप कहते हो कि आप किसान हितैषी हो तो धान के क्रय केन्द्र पूरे प्रदेश में क्यों नहीं खुले। कहीं-कहीं नहीं खुले होते तो एक बात थी। हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि धान के क्रय केन्द्र खुलवाओ, सबके क्षेत्र के लोग कहते रहे होंगे कि धान के क्रय केन्द्र खुलवाओ। क्यों नहीं खुले ? क्या कारण था ? कैसे आप किसानों के हित की बात कर रहे हो। खाद मिलेगा नहीं, धान कैसे क्रय केन्द्र खुलवाओ। क्यों नहीं खुले ? क्या कारण था ? कैसे आप किसानों के हित की बात कर रहे हो। खाद मिलेगा नहीं, धान कैसे क्रय किये गये, कागजों पर क्रय किये गये, इसलिये कि मान्यवर, इस सरकार में विकास कागजों पर हो रहा है। अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। वह अन्याययुक्त, अपराधयुक्त, भययुक्त, भ्रष्टाचारयुक्त तथा विकासमुक्त वातावरण वाला राज्य, जिसमें कानून व्यवस्था केवल किताबों में लिखी हुई चीज है।

श्री अध्यक्ष-

समय समाप्त हो गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

और व्यवहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इसलिये मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं संशोधन पर बल देते हुए जो कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं, जो नेता विरोधी दल ने रखे हैं, मान्यवर, मैंने आपसे एक लिखित आग्रह किया है कि चूंकि आज समय नहीं है और मैं चाहता हूं कि नये सदस्य बोल लें इसलिये मैंने कहा है कि मेरा समय तीन सम्मानित सदस्यों में बांट दिया जाए और मैंने उनके नाम भी लिये हैं मान्यवर, कृपापूर्वक श्री राजाराम त्यागी जी, श्री माधव पासवान जी और हमारे एक अन्य सदस्य को बोलने का अवसर दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दो-दो मिनट में बोल लें, राजाराम त्यागी जी बोलें।

श्री राजराम त्यागी-

नेता प्रतिपक्ष के द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, दलितों के साथ उत्पीड़न पूरे प्रदेश में हो रहा है और कोई स्थानान्तरण नीति पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज पहला प्रश्न लगा था हमारा लॉ एण्ड आर्डर के मामले में और उसमें यह उत्तर आया कि आजकल थानों में त्वरित कार्यवाही होती है। मान्यवर, त्वरित कार्यवाही और अपराध नियंत्रण का उत्तर आया। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इसमें साफ कहना चाहता हूं कि सरकार की त्वरित कार्यवाही इस बात से है कि मैं अपने रायबरेली जनपद की बात बताना चाहता हूं, जो इन्होंने उत्तर दिया मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कि त्वरित कार्यवाही होती है वह त्वरित कार्यवाही क्या होती है।

मान्यवर, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं, शिवगढ़ विकास खण्ड में 14 वर्ष की एक लड़की पुष्पा जिसका अपहरण 14 जनवरी को होता है और बार-बार उसका पिता थाने जाता है रिपोर्ट के लिये जाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। जनप्रतिनिधियों के दबाव में 23 जनवरी को यानि 9 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गई, यह है प्रदेश सरकार की त्वरित कार्यवाही। इतना ही नहीं एक बात और बताना चाहता हूं मैं अपनी विधान सभा की ये भी बछरावां विधान सभा की बात बताना चाहता हूं कि एक लड़की उमा 16 वर्ष की है और दूसरी सुनीता 13 वर्ष की कोतवाली महराजगंज जनपद रायबरेली की है और इनका अपहरण हो जाता है और इनके पिता थाने और पुलिस अधीक्षक के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो अदालत के माध्यम से लिखी जाती है और महीनों तक उन लड़कियों का पता नही चलता है। इतना ही नहीं मैं बछरावां थाने की बात बताता हूं मान्यवर, अगर किसी थानें में कोई सामग्री पुलिस के लोग पकड़ते हैं, ग्रामीणों की शिकायत पर तो उसकी लिखा-पढ़ी होनी चाहिये। आज भी आप वहां पता लगवा लीजिये वहां चावल का स्टाक पड़ा हुआ है, ग्रामीणों ने उसे पकड़ा है और उस पर कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई है। वह चावल राशन की दुकान का था, लिखा-पढ़ी इसलिये नहीं की गई कि कोटेदार से मिल करके उन बोरियों को बदल दें और बदल करके फिर दिखा दिया जाए कि ये राशन की दुकान का चावल नहीं है बल्कि ग्रामीणों का चावल है। इतना ही नहीं मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं धान खरीद केन्द्र के बारे में कि सब जगह बैनर लगा दिये गये थे। सारी जगह बैनर लगा दिये गये थे मान्यवर, लेकिन कृषकों से कहीं भी धान खरीद नहीं होती थी। उनको कह दिया जाता था कि जाइये इसमें सफेद धान है, इसमें वह धान नहीं है, जिसे कि सरकार ने मुझे खरीदने के लिये कहा है विवश हो करके किसान मिल मालिकों के पास जाता था जहां से इन खरीद केन्द्रों के लोगों का कमीशन तय था 700 रुपया, 800 रुपया बेचारा किसान वहां बेचता था और 200 रुपये से ले करके 300 रुपये वह कमीशन खरीद एजेन्सियों के माध्यम से सरकार के पास आते थे, मान्यवर, उसकी जांच करा लें और वही खरीद एजेन्सियां फर्जी किसानों का नाम चढ़ा लेती थीं, मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिये। मान्यवर, इतना ही नहीं

स्थानान्तरण नीति के बारे में कोई स्थानान्तरण नीति आपके पास नहीं है, इस सरकार के पास नहीं है, हां एक नीति है कि जहां मुख्य मंत्री जी दौरा करने जाती हैं, चाहे जहां दौरा करने जायं वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी और इसलिये कार्यवाही होगी कि उनकी मंशा नहीं पूरी की उन्होंने सरकार की मंशा नहीं पूरी की उन्होंने इसलिये मान्यवर, कितना भ्रष्टाचार है इस सरकार में, इतना ही नहीं मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है आज पार्क बना रही हैं खूब पत्थर लगाइये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्थर वहां लगाइये हमें वह लिस्ट दीजिये कि देश को आजाद कराने में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका रही है, आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कुछ चले गये हैं, आप उनकी मूर्तियां क्यों नहीं लगाते हैं और कितनी मूर्तियां आपने लगाई हैं और अगर लगाई हैं मान्यवर, तो इस माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में जब माननीय मुख्य मंत्री नेता सदन बोलें तो यह बतायें कि रायबरेली जनपद के या उत्तर प्रदेश के कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की हैं। इतना ही नहीं भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा माननीय अध्यक्ष जी और बता रहा हूं कि गरीबी के साथ अनुसूचित समाज के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है, मैं रायबरेली जनपद की ही बात बताता हूं जहां प्रमाण है, एक राजाराम पासी है सेंहगो का रहने वाला है, एक बिस्वा भी भूमि नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास अमीन आता है तहसील का, वसूली के लिए जाता है, अपशब्द कहता है, प्रताड़ित करता है और उसके लोग जब उसकी पत्नी-बच्चे हमारे पास आते हैं, मैंने वहां के एस0डी0एम0 और तहसीलदार से कहा कि एक बिस्वा भी भूमि नहीं है, इसकी जांच करवाइये, उन्होंने कहा कि इसने किसी कि जमीन बटाई पर ले लिया होगा, मान्यवर, उसने बटाई पर भी नहीं लिया, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है माननीय अध्यक्ष जी कि इस तरीके से सरकार प्रताड़ित करती है और प्रताड़ित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ले जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें, समय समाप्त हो गया है।

श्री राजाराम त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, बस अपनी बात समाप्त करने की ओर हूं, माननीय अध्यक्ष जी एक सी0आर0एफ0 की सड़क हमारे रायबरेली जनपद में बनी, उसको वहां के ठेकेदार और अधिकारी मिल करके खा गये, उसके बाद जब मैं शिकायत करता हूं, हमारा प्रश्न भी आज लगा था तो माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा कि अधूरा कार्य प्राथमिकता पर पूरा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया, दो-दो मिनट का समय निर्धारित है, दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करनी है, मा0 राजाराम त्यागी जी अब आप मत बोलें समय जितना दिया गया है, उसी में संक्षेप में अपनी बात सबको कहनी है, निर्धारित समय के बाद कोई बात लिखी नहीं जायेगी। मदन चौहान जी आप अपनी बात कहें।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, अन्त में संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए चन्द लाइनें कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं :-

''लूटिये प्रदेश को और जश्न मनाते रहिये,
शब्द आदर्श के जन-जन को सुनाते रहिये,
ईमानदारी के गीत खूब गाते रहिये,
चोर से कहो चोरी करे और साहूकार से कहो जागते रहिये।''

*श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही गई बातों से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, संशोधन के रूप में अपनी कुछ बातें आपके समक्ष कहना चाहूंगा। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ोत्तरी हुई और उसका कहीं भी सुधार के रूप में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिक्र नहीं हुआ है। गाजियाबाद में 22 जनवरी को चलती कार में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, मान्यवर, नोएडा में एक अखबार में छपा था 30 तारीख के चौबीस घण्टों में बदमाशों ने सात लोगों को लूटा। मान्यवर, इस तरह की घटनाएं निरन्तर बढ़ने पर और मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि किस तरह से घटनायें बढ़ रही हैं या किसी विशेष क्षेत्र में मैं गढ़मुक्तेश्वर से आता हूं। मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे इंटीरियर में बसा हुआ है। मान्यवर, पिछली जनवरी माह से मैं देख रहा हूं कोई दिन ऐसा नहीं गया जब वहां पर कोई न कोई घटना न हुई हो। लूट, बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ रही है। उसके सुधार के लिये इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।

मान्यवर, सरकारी सेवाओं में सुधार की बात कही गई है। जनहित गारण्टी कानून बनाने की बात कही गई। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी चाहे कम्प्यूटर से खतौनी निकालने की बात हो या कोई अन्य प्रमाण-पत्र की बात हो बगैर पैसे दिये काम नहीं हो पाता है। पटवारी भी खतौनी तैयार कराने के लिये बगैर पैसे लिये काम नहीं करता है। आज सरकारी सेवाओं में कमीशन बढ़ गया है कि बगैर घूस दिये हुए किसी का कोई काम नहीं हो पाता है। किसी अच्छे व्यक्ति के बस में नहीं रह गया है कि वह अपना काम बगैर पैसे दिये करा ले। गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। जिस वक्त 300 रु0 क्विंटल का भाव प्राइवेट मिलें दे रही थीं उस समय सरकारी मिलों में रेट बहुत ही कम था। उसी प्रकार से आज भी स्थिति बनी हुई है। मेरे क्षेत्र में सम्भावली चीनी मिल स्थित है यह गाजियाबाद में है। उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि आज गन्ने की तस्करी हो रही है। जो गन्ने का अधिग्रहण क्षेत्र है जो सीमा है मिल की उसके बाहर के लोग गन्ना 250 रु0 प्रति क्विंटल रेट पर बगैर पर्ची के दे रहे हैं। इस तरह से वहां के गन्ना किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक तरफ तो गन्ने की तस्करी हो रही है, सरकारी राजस्व की हानि हो रही है वहीं हमारे गन्ना किसानों के साथ शोषण हो रहा है उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मेरी मांग है कि गन्ने का मूल्य 350 रु0 प्रति क्विंटल का होना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 पी0 के0 राय पीठासीन हुए)

मान्यवर, विद्युत विभाग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो विद्युत आपूर्ति की कोई गारण्टी नहीं है दूसरी ओर विद्युत विभाग पैसा वसूलने की नीतियों पर चल रहा है। अगर किसी गरीब आदमी को विद्युत चोरी के कारण पकड़ लिया जाता है तो उस पर एफ0आई0आर0 दर्ज होती है उस पर अर्थदण्ड लगाया जाता है जो 20-30 हजार रु0 होता है और उसके बाद शमन शुल्क अलग से लगाया जाता है जो पुलिस की कार्यवाही के नाम पर लिया जा रहा है वह भी 10 से 15 हजार रु0 से कम नहीं होता है। आखिर वह बेचारा जो लकड़ी जलाने के लायक भी नहीं है उस पर लगभग 50 हजार रु0 का शुल्क कुल मिलाकर लगा दिया जाता है। इस तरह से विद्युत कर्मचारियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। यह शासन के निर्देशों पर हो रहा है। मेरा कहना है कि यह शमन शुल्क बिल्कुल ही समाप्त किया जाय। मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जर्जर तारों को बदलने और ट्रान्सफारमर को बदलने आदि के लिये जो हम लोग अपनी विधायक निधि से धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति करते हैं उसमें भी वरीयता से काम नहीं होता है। इसी तरह से यह भी कहना है कि पारिवारिक पेंशन लाभ, शादी अनुदान, विकलांगजनों को कृत्रिम अंग देने, उनकी पेंशन की समुचित व्यवस्था बजट में की जाय।

*श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, आज प्रदेश की हालत बहुत खस्ता है और दिनों-दिन यह स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है। भ्रष्टाचार की बातों पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। जनता को सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो और भी खराब हो गई है। इसको लेकर जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। जनता की माली हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। मेरे जनपद रामपुर में तहसील विलासपुर में सड़कों की हालत बहुत खराब है। मान्यवर, हमारे यहां एक सड़क है विलासपुर-चकफेरी मार्ग है, मान्यवर, वह शहीदों का मार्ग है वह फौजियों का गांव है वह मार्ग जर्जर हालत में है। उसको तुरन्त बनवाया जाय। उसमें लोग चल नहीं सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी तरह से काम करती रही यह सरकार तो वह दिन दूर नहीं कि जनता इनसे हिसाब मांगेगी। आने वाले वक्त में जब यह जनता के बीच में जायेंगे तो इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र में एक विलासपुर तहसील है उसमे खंडिया एक गांव है वहां भाखड़ा नदी के पुल के लिये 4 साल से कोशिश करी जा रही है, 70-80 गांव का रास्ता है वह रास्ता बन्द पड़ा है सरकार को कोई इसका ख्याल नहीं है हालत वहां की खराब है। पार्कों के लिये पैसा है, मूर्तियों के लिये पैसा है मगर जनता की सुविधा के लिये पैसा नहीं है किसान की हालत बद से बदतर हो रही है। गन्ना किसानों का पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे यहां विलासा किसान सहकारी चीनी मिल है उसको बेचने की तैयारी की जा रही है। किसानों की मसीहा कहने वाली यह सरकार ने किसान का बहुत बुरा हाल कर रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा संस्थायें बन्द हैं। रामपुर में कोई ऐसा इण्टर कालेज नहीं है लड़कियों के लिये उन्हें 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। डिग्री कालेज के लिये 4 साल

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से मैं निरन्तर प्रयास कर रहा हूं लेकिन वहां पर नहीं खोला गया है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी चले गये उन्होंने बहुत दिनों से आश्वासन दे रखा था। वहां पर रोडवेज की आवश्यकता है उत्तरांचल से मिला हुआ विलासपुर तहसील है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हालत बहुत खराब है। थानों से दुकानें लगी हुई हैं दलालों की, बेरोजगार मारा-मारा फिर रहा है। जनता परेशान है, युवक परेशान हैं हालत बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र का एक रोजगार सेवक सहदेव यहां पर अपनी मांगों को लेकर धरना देने आये थे लखनऊ में वह 2 दिसम्बर से लापता हैं उसके घर के लोग परेशान हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 6 तारीख के बाद बहुत प्रयास करने के बाद लखनऊ में रिपोर्ट लिखी गई लेकिन आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि वह कहां है। पुलिसिया आतंक का वह शिकार हुआ है पुलिस ने उसको शायद मारकर गायब कर दिया है उसके घर के लोग परेशान हैं और खुदकुशी करने पर आमादा हैं। माता-पिता विलख रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है यह यकीनन झूठ का पुलिन्दा है सरकार का। मैं माननीय नेता विरोधी दल के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री माधव पासवान-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आग्रह है कि अभी इस दल के एक सदस्य को आपने नहीं बुलाया है ओम प्रकाश जी के बाद में 3 बार यह खड़े हुए, नाम भी इनके गये हुए हैं, मेरा आग्रह है कि थोड़ा ध्यान रखें।

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि उस समय माननीय प्रमोद तिवारी जी ने 3 लोगों का नाम यहां पर अध्यक्ष जी के पास दे दिया था इस वजह से कन्टीन्यूएशन में 3 लोगों को बुलाने की बात हो गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, किसको कितना समय मिले यह आपका विवेक है आप तय कर दीजिये कोई आपत्ति नहीं है अनुरोध है कि जिस दल के लोगों ने कल भी अपनी बात रख लिया है ज्यादातर लोगों ने और श्रीमन् उसमें आज जो सबसे बड़ा प्रतिपक्षी दल है उसमें समय नहीं देंगे तो यह तो बोल नहीं पायेंगे। समय सीमा आप जानते हैं कि थोड़ी देर में अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे कि सब खतम, मेरी सुनिये और जाइये तो सब गड़बड़ हो जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कल मेरे दल से कोई नहीं बोला है एक चीज, दूसरी चीज मैंने अपना पूरा समय निर्धारित जो 10 से 15 मिनट का था दे दिया अब आप माधव पासवान जी को, संजय कपूर जी को और लोधी जी को बुलवा दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रमोद जी अपना समय जिस-जिस को देना चाहें उसका पूरा सम्मान है उसको थोड़ा बढ़ाकर दे दीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रमोद जी के पास और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वह जिनको देना चाहते हैं वह श्रीमन् समय रहते दे दें तो ज्यादा ठीक है।

श्री अधिष्ठाता-

यह व्यवस्था देनी है।

श्री माधव पासवान-

जो खोरावर ब्लाक है, सरदार नगर ब्लाक है, उस ब्लाक में 7 नौजवानों की मृत्यु हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उन नौजवानों में 3 अनुसूचित जाति के रहे और 4 बैकवर्ड जाति के थे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उसमें हर नौजवान के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और जो घटना में घायल हुए हैं उनको दो-दो लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाय। मान्यवर, मैं पेपर के माध्यम से उनका नाम भी बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पेपर का संज्ञान यह सदन नहीं लेता। मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री माधव पासवान-

एक सुनील है, एक पुरुषोत्तम है, एक अंगद है, एक शैलेश है, एक दीपक है, एक अजय है।

श्री अधिष्ठाता-

आप पेपर को पढ़ने का काम न करें। आपका समय समाप्त हो गया, अब आप समाप्त करें।

श्री माधव पासवान-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो वहां भर्ती होने गये थे, कमाने की नीयत से गये थे, वह गरीब परिवार के हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिये 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाय। एक बात और बताना चाहता हूं कि 2007 में जब चुनाव हुआ तो मेरे ऊपर गोली चली।

(श्री जावेद अंसारी का नाम पुकार लिये जाने पर)

मान्यवर, यह सरकार कहती है कि यह दलितों की सरकार है। जब मेरे ऊपर गोली चली। मान्यवर, मुझे बताया गया था कि विधान सभा में अगर सदस्य अपनी बात कह दें तो उसकी बात सुनी जाती है लेकिन मैं तब से कहते रह गया। अब वर्ष 2011 चल रहा है। इस सरकार का चार साल बीत गया और एक साल रह गया है। मान्यवर, मैंने आज ही अध्यक्ष जी से कहा कि मुझे आज तक सुरक्षा नहीं मिल पायी। मैंने तो देखा है कि कुछ विधायक ऐसे हैं, जिनको कोई खतरा नहीं है जिन पर कभी गोली नहीं चली है, लेकिन आधा-आधा दर्जन जवान उनके पीछे ए0के0-47 लिये घूमते हैं और जिसके ऊपर गोली चली, उनको एक गनर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब पासवान जी, आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है और मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री राम सागर अकेला जी द्वारा पेश किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर, संशोधन पर बोलने के लिये आमंत्रित किया। अधिष्ठाता महोदय, यह जो अभिभाषण का ड्राफ्ट है, क्योंकि अभिभाषण तो पढ़ा नहीं गया है, इसलिये अभिभाषण का जो ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है, उसके प्रथम पृष्ठ पर ही महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो कहा गया है कि मेरी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर प्रत्येक निर्णय लेती है और उसके बाद कहा गया कि सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त हर प्रकार की गैर बराबरी को बदलकर समतामूलक समाज की स्थापना करने का है। यह दो इतने लुभावने शब्द हैं इस अभिभाषण के, लेकिन पूरा अभिभाषण पढ़ लेने के बाद मैं सिर्फ एक विषय की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पूरे अभिभाषण में महामहिम जी ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के बारे में उनके हितों के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में, उनके विकास के बारे में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कहीं है जिससे कम से कम देश की जो 22 फीसदी आबादी है उसको कहीं जाकर संतोष मिल पाता। अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार के पास भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है उनकी तरक्की के लिये, उनकी भलाई के लिये, उनके विकास के लिये सरकार के पास कोई सोच नहीं है। रोजी रोटी से जोड़ने के लिये कहीं भी इस तरह का प्रयास नहीं किया गया है ऐसी कोई योजना सामने लाई गयी होती जिससे यह समझा जा सकता था कि अल्पसंख्यक समाज के लिये यह सरकार कहीं से गम्भीर है कम से कम मुअल्लिम उर्दू की मांगों को लेकर कल से सदन के अन्दर हो रही है। अगर इन बेसहारा, बेरोजगार नौजवानों को बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता देने की बात सरकार ने मान ली होती तो समझा जाता कि कहीं न कहीं सरकार इनके प्रति गम्भीर है। मान्यवर, मदरसे, जिनके बारे में बहुत कहा जा रहा है कि मदरसों के बारे में सरकार ने निर्णय लिये हैं, अनुदानित किये हैं लेकिन मदरसों को अनुदानित करने का जो शोर है उसका सबसे बड़ा ज्वलन्त प्रमाण यह है कि मदरसों में शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाहें तक नहीं दी जा रही हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों में विषयों के अध्यापकों को बढ़ाने का मामला वर्षों से सरकार के पास लम्बित है लेकिन आज तक उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है, हम उस समाज से आते हैं, आज बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं और बुनकरों के बारे में तमाम तरह की आवाजें सदन में और सदन के बाहर उठायी जाती हैं, लगातार बुनकर धरना दे रहा है लेकिन उनको राहत देने के बजाय सिर्फ उनको लाठियां दी जा रही हैं, उनको गालियां मिल रही हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अंसारी जी कृपया समाप्त करें।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

मान्यवर, अरबी, उर्दू, फारसी विश्वविद्यालय के नाम पर उनके साथ छलावा किया गया है। आज तक उनका सत्र तक शुरू नहीं किया गया है और इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय की घोषणा करने के बाद भी बजट में इसके लिए मात्र 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

मान्यवर, छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें अगड़े और पिछड़े के नाम पर पक्षपात किया जाता है और नवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें, क्योंकि मा0 अध्यक्ष महोदय ने केवल दो मिनट का समय निर्धारित किया है, इसलिए अंसारी साहब कृपया समाप्त करें। अब आपका नोट नहीं किया जायेगा।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता-

मा0 करवरिया साहब आप प्रारम्भ करें।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

[× × ×]

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कानून द्वारा कानून का राज यह इस पुस्तक में मोटे-मोटे शब्दों में छपा है, मैं इसी सम्बन्ध में कुछ आंकड़े सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मात्र इलाहाबाद में 9 सितम्बर, 2010 को चौक स्थित सर्राफा व्यवसायी के यहां लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लूट हुई। मान्यवर, एक घटना और 5 अक्टूबर, 2010 को फाफामऊ थाना सोरांव के अन्तर्गत एक कम्पनी के मुनीम से 5 लाख रुपये की लूट की गई। इसी प्रकार से 9 दिसम्बर, 2010 को थाना नैनी के यूको बैंक के ए0टी0एम0 से 18 लाख रुपये लूट कर ली गई। इसके पूर्व एक व्यापारी चेतन सांवला की भी हत्या करके लाखों रुपये लूट कर ली गई। इन घटनाओं के अलावा चोरी, हत्या एवं महिलाओं के साथ अभद्रता की जो भी घटनाएं घटीं वह तो समाचार-पत्र में छपती रहती हैं।

मान्यवर, 2011 की शुरुआत के पहले ही माह में 12 जनवरी को इलाहाबाद के ध्रुव अग्रवाल नामक एक व्यवसायी के यहां डकैती पड़ी और उसमें 5 करोड़ रुपये लूट हो गई, उसकी हत्या भी कर दी गई। जितने सी0सी0टी0वी0 कैमरे व अन्य सारी चीजें लगी थीं जिससे ट्रेस हो जाय कि किसके द्वारा किया गया कार्य है, मान्यवर, इतनी दबंगई से उस लूट को किया गया कि सी0सी0टी0वी0 कैमरा

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक भी उठाकर ले गये। हमारे ही पार्टी की पूर्व कोषाध्यक्ष, शशि वार्ष्णेय रही हैं। रात में उनके घर चोरों ने सेंध डाला और सेंध डालकर चोरों ने उनके जेवर व नकदी सारा का सारा उठाकर ले गये। मान्यवर, बाबूगंज बाजार थाना फूलपुर के शिव मंदिर से लगभग 22 लाख रुपये सम्पत्ति की चोरी हो गयी, जिसमें त्रिशूल व ऊपर सोने का कलश था वह शामिल है। मान्यवर, सरकार कहती है कि आपराधिक घटनायें घटी हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, वर्ष 2008 में डकैती की 111 घटनायें हुईं और लूट की 1552 घटनायें हुईं। इसी प्रकार से सन् 2009 में 152 डकैती की घटनायें हुईं और 1717 लूट के मुकदमें दर्ज हुए। वर्ष 2010 में इसमें वृद्धि हुईं, 170 डकैती की धटनायें हुई और 2007 लूट की घटनायें हुईं। मान्यवर, इसमें दिन-प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होती चली गयी। अभी एक दिन मैं देख रहा था, गाजियाबाद के डी0आई0जी0 का बयान आ रहा था कि पिछले वर्ष कुछ ऐसी घटनायें घटीं जिसमें लगभग 300 पुलिस के कर्मचारी ऐसे पाये गये जिनका किसी न किसी आपराधिक घटना में इन्वाल्वमेंट रहा है। मान्यवर, जब पुलिस का इन्वाल्वमेंट इस प्रकार की घटनाओं में रहेगा तो फिर किससे हम उम्मीद करें कि इन घटनाओं को रोका जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिकन्दरा बलिया में फिर सर्राफा व्यापारी की इसी माह के 3 तारीख को गोली मार कर उसका बैग लूट लिया गया। मान्यवर, पुलिस-प्रशासन का यह हाल है कि कहीं पर शराब पीकर सिपाही और दारोगा चौराहे पर पड़े मिलते हैं और अपने कपड़े उतराते हैं और कहीं-कहीं थाने में .... (श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर) मान्यवर, आपने लालबत्ती जला दी, अभी तो मैं एक मिनट भी नहीं बोल पाया हूं।

श्री अधिष्ठाता-

करवरिया जी, आपका एक मिनट बहुत भारी हो रहा है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, कहीं-कहीं पर थाने में उस जिले के जो एस0एस0पी0 हैं वह लोगों का कपड़ा उतरवाने का काम करते हैं। मान्यवर, कोई भी विकास होना चाहिए उसको रोजगारपरक होना चाहिए न कि उससे बेरोजगारी पनपे। भूमि का अधिग्रहण, जो किसानों की उपजाऊ भूमि है सरकार उसका अधिग्रहण कर रही है। विकास के कार्य होने चाहिए, उससे हम सभी लोग सहमत हैं। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में और मेरे पड़ोस की विधान सभा क्षेत्र करछना में पावर-प्रोजेक्ट के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया। लगभग 514 हेक्टेयर भूमि, 8 गांवों में 1600 किसानों की उपजाऊ भूमि ली गयी जो करछना में है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करिये।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, भूमि ले ली गयी, सबको मुआवजा दे दिया गया, सारी चीजें हो गयीं। बारा में तो प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो गयी थी लेकिन करछना में एक ऐसी स्थिति आयी कि शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण वहां पर एक आन्दोलन ने रूप ले लिया और उस आन्दोलन में वहां का जो आम किसान है वह शामिल नहीं रहा जितना सोनभद्र से एक नक्सलवादी संगठन के नेता, उनका नाम दीनानाथ क्रान्तिकारी है, उन्होंने आ करके शासन-प्रशासन की जानकारी होते हुए भी, वहां भूख-हड़ताल

करके और लोगों को उग्र करके आन्दोलन को हिंसक बनाने का काम किया। उसमें एक व्यक्ति विश्वकर्मा की मृत्यु भी हो गयी। मान्यवर, भूमि अधिग्रहण हो, विकास के कार्य हों, हमारा उससे इंकार नहीं है लेकिन कम से कम भूमि अधिग्रहण के बाद जिस प्रकार से नक्सलवादी घटनायें यमुनापार इलाहाबाद में हो रही हैं...

श्री अधिष्ठाता-

माननीय करवरिया जी, अब समाप्त करिये। मा0 उस्मानी जी आप अपनी बात रखें। मैं मानता हूं कि आपके पास काफी कुछ कहने के लिए है लेकिन 7-8 मा0 सदस्य बचे हुये हैं, 4.00 बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी इसलिए उनको भी अवसर देने के लिए कृपया आप समाप्त करिये।

श्री उदयभान करवरिया-

जिस प्रकार से आपराधिक घटनायें बढ़ती चली जा रही हैं मान्यवर, मैं उनका आपको विवरण देना चाहता हूं। मान्यवर, लाल सलाम नामक एक संगठन है जो यमुनापार इलाहाबाद में नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करिये, दो मिनट के बजाय आप 6 मिनट बोल चुके हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन पर बल देने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपको यह बताना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पृष्ठ-2 पर लिखा है कि मेरी सरकार का लक्ष्य इसके स्थान पर समतामूलक समाज की व्यवस्था की स्थापना करना क्योंकि इसी में सर्वसमाज का हित निहित है। अधिष्ठाता महोदय, समाज तो बहुत बड़ा है और इस अभिभाषण में माननीय सच्चर कमेटी, और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट का कहीं कोई हवाला नहीं है कि मुसलमानों को यहां कोई आरक्षण दिया जायेगा या उनकी दशा को सुधारने के लिये कोई कदम उठाया जायेगा और साथ में लिखा है कि समानता का व्यवहार किया जायेगा मैं अधिष्ठाता महोदय आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन में सत्तापक्ष के सैकड़ों ऐसे विधायक हैं जिनकी जान को कोई खतरा नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मई, 2007 में जब से मैं इस विधान सभा में जीतकर आया हूं तब से लगातार हमारे ऊपर हमले भी हुए हैं और धमकियां भी मिली हैं जिनका विवरण है मुकदमा अपराध संख्या 199/2008, 13-3-2008 कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ, दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 176/2008, 26-2-2008 कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ, तीसरा मुकदमा अपराध संख्या-239/09, दिनांक 15-6-09 कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी, चौथा मुकदमा अपराध संख्या-369/09, दिनांक 8-2-09 कोतवाली सदर, लखीमपुर खीरी, पांचवा मुकदमा अपराध संख्या-269/09, दिनांक 16-7-09 कोतवाली सदर, लखीमपुर खीरी, छठां मुकदमा इसी जनवरी का है अपराध संख्या-42/11 कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ जिसमें पुलिस द्वारा अभियुक्त पकड़ा भी गया लेकिन वह जमानत पर छूट गया। लगातार मेरी जान के खतरे को देखते हुए लगातार मांग करने के बावजूद मुझे आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि समाज के निचले पायदान पर खड़े दलित शोषित, वंचित महिला एवं सभी कमजोर

वर्गों की मदद करेंगे। अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में एक गांव बरोठा है हम वहां गये तो दलित लोग इकट्ठा हो गये पूरे गांव के दलित समाज के अनुसूचित जाति के लोग आये उन्होंने बताया कि पूरे गांव में बिजली लगी है लेकिन दलितों की बस्ती में केवल दो खम्भे लगे हुए हैं बिजली नहीं लगी है। इसी तरह से लखीमपुर खीरी में और गांवों में लगा सहनखेड़ा लगा वहां पूरे गांव में बिजली लगी थी लेकिन दलित समाज के लोगों के यहां केवल दो खम्भे लगे थे बिजली नहीं थी। अधिष्ठाता जी अभिभाषण में अगर इस बात की व्यवस्था होती तो मैं मान लेता कि समता मूलक समाज की स्थापना हो रही है लेकिन विकास कराने का काम केवल लखनऊ में गोमती नगर में ही किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

दलितों अल्पसंख्यक मुसलमानों का इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई सुरक्षा नहीं है। स्कूलों को मान्यता नहीं मिल रही है किसानों की दुर्दशा हो रही है। गन्ने का मूल्य पिछले 265 रुपये मिला था इस बार 300 रुपये मिलना चाहिये वह 200 रुपये प्रति कुन्तल है। अधिष्ठाता जी धान क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं। व्यापारियों पर वैट और सेट लगा दिया गया है जिससे मंहगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं ...

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अगला नाम बुला लिया गया है वह महिला है अब आप बैठ जायें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

लखीमपुर खीरी में निघासन श्री नगर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से जमीन कट गई है सैकड़ों गांवों की जमीनें कट गई हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है इसकी अभिभाषण में व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने सरकार के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया है। दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कृषि की घटती उत्पादकता को देखकर बहुत चिन्ता प्रकट की है तथा यह कहा है कि नवीन उपकरणों तथा मृदा परीक्षण का कार्ड किसानों को दिया जा रहा है। किसान को कार्ड नहीं चाहिये किसान को खाद चाहिये किसान को फास्फोटिक व यूरिया खाद नहीं मिल रही है बदले में उनको लाठियां मिल रही हैं। किसान भाग रहा है और बेतहाशा ब्लैक में खाद खरीद रहा है। कृषि उपज क्रय केन्द्र खुले नहीं हैं, किसानों की उपज की बिक्री नहीं हो रही है परिणामस्वरूप खेती एक घाटे का धंधा होता जा रहा है। किसान खेती छोड़कर भाग भी नहीं सकता। किसी तरह से ऋण का बोझ लादकर घूमता रहता है और अंत में आत्महत्या की बात सोचने लगता है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निःशुल्क बोरिंग और पम्पिंग सेट के कार्यक्रमों का उल्लेख किया है और इसको

अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति के बीच में लघु किसान और सीमान्त किसानों का बंटवारा किया है। अरे किसान गरीब है। गरीबी जाति देखकर नहीं आती। गरीब एक मात्र गरीब है और उसको बराबरी के तौर पर लेना चाहिये। किसानों को गरीबी के आधार पर बांटा जाय तो समझ में आता है। लेकिन जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का लघु किसान और सामान्य जाति का सीमान्त किसान बंटवारा गलत है। इसलिये सबको समान रूप से अनुदान दिया जाय। गांव में एक समरसता का भाव पैदा किया जाय। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में शिक्षा में बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, भले ही आगे चलकर बजट में कुछ आये लेकिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में छात्र भाग-भाग कर उच्च शिक्षा के लिये दक्षिण जाते हैं या उच्च शिक्षा के लिये और शोध शिक्षा के लिये विदेश की ओर जा रहे हैं उच्च शिक्षा के व्यापक प्रबन्ध होने चाहिये। प्राइमरी के लिये तो प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन उच्च शिक्षा और शोध शिक्षा के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये। इसी तरह से हमारे कैंट विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है। गांव से लगा हुआ क्षेत्र है इसी तरह से वहां पर डिरेका में एक डिग्री कालेज है। उसको खुले 10 साल हो गये हैं वहां पर न तो शिक्षा का विभाग खुल रहा है न कामर्स खुल रहा है न पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खुल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

आगे चलकर महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बेतहाशा बढ़ते हुए मूल्य स्तर का उल्लेख किया है और यह गिनाया गया है कि इतने छापे मारे गये अरे हमको छापे का व्यौरा नहीं चाहिये, हमको तो बाजार में बढ़ने वाली पूर्ति को चाहिये। जब तक आवश्यक खाद्य वस्तु की बाजार में पूर्ति नहीं बढ़ेगी दाम गिर नहीं सकते। छापामारी के बाद खाद्यान्न क्या हुआ ? इसका कोई रिजल्ट नहीं पता। लेकिन बाजार में न पूर्ति बढ़ी न मूल्य स्तर गिरा। जनता गरीबी और मूल्यस्तर दोनों में जूझ रही है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। 4 बजे उत्तर भाषण भी होना है और अभी कुछ और माननीय सदस्यों को बोलना है वे भी दो-दो मिनट में अपनी बात कह लेंगे।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, दो मिनट में आदमी क्या बोल पायेगा। अभी तो शुरू किया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है दो-दो मिनट के लिये।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दीजिये। अंत में मैं यह कह अपनी बात समाप्त करूंगी कि काशी विद्यापीठ ब्लाक में खुशीपुर गांव में एक विकलांग स्कूल है जिसको खुले हुए कई साल हो गये हैं उसको चार हिस्सों में बांटा गया था। आज के दिन भी उसमें एक शिक्षा हो रही है। न व्यावसायिक शिक्षा न अंग प्रत्यारोपण न मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षा जबकि बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाई गई है कि उसमें विकलांग छात्रों के छात्रावास की भी व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

*श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, आपने मुझे श्री राम सागर अकेला जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सही है कि महामहिम राज्यपाल ने जो अपना भाषण पढ़ा है यह इनकी संवैधानिक बाध्यता है। जब कभी विधान सभा का प्रथम सत्र शुरू होगा तो महामहिम राज्यपाल महोदय दोनों सदनों के समक्ष अपना समवेत् अभिभाषण रखेंगे। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लिखित दस्तावेजों को जब हमने पढ़ा है तो सच्चाई यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में जो भी प्राथमिकताएं उन्होंने दिखाने का जो दस्तावेज बनाया है वह सही नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मंहगाई चरम सीमा पर है, आज महिलायें सुरक्षित नहीं हैं और पूरे प्रदेश में जहां भयमुक्त होने की बात करते हैं लेकिन इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि यह भयमुक्त किस तरह से है आज महिलायें सुरक्षित नहीं हैं दो-तीन उदाहरण देकर घड़ी को देखकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

तीन चार माननीय सदस्यों को और बोलना है एक डेढ़ मिनट में बात खत्म करें। सब अपनी बात कह लेते।

श्री जोखूलाल यादव-

एक मिनट तो आपने ले लिया उसको जोड़ते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मान्यवर, मैं इलाहाबाद की घटना का जिक्र करूंगा। इस सरकार के सारे कारनामे चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे सरकार की संवेदनशीलता हो, दो घटनाओं का जिक्र करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मान्यवर, यह सरकार जो कानून व्यवस्था की बात करती है, भयमुक्त समाज की बात करती है श्रीमन् इलाहाबाद में जो घटनायें घटी हैं चाहे वह कैबिनेट मंत्री पर प्राणघतक हमला रहा हो...

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में घटनाओं का उल्लेख कर दें।

श्री जोखूलाल यादव-

अधिष्ठाता महोदय, इलाहाबाद जैसे शहर में जो अपने आप में ऐतिहासिक स्थान रखता है और अलग महत्व रखता है और सिविल लाइन जैसी जगह हार्ट आफ द सिटी जिसको कहा जाए जिसकी परिधि में उच्च अधिकारियों के दफ्तर हैं और उनके निवास स्थान हैं ऐसे व्यस्तम इलाके में हीरा व्यवसायी के यहां शाम के लगभग साढ़े सात बजे को अपराधी प्रवृत्ति के लोग घुसते हैं और पांच करोड़ की लूट करते हैं और विरोध करने पर व्यवसायी की हत्या भी कर देते हैं इसी तरह से चाहे चौक हो चाहे फाफामऊ की घटना हो, चौक में जहां हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी रहते हैं वहां

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आस-पास डेढ़ करोड़ की लूट लोगों ने की। पूरा प्रदेश अपराध की बाढ़ के चपेट में है। आज इलाहाबाद में महिलाओं ने चेन पहनना बन्द कर दिया है पता नहीं कब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वाइक सटाकर चेन लूट ले जाएं। करछना में लाठी चार्ज किया गया...

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

(श्री जोखूलाल यादव एवं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जोखूलाल यादव-

155 दिन उन्होंने अनशन किया। यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है अगर यह किसानों के प्रति संवेदनशील होती तो उनकी बात सुनती।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री जोखूलाल यादव-

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री महिपाल सिंह-

अध्यक्ष महोदय जी,

आज आपने मुझे इस गरिमामयी सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए धन्यवाद व्यक्त करने एवं अपने विचार रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की शुभ कामनाएं देते हुए माननीया मुख्य मंत्री जी एवं सभी सम्मानित सदस्यगण का हार्दिक स्वागत करता हूं।

महोदय, हमारी सरकार माननीया मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', की नीति का अनुसरण करते हुए निर्णय ले रही है।

मान्यवर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणागुरू, संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, बसपा संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताये हुए रास्ते पर चलते हुए प्रदेश में समतामूलक समाज की स्थापना करना हमारी सरकार की मुखिया का सपना है। मेरी सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त हर प्रकार की गैर बराबरी व्यवस्था को बदल कर इसके स्थान पर 'समतामूलक समाज' की स्थापना करना है। क्योंकि हमारे सरकार की मुखिया का स्पष्ट मानना है कि इसी व्यवस्था में समाज का हित निहित है।

मान्यवर, इसे दृष्टिगत रखते हुए, हमारी सरकार ने सर्व समाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा ख्याल रखा है। परन्तु प्राथमिकता समाज के बिल्कुल निचले मुकाम पर खड़े दलित, वंचित और महिलाओं सहित सभी कमजोर वर्गों को प्रदान करने की है।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, हमारी सरकार का सदैव यह सच्चा प्रयास रहा है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था उत्तम और समतामूलक हो, क्योंकि मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि उत्तम एवं समतामूलक कानून व्यवस्था की बुनियाद पर ही प्रदेश एवं देश के सम्पूर्ण विकास का माहौल बनता है। हमारी सरकार का मानना है कि समाज में आर्थिक, समाजिक समरस्ता लाए बगैर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली चुनौतीपूर्ण घटनाओं को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए मेरी सरकार इस सोच को पूरा करने हेतु सामाजिक एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अमन-चैन और त्वरित एवं दीर्घकालिक विकास के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं की ओर पूरा ध्यान दिया गया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश में 'जनहित गारण्टी कानून' को लागू किया है। इस योजना से प्रदेश के कमजोर और गरीब जरूरतमंदों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की एक निश्चित व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों का पूरा-पूरा ख्याल रखा है। चाहे भूमि अधिग्रहण के मामलों में, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों एवं किसानों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना का मामला है। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा एवं नौकरी देने का कार्य किया है। प्रदेश में गन्ना किसानों की खुशहाली और उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने एवं चीनी मिलों के साथ मैत्रीपूर्ण सामन्जस्य स्थापित कर इस उद्योग के निरन्तर विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। वर्तमान सत्र 2010-11 में सरकार ने 40 रुपये प्रति कुन्टल की ऐतिहासिक व अभूतपूर्व वृद्धि की। इससे पूर्व में एक बार 15 रुपये व 25 रुपये की प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी की गई थी अब तक बढ़ोत्तरी 15+25+40=80 प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी कर किसान हित को ध्यान में रखा गया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश के पिछड़ेपन को प्रभावित करने वाले कारकों एवं कारणों की पहचान करके उनके निदान हेतु भगीरथ प्रयास किया है चाहे **बुन्देलखण्ड का मामला हो या पूर्वांचल का अथवा पश्चिम के क्षेत्रों/जिलों का,** सरकार की पैनी नजर सम्पूर्ण क्षेत्रों पर विशेष रूप से है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन जी की सरकार ने भारत के संविधान में निहित मूल भावनाओं के तहत गरीब, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति, धार्मिक, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं सहित समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को तरजीह देते हुए **'उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना'** शुरू कर उन सभी गरीब परिवारों की महिला मुखिया को 400 रुपये प्रति की मदद देकर वर्ष 2010-11 में **31 लाख परिवारों को** आच्छादित किया है। इसी कड़ी में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये **'सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना'** कार्यान्वित की जा रही है जिससे 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रत्येक बालिका को एक साइकिल और प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है।

मान्यवर, बालिकाओं की भ्रूण हत्या रोकने तथा मान सम्मान/आत्म निर्भर बनाने के लिये **'महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना'** का लाभ दिया जा रहा है। योजना में बालिका के जन्म पर एक मुश्त धनराशि का एफ0डी0 किया जाता है जो कि बालिका की 18 वर्ष होने पर 1 लाख रुपये हो जायेगी, जिससे उक्त बालिका की शादी करने में कोई दिक्कत न हो।

मान्यवर, हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले निराश्रित विधवाओं, विकलांगजनों एवं गरीब के रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु **'मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना'** प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश की मुखिया के नेतृत्व में सभी वर्गों के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिये सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाओं का उचित प्रबन्ध किया है। चाहे वजीफे/छात्रवृत्ति की बात हो या कालेजों एवं विद्यालयों तथा छात्रावासों के निर्माण की बात हो अथवा स्टेडियमों के निर्माण की बात हो, उनकी क्षमता एवं सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। **प्रदेश के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ नौकरी भी दी गई है।** इस सरकार ने अल्पसंख्यक वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। कहीं पर भी पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने पाये।

महोदय, हमारी सरकार द्वारा इस देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने के भगीरथ प्रयास में आप सभी सम्मानितगण का सहयोग अपेक्षित है। **मैं आशा करता हूं कि प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री के दिशा-निर्देश में यह सरकार प्रदेश को एक आदर्श एवं समृद्धि प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।** इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ्य और सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं और अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय जी को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिये धन्यवाद व्यक्त करने एवं अपने विचार रखने के लिये, मौका दिये जाने के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूं।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है और उसमें धन्यवाद प्रस्ताव अकेला जी ने प्रस्तुत किया है उस पर कुछ संशोधन प्रस्तुत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी समय कम है इसलिये एक-एक लाइन में मैं अपना संशोधन देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत दिनों से इस सदन में कहता रहा हूं कि गोमती नदी लखनऊ की जीवन रेखा है इसमें पानी जब कम हो जाता है तो यहां के नागरिकों को दूषित पेयजल की आपूर्ति की जाती है। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गोमती नदी के जल स्तर को ठीक रखा जाए इसके लिये सरकार ने कोई कार्य योजना का जिक्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया है। गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये कोई चर्चा नहीं की गई है। मैंने इस सदन में कई बार कहा पालीथीन को लेकर सदन में चिन्ता है कि यह स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है हानिकारक है .....

(इस समय 3 बजकर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

और इसलिये संशोधन के रूप में कहा है कि पालीथीन के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बारे में महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि लखनऊ का सौन्दर्यीकरण, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की कीमत पर बिल्कुल न किया जाय। आज जब पुराने लखनऊ के अन्दर पेयजल की लाइन में सीवर की लाइन मिल जाती है, अखबारों में आ रहा है कि तमाम लोग इसके कारण बीमार हो रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी अब समाप्त करें, बात आ गई है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और बातें हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, अब बात आ गई। अब केवल दो सदस्य और। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को 4.00 बजे बोलना है। सोलंकी जी, आप अपनी बात 2 मिनट में कह लीजिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, आज जो महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, यह जो अभिभाषण है, उसमें जो तमाम बाते हैं, वह सच्चाई से परे है, इनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। मान्यवर, इधर जो तमाम सदस्य बैठे हैं, कल से लेकर आज तक तमाम सदस्यों ने अपनी पीड़ा बताने का काम किया, तमाम सुझाव देने का काम किया है, अपनी समस्या बताने का काम किया, क्षेत्र की समस्यायें बताने का काम किया है, चाहे वह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित हो चाहे वो विकास से सम्बन्धित हो और मान्यवर, मेरा तो मानना यह है कि जिस तरह से इधर के लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उसी तरफ से उधर जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उनका भी हाल यही है लेकिन कोई मजबूरी है, जिसकी वजह से वह नहीं कह सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब प्रदेश का दौरा करने का काम करती है तो उनके सामने जो तमाम तरह की बातें सामने आयीं, महिलाओं के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि दो दिन से इस सदन में महिलाओं पर चर्चा हो रही है। तो माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के नाम पर आज स्थिति बहुत बदतर है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। आज जो मैंने अल्पसूचित में प्रश्न लगाया था, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन उनका जवाब नहीं आया क्योंकि जो आज कानून व्यवस्था की नीति है, मैंने तो यह जानना चाहा था कि जो कानून व्यवस्था की आपकी नीति है, उस नीति के तहत् अपराध कम नहीं हो रहे हैं, क्या आप कोई नई नीति बनाने का काम करेंगे ? क्योंकि आज अपराध इतना बढ़ गया है, जिसको रोकने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, समाप्त करें। अभी दो लोग बोलने के लिये और बचे हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, अनुरोध कर रहा हूं, आधा मिनट में अपनी बात कह लूंगा, हमारे दल के नेता भी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार की बात भी आई, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, जनपद मेरठ में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वास्थ्य विभाग को 2006, 2007 और 2008 में 25 करोड़ रुपया यहां से जाने का काम हुआ है, उस 25 करोड़ रुपये के सम्बन्ध में जन सूचना अधिकार के तहत् पिछले एक वर्ष से सूचना मांगी जा रही है, विधान सभा में भी सवाल लगाया गया, 13 करोड़ रुपये का लिखित में जवाब आया कि इतना पैसा खर्च हुआ है। 25 करोड़ रुपया गया, उसको भी स्वीकार कर लिया लेकिन मान्यवर, जो बाकी का 12 करोड़ रुपया है, वह 12 करोड़ रुपया कहां गया ? जो अधिकारी हैं, उनको क्यों बचाया जा रहा है, उनको क्यों दण्डित करने का काम नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

आपने सूचनाओं में दिया है, उसकी सूचना है, अब आप समाप्त करें। डॉ0 पी0के0 राय जी, आप 2 मिनट में अपनी बात कह लीजिये। सुरेन्द्र जी, आप बजट पर बोलियेगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

डा0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपने समय दिया है, मैं मात्र 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं और सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब 29 जून, 2007 को इस सरकार ने इसी सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया था, जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो बातें कही थी, उसमें कहा गया था कि बी0पी0एल0 संख्या 32 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दी जायेगी। उसमें यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और भारत की औसत आय का जो अन्तर है जिसमें दो गुने का फर्क है, उसको घटाने का काम किया जायेगा और विकास दर 10 प्रतिशत पहुंचाया जाएगा। कृषि विकास दर में 5.7 प्रतिशत का इजाफा होगा और 10 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 8 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिससे यह उपलब्धि हासिल की जाएगी। लेकिन इतने दिनों में क्या हुआ ? कहां से हम चले थे कहां हमें जाना था और कहां हम पहुंचे हैं ? मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जो कहते हैं उसमें सरकार की प्राथमिकताओं का ही उल्लेख सदन के समक्ष किया जाता है। उसमें इस बात की जरूर चर्चा होनी चाहिए कि उसमें उपलब्धियां क्या हुयीं। आपने संकल्प लिया कि गन्ना उत्पादन 59.59 मी0 टन प्रति हे0 से बढ़ाकर 70 मी0 टन प्रति हे0 ले जाएंगे। आपने कितना बढ़ाया। कहा गया कि हम शुगर काम्प्लेक्स बनाएंगे, हम बायोगैस से पावर जनरेट करेंगे, उस दिशा में क्या हुआ ? हालत यह है कि कुपोषण की स्थिति में अगर भारत में 72 मिलियन बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तो उसमें से 12 मिलियन बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बोला है उसमें कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है। कन्फ्यूजन यह है कि जनवरी, 2010 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय 18 हजार 710 और बजट में कहा जा रहा है कि वर्ष 2008-09 में प्रति व्यक्ति आय 20 हजार 4 रुपये है। इन दोनों बातों के तालमेल में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और आपके बजट भाषण में निश्चित तौर पर यह कमी है। आपने कहा है कि पी0पी0पी0 के तहत 62 हजार 692 उद्यमों की स्थापना की गयी जिसमें 2 हजार 65 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 1 लाख 19377 लोगों को रोजगार मिला।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, केवल आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश समग्र रेंकिंग में 16वें स्थान पर, बिहार सबसे तेज राज्य निवेश में 17वें स्थान पर, उत्तराखण्ड सबसे तेज राज्य व्यापक कर व्यवस्था में 19वें स्थान पर और छत्तीसगढ़ सबसे तेज राज्य है कृषि 2010 में नौवें स्थान पर और 2008 में यह सातवें स्थान पर था, सबसे तेज राज्य आज की तारीख में गुजरात है। उपभोक्ता बाजार 16वें में, सबसे तेज तमिलनाडु, प्राथमिक शिक्षा में 19वें स्थान पर, 2006 और 2007 में हम 18वें स्थान पर थे। राशन में 16वें और प्राथमिक स्वास्थ्य में 18वें स्थान पर थे। इतनी सी बात को कहकर सरकार को आईना दिखाकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जो सपना और जो संकल्प लेकर यह सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में चाहे बिजली, खाद, स्वास्थ्य या शिक्षा का सवाल हो किसी भी क्षेत्र में इसकी कोई उपलब्धि नहीं है इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के तथा सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन विरोधी दलों के मा0 सदस्यों ने अपने सम्बोधन के दौरान हमारी पार्टी की सरकार के कामकाज को लेकर जो बेबुनियाद, अनर्गल व गलत आरोप लगाये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब विरोधियों के पास बी0एस0पी0 सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिये कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं। लेकिन फिर भी इनके कुछ आरोपों का मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को जवाब देना जरूरी समझती हूं ताकि प्रदेश की जनता में भ्रम की स्थिति पैदा न हो सके। मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगी कि वर्ष 2007 में प्रदेश की जनता ने राजनीतिक अस्थिरता और पूर्ववर्ती सपा सरकार के जंगलराज से त्रस्त होकर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में पूरा भरोसा जताते हुए बी0एस0पी0 की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को चुना। उसी वक्त हमने प्रदेश में हर मामले में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का वायदा किया था क्योंकि इस मामले में हमारा यह मानना है कि कानून व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त बनाये बिना प्रदेश में विकास सम्भव नहीं है। इसलिये सत्ता में आते ही हमने सबसे पहला काम प्रदेश में हर स्तर पर कानून व्यवस्था को सुधारने का पूरा-पूरा प्रयास किया और अब मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारी सरकार के प्रयासों से पूर्व की सभी सरकारों की तुलना में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है और इसका जीता-जागता सुबूत अयोध्या बाबरी मस्जिद के आये फैसले के बाद प्रदेश में अमन-चैन की स्थिति का कायम बने रहना है और इसका सकारात्मक नतीजा यह निकला कि जब उत्तर प्रदेश में अमन-चैन का वातावरण बना रहा, अयोध्या प्रकरण को लेकर जब यह फैसला आया तो पूरे देश में भी अमन चैन का वातावरण बना रहा और इस मामले को लेकर कहीं पर भी कोई हिंसा

नहीं हुई है। इसी के साथ जब कि देश का बड़ा हिस्सा आज नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है, वहीं इसके ठीक विपरीत यहां उत्तर प्रदेश में इस मामले में शान्ति बनी हुई है। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका कारण यह है कि हमारी पार्टी की सरकार ने इस समस्या को मात्र कानून व्यवस्था के नजरिये से नहीं देखा है बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया है अर्थात् हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद का जवाब विकास से दिया है। इसके लिये हमारी सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाते हुए प्रदेश में तेंदू पत्ता जमा करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाले व तेन्दु पत्ता से प्राप्त होने वाले शुद्ध आय का 50 प्रतिशत इन्हीं लोगों को सीधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल, पट्टा वितरण, राशन वितरण आदि सुविधाओं को प्राथमिकता पर लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिये हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अवशेष गांवों को शीघ्र डॉ0 अम्बेडकर ग्राम घोषित करते हुए इन्हें सभी विकास कार्यों से भी जोड़ने का भी हमारी सरकार ने फैसला लिया है। हमारी सरकार प्रदेश में अनुसूचित-जाति अनुसूचित-जनजाति तथा वनवासियों के प्रति भी पूरी तरह संवेदनशील है और हमने वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक लगभग 10 हजार पात्र लोगों को इस अधिनियम के जरिए पट्टे देकर उन्हें लाभान्वित किया है। इसके अलावा मैं एक अन्य गंभीर मुद्दे अर्थात् आतंकवाद की ओर भी माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। इस बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद एक देशव्यापी समस्या है, जिसे जड़ से समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। इस सम्बन्ध में हमारा यह भी मानना है कि जब तक हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाना संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही हमारी सरकार इस समस्या से निपटने के मामले में अपनी जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाना जानती है, लेकिन केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह आतंकी गतिविधियों के मामले में पुख्ता और सही जानकारी देने के लिए राज्यों को पूरी-पूरी मदद करे और केवल सामान्य तरीके से अलर्ट या आशंका संबंधी सलाह देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे।

हमारा यह भी मानना है कि सभी राज्य सरकारें आतंकवादी घटनाओं को रोकने में तब तक सक्षम नहीं हो पायेंगी, जब तक राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर राज्य को ऐसे अत्याधुनिक हथियारों एवं उपकरणों से लैस नहीं करा देती जैसे हथियार आदि आज आतंकवादियों के पास मौजूद है। इसके अलावा केन्द्र को उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है तो इस विशाल राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां की धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की पर्याप्त कंपनियां देनी चाहिए, जिसके लिए हमने कई बार केन्द्र की सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन अभी तक केन्द्र की सरकार ने इस मामले में कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है। इसके साथ ही मुम्बई में हुए आतंकवादी घटना के बाद जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सुरक्षा बल एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, वैसी सभी सुविधाएं हमारे प्रदेश को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो कई बार आग्रह करने पर भी अभी तक भी केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयीं। मा0 अध्यक्ष जी हमारी सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था और खास तौर से पिछले दिनों हुई कुछ आपराधिक

वारदातों के संबंध में सवाल उठाने वाली विरोधी पार्टियों के माननीय सदस्यों से मैं केवल इतना ही जानना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर हमारी सरकार के काम-काज पर आवाज उठाने से पहले या कोई भी सवाल करने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, महोदय इसमें कोई संदेह नहीं है कि बी0एस0पी0 की सरकार ने प्रदेश में हर मामले में कानून द्वारा कानून का राज कायम किया है। मैं सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों से यह जानना चाहूंगी कि हमारी पार्टी की सरकार के अलावा क्या अन्य कोई ऐसी सरकार है देश में, क्या अन्य कोई ऐसी सरकार है या पूर्व में सत्ता में रही कोई भी ऐसी सरकार है जिसने कानून तोड़ने वाले अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को बिना कोई देरी किये हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। मैं जानती हूं कि वह इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि अगर वह बोलेंगे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की बी0एस0पी0 की सरकार का ही नाम जरूर लेना पड़ेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा, जिसने बगैर किसी पक्ष-पात के कानून का सम्मान करते हुए अपनी ही पार्टी के लोगों को भी अपराधों में लिप्त पाये जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की है, यह आप सब लोगों को मालूम है। जहां तक मेरे शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अभी तक बलात्कार व अन्य हुई कुछ घटनाओं का मामला है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार व अन्य हुई कुछ घटनाओं का मामला है तो इस बारे में मेरा यह कहना है कि यदि इस किस्म के अपराधी चाहे वह किसी भी स्तर के लोग क्यों न हों, यदि उनके संस्कार गलत हैं यदि वह किसी भी समाज की बहन-बेटियों के साथ बलात्कार एवं अन्य घिनौनी हरकत करते हैं तो देश में यह पहली हमारी पार्टी की सरकार है कि जिसने मुख्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की है, उन्हें छोड़ा नहीं है, चाहे उसमें सत्ता या विपक्ष में बैठे कितने ही प्रभावशाली लोग क्यों न हों और इस बात के अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं, उन्हें मैं यहां दोहराना नहीं चाहती हूं और इतना ही नहीं ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले व पैसा लेकर अपराधियों को बचाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को भी हमारी सरकार ने बख्शा नहीं है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में ज्यादातर बेकसूर लोगों को ही बलि का बकरा बनाया जाता रहा है, ऐसे अनेकों उदाहरण है और यदि मुख्य अपराधी पकड़ भी लिया जाता है तो सरकार की ओर से ऐसे मामलों की ज्यादातर पैरवी इतनी अधिक कमजोर होती है कि वह कुछ समय के बाद जेल से छूट जाता है या फिर पीड़ित को न्याय काफी वर्षों के बाद मिलता है यह पूर्व की सरकारों में ऐसा रवैया रहा है जिसके कारण कभी-कभी पीड़ित व्यक्ति को मजबूर होकर खुद कानून को उन्हें अपने हाथों में लेना पड़ता है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी वारदातें हुई हैं उनमें ज्यादातर किसी न किसी कारणवश आपसी दुश्मनी के कारण ही वारदातें हुई हैं और आज कल जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनमें ज्यादातर कारण अभी हाल में हुए पंचायती चुनाव ही है, जिनके खिलाफ सरकार ने समय पर बराबर संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की है।

मान्यवर, जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार ने समय से उचित कार्यवाही की है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक अपराधों को लेकर आंकड़ों का सवाल है तो उसमें भी देश के ज्यादातर राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का नम्बर काफी नीचे आता है। और देश में बलात्कार की हुई घटना को लेकर वर्ष 2009 में भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार भी उत्तर प्रदेश का स्थान काफी नीचे आता है। और इस सम्बन्ध में

आंकड़ों के अनुसार बलात्कार की अपराध दर प्रति एक लाख जनसंख्या पर जहां कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश में 1.4, असम में 5.3 हरियाणा में 2.5 दिल्ली में 2.6, चण्डीगढ़ में 2.63, वहीं भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में यह अपराध दर 4.3, मध्य प्रदेश में 4.2 रही है। इसी प्रकार उड़ीसा में अपराध दर 2.5 रही है। लेकिन इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में यह दर 0.9 है। जबकि सम्पूर्ण भारत वर्ष में हुए बलात्कार की औसत अपराध दर 1.8 है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरे देश में घटित हुई बलात्कार की घटनाओं की तुलना में उत्तर प्रदेश में यह अपराध दर आधे से भी कम है। इतना ही नहीं यदि कांग्रेस शासित दिल्ली राज्य में महिलाओं पर हुई उत्पीड़न की घटनाओं की तुलना उत्तर प्रदेश में की जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में वर्ष 2010 में एक लाख की आबादी पर महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की अपराध दर 2.83 है जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर 0.67 है। इसी प्रकार वर्ष 2010 में दिल्ली में महिलाओं के शील भंग के मामलों की अपराध दर 3.39 थी जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर 1.38 थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बलात्कार की हुई कथित घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं व विभिन्न संगठनों एवं आयोगों द्वारा जो शोर-शराबा किया जा रहा है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की घटनाओं को लेकर राजनीति किया जाना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि बलात्कार के दोषी लोगों के खिलाफ हमारी सरकार ने काफी सख्त कानूनी कार्यवाही की है। किन्तु फिर भी सरकार के ऊपर बिला वजह उंगली उठाने वाले सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को मैं पिछड़े वर्ग की निषाद समाज से ताल्लुक रखने वाली फूलन देवी को भी यहां याद जरूर दिलाना चाहूंगी। जो आज हमारे बीच में नहीं रही। जो कांग्रेस व अन्य पार्टी के राज्य के लम्बे समय तक यहां सामन्तवादी ताकतों के हर प्रकार के शोषण का शिकार होती रही उसका उत्पीड़न होता रहा। लेकिन तब सभी विपक्षी पार्टियों की सरकारें कान में तेल डालकर बैठी रही। जिसका नतीजा आगे चलकर यह निकला कि फिर मजबूर होकर फूलन देवी को कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा जिसके चलते यहां कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान वर्ष 1981 में घटित बेहमई काण्ड और बाद की अन्य घटनाओं में कई लोगों की जान गई और कई महिलाओं का सुहाग उजड़ गया और इतना ही नहीं इसके बाद आगे चलकर फिर केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार के शासनकाल के दौरान इस महिला को दिल्ली में ही दिन दहाड़े हत्या कर दी गई जबकि, इस अपराध को अन्जाम देने वाले असली अपराधी आज तक भी खुले घूम रहे हैं। उनको पकड़ा नहीं गया। और साफ तौर से इस पूरे प्रकरण के लिये सभी विपक्षी पार्टियों की सरकारें ही पूरी तरह से दोषी हैं।

इसी तरह से महिलाओं के हितों का संरक्षण करने के लिये यह आज ड्रामेबाजी करने वाले नेता तंदूर काण्ड, जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू, रुचिका जैसे मामलों में पूरा न्याय दिलाने के लिये आगे क्यों नहीं आये जबकि इन सब मामलों में ज्यादातर आम जनता को ही पहले सड़कों पर उतरना पड़ा तब फिर नेता जरूर आगे आये उनके पीछे पीछे आगे आये। इसके अलावा आप लोगों को यह भी मालूम है कि बिहार प्रदेश में अभी पिछले दिनों भाजपा के विधायक के शोषण की शिकार महिला को 3 वर्ष तक बिहार में भाजपा के सहयोग से चलने वाली सरकार जब न्याय दिलाने में विफल रही जिसके चलते पीड़ित महिला को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रदेश में बी0एस0पी0 की सरकार ने हर मामले में अपराधी को कानून के अनुसार दण्ड दिलाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि प्रदेश में वर्ष 2007 में बसपा की

सरकार के बनते ही इलाहाबाद करेली काण्ड में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की गई और यह काण्ड स0पा0 शासनकाल में हुआ लेकिन कार्यवाही किसने की बी0एस0पी0 की सरकार ने और इस मामले से संबंधित सभी अपराधी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और मुख्य अपराधी काफी समय से सलाखों के पीछे हैं। और, यह सभी जरूरी तथ्य सम्मानित सदन के सम्मुख रखने का तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिये पूरी तरह से कटिबद्ध है। और इस सम्बन्ध में कभी भी दोषियों को न तो माफ करती है और न ही किसी प्रकार का संरक्षण देती है चाहे उसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष के कितने भी प्रभावशाली लोग क्यों न हों या फिर किसी भी स्तर के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए अधिकारी क्यों न हों। इसके अलावा पुलिस एवं प्रशासन के जिस जिस स्तर के अधिकारी बांदा व कानपुर जैसे मामलों में और अन्य मामलों में अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी व निष्ठा से जो नहीं निभा पा रहे हैं उनके खिलाफ भी फिर हमें सख्त कार्यवाही करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है जिसके लिये सही मायने में कसूरवार यहां पूर्व में रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं। जिन्होंने अपने अपने शासनकाल में अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इनको भ्रष्ट व लापरवाह व गैर जिम्मेदार बना दिया जिसका नुकसान अब हमारी पार्टी की सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ऐसे बिगाड़े गये अधिकारियों को सुधारकर ही दम लेगी हालांकि इस कार्य में समय जरूर ज्यादा लग सकता है क्योंकि यह बीमारी बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंच चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है इस बीमारी को दूर करने के लिये हमारी सरकार को थोड़ा समय जरूर ज्यादा लगेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्षी पार्टियों के नेतागण सरकार के ऊपर एक यह भी आरोप लगाते रहते हैं कि कि बी0एस0पी0 की सरकार में दलित मुख्यमंत्री के होते हुये भी प्रदेश में दलित वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में भी हमारी सरकार का अच्छा रिजल्ट रहा है। उनके ऊपर हमने कोई जुल्म ज्यादती नहीं होने दी है और इस मामले में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध हुए अपराध काफी कम हैं। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हुए अपराधों की दर जहां उत्तर प्रदेश में 3.8 प्रति लाख की जनसंख्या पर रही, वही राजस्थान में 7.5, उड़ीसा में 4.2, मध्य प्रदेश में 4.3, बिहार में 4.0 तथा आन्ध्र प्रदेश में 5.4 दर्ज की गयी। उत्तर प्रदेश में विवेचनाओं का निस्तारण सर्वाधित 94.8 प्रतिशत रहा। जबकि पूरे देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को मिलाकर केवल 74.1 प्रतिशत रहा। एस0 सी0 एस0 टी0 के विरुद्ध हुये अपराधों के दोषसिद्ध के प्रकरण में 3217 अपराधियों को सजा दिलाई गयी जबकि सम्पूर्ण भारत में मात्र 5934 ही सजा पास के। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध हुये अपराधों का त्वरित पंजीकरण, समयबद्ध विवेचना एवं प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही मेरे शासन में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी विचाराधीन वाद वापस नहीं लिया गया। यह पहली बार इस सरकार में हुआ। इसी प्रकार हमारी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और उसमें भी खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों का एवं सर्वसमाज के लोगों के ऊपर भी जुल्म ज्यादती करने वाले लोगों को बख्शा नहीं है। इन वर्गों के मामले में भी कार्यवाही करने के आंकड़े भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी ठीक है।

माननीय अध्यक्ष जी, कानून के साथ-साथ विकास के मामले में भी हमारी पार्टी की सरकार ने दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के समय-समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान देते हुए व उनके बताये हुए रास्तों पर चलकर हर मामले में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर सरकार चलाई और प्रदेश के विकास के साथ-साथ सर्व समाज के हितों में व उसमें भी खासतौर से गरीब लोगों व दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को सभी मामलों में प्राथमिकता देते हुए अनेकों जनहित के कार्य किये हैं। जिनमें राज्य सरकार द्वारा संचालित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास स्लम एरिया मालिकाना हक योजना, मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना महामाया आवास योजना, महामाया सर्वजन आवास योजना, निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की नई योजना, डा0 अम्बेडकर निःशुल्क बोरिंग योजना, उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, डा0 अम्बेडकर कृषि ऊर्जा सुधार योजना, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून, मुख्य मंत्री महामाया सचल अस्पताल योजना, ग्राम पंचायत सचिवालयों की स्थापना आदि योजनायें प्रमुख हैं। इसके साथ शिक्षा, सड़क, अस्पताल व शहरों के विकास के मामले में भी हमारी सरकार ने काफी काम किये हैं। इसके अलावा प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने व लघु एवं बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, वकीलों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के हितों में भी हमारी सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और खास तौर से किसानों के मामले में इन्हें खेती करने के लिये खाद व बीज की कोई दिक्कत न हो इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी प्रकार की खाद का बफर स्टाक कायम किया है। इसके साथ ही उन्नतिशील प्रजाति के बीजों को भी आपूर्ति की है। साथ ही किसानों को फसली ऋण के लिये किसान क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। जिसमें मेरे जन्मदिन के मौके पर इस वर्ष पूरे प्रदेश में जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत 70,226 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। जिनके माध्यम से किसानों को लगभग 206 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली दी जा रही है तथा नहरों और नलकूपों को भी पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है।

हमारी सरकार ने गन्ना किसानों को वर्तमान पेराई सत्र के लिये गन्ना मूल्य के प्रति क्विंटल 40 रुपये की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की है। इसके तहत् अग्रणी प्रजाति के लिये 210 रुपये सामान्य प्रजाति के लिये 205 रुपये तथा अनुपयुक्त घोषित प्रजाति के लिये 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की है। चीनी मिलों को खेतों में गन्ना खड़ा रहने तक चीनी मिलों को चालू रखने के निर्देश हमारी सरकार ने दिये हैं। इसके साथ ही किसानों को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। समय से चीनी मिल न चलाने वाले मालिकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराये गये हैं। इसी तरह भूमि अधिग्रहण के मामलों में हमारी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं जिसके तहत् भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रभावित होने वाले किसानों के लिये हमने नई

पुनर्वास नीति जारी की है। प्रभावित किसानों को 33 साल के लिये 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से वार्षिकी हर साल मिलेगी और 600 रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ दी जायेगी, जो मुआवजे के अलावा होगी। वार्षिकी न लेने पर प्रभावित किसान को एकमुश्त दो लाख चालीस हजार प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिये जाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में 25 प्रतिशत के समतुल्य कम्पनी के शेयर प्राप्त करने का विकल्प किसानों को दिया है। अधिग्रहीत भूमि की 7 प्रतिशत भूमि आवास प्रयोजन के लिये सम्बन्धित काश्तकारों को आवंटित होगी। इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर व अधिकतम सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा तय किया जायेगा। प्रभावित किसानों को भू-खण्डों के आवंटन में 17.5 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के समय-समय पर जन्मे महान सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों को भी विभिन्न रूपों में पूरा-पूरा आदर सम्मान दिया है, जिनकी पूर्व सरकारों में उपेक्षा की गई थी लेकिन जातिवादी मानसिकता रखने वाले विरोधी पार्टियों को यह सब आसानी से हजम नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर भी विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने कुछ सवाल उठाये हैं। इस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि बिजली की समस्या कोई आज पैदा नहीं हुई है बल्कि यह सब अब तक अधिकांश समय सत्ता में रही विरोधी पार्टियों और उनके सहयोगी दलों द्वारा की गई उपेक्षा की ही देन है। इसी के चलते आज हमारी सरकार को प्रतिदिन मांग की तुलना में आपूर्ति की कमी से जूझना पड़ रहा है लेकिन इसके बावजूद भी अपने सीमित संशाधनों से किसानों, आम जनता व उद्योग धन्धों की जरूरतों को पूरा करने के लिये हमने कई बार 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी है और 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में बिजली की कोई नई इकाई प्रदेश में स्थापित नहीं की गई, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके बजाय बी0जे0पी0 के शासनकाल में तो राज्य सरकार ने अपने ऊंचाहार तथा टांडा ताप विद्युत परियोजनायें एन0टी0पी0सी0 को कौड़ियों के दाम पर बेच दिये। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश को बिजली की कमी से निजात दिलाने के लिये प्राथमिकता पर प्रभावी व अनेकों कदम उठाये और इस मामले में प्रदेश में नये बिजलीघरों की स्थापना और पूर्व स्थापित बिजलीघरों की क्षमता में विस्तार का कार्य प्रगति पर है।

इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के चलते 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में 6151 मेगावट की बढ़ोत्तरी होगी।

इसके तहत राज्य सेक्टर में लगने वाली नई विद्युत इकाइयों अर्थात् पारीक्षा तापीय विस्तार योजना (500 मेगावाट), हरदुआगंज परियोजना (500 मेगावाट), अनपरा-डी (1000 मेगावाट) के अलावा निजी क्षेत्र की अनपरा-सी (1200 मेगावाट), श्रीनगर जलीय परियोजना (330 मेगावाट) और एम0ओ0यू0 रूट के अन्तर्गत (450 मेगावाट) की इकाइयां शामिल हैं।

इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में पनकी तापीय विस्तार योजना (250 मेगावाट), हरदुआगंज तापीय विस्तार स्टेज-2 (660 मेगावाट), ओबरा-सी तापीय (1320 मेगावाट) एवं अनपरा-ई तापीय (1320 मेगावाट) कुल 3550 मेगावाट की परियोजनायें लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह संयुक्त क्षेत्र में 3300 मेगावाट की दो इकाइयां तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न माडलों के तहत 19540 मेगावाट की विभिन्न इकाइयां भी 12वीं पंचवर्षीय योजना के

अन्दर लगाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अर्थात् उठाये गये इन सब कदमों के द्वारा राज्य सरकार आगे आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को बिजली की कटौती से हमेशा के लिये निजाद दिलाने के लिये पूरी तरह से प्रयासरत है। अर्थात् इन सब उठाये गये कदमों के द्वारा राज्य सरकार आगामी 2014 से प्रदेश की जनता को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। इसके साथ ही साथ डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम सभा विकास योजना और मान्यवर, श्री कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना व अन्य योजनाओं के तहत गांवों व शहरों का विकास काफी प्रगति पर है इसके लिये प्रदेश के अति पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करने के लिये अर्थात् पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व अन्य पिछड़े हुये क्षेत्रों को विकसित करने के लिये तथा शिक्षा, बिजली, पानी स्वास्थ्य व गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये भी प्रदेश में पूर्व की सरकारों में जर्जर हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की सरकार से हमारी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के तुरन्त बाद ही हमारी पार्टी की सरकार ने इसके लिये केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल आर्थिक सहायता पैकेज मांगा था जिसमें केन्द्र सरकार का रवैया अभी तक नकारात्मक ही रहा है लेकिन फिर भी हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों को काफी हद तक विकसित किया है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में हर मामले में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त व विकास युक्त वातावरण पैदा करने तथा विकास व जनहित के लिये अनेकों ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जिनका काफी हद तक महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में और बजट में भी उल्लेख किया गया है। उन्हें मैं फिर से यहां दोहराना नहीं चाहती अध्यक्ष जी प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास हो इस मामले में भी हमारी सरकार हमेशा से गम्भीर रही है और इस मामले में हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आज भी बड़ा प्रदेश होने के कारण उसमें पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर अलग से राज्य बचाने के लिये हमने केन्द्र की सरकार को अनेकों बार चिट्ठी लिखी है और मैं सम्मानित सदन को यह बताना चाहती हूं कि जिस दिन इन तीनों मामले में केन्द्र की सरकार अपनी सहमति दे देती है अर्थात् पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग से राज्य बनाने के लिये अपनी सहमति दे देता है तो हमारी पार्टी की सरकार बिना देरी किये हुए तुरन्त विशेष विधान सभा का सत्र बुलाकर इन तीनों राज्यों को अलग से राज्य बनाने के लिये यहां से प्रस्ताव पास कराकर तुरन्त केन्द्र की सरकार के पास भेज देगी। अर्थात् इस मामले में हमारी पार्टी की सरकार बिल्कुल देरी नहीं करेगी। अध्यक्ष जी हर साल प्रदेश में खासतौर से पूर्वांचल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आकर तवाह और बरबाद हो जाता है जिसका मुख्य कारण नैपाल है इस मामले में भी हमारी सरकार ने अनेकों बार केन्द्र की सरकार को चिट्ठी लिखकर इसका स्थाई हल निकालने के लिये अनुरोध किया है। लेकिन आज तक भी इस पर केन्द्र की सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही साथ सदन को यह मालूम है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जो नजदीक के देश से लगे हुए हैं वहां से पानी छोड़ दिया गया था जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो गये थे और मैंने खुद भी उन क्षेत्रों का दौरा किया था और दौरा करने के बाद हमने केन्द्र की सरकार से स्पेशल पैकेज मांगा था जो बाढ़ से प्रभावित हुए लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिये स्पेशल पैकेज मांगा था इतना ही नहीं इस मामले को मैंने काफी गम्भीरता से लिया था।

और माननीय प्रधान मंत्री जी से समय लेकर मैं उनसे मिली अन्य मामलों को भी लेकर मिली जो बाढ़ से ग्रस्त लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये, उनकी जो फसलें तबाह हो गई थीं, सड़के टूट गई थीं, बहुत बुरा हाल हो गया था उसमें सुधार लाने के लिये मैंने खुद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलकर आर्थिक सहायता मांगी लेकिन केन्द्र की सरकार ने जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से हमको कोई मदद नहीं दी। इसी प्रकार से प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये बम्बई की तर्ज पर केन्द्र की सरकार से मदद मांगी गई। इस पर भी केन्द्र की सरकार का रवैया नकारात्मक रहा। यही रवैया नक्सलवाद की समस्या से निपटने के मामले में केन्द्र सरकार का बना हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को जिसमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड, माझी, मछुआ, लोनिया, नोनिया, लोनिया चौहान, धनकर आदि जातियों को अनुसूचित जाति व जनजाति में शामिल करने का निर्णय लिया। इनके आरक्षण में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वृद्धि करते हुए उन्हें भी शामिल करने का अनुरोध केन्द्र सरकार को अनेकों बार किया गया। लेकिन केन्द्र की सरकार ने इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति में इन पिछड़ी जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्य की सरकार को नहीं है, यह अधिकार केन्द्र की सरकार को है और इस सम्बन्ध में यह जरूर बताना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो इन जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल करने का केवल ड्रामा ही किया था और उसका हश्र यह हुआ कि यह जातियां न तो अनुसूचित जाति में शामिल हो पाई और साथ ही पिछड़ी जाति के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों से भी वंचित हो गई।

समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हुए हैं और उनको इस बात की जानकारी है और वो गर्दन भी हिला रहे हैं, और मैं इसके लिये भी उनका स्वागत करती हूं कि उन्होंने अपनी इस कमी को माना है। माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हमारी सरकार के ऊपर कुछ मामलों को लेकर अनदेखी करने का भी आरोप लगाया हैं, जिनमें से कुछ का जवाब देना मैं जरूरी समझती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खास तौर से मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी करने की बात कहीं है जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों में से खास तौर से मुस्लिम समाज के जान माल व मजहब की रक्षा की गारन्टी को हमारी सरकार ने प्राथमिकता में शामिल किया है और मैंने अपनी पार्टी की सत्ता के रहते हुए पूर्व में भी और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं पैदा होने दिया और इतना ही नहीं हमने धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान के मामले में भी वर्ष 1995 में जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये देश में पहली बार यहां अलग से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया। यह पहली बार देश में हमारी पार्टी की सरकार ने 1995 में यह कदम उठाया था। इसके साथ ही 1995 में ही हमने पिछड़े वर्ग की मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करके उन्हें शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का भी लाभ प्रदान किया। हमारी सरकार ने ही पहली बार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया और अब तक 100 मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इनकी शैक्षणिक, समाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अनेकों योजनायें लागू की गई। इतना ही नहीं बल्कि हमारी सरकार ने लखनऊ में

उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। इसके अलावा हमारी सरकार और भी अनेक कार्य इनके उत्थान के लिए करना चाहती है, लेकिन प्रदेश के सीमित संसाधनों की वजह से मजबूरी में नहीं कर पा रही है, लेकिन जहां तक दूसरी पार्टियों के शासन काल का सवाल है तो मैं इस बारे में यह बताना चाहती हूं कि अपने देश की आजादी के बाद केन्द्र व देश के ज्यादातर राज्यों में सत्ता कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रही और मुस्लिम समाज, पूरे देश का मुस्लिम समाज, यह देखता रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी, लेकिन हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गये तो उस समय मुस्लिम समाज के लोग सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत थे लेकिन आज स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज्यादा अपने आप को मुस्लिम समाज का हिमायती कहती है, तो हुआ क्या, आजादी के बाद आज स्थिति यह है कि जो तादाद आजादी के बाद 1947 में 33 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में थीं, वह घटकर अब एक या डेढ़ फीसदी रह गई है। और इतना ही नहीं आप लोग रिकार्ड उठाकर देख लो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हिन्दू मुस्लिम दंगे फसाद भी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए। बी0जे0पी0 के शासन में तो साम्प्रदायिक दंगों की आड़ में इनमें काफी ज्यादा डर और दहशत को पैदा किया गया। स0पा0 ने यहां उत्तर प्रदेश में आने के लिए इनका वोट तो जरूर लिया लेकिन इनके हितों में हवाई बातों के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं किया अभी मैं यह नहीं कहती हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि हम मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जाएं तो आज मुस्लिम समाज के लोग पहले तो दबी जवान में बोलते थे लेकिन अब इस बात को खुलकर बोलते हैं। इसी प्रकार हमारी सरकार ने पहले शासन काल में ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग का भी गठन किया है और इन सभी विभागों के अलग से सरकार में मंत्री बनाकर इन वर्गों के उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया है और इनके हितों में और भी अनेकों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों के माननीय सदस्यों के द्वारा मंहगाई का मुद्दा भी उठाया गया है। इस मामले में मैं पहले भी अनेकों बार यह बात कह चुकी हूं कि पूरे देश में बढ़ती हुई मंहगाई के लिए राज्यों की सरकारें नहीं बल्कि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 की सरकार की गलत आर्थिक व आयात निर्यात सम्बन्धी नीतियां ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पूंजीपतियों और धन्नासेठों को फायदा पहुंचाने की नीयत से केन्द्र द्वारा लागू की गई इन गलत नीतियों का खामियाजा वर्षो से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

इसके अलावा केन्द्र सरकार के माननीय मंत्रियों द्वारा समय-समय पर की गयी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ने भी मंहगाई के मामले में आग में घी डालने का काम किया है, जिसके चलते देश में जमाखोरों और मुनाफाखोरों को खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ाने का पूरा मौका मिला। इसलिए मंहगाई के मामले में विपक्षी दलों को प्रदेश सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने के बजाय अपनी आवाज केन्द्र सरकार के सामने बुलन्द करनी चाहिए, अपनी बात केन्द्र सरकार के सामने रखनी चाहिए। इसी के साथ जहां तक प्रदेश में खाद्य पदार्थों की कीमतों को काबू में रखने का सवाल है तो इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रदेश में जमाखोरों व मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसके सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाई के बारे में आप सभी पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। राज्य सरकार द्वारा जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के खिलाफ

कार्यवाई करने के लिए प्रदेश-व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर महीने तक प्रदेश में लगभग 31 हजार दुकानों में छापे मारे गये इस कार्यवाही में 1200 से अधिक मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई और लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा लगभग 4000 राशन की दुकानों को निलम्बित किया गया और लगभग 2500 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को केन्द्रीय सहायता की असलियत से भी वाकिफ कराना चाहूंगी, जिसके बारे में खास तौर से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्यों ने चर्चा के दौरान काफी कुछ कहा है, सदन के अन्दर भी, वैसे तो सदन के बाहर भी बहुत बोलते रहते हैं और इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह बताना चाहती हूं कि केन्द्र, राज्यों को सहायता देकर कोई एहसान नहीं करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के अधीन सहायता प्रदान करना केन्द्र सरकार के लिए जरूरी है और यह सहायता प्राप्त करना राज्यों का अधिकार है और यह सभी जानते हैं कि राज्यों से जमा होने वाले केन्द्रीय करों को ही निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है। इस सम्बन्ध में गौर करने वाली बात यह है कि केन्द्रीय करों के संग्रह में सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसके बावजूद केन्द्र, प्रदेश सरकार को उसका जायज हक नहीं दे रहा है। इसके अलावा प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी मदद उपलब्ध नहीं कराई गई जो राज्य के विकास में अतिरिक्त के रूप में हो। सच तो यह है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का बड़ा हिस्सा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को उपलब्ध नहीं कराया गया और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध की भी लगातार अनदेखी की गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले में सम्मानित सदन के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को यह बताना चाहूंगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश को केन्द्र से कुल मिलाकरा प्राप्त होने वाली लगभग 33000 करोड़ रुपये की धनराशि के मुकाबले दिसम्बर, 2010 तक मात्र 18800 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है। ऐसे में यदि केन्द्र बकाया धनराशि को उपलब्ध भी करा देता है तो फिर उसे खर्च करने में समय तो लगेगा ही और यदि इस धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न हो सका तो अगले वर्ष के आवंटन में से खर्च न होने वाली यह धनराशि केन्द्र द्वारा समायोजित कर ली जायेगी। कितना नुकसान होगा इससे राज्य को ? जाहिर है कि केन्द्र सरकार की इस असहयोगपूर्ण नीति का खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ प्रदेश का सम्पूर्ण विकास करने पूर्वाचल एवं बुन्देलखण्ड में विकास की गति तेज कर क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा अन्य सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा मांगे गये 80 हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज पर भी केन्द्र सरकार ने आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा भी ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनमें केन्द्र ने हमारी पार्टी की सरकार के साथ भेदभाव किया है। मिसाल के तौर पर कई राज्यों की सिंचाई से सम्बन्धित अनेकों परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में केन्द्र द्वारा लागू की जा रही हैं। इसके विपरीत इस सम्बन्ध में हमारी सरकार द्वारा लगातार किये गये अनुरोध की अनदेखी करते हुए आज तक राज्य की एक भी सिंचाई परियोजना को इसमें शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं पी0एम0जी0एस0वाई0 में एक हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का कार्य प्रदेश में पूरा कर लिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक हजार से कम आबादी वाली बस्तियों

को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का फैसला लिया है जिसके क्रम में प्रस्ताव काफी समय पूर्व केन्द्र सरकार को उपलब्ध करा दिये गये, जिन्हें आज तक केन्द्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है। इसके विपरीत दूसरे राज्यों में ऐसे मजरों को जोड़ने की स्वीकृति केन्द्र द्वारा दे दी गयी है। इसी के साथ कई योजनाएं ऐसी है जिनको लागू करने की दावेदारी कर केन्द्र सरकार अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन इन पर खर्च की जाने वाली धनराशि का बोझ प्रदेश सरकार पर डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की जिम्मेदारी केन्द्र की है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा वजीफे की अपेक्षित धनराशि नहीं दी जा रही है। इस प्रकार केन्द्र की वचनबद्धता पर राज्य सरकार द्वारा इन छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति को भरपाई भी नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में हमारी सरकार द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों पर भी उंगली उठाने की कोशिश की गयी है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से सड़क, पुल आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण कराने के साथ-साथ इनमें पूरी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं बल्कि जहां कहीं भी इस सम्बन्ध में हमें शिकायतें मिलीं तो हमने बिना किसी विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती स0पा0 सरकार के कार्यकाल में इंजीनियर, ठेकेदारों और सत्ता के नजदीकी लोगों की सांठ-गांठ के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता का हाल पूरे प्रदेश की जनता आज तक भी नहीं भूली है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की कलई तो तब खुल गयी थी जब सितम्बर, 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फैजाबाद मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाइओवर अचानक ढह गया था, जिसमें अनेक लोगों की दुखद मृत्यु हो गयी थी। हमारी सरकार द्वारा पीड़ितों को हरसम्भव मदद प्रदान किये जाने के साथ ही केन्द्र सरकार से दुर्घटना के कारणों की जांच करने की मांग की गयी थी। इस सम्बन्ध में क्या फैसला हुआ, जांच की क्या रिपोर्ट आयी, इसकी जानकारी अभी तक शायद किसी को भी नहीं है। इसी प्रकार बी0जे0पी0 के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 सरकार के शासन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन सड़कों में किये गये भ्रष्टाचार की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री को देने की हिम्मत जब एक ईमानदार इंजीनियर ने की तो नवम्बर, 2003 में उसकी बिहार राज्य में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ मा0 सदस्यों द्वारा स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान को लेकर राज्य सरकार पर बेबुनियाद टिप्पणियां की गयी है जबकि इस मामले में सभी लोग जानते हैं कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये शुरू से ही संवेदनशील व गम्भीर रही है। यही कारण है कि हमने अपने वर्ष 2002-03 में, अपने पिछले शासन काल में ही प्रदेश के बजट में ऐसी व्यवस्था लागू कर दी ताकि स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान की बजट धनराशि का उपयोग केवल अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिये ही हो सके और इसे किसी अन्य कार्य हेतु न किया जा सके। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी कहना चाहूंगी और इसे मैंने बताया कि ये जो फण्ड होगा स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का तो ये केवल एस0सी0-एस0टी0 के वेलफेयर के लिये ही इस्तेमाल किया जायेगा और इसे किसी अन्य किसी कार्य के लिये ट्रांसफर नहीं किया जायेगा। और इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब से हमारी पार्टी की सरकार यहां प्रदेश में सत्ता पर आयी है, तब से अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये संचालित योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। इस

सम्बन्ध में आंकड़े गवाह हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी सरकार ने वर्ष 2007-08 में स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान में आवंटित परिव्यय का 82.1 प्रतिशत, वर्ष 2008-09 में 91.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 में कुल 96.1 प्रतिशत का व्यय सुनिश्चित किया जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व में 60.7 प्रतिशत औसत व्यय हुआ था। इसके विपरीत विपक्षी पार्टियों का रवैया अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के प्रति कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है और इस मामले में जनता भूली भी नहीं है कि कैसे दिल्ली राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के लगभग 750 करोड़ रुपये राष्ट्र मण्डल खेलों के आयोजन के लिये ट्रांसफर कर दिये थे और इस मामले को हमारी पार्टी ने पार्लियामेण्ट के अन्दर भी उठाया था। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 की पहली सरकार ने केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, यह पहली ऐसी सरकार है, जिसने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने के इरादे से दलित एवं आरक्षण विरोधी विधेयक को लोकसभा में पास कराने की साजिश रची थी और इन दोनों मामलों में हमारी पार्टी के पुरजोर विरोध के चलते पार्लियामेण्ट में इन दोनों मामलों में हमारी पार्टी के पुरजोर विरोध के चलते कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर गया था। दलितों के सम्बन्ध में अन्य विपक्षी पार्टियों का नजरिये भी कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं है, लगभग ऐसा ही है, मिलता-जुलता है। ***"संविधान-निर्माता बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर"*** ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये संविधान में आक्षण की व्यवस्था की थी। यह आप लोगों को मालूम है, उस संविधान को बदलने के लिये बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की तत्कालीन सरकार ने तो बाकायदा एक आयोग का गठन तक कर दिया था, जिसे भी हमारी पार्टी ने होने नहीं दिया। इसमें हमने बीजेपी को कामयाब नहीं होने दिया। मा0 अध्यक्ष महोदय इस अवसर पर मैं राज्य अतिथि नियमावली में किये गए कतिपय रूटीन संशोधन पर विपक्षी पार्टियों के माननीय सदस्यों द्वारा अनावश्यक रूप से जताई गई आपत्ति के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि यह मामला काफी समय से विचाराधीन था और इस सम्बन्ध में अलग-अलग प्रदेशों द्वारा अपनी-अपनी, अलग-अलग नीति अपनाई गई है, इसलिए प्रदेश की अतिथि नियमावली में संशोधन पर विचार के दौरान केरल, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की नियमावली का अध्ययन किया गया तथा इसके पश्चात् लम्बे समय से विचाराधीन इन संशोधनों को अन्तिम रूप दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी ऐसा लगता है कि मा0 विपक्षी सदस्यों ने खास तौर से कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्यों ने देश के अन्य राज्यों में लागू नियमावली तथा प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अतिथि नियमावली में किये गए संशोधनों को ध्यानपूर्वक नहीं देखा है, नहीं तो वह इस प्रकार की आपत्तियां कदापि न उठाते। मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था और विकास व जनहित के कार्यों की समीक्षा के लिए मैंने पहली फरवरी से प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर निरीक्षण करने का प्रोग्राम बनाया है। यह मा0 सदन को मालूम है और यह प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया है। यह मा0 सदन को मालूम है और यह प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन विरोधी पार्टियों के द्वारा इसकी सराहना करने की बजाय इसकी भी आड़ में ये विरोधी लोग घिनौनी राजनीति करने में जुटे हुए हैं और इस दौरे को लेकर जब इनके पास कुछ भी बोलने के लिए अब नहीं बचा है तो अब ये लोग मेरी सैंडिल तक पहुंच गये।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई व हंसे)

जिसका जवाब मेरी ओर से कल प्रेस मीडिया के माध्यम से इनको दे दिया गया है। इसके साथ ही मीडिया में भी जातिवादी मानसिकता रखने वाले और हमारी पार्टी और सरकार से दुखी कुछ चैनल, मैं सब की बात नहीं कर रही, कुछ चैलन व अखबारों ने इसकी आड़ में अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस मुद्दे को खूब उछाला है और इससे पहले जब मैं अलीगढ़ व महामायानगर जिले के दौरे पर निरीक्षण के लिए गई तब भी यह सब विरोधी तत्व, विरोधी लोग, विरोधी पार्टियों के लोग मेरे दो मंत्रियों अर्थात् अलीगढ़ से ठाकुर जयवीर सिंह और मैनपुरी से श्री जयवीर सिंह के पीछे जबरदस्ती पड़ गए जबकि अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक जो आरोप इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगाये हैं एवं भरथना के एम0एल0ए0 के ऊपर लगाये गये आरोप तथ्यहीन व बेबुनियाद है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

अर्थात् इन पर लगाये गए सभी आरोप केवल हमारी पार्टी व सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र हमें विरोधी पार्टियों का नजर आता है, और उसमें भी खास तौर से समाजवादी पार्टी का। इस प्रकार मा0 अध्यक्ष जी, विरोधियों के इस किस्म के षडयंत्रों से यह साफ जाहिर हो जाता है कि विपक्ष के पास हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए अब कोई भी ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं और इस बारे में विरोधी पाटियों को शायद यह मालूम नहीं है कि विरोधी पार्टियों के लोगों ने जब-जब भी इस तरह के षडयंत्रों के तहत हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है तो तब-तब हमारी पार्टी का जनाधार और ज्यादा बढ़ा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

और इस बात का जीता-जागता उदाहरण ताज प्रकरण मामला है। सन् 2003 में जब मैंने सत्ता छोड़ी और उस समय केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार थी। मुझ पर दबाव बनाने के लिए तो उस समय केन्द्र की सरकार ने हर प्रकार के हथकण्डे इस्तेमाल करके मुझे ताज प्रकरण मामले में फर्जी फंसाया गया और मेरी इमेज को हर किस्म के घिनौने हथकण्डे इस्तेमाल करके खराब करने की पूरी की पूरी कोशिश की गई। जबकि उस समय मान्यवर, कांशीराम जी गम्भीर बीमारी से जूझ रहे थे, हास्पिटल में एडमिट थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और सन् 2003 में सत्ता छोड़ने के बाद मैं इस जिद के साथ उत्तर प्रदेश में बीएसपी के जानाधार को बढ़ाने में लग गई थी कि जब भी उत्तर प्रदेश में विधान सभा का आम चुनाव होगा समाजवादी पार्टी तो सत्ता में आयेगी ही नहीं और भी पार्टी नहीं आयेंगी, लेकिन इस बार जब भी चुनाव होगा, सन् 2003 में मैंने यह तय किया था सत्ता से हटने के बाद कि जब भी उत्तर प्रदेश में विधान सभा का आम चुनाव होगा तो हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर एबसोल्यूट मेजोरिटी लेकर आयेगी और हमें किसी के सहारे की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी और इस जिद के साथ मेरे को घेरा विरोधी पार्टियों ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी आड़ में दूसरी पार्टियों ने भी, वह भी लग गई मेरी इमेज को खराब करने के लिए लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, जी-जान से लगी रही और बीएसपी एबसोल्यूट मेजोरिटी के आधार पर सत्ता में आई, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं सम्मानित सदन को कहना चाहती हूं कि जो हमारी पार्टी और सरकार के ऊपर बे-बुनियाद तथ्यहीन जो आरोप लगाये जा रहे हैं तो इससे नुकसान हमारी पार्टी का नहीं होगा, नुकसान विरोधी पार्टियों का ही होगा क्योंकि जितना आप बीएसपी के ऊपर गलत आरोप लगायेंगे, जितना तथ्यहीन आरोप लगायेंगे, बे-बुनियाद आरोप लगायेंगे, हमारी पार्टी के लोगों में उतना और

ज्यादा गुस्सा तेज होगा और वह और ज्यादा जी-जान से लगेंगे और मैं आपको यह बताना चाहती हूं और यह इलेक्शन इयर है जितना आप कोशिश करेंगे बीएसपी को और सरकार को बदनाम करने की मेरे लोग जोश के साथ लग जायेंगे और मैं आपको यह आज बताना चाहती हूं, जब उत्तर प्रदेश में समय पर विधान सभा का आम चुनाव होगा तो इस बार बीएसपी पहले से ज्यादा अपने विधायक जिता कर लायेगी, ज्यादा सीटों पर कामयाब होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की आर्थिक विकास दर के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगी और प्रदेश की आर्थिक विकास दर के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2002 से 2007 तक के पांच वर्षों की अवधि में प्रदेश की आर्थिक विकास दर 5.2 प्रतिशत थी, इसके विपरीत वर्ष 2007-2008 में प्रदेश की विकास दर 7.5 प्रतिशत रही और वर्ष 2009-2010 में प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत आंकलित हुई है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2006-2007 में रुपये 15865 थी जो वर्ष 2009-2010 में 46 प्रतिशत बढ़कर अर्थात् 23132 रुपये हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य विपक्षी दल के नेता ने महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय या बोलने से पहले शुरू ही करने वाले थे तो जब इनको बोलने के लिए आपने बुलाया तो इन्होंने नेता सदन को हाऊस में रहने के लिए परम्परा निभाने की भी आज बात कही है, लेकिन इस पर उनको मेरा यही कहना है कि मान्यवर, कि इनको इस बारे में दूसरों को सलाह देने के बजाय पहले खुद भी इस सलाह पर अमल करना चाहिए। और उनके लिये यह अच्छा होता कि जब कल प्रदेश का बजट रखा गया था तो उन्हें परम्परा के मुताबिक हाउस में मौजूद रहना चाहिए था। मैं समझती हूं कि उनका इस बारे में जवाब होगा कि मुझे घर में कुछ जरूरी कार्य था। लेकिन इस पर भी मेरा इनको यह कहना है कि जब उनको घर पर जरूरी कार्य हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं जरूरी सरकारी कार्य हो सकता हैं क्योंकि मै ंसरकारी कार्य में व्यस्त थी, भारत सरकार से जनगणना की टीम आयी हुई थी और आज से जनगणना शुरू हो गयी है तो मै ंउनके साथ व्यवस्था थी। इसलिए मैं इधर नहीं आ सकी तो कारण यह था। इसलिए इस बारे में प्रतिपक्ष के नेता को मेरा यही कहना है कि दूसरों को सलाह देने से पहले तो इनको इस सलाह पर खुद भी अमल करना चाहिये। अच्छा होता वे कल यहां बजट के मौके पर मौजूद रहते। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मेरा यही कहना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हुई बहस के दौरान विरोधी पाटियों के माननीय सदस्यों द्वारा जिन मुद्दों को लेकर हमारी सरकार की जो आलोचना की गयी है उनमें से जरूरी मुद्दों का मैंने बिन्दुवार खण्डन कर के सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को सही स्थिति से अवगत करा दिया है। अपनी बात यहीं पर समाप्त करने से पहले मैं सभी विपक्षी पार्टियों के सम्मानित सदस्यों से यही कहना चाहूंगी और खासतौर से समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगी कि वह प्रदेश सरकार के खिलाफ तथ्यहीन और बेबुनियाद और गलत आरोप लगाना बंद करें और कानून व्यवस्था तथा विकास के मामले में सरकार को अपना सहयोग प्रदान करें। ताकि हमारी सरकार जनता को बेहतर कानून व्यवस्था देने और विकास की गति को तेज करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। और, अंत में महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करूं लेकिन इससे पहले मैं कुदरत से यह प्रार्थना भी करती हूं कि पूर्व की भांति इस बार भी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषाण के दौरान कुछ

विरोधी पार्टियों ने संसदीय मर्यादा को ताक पर रखकर जो निन्दनीय आचरण किया है आगे वे ऐसा आचरण न करे कुदरत इसके लिए इन्हें सद्बुद्धि जरूर दे। इन्हीं जरूरी बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं धन्यवाद। (मेजों की थपथपहाट)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमने माननीय नेता सदन का भाषण डेढ़ घंटे सुना और उन्होंने कुछ पिछड़ी जातियों के नामों का उल्लेख किया जिसमें कश्यप, कुम्हार, माली, सैनी आदि कि उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाय। मान्यवर, सबको पता है कि अनुसूचित जाति का दर्जा देना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि पूरे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन जातियों का सर्वेक्षण करने के बाद में इन जातियों का वर्गीकरण किया गया था और इन जातियों को अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया था। इसी प्रकार कुछ जातियों को अति दलित जातियों की श्रेणी में रखा गया था। मेरा कहना यह है कि जब तक इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले क्या ावर्तमान प्रदेश सरकार इन जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में और अति दलित वर्ग में श्रेणीबद्ध करके अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था करेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीया मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि केन्द्र सरकार को इसमें करना है। मान्यवर, इन्होंने किया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्थगित कर दिया। मान्यवर, अब उसी तरह की कोई कार्यवाही चाहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सक्षम है व्यक्ति केन्द्र सरकार सक्षम है किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करे और चूंकि अनुसूचित जाति को उनकी संख्या के आधार पर समानुपातिक ढ़ंग से रिजर्वेशन की व्यवस्था है इसलिए उस संख्या के आधार पर उसको बढ़ाने के लिए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उसके लिए चिट्ठी लिखा है। यह केन्द्र सरकार का विषय है इसलिए उसके लिए अलग से प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह उन जातियों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, जो आरक्षण दिया गया था वह आरक्षण बहाल होना चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें। दूसरी बात कह रहा हूं।

मान्यवर, नियमावली का नियम-289 देखें। 289 में इस सदन की कुछ मर्यादा है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कोई व्यक्ति अपने बोलते वक्त राज्य द्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। इसी तरह से 289-क-है जिसमें है किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया-किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको निकालने की कार्यवाही करें। उन शब्दों को दिखवाकर उन्हें निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

जो असंसदीय है उन्हें निकाल देंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं...

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमने बहुत सूक्ष्म में अपना पक्ष रखा था। मान्यवर, इसी सदन में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, अधिनियम बनाया था उसमें यह भी भागीदार थे उसके बाद कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय में स्थगित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थगित नहीं है वह याचिका रद्द हो चुकी है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम भागीदार नहीं थे बल्कि इन्होंने जोड़ और तोड़ करके जिसकी एक महान नेता सफाई आज दे रहे हैं कि हमने यह किया यह किया, बहुत बड़ा पाप किया था इसी तरह का पाप करके इन्होंने सरकार बनाई थी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह उनके हित को खा रहे हैं उनके हक को खा रहे हैं इसके विरोध में हम अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम-289-क का उल्लेख अभी संसदीय कार्यमंत्री जी ने किया। आप नियमावली देख लें मैं आपकी आज्ञा से इसके शब्द पढ़ता हूं। किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सकें।

मान्यवर, दो बातें हैं और विशेष है। उन्होंने ठीक कहा है कि हमको किसी के विरुद्ध अगर मानहानिकारक आरोप लगाना होगा तो हमको उसकी लिखित सूचना देनी चाहिए आपके माध्यम से ताकि उसका स्पष्टीकरण भी जिसके विरुद्ध आरोप लगाया जाय, मंशा यही है इसकी कि वह उसका समुचित उत्तर दे सके और सदन में उनको समानता जिस किसी पर आरोप लगाया जाय उत्तर देने का अधिकार है। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण को आप दिखवा लेंगे उन्होंने किसी मंत्री का नाम किसी मंत्री मायने यथा संसदीय कार्यमंत्री, यथा बिजली मंत्री, यथा पीडब्लूडी मंत्री, यथा स्वास्थ्य मंत्री, किसी मंत्री पर उन्होंने सीधे-सीधे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया और प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार या विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख इस सदन में करने के लिए यदि नोटिस देने की जरूरत है तो संसदीय कार्यमंत्री जी विद्वान हैं, जानते हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार का उल्लेख करने के लिए 289-क का इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा पैरा परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेंगे यदि उनकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।

मान्यवर, जब भी आपके सम्मुख ऐसी कोई बात कहीं जाय और मान्यवर, आपको उचित नहीं लगे कि यह बात लोकहित के विरुद्ध है, या प्रतिषिद्व करने योग्य है तो आप रोक सकते हैं। इस समय तो अभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं, तब तक उसके पहले ही इतना चैतन्य रूप में यह पहले से कैसे इतना एडवांस हो गये कि नेता प्रतिपक्ष कोई ऐसी बात कह सकते हैं, जिसमें 289-क पर आप पहले से सतर्क हो जाइये। वह ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं। हम सिर्फ यह कहने वाले हैं कि परम्पाओं का नाम आप क्यों लेते हैं आपका परम्पराओं से क्या लेना देना ? आपका परम्पराओं से कोई लेना देना नहीं है। मान्यवर, बाध्यता में माननीया मुख्यमंत्री जी आ गयीं और परम्परा यह है कि नेता प्रतिपक्ष और दूसरे लोग, जिनको आप आज्ञा देंगे, वह अपना स्पष्टीकरण पूछेंगे, उसके बाद वह जायेगी। यह परम्परा न इसके पहले और न बोलने के बाद निभाई गयी। तो आपका परम्पराओं से क्या लेना देना। इसलिये परम्पराओं पर आप बात बंद कीजिये और नियमों को पढ़ते रहिये, इन नियमों में कुछ भी आपके मतलब का नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पहले तो नेता सदन आई नहीं। जब पूरे विपक्ष ने बाध्य किया तब उनको आना पड़ा और उसके बाद कोई सार्थक जवाब भी नहीं दिया। जो अधिकारियों ने लिखकर दिया, वह पढ़ दिया और फिर उसके साथ-साथ विपक्ष के सभी नेताओं का स्पष्टीकरण का जवाब आना था वह भी नहीं दिया और चली गयी। माननीय अध्यक्ष जी, आपको जानकारी में है कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि 8 तारीख को हम नहीं रहेंगे। जब भी कोई सदन का कार्यक्रम रखा जाता है तो नेता सदन और नेता विपक्ष, दोनों की राय से रखा जाता है तो यह तय भी हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कोई सार्थक जवाब नहीं था केवल अपराधियों को बढ़ाने का और उनको सुरक्षा देने का काम हो रहा है, इससे ला एण्ड आर्डर की स्थिति और खराब होगी इससे न तो उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जायेगा बल्कि इससे उत्तर प्रदेश की दुर्दशा इस भ्रष्टाचार के कारण और होनी है। इसलिये हम इस पूरे सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर गये)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पूरे सदन का बहिष्कार करते हैं। अभी तक तो कुछ समझ में आता नहीं था। अब तो कम से कम कुछ समझ लो। मान्यवर, मैं इनके चलते-चलते कहना चाहता हूं, चौधरी साहब जरा सुन लें।

'कि तुमने गैरों पे जो इल्जाम लगा रखे हैं,
अपने दामन के मगर दाग छिपा रखे हैं,
और वह दाग उजागर न हो, इसलिये भाग लिये।'

हमारे यह भाई बीजेपी वाले, हम यह भी नहीं कह सकते कि हम दो हमारे दो, क्योंकि टोटल वह तीन थे। चार भी नहीं थे। उसके बाद कहते हैं कि मैं और मेरा दल बाहर। उनके लिये भी दो लाइन कह दूं-

'कि रिश्त-ए खून तोड़ डाला है,
और सच का मजमुन तोड़ डाला है,
आज यह देशभक्त बनते हैं,
जिसने कानून तोड़ डाला है।'

माननीय तिवारी जी नहीं बैठे हैं, लेकिन उस दल के लोग बैठे हैं। इनके भी सम्मान में एक बात कह दूं। जो माननीया नेता सदन माननीया मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी, उसी से सम्बन्धित एक बात मैं कह दूं।

''मैंने कहा कि लफ्ज बुराई के हैं बहुत,
जैसे जुआं, शराब, डकैती, फरेब केस,
यह बोले कि एक लफ्ज में इसको बयां करो,
मैंने कहा कि सबसे मुनासिब है कांग्रेस।''

तो मान्यवर, यह हाल इन सबके हैं। आप मान्यवर, आगे की कार्यवाही शुरू करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता, विरोधी दल ने प्रस्तुत किये हैं, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी, जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 04 फरवरी, 2011 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2011-2012 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा सदस्यों का नाम निर्देशित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 09 फरवरी, 2011 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2011-2012 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा प्रदेश के ''स्थानीय निकायों के लेखा

परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2011-2012 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2011-2012 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा प्रदेश के ''स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2011-2012 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 फरवरी, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

1-श्री प्रमोद तिवारी की अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के बन्द होने के उपरान्त उसके कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित न किये जाने के संबंध में, 2-श्रीमती कृष्णा राज की जनपद खीरी के ग्राम उकरमुंहा के पूर्व ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में, 3-डां0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में जिला जेल बाईपास के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण किये बिना जबरन भूमि पर कब्जा करने तथा मुआवजा न देने के संबंध में तथा 4-श्री संजय कपूर की रामपुर में बिलासपुर से चकफेरी होते हुए नवाबगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी विधान सभा क्षेत्र में निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, 2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की प्रदेश के सहायता प्राप्त पालीटेक्निक तथा आई0आई0आर0टी0 इलाहाबाद के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2002 से वेतन न मिलने एवं छठे वेतनमान के वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में, 3-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में तथा 4-श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ स्थित बिलरियागंज रौनापार क्षतिग्रस्त मार्ग को मिक्स्ड प्लाण्ट से बनवाये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1-श्री इमरान मसूद की सहारनपुर में फर्जी राशन कार्डो को जारी करने वाले दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में, 2-श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के ग्रामीण अंचलों में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित बन्द पानी की टंकियों को पुनः चालू कराये जाने के संबंध में, 3-श्री मदन चौहान की गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्मित सड़कों की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के संबंध में, 4-श्री आरिफ अनवर हाशमी की विधायक पर हुये प्राणघातक हमले के कारण एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में, 5-श्री राधेश्याम गुप्ता की फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में, 6-डा0 आर0ए0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी के निघासन व पलिया में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के संबंध में, 7-श्री सुन्दर लाल लोधी की उन्नाव के ग्राम पंसरिया में विद्युत आपूर्ति न किये जाने के संबंध में, 8-श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद नगर में शिवनगर पहाड़गंज की जल निकासी हेतु बनाये जा रहे नाले के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के संबंध में, 9-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद मेरठ में करोड़ों रुपये के गबन करने वाले प्रभारी चिकित्साधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में तथा 10-श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर स्थित जानसठ बस अड्डे से विश्वकर्मा चौक होते हुये पचेड़ा रोड तक मार्ग का निर्माण हॉटमिक्स्ड प्लाण्ट से कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

1-श्री बाला प्रसाद अवस्थी,

2-श्री निर्मल वर्मा,

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

4-श्री मदन भैया,

5-डा0 अजय तोमर,

6-श्री राजाराम त्यागी,

7-श्री बैजनाथ दूबे,

8-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
9-श्री पंकज कुमार मलिक,
10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,
11-श्री राम बिशुन आजाद,
12-श्री जावेद अंसारी,
13-डा0 पी0 के0 राय,
14-श्री अनूप कुमार गुप्ता,
15-श्री कुबेर सिंह,
16-श्रीमती मिथिलेश पाल,
17-श्री प्रजापालन,
18-डा0 अनिल चौधरी,
19-श्री हरपाल सिंह,
20-श्री कौकब हमीद,
21-श्री कृष्ण गोपाल पटेल,
22-श्री शिव गणेश लोधी,
23-श्री उदयभान करवरिया,
24-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
25-श्री अरविन्द सिंह यादव,
26-श्री विजय बहादुर यादव,
27-श्री अमित गौरव,
28-डा0 राजेन्द्र सिंह तथा
29-श्री यशपाल सिंह चौहान।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। दिनांक 14 फरवरी, 2011 को पुनः मिलेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 05 बजकर 48 मिनट पर सोमवार, 14 फरवरी, 2011 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

दिनांक 9 फरवरी, 2011

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर।)

वर्ष 2009-10 में स्वीकृत मार्गों का विवरण

क्र0सं0	मार्ग का नाम
1	ग्राम गांधी की रोड से सूजरा
2	बागपत-मेरठ रोड से ग्राम बली के करवार पहलवान के मकान तक शेष भाग
3	ग्राम नीतली से नाले की पटरी
4	सूप खास की पटरी
5	किरवल से ककड़ीपुर
6	टीकरी से दाहा मार्ग शेष भाग
7	आरिकपुर खेड़ी से फतेहपुर पट्टी का अवशेष भाग
8	बरवाला से सिलाना अवशेष भाग प्रथम भाग
9	बरवाला से सिलाना अवशेष भाग द्वितीय भाग
10	ग्राम अंगदपुर आर्य समाज मन्दिर से बड़ौत बिनौली रोड तक
11	बावली सिनौली अवशेष भाग
12	मेरठ-बिड़ौत रोड से जिवाना गुलियान में इन्टर कालेज तक
13	बिजवाड़ा बाईपास मार्ग
14	इन्द्रप्रस्थ स्कूल (काटा) से बन्दपुर मोड़ पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड तक

वर्ष 2010-11 से स्वीकृत मार्गों का विवरण

क्र0सं0	मार्ग का नाम
1	इन्द्रप्रस्थ स्कूल (काटा) से बन्दपुर मोड़ पी0एस0जी0एस0वाई रोड तक
2	ग्राम फतेहपुर माजरा में बाल्मिकी बस्ती की बगल से नकुल के घर के सामने से रामपाल रघुवीर के खेत होते हुये ग्राम बिलौवपुरा पक्की सड़क के अवशेष भाग से फतेहपुर क्रय-केन्द्र होते हुये प्राथमिक विद्यालय के बगल अमीनगर सम्पर्क मार्ग तक की पक्की सड़क का निर्माण
3	कासिमपुर खेड़ी रेलवे स्टेशन से जिवानी सम्पर्क मार्ग
4	स्माला टाण्डा रोड से सोन्टी मार्ग सूप खास तक
5	टीकरी दाहा सम्पर्क मार्ग पर प्याऊ से दोघट को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग
6	दोघट से नांगल तक पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से आगे अशरफाबाद स्थल कृष्णा नदी के पुल तक शेष भाग

क्र0सं0	मार्ग का नाम
7	वुगाना बाईपास के अवशेष भाग से खेड़ा कुर्तान सम्पर्क मार्ग तक
8	मलकपुर चीनी मिल से बरवाला प्रथम भाग
9	कुहारा से सिलाना
10	हिलवाड़ी तालाब से ईदरीशपुर नहर की पटरी तक
11	शबगा से फफोरकलां
12	सिरसली से बड़ौती बिनौली रोड तक
13	बिजवाड़ा इन्टर कालेज से बड़वद नहर की पटरी
14	बड़ौद बिनौली रोड से लोहट्टा बाईपास होते हुये बिजरौल मार्ग
15	बड़ौत कोताना रोड पर बोहला के पास से मलकपुर मार्ग

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

विधान सभा क्षेत्र बछरांवा के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में कराये गये मरम्मत/सुधार एवं नवीनीकरण कार्यो की सूची

क्र0सं0	योजना का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	राज्य सड़क निधि (3054-मरम्मत/सुधार)	रानीखेड़ा सम्पर्क मार्ग	1.00	6.59	
2		हाजीपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	4.98	
3		कतकौली सम्पर्क मार्ग	1.00	5.74	
4		रामपुर टिकरा सम्पर्क मार्ग	0.20	1.33	
5		डोडवापुर सम्पर्क मार्ग	1.00	7.32	
6		सरांय मुबारक सम्पर्क मार्ग	1.00	5.63	
7		छतैया सम्पर्क मार्ग	1.17	7.35	
8		मगतपुर सम्पर्क मार्ग	1.40	6.42	
9		गुनावर कमंगरपुर सम्पर्क मार्ग	1.50	8.70	
10		रामपुर पदुमनाथपुर सम्पर्क मार्ग	1.40	9.82	
11		प्यारे सम्पर्क मार्ग	1.00	4.85	
12		इब्राहिमपुर सम्पर्क मार्ग	3.00	6.55	
13		पहनासा सम्पर्क मार्ग	3.10	2.23	
14		खेरहनी सम्पर्क मार्ग	2.30	3.90	
15		सरौरा सम्पर्क मार्ग	1.00	5.49	
16		थुलेण्डी सम्पर्क मार्ग	1.00	6.89	
17		तमनपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	6.49	
18		उचौरी सम्पर्क मार्ग	1.65	10.62	

1	2	3	4	5	6
19		करारांवा सम्पर्क मार्ग	2.00	13.15	
20		किशुनखेड़ा सम्पर्क मार्ग	4.20	29.19	
21		बदावर सम्पर्क मार्ग	3.00	20.50	
22		रानीखेड़ा सम्पर्क मार्ग	2.00	11.50	
23		बसकटा सम्पर्क मार्ग	3.00	18.21	
24		अलीपुर सम्पर्क मार्ग	2.50	16.84	
25		पहुरी सम्पर्क मार्ग	3.00	18.39	
26		भवानीगढ़ से बैती वाया शिवली सम्पर्क मार्ग	2.00	12.84	
27		बाला सम्पर्क मार्ग	2.00	12.32	
28		असनी सम्पर्क मार्ग	2.20	13.04	
29		बगाही सम्पर्क मार्ग	0.50	3.94	
30		शेखपुर समोधा सम्पर्क मार्ग	1.50	2.36	
31		मल्हीपुर सम्पर्क मार्ग	0.85	5.02	
32		भौसी से सैमरगंज नरायनपुर सम्पर्क मार्ग	6.75	37.86	
33		बनकटा सम्पर्क मार्ग	3.00	18.23	
		योगः	63.22	344.29	

विधान सभा क्षेत्र बछरांवा के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में कराये गये मरम्मत/सुधार एवं नवीनीकरण कार्यो की सूची

क्र0सं0	योजना का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
34	राज्य सड़क निधि (3054-मरम्मत/ सुधार)	इसिया सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण	3.00	4.81	
35		मैलास सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण	3.00	4.81	
36		बैती सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण	1.00	1.60	
37		तिलेण्डा हलोर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण	5.20	10.08	
38		मैनाहार कटरा सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण	1.00	1.60	
39		जीगो सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण	2.00	3.20	
40		गूढ़ा चन्दापुर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण	1.00	1.60	
		योगः	16.20	27.70	

विधान सभा क्षेत्र बछरांवा के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कराये गये मरम्मत/सुधार एवं नवीनीकरण कार्यो की सूची

क्र0सं0	योजना का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	केन्द्र सड़क निधि (3054-मरम्मत/ सुधार)	बदावर कसना सम्पर्क मार्ग	1.50	8.51	
2		कठवारा पिण्डरी सरगही सम्पर्क मार्ग	1.00	5.62	
3		ठकुराइनखेड़ा सम्पर्क मार्ग	0.80	4.53	
4		झमईखेड़ा सम्पर्क मार्ग	0.50	2.83	
5		रामपुर मोहिद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग	0.70	3.97	
		योगः	**4.50**	**25.46**	
6	राज्य सड़क निधि (3054-मरम्मत से नवीनीकरण)	पैड़ेपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	5.87	
7		बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	4.61	
8		कुण्डौली सम्पर्क मार्ग	4.00	23.66	
9		शारदा सहायक पोषक नहर पटरी मार्ग	2.20	10.31	
		योगः	**8.20**	**44.45**	

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0 149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

जनपद झांसी में वित्तीय वर्ष 2007, 2008, 2009 तथा चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत गरौठा विधान सभा में नव निर्माण हेतु मार्गवार आवंटित धनराशि/व्यय का विवरण

क्र0 सं0	स्वीकृत मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रु0 में)	वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)					अभ्युक्ति
				2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निपान से बराख	3.72	66.70	0.00	31.36	25.00	0.00	56.36	वर्ष 2008-09 में कार्य पूर्ण
2	पुरा से जसवन्तपुरा	1.28	21.06	0.00	7.06	9.00	0.00	16.06	वर्ष 2008-09 में कार्य पूर्ण
3	एरव गुरसराय मऊ मार्ग के कि0मी0 42 से बेला	4.20	57.28	10.59	46.19	2.50	0.00	59.28	वर्ष 2008-09 में कार्य पूर्ण (वास्तवित लं0 4.00 किमी0)
4	हैवतपुरा से गढ़ा (छूटी कड़ी)	0.36	16.97	9.15	6.88	5.21	8.65	59.89	वर्ष 2009-10 में कार्य पूर्ण

5	ढींमपुरा से ऐरा	2.97	61.03	8.75	34.55	1.00	21.74	66.04	वर्ष 2009-10 में कार्य पूर्ण
6	कराई से अजयार	1.10	23.39	16.43	50.11	38.10	0.00	104.64	वर्ष 2008-09 में कार्य पूर्ण
7	खूजा से कुइया	2.93	58.30	3.51	19.88	0.00	0.00	23.39	वर्ष 2007-08 में कार्य पूर्ण (वास्तविक लं0 1.04 किमी0)
8	गढ़वई बरगांव खंगार ककरवई सं0 मार्ग	3.75	109.54	18.10	20.71	1.00	19.96	60.07	वर्ष 2009-10 में कार्य पूर्ण
9	गुरसरांय गोंठ लिंक मार्ग के किमी0 17 से सुरवई	0.30	16.97	24.38	16.24	0.26	1.62	43.00	वर्ष 2009-10 में कार्य पूर्ण (वास्तविक लं0 2.00 किमी0)
10	दुरवऊ से कैरोखर	0.70	14.75	0.00	10.97	0.00	0.00	16.97	वर्ष 2008-09 में कार्य पूर्ण
11	ग्राम कुइया से बरौंदा	2.70	60.80	0.00	14.75	0.00	0.00	14.75	वर्ष 2007-08 में कार्य पूर्ण

12	पण्डोखर मार्ग (रावतपुरा जू की कोठी से देवगढ़ मंदिर तक मार्ग निर्माण)	2.25	49.75	0.00	14.47	0.00	0.00	14.47	वर्ष 2008-09 में कार्य पूर्ण (वास्तविक लं0 0.825 किमी0)
	योगः	27.20	556.54	91.71	309.17	82.07	51.97	534.92	

नत्थी 'घ'

(देखिये मा0 सदस्यों के संशोधन को जोड़ने का प्रस्ताव पीछे पृ0 सं0 129 पर)

श्री ओम प्रकाश सिंह,
श्री हुकुम सिंह,
श्री सतीश महाना,
श्री सुरेश कुमार खन्ना,
श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही तथा
श्री यशपाल सिंह चौहान।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में,

2-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में,

3-सत्ता दल के विधायकों के आतंक, शोषण व दुराचार से महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

5-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों एवं बिहार व नेपाल को तस्करी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

7-वर्ष 2010-11 के लिये (महामहिम) श्री राज्यपाल द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु घोषित विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

8-पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में,

11-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

12-कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन तथा विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,

14-औद्योगिक विकास की गति ठप्प पड़ गयी है। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,

15-नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने तथा आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय बिजली दिलाये जाने, किसानों को नये संयोजन देने तथा क्षतिग्रस्त पोषकों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की स्थानान्तरण में स्थिरता लाने की नीति को दुरुस्त करने तथा उनका उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

18-चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने, गरीबों को मुफ्त दवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों की तैनाती एवं रिक्त पदों पर नियुक्त करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

19-सरकारी प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने एवं सभी को साक्षर बनाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

20-विद्यालयों में मिलने वाले मिड-डे मील की पूरी मात्रा मिलने एवं गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध/योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार व कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में स्थिर कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सुनिश्चित योजना एवं कृषि निवेश की धनराशि पर्याप्त बढ़ाने के सम्बन्ध में,

22-आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये किसी सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

23-गम्भीर बीमारियों जैसे कैंसर, गुर्दा लीवर व हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में,

25-क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की निशानदेही पर गरीब व असेवित बस्तियों में पेयजल के लिये इण्डिया मार्का-2 नल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश के इण्टर व महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य एवं रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

27-प्रदेशवासियों को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से बचाने के लिए किसी सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

28-नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने तथा प्रदूषित पेयजल आपूर्ति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

29-स्वतंत्रता संग्राम में हुए शहीदों एवं देश की सीमा की रक्षा करने वाले शहीदों की जन्म स्थली व कर्म स्थली क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में, तथा

30-महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में।''

श्री प्रमोद तिवारी,
श्री प्रदीप माथुर,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
चौ0 रविन्द्र प्रताप,
श्री विनोद चतुर्वेदी,
श्री शिव गणेश ''लोधी'',
श्री राजाराम त्यागी,
श्री शिवबालक पासी,
श्री पंकज मलिक,
श्री विवेक कुमार सिंह,
श्री अजय कपूर,
श्रीमती अमीता सिंह,
श्री संजय कपूर,
श्री माधव पासवान,
श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल,
श्री रामसेवक,
श्री संजीव दरियावादी ''बन्टी''

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है तथा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है जैसे कि जनपद बांदा के श्री संजीव अवस्थी को झूंठे मुकदमें में फंसाया गया क्योंकि वह सरकार का विरोध कर रहे थे के सम्बन्ध में,

2-अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन नहीं हो रहा है के सम्बन्ध में,

3-जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह बन्द पड़े हैं के सम्बन्ध में,

5-अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

6-उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल तथा पश्चिमांचल के नाम से अलग-अलग राज्यों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में,

7-विगत 5 वर्षों से बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे को देखते हुये पुनर्वास के लिये केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार द्वारा भी बुन्देलखण्ड को स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

8-पूर्वांचल कि पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

श्री अशोक कुमार सिंह तथा
श्री कुंवर अजय पाल सिंह।

9-बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिये तथा उन्हें रु0 360 प्रति क्विंटल की दर से मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

11-बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। ग्रामीण अंचलों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

14-आगामी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुये सायंकाल 06.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

15-अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कानपुर महानगर, रामपुर, बांदा, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, कुशीनगर, बिजनौर एवं मथुरा आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। केरोसिन/मिट्टी का तेल रु0 35-40 प्रति लीटर बिक रहा है और उर्वरक रु0 500/-प्रति बोरी बिक रही है। कण्ट्रोल रेट पर ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बिकने के सम्बन्ध में,

17-किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

18-धान खरीद केन्द्रों पर धान की खरीद नहीं होने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

20-सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुए पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में,

21-बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराये जाने तथा बकाया कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

22-शुगर मिल पडरौना एवं शुगर मिल रामकोला खेतान को शीघ्र चलाया जाय और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

23-गीडा में केन्द्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल जोन स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

24-जनपद बरेली में आई0टी0बी0पी0 की भर्ती में उ0प्र0 सरकार भर्ती में आये नवयुवकों की भीड़ को नियंत्रित न होने से मारे गये 40 नवजवानों के सम्बन्ध में।

श्री कौकब हमीद खां,
डा0 अजय तोमर,
चौ0 सत्यपाल सिंह,
श्री पूरन प्रकाश,
श्रीमती मिथलेश पाल,
डा0 अनिल चौधरी,
चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल तथा
श्रीमती विमलेश सिंह।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने लूट, डकैती, हत्या, महिलाओं की आबरू बचाने एवं अत्याचार की घटनाओं को रोकने एवं जंगलराज से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

3-गन्ना किसानों को डीजल, खाद की बढ़ती मंहगाई तथा उनकी मेहनत तथा उपज का उचित गन्ना मूल्य रु0 300.00 प्रति कुन्तल दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में नवयुवकों/बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश के बड़े भू-भाग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये चार भागों में विभक्त कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (हरित प्रदेश) बुन्देलखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य उत्तर प्रदेश (अवध प्रान्त) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) की बेंच बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की नगदीकरण की बन्द की गई सुविधा पुनः बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

8-राजकीय कर्मचारियों की वर्ष 2005 से नवनियुक्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन योजना रोकी गई को पूर्ववत् की भांति लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

9-राजकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान छठे वेतनमान के अनुरूप शिक्षा भत्ता एवं परिवहन भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

10-समस्त स्नातक शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में बी0टी0सी0 अध्यापक के पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती मंहगाई को रोकने तथा मूल्य नियंत्रण नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में कक्षा-12 तक सभी समुदायों के छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

13-हथकरघा लघु उद्योग एवं प्रदेश के बुनकरों के उत्थान के सम्बन्ध में।''

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिलाये जाने एवं कन्या विद्या धन योजना को यथावत पूर्व की भांति लागू करने के सम्बन्ध में,

2-सत्ता पक्ष के विधायकों/कार्यकर्ताओं द्वारा अराजकता फैलाये जाने के सम्बन्ध में,

3-सत्ता पक्ष के विधायकों व को-आर्डिनेटरों एवं प्रभारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा पिछड़े एवं मुस्लिम तथा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

4-जनपद बांदा की शीलू निषाद के साथ बसपा विधायक नरैनी द्वारा गैंग रेप कर झूठे चोरी के केस में बन्द कराने के सम्बन्ध में,

5-माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शीलू निषाद को छोड़े जाने के बाद भी बांदा एस0पी0 द्वारा सरकार के निर्देश पर ग्राम शहबाजपुर, नरैनी में नजर कैद कर स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के हनन करने के सम्बन्ध में,

6-सत्ता पक्ष के विधायकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये गैंगरेप एवं शोषण जैसे कानपुर का दिव्या काण्ड, सहारनपुर का कुमारी सरिता काण्ड, इटावा का सोनम उर्फ प्रीती काण्ड, इलाहाबाद में हंडिया क्षेत्र के किसान बंशीलाल की पुत्री के साथ हुआ रेप काण्ड, झांसी के चिरगांव की नीलम के साथ हुए गैंगरेप काण्ड, औरैया में ऐरवा कटरा थाना क्षेत्र के

क्लीनिक में किशोरी के साथ रेपकाण्ड, चित्रकूट पहाड़ी क्षेत्र के देवल चौरा गांव में दलित किशोरी के साथ गैंग रेप, महोबा जनपद के कबरई क्षेत्र में 13 वर्ष की कुशवाहा लड़की के साथ हुए रेप काण्ड, बांदा के कालींजर थाना के नौगवां की मुस्लिम लड़की सन्नो के साथ हुए गैंग रेप काण्ड आदि के सम्बन्ध में,

7-महोबा जनपद के ग्राम झिरसहेवा में किसान राम विशाल उर्फ बब्बू कुशवाहा द्वारा अर्जुन सहायक बांध में जबरन उपजाऊ जमीन अधिग्रहण करने तथा मुआवजा कम देने पर आत्मदाह करने के सम्बन्ध में,

8-सत्ता पक्ष के नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे प्रदेश में सवर्ण एवं पिछड़े तथा मुस्लिम वर्ग के लोगों पर 25 हजार रुपये के अनुदान के लालच में अनुसूचित जाति ऐक्ट के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में,

9-जनपद बांदा के यांत्रिक एवं विद्युत कमी से सैकड़ों बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को चालू कराने के सम्बन्ध में,

10-जनपद बांदा की बन्द पड़ी कठार पम्प कैनाल चालू कराने के सम्बन्ध में,

11-बांदा, फतेहपुर में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय काण्डों में गेहूं, चावल की कालाबाजारी कर प्रति महीने लाखों का गबन जिलापूर्ति विभाग द्वारा करने के सम्बन्ध में,

12-बांदा सिंचाई विभाग द्वारा यमुना नदी पर ताराचिल्ला पर पिचिंग के नाम पर एवं बांदा के नदी पर बन रहे तटबन्धों पर करोड़ों के घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से कराने के सम्बन्ध में,

13-बांदा से पपरेन्दा, सुमेरपुर मार्ग पर धांधली करने तथा कई वर्षों से अधूरे कार्य को पूरा कराने के सम्बन्ध में,

14-बुन्देलखण्ड की अन्ना प्रथा समाप्त कराने एवं किसानों की फसल को बचाने हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट में पाला से सूखी अरहर व अन्य फसलों के नुकसान की भरपायी कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश की नदी, तालाबों, पोखरों, झीलों के लगान रेट 10 गुना बढ़े रेट को समाप्त करके पूर्ववत् रखे जाने के सम्बन्ध में,

17-स0 पा0 सरकार द्वारा पूर्व में भेजी गयी रिपोर्ट की तरह कश्यप, निषाद, बिन्द समाज की सभी 16 उप जातियों को अनुसूचित जाति आरक्षण हेतु केन्द्र सरकार से मांगी गयी 3 वर्षों से लम्बित रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र पर भेजने के सम्बन्ध में,

18-शीलू निषाद बलात्कार के दोषियों के खिलाफ रासुका व गैंगेस्टर लगाकर सख्त कार्यवाही करने एवं झूठी चोरी की रिपोर्ट लिखाने में शामिल पुलिस अधीक्षक बांदा व तत्कालीन जिलाधिकारी रंजन कुमार व मयंक द्विवेदी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

19-जनपद बांदा में बन्द पड़ी कटाई मिल को पुनः चालू कराने एवं वी0आर0एस0 के नाम पर छटनी शुदा मजदूरों को नौकरी देने तथा करोड़ों की मिल की चोरी की जांच कराने के सम्बन्ध में,

20-जनपद बांदा शहर क्योटरा के राम सहाय उर्फ भीम की आग से मृत्यु होने पर 5 लाख मुआवजा देने के सम्बन्ध में,

21-जिला जालौन के थाना कोटरा के मोहल्ला नारेघाट की 16 वर्षीय भांजी कपूरी देवी के अपहरण की रिपोर्ट न लिखे जाने एवं बांदा के थाना कालिंजर के नौगवां की नाबालिग मुस्लिम सन्नो के बलात्कार तथा ग्राम सहेवा युवती के साथ हुए बलात्कार, कमासिन थाने में जनवरी माह में हुए बलात्कार की रिपोर्ट न लिखे जाने के सम्बन्ध में,

22-बुन्देलखण्ड में भू-माफियाओं द्वारा जमीन खरीदने, बेचने में करोड़ों रुपये की स्टाम्प चोरी करने की जांच कराने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश के कारागारों में बन्द हवालातियों से जिला जेल प्रशासन द्वारा मुलेहजा, कमान कटाने, बैरिक व भोजनालय व चिकित्सालय के नाम पर तथा मिलायी के नाम पर नये बन्दियों से एक हजार रुपये महीने की वसूली करने तथा मैनुअल के अनुसार भोजन न देकर कटौती करने एवं कैन्टीन के सामान को चार गुना ज्यादा रेट पर बेचने की जांच कराने के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश के कारागारों में बन्द हवालातों एवं बन्दियों के ऊपर उत्पीड़न एवं मारपीट के कारण हो रही हत्याओं की रिपोर्ट न लिखे जाने के सम्बन्ध में,

25-खनिज विभाग द्वारा प्रदेश के व्यापक पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जांच कराने एवं ठेकेदारों से विभाग द्वारा प्रति ट्रक रुपये 3000/-से रुपये 5000/-गुण्डा टैक्स, बालू, मौरंग, गिट्टी में बिना किसी रसीद के लिये जाने की जांच कराने एवं प्रदेश की सड़कों के निर्माण एवं शहरों में बेसमेन्ट तथा तटबन्धों के निर्माण में अवैध रूप से मिट्टी खनन किये जाने पर करोड़ों के राजस्व घोटाले की जांच के सम्बन्ध में,

26-बुन्देलखण्ड में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में फर्जी दस्तावेज बनाकर निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों के 3 वर्षों में किये गये कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में,

27-जनपद बांदा की कनवारा पम्प कैनाल, दौलतपुर पम्प कैनाल, त्रिवेणी अलोना पम्प कैनाल, मदनपुर पम्प नहर, जौहरपुर पम्प नहर, सेमगरा पम्प नहर को पूरी क्षमता से चलाने के सम्बन्ध में,

28-जिला बांदा में तहसील दिवस एवं थाना दिवस पर जनता की शिकायतें न सुनने तथा किसानों को फर्जी मुकदमें में फंसाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-जनपद बांदा में यमुना नदी पर बैराज बनाकर किसानों को गंगा नहर की भांति यमुना नहर बनाकर सिंचाई व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर के सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एल0टी0 लाइन बिछाकर बिजली पहुंचाने के सम्बन्ध में,

31-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के सभी गांव में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति कराये जाने एवं ग्राम-गड़रिया, अमारा, बेंदा, जौहरपुर, नरी, सबादा के दीनदयाल का डेरा, राम लाल का डेरा, बगैचा डेरा, सांड़ी, खप्टिहा कलां के गणेश नगर डेरा, शिवपाल डेरा, छनिहा डेरा, पंचा डेरा, सेमरन डेरा, अमारा के कुटी डेरा, घीहन डेरा, रामलाल का डेरा, बनवारी डेरा, खेता डेरा, भदवाधूर डेरा, मरोहला डेरा व गड़रिया के नोनहा डेरा, खेवहन डेरा, खोढ़ डेरा, रैपुरा ग्राम पंचायत अरसौड़ा के मजरा मर्का, दुरेड़ी, मटौध ग्रामीण, कनवारा, अमलीकौर, अमलौर, बरहेटा के शिवरामपुर, बलकूडेरा, दिप्या डेरा, नया डेरा, हजारी डेरा, फकीरा डेरा एवं चटगन, नई बस्ती, शंकरपुरवा, मथुरापुरी, भूरागढ़ के मजरा पहड़िया, बजवा डेरा तथा चौकीपुरवा, परसौड़ा एवं तहसील अतर्रा के ग्राम पंचायत अनथुआ के मजरा रेलवे क्वाटर गड़रा आदि गांव में मुख्य लाइन व एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-चिल्ला में राजकीय इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में,

33-उत्तर प्रदेश के सभी चौकीदारों को शस्त्र लाइसेन्स दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

34-बुन्देलखण्ड में नगरपालिकाओं एवं टाउन एरिया क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय मार्गों व राज्य मार्गों से गुजरने वाले वाहनों से पुलिस की मिलीभगत से तहबाजारी शुल्क के नाम पर लिये जा रहे गुण्डा टैक्स को समाप्त करवाये जाने के सम्बन्ध में,

35-सभी विधायकों को 10-10 किलोमीटर सड़क एवं 10-10 अम्बेडकर ग्राम एवं 10-10 ग्रामों को विद्युतीकरण कराने एवं 250-250 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प देने के सम्बन्ध में,

36-उत्तर प्रदेश के सभी पी0आर0डी0 एवं होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 400/-रुपये दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

37-शिक्षा मित्रों को अध्यापकों की तरह नियमित कराये जाने एवं पंचायत मित्र तथा आशा बहू को राजकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

38-जनपद बांदा के अतर्रा में 4 वर्ष पूर्व स0पा0 सरकार द्वारा स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन को बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

39-जनपद बांदा के अतर्रा, तिन्दवारी, जसपुरा, कमासीन, महुआ, सी0एच0सी0 में रिक्त पड़े चिकित्सकों व स्टाफ की नियुक्ति एवं सी0एच0सी0 केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

40-जनपद बांदा में यमुना नदी पर बारा गलौली के बीच पान्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने एवं मडौली कला-अढ़ावल के बीच पान्टून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

41-केन नदी से हो रही कटान को रोकने हेतु ग्राम पैलानी में दियावानी, बाबा की मजार को बचाने एवं खप्टिहाकलां, सिन्धनकलां, चटगन को बचाने हेतु पत्थर पिचिंग कराने के सम्बन्ध में,

42-मत्स्य विभाग में मछुआ पद पर निषाद, कश्यप, बिन्द समाज के लोगों को आरक्षण कर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में,

43-जिला चिकित्सालय बांदा में सी0टी0 स्कैन सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं महिला चिकित्सालय में रिक्त डाक्टरों एवं स्टाफ की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-पुलिस लाइन बांदा में पेयजल की समस्या को देखते हुए नलकूप स्थापित करवाकर पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

45-जल निगम 16वीं शाखा, यांत्रिक शाखा द्वारा ग्राम गरौती, अमलौर, तिन्दवारी, बिलगांव, खुरहण्ड, अनथुआ, खम्हौरा, बहोरीपुरवा में रि-बोर व नये हैण्डपम्पों के नाम पर फर्जी भुगतान व नये सामान को बेचने की जांच कराने के सम्बन्ध में,

46-उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार द्वारा जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में पुलिस द्वारा दबाव बनाकर निर्विरोध प्रत्याशी घोषित कराने एवं चुनाव में धांधली के सम्बन्ध में,

47-बुन्देलखण्ड के सभी तहसील दिवसों व क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में ज्यादातर अधिकारियों की अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में तथा

48-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के कुन्डाडोल (बहुन्डरी), बरहेटा के मजरा बलकू डेरा, जौहरपुर के कांग्रेस डेरा, नोनहा डेरा (गड़रिया), रामलाल डेरा, घीहा डेरा, खेरहा डेरा में प्राथमिक पाठशाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री श्याम किशोर शुक्ल
तथा
श्री प्रमोद तिवारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-लखनऊ में निवास कर रहे जरदोज कारीगरों एवं उनके परिवारों को बी0पी0एल0 कार्ड जारी करने, लखनऊ शिल्प कार्ड हेतु कार्यालय खोलने, इनकों न्यूनतम मजदूरी दिलवाने एवं इनकी अन्य समस्याओं का निराकरण के सम्बन्ध में,

2-लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के गढ़ी पीर खां वार्ड, बाला गंज वार्ड, अम्बर गंज वार्ड एवं अन्य वार्डों में लखनऊ विद्युत प्रदेय प्रशासन द्वारा विभागीय प्राविधानों के विरुद्ध बल्लियों पर तार खींच कर विद्युत कनेक्शन दिये जाने एवं उक्त स्थानों पर विद्युत पोल प्राथमिकता पर तत्काल लगाये जाने के सम्बन्ध में,

3-घनी आबादी से जा रही हाई टेन्शन विद्युत लाईन अन्य स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में,

4-शीतला देवी वार्ड के नौबस्ता स्थित नाले की सफाई एवं पुलिया पर दीवार न बनाये जाने, अशर्फाबाद स्थित नाले पर दीवार न बनाये जाने, सरकटा नाला की सफाई लम्बे समय से नहीं होने एवं इसकी रिटेनिंग वाल न बनाये जाने, पुल गुलाम हुसैन स्थित नाले पुलिया की ऊंचाई बढ़ाए जाने और सफाई की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-लखनऊ के नव विकसित वार्डों और कालोनियों में सड़क, नाली, सीवर एवं सफाई की सुचारु व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-पेयजल व्यवस्था हेतु पर्याप्त इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प का अधिष्ठापन एवं खराब व बन्द पड़े हैण्डपम्प को ठीक करा कर पानी देने योग्य बनाने के सम्बन्ध में,

7-लखनऊ के इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययन कर रहे समस्त निर्धन एवं पात्र सामान्य श्रेणी के छात्रों को वित्तीय प्राविधान के उपरान्त भी वर्ष 2009-10 तथा 10-11 में छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति न किये जाने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

8-लखनऊ के सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

9-लखनऊ के सभी नालों की सफाई एवं रख-रखाव सुनिश्चित करने एवं जांच हेतु व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

10-लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप महापौर, नगर निगमों एवं नगर निकायों के अध्यक्ष पदों पर नागरिक मतदाताओं से सीधे निर्वाचन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में तथा

11-प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।''

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

2-धार्मिक तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर वाराणसी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा कटौती को पूरी तरह से समाप्त करने के सम्बन्ध में,

3-दक्षिणी विधान सभा अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर गलियों के जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में,

4-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत घनी आबादी वाले पक्के मोहल्लों के गलियों में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति कष्ट को दूर करने एवं प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में,

5-ग्रामीण क्षेत्र की भांति शहरी क्षेत्र में भी हैण्डपम्प लगाने हेतु विधायकों को अधिकार देने सम्बन्धी,

6-वाराणसी की बढ़ती हुई आबादी एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए एक नया जल-कल स्थापित करने के सम्बन्ध में,

7-महान स्वतंत्रता सेनानी एवं शौर्य की प्रतीक महारानी लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली वाराणसी के अस्सी मोहल्ले में उनकी स्मृति में एक भव्य एवं प्रेरणादायी स्मारक के निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जबकि उक्त हेतु वर्ष 2002 में 90 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को प्रदान कर दी गयी है,

8-वाराणसी के भूलूपुर क्षेत्र में 220/33 के0वी0 का नये सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्राथमिकता से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-वाराणसी में गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने हेतु उसमें गिरने वाले गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द करने के सम्बन्ध में,

10-वाराणसी में गंगा नदी में रामनगर से राजघाट तक मछली मारने, बालू खनन पर लगे प्रतिबन्ध तथा कछुआ सेंच्युरी के विरोध में मल्लाह समुदाय द्वारा आन्दोलन के प्रति सकारात्मक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

11-वाराणसी में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गलियों के अन्दर ध्वस्त हो गयी सीवर की सफाई एवं आवश्यकतानुसार अधिक क्षमता के नये सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में,

12-शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे अवैध बंगलादेशियों के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में,

13-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत दक्षिणी विधान सभा वाराणसी के अन्तर्गत घनी आबादी के पक्के मोहल्लों के ध्वस्त सीवर लाइनों के क्षमता वृद्धि करनें एवं पेयजलापूर्ति पाइप लाइनों के क्षमता वृद्धि के साथ बदले जाने के सम्बन्ध में,

14-विभिन्न वृद्धावस्था पेंशन योजना में केन्द्र से प्राप्त 200 रुपये के समतुल्य राज्य सरकार द्वारा भी 200 रुपये का अंशदान करते हुए प्रत्येक लाभार्थी को कुल 400 रुपये का पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में,

15-सबसे पुरानी और घनी आबादी के दक्षिणी विधान सभा के गलियों में बढ़ी हुई आबादी और दबाव के अनुसार पेयजलापूर्ति की पुरानी पाइप लाइनों को बदलकर अधिक क्षमता की पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में,

16-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल अनापूर्ति कष्ट तथा गन्दा जल आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने तथा शुद्ध और साफ पेयजल पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,

17-वाराणसी में दशास्वमेध में स्थित चित्तरंजन पार्क के सामने स्थित सुलभ शौचालय को दो मंजिली बनाकर क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

18-दक्षिणी विधान सभा वाराणसी के अन्तर्गत प्रायः सभी मोहल्लों के सीवर लाइनों के ओवरफ्लो होने से जनता को हो रहे भयंकर कष्ट को दूर करने तथा सीवर लाइनों के त्वरित सफाई हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 3 करने एवं इस दिशा में वाराणसी जल संस्थान एवं आयुक्त नगर निगम, वाराणसी को अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देने के सम्बन्ध में,

19-भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी जिसे पर्यटन, तीर्थनगरी, पर्यटन तथा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र माना जाता है को विशेष छूट प्रदान करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

20-आसमान छूती मंहगाई से त्रस्त आम गरीब जनता को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में,

21-वाराणसी में दिन-प्रतिदिन बेलगाम होती जा रही कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में,

22-पेयजल अनापूर्ति तथा गन्दा पानी पी रही वाराणसी की त्रस्त जनता को फिजूल खर्ची को रोकने के नाम पर पानी का मीटर लगाने की योजना को अविलम्ब जनहित में वापस लेने के सम्बन्ध में,

23-वाराणसी शहर की जटिल और गम्भीर होती जा रही जाम की समस्या से निजात दिलाये जाने हेतु कोई भी कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में,

24-कैंसर रोग की तरह फैल रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त आम जनमानस को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में,

25-विकास कार्यों में विशेषकर नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि/पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों में गुणवत्ता एवं मानक का कठोरता से अनुपालन कराने एवं कार्यदायी संस्था विशेषकर नगर निगम वाराणसी के अधिकारियों, कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

26-आने वाली गर्मी के दिनों में ट्रान्सफारमर के लगातार जल जाने से विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधान को रोकने हेतु पर्याप्त संख्या में वाराणसी के लिए ट्रान्सफारमर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने एवं अधोमानक दवाइयों के उत्पादन तथा बिक्री को नियंत्रित करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने एवं लागू करने के सम्बन्ध में,

28-श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय मण्डलीय चिकित्सालय में विधायक निधि द्वारा प्रदत्त डायलीसिस दोनों मशीनों को आपरेट करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्साधिकारियों एवं टेक्नीशियन की नियुक्ति किये जाने तथा चिकित्सालय के वार्डों में व्याप्त गन्दगी को दूर करने के सम्बन्ध में,

29-किसानों को समय पर डी0ए0पी0, यूरिया तथा अन्य आवश्यक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-सभी सरकारी विभागों में कार्य संस्कृति का अभाव तथा कैंसर का रूप लेती जा रही भयंकर भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता को राहत दिलाये जाने के कार्य योजना के सम्बन्ध में,

31-वाराणसी में सरकारी चिकित्सालयों में गरीब मरीजों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धन की मांग तथा पूर्ति न करने योग्य मरीजों का आपरेशन टालने एवं उन्हें परेशान करने पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने के सम्बन्ध में,

32-पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी के अन्तर्गत सभी डिवीजनों के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की मांग से उपभोक्ताओं को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

33-वाराणसी नगर के खस्ताहाल सड़कों के पुनर्निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

34-वाराणसी नगर निगम द्वारा स्वकर प्रणाली के तहत 2004-05 में गृहकर का असिस्मेंट 10 प्रतिशत के आधार पर किया गया, 2006-07 में बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया और पुनः 2010-11 में 50 प्रतिशत की वृद्धि से भवन स्वामियों पर मनमाने करारोपण से हो रहे भयंकर कष्ट से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

35-गृह कर में अन्धाधुन्ध बढ़ोत्तरी के कारण जलकर में भी भयंकर बढ़ोत्तरी से नागरिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है जिसके निराकरण के सम्बन्ध में,

36-जी0आई0एस0 सर्वे के नाम पर नागरिकों के भयादोहन से निजात दिलाने के सम्बन्ध में तथा

37-नगर आयुक्त वाराणसी द्वारा मनमाने ढंग से ई-गवर्नेन्स पूरी तरह लागू होने के पहले ही सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी द्वारा नया सर्किल रेट लागू कर दिये जाने से टैक्स की मार झेल रहे नागरिकों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में।''

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :--

1-वाराणसी के कैन्ट क्षेत्र में अधिकांश पुराने जर्जर और बढ़ती जनसंख्या के बढ़े बोझ के ढोने में असमर्थ सीवर लाइन के ओवरफ्लो तथा सड़कों पर गन्दा पानी जमा होने की समस्या से निजात के लिये तात्कालिक उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,

2-गांवों में किसानों को खाद के बदले मिल रही लाटी पर रोक व किसानों को खाद की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-बिजली विभाग के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ट्रान्सफारमर की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

4-गंगा के किनारे बसे गांवों में मल्लाह व अन्य दलित बस्तियों में बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में,

5-बड़े पैमाने पर वाराणसी में आज भी पोखरों व तालाबों को पाटने से रोकने के लिए त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में,

6-पोखरों को पाटने में लगे भू-माफियाओं के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के सम्बन्ध में,

7-वाराणसी के कैन्ट विधान सभा के बहुत बड़े हिस्से में पेयजल के पाइप में सीवर के घुले पानी को आने से तुरन्त रोकने के सम्बन्ध में,

8-राज्य में बढ़ती हुई हिंसा, हत्या, डकैती, छिनैती व छेड़खानी की समस्या को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में,

9-वाराणसी नगर में अप्रत्याशित रूप से दुगने से चौगुने तक बढ़ाये गये गृहकर को निरस्त करने के सम्बन्ध में,

10-कैन्ट विधान सभा वाराणसी में स्थित पी0डब्लू0डी0 की टूटी-फूटी व गड्ढायुक्त सड़कों के मरम्मत के सम्बन्ध में,

11-वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा काशी विद्यापीठ ब्लाक के 29 गांवों के हरे-भरे कृषि युक्त भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विरुद्ध कब्जा करने के कदम को रोकने के सम्बन्ध में तथा

12-वाराणसी कैन्ट में तुलसीपुर योजना के समाप्ति के 7-8 साल बाद अब उसकी कमियों का दुरुपयोग कर भूमि पर कब्जा करने के प्रशासन की नीति को समाप्त करने के सम्बन्ध में।''

श्री कुवेर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में,

2-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में,

3-सत्ता दल के विधायकों के आतंक, शोषण व दुराचार से महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

5-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों एवं बिहार व नेपाल को तस्करी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

7-वर्ष 2010-11 के लिए महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु घोषित विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

8-पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में,

11-जनपद एटा के जर्जर मार्ग क्रमशः जलेसर-आगरा मार्ग, जलेसर-एटा वाया निधौली मार्ग, जलेसर-फिरोजाबाद मार्ग, जलेसर-अलीगढ़ मार्ग की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

12-जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में बिल सुधार कराकर विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

13-जनपद-एटा के आगरा-बरेली मार्ग वाया जलेसर व सिकन्दराराऊ को राजमार्ग घोषित किये जाने के साथ ही रोडवेज का डिपो बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद-एटा के जलेसर तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रजानगर उर्फ रज्जनपुर गांव को टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु टंकी निर्माण के सम्बन्ध में,

16-जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा करथनी, हसन अलीपुर (बसई), बहादुरपुर कासमपुर, जलेसर देहात, समसपुर, बढ़नपुर, सोनामई, गनेशपुर, पिलखतरा, सकरां, पटना, शाहनगर टिमरूआ, भ्याऊ, मुड़समा, बोराकला, जलूखेड़ा, मुड़ई प्रह्लादनगर, जिनावली, अन्निया, हसनगढ़, मोहम्मदपुर गहरवार, खैरारा, सहालवानपुर, लोहचा, वीरनगर लोदीपुर, खेड़ा, नूह, गोपालपुर तथा नीमखेड़ा चिरावली ग्रामों में एक-एक पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में ग्राम मिर्जापुर व उदयपुर के बीच, नगला अतिया व जगतपुर के बीच व भरकना के पास एक-एक नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

18-जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शनिदेव मंदिर/बड़े मियां की मजार, जलेसर, जनपद एटा के चढ़ावे को प्रशासक नियुक्त कर सरकारी कोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के गांव मनीगढ़ी मजरा शाहनगर टिमरूआ व कल्याणपुर मजरा जिनावली की सड़कों पर बड़ी गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है उन्हें पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जलेसर-सिकन्दराराऊ मार्ग से गांव पिलखतरा व जिनावली मिर्जापुर मार्ग से नगलाखड़ी गांव तक, मनीगढ़ी मजरा शाहनगर टिमरुआ मार्ग कल्याणपुर मजरा जिनावली मार्ग, रेजुआ से बढ़ावली तक मार्ग, नरौरा से खिड़िया सुरजी मार्ग, मिर्जापुर से जगतपुर मार्ग, दोषपुर से जलूखेड़ा मार्ग ध्वस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

21-जनावली मिर्जापुर मार्ग से वाया नगला खड़ी गांव कुवेरपुर वि0ख0 अवागढ़, जनपद एटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का जल स्तर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,

2-गोमती नदी को स्वच्छ करने के लिए सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के उपरान्त भी कोई कार्य नहीं किया गया इसकी कार्य-योजना के सम्बन्ध में,

3-गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में,

4-पॉलीथीन के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में,

5-गोमती नदी के तटबन्धों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

6-लखनऊ महानगर के आस-पास स्थित खेती योग्य भूमि को अधिगृहीत न करने तथा उसे संरक्षित करने के सम्बन्ध में,

7-लखनऊ नगर निगम के विस्तार में आए हुए पश्चिम विधान सभा के ग्रामीण अंचलों को पानी, बिजली, सड़क आदि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराकर उनका विकास करने के सम्बन्ध में,

8-लखनऊ की जनता को स्वच्छ पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

9-उत्तर प्रदेश में ''वेट लैंड'' का संरक्षण एवं संवर्धन के सम्बन्ध में,

10-उत्तर प्रदेश में नगर निगमों एवं नगर महापालिकाओं के सभासदों के चुनाव को पार्टी चुनाव चिन्ह पर तथा मेयर एवं अध्यक्षों के चुनाव जनता द्वारा कराए जाने पर विचार करने के सम्बन्ध में,

11-गोमती नदी के कठौता झील के पास बन रहे तीसरे जलकर के कई वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में,

12-लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र जनपद लखनऊ भवानीगंज में कई वर्षों से अधूरा पड़ा जोनल पम्पिंग स्टेशन शीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में,

13-लखनऊ में जल के अवैध व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में,

14-उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के सम्बन्ध में,

15-उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुयी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए निश्चित प्रभावी योजना बनाने के सम्बन्ध में,

16-पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले पार्कों एवं सड़कों के किनारे योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करने के सम्बन्ध में,

17-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में,

18-उत्तर प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लाखों की संख्या में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में,

19-नकली मिनरल वाटर के बिकने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में,

20-उत्तर प्रदेश में ''राज्य पुलिस सुधार आयोग'' के गठन के सम्बन्ध में,

21-बढ़ती हुयी आत्म हत्याओं को रोकने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में जल के अधिक दोहन और दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा ''जलनीति'' बनाने पर विचार करने के सम्बन्ध में,

23-लखनऊ में स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में,

24-टी0बी0 जैसे संक्रामक रोग का उन्मूलन करने की किसी योजना के सम्बन्ध में,

25-सरकार द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन संस्थान की स्थापना करने पर विचार करने के सम्बन्ध में,

26-नगरीय विधायकों को अपने विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निराकरण करने हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प देने के सम्बन्ध में,

27-गरीबों की पुत्रियों की शादी में मात्र 10,000/-रुपया दिया जाता है उसे बढ़ाकर 20,000/-रुपया करने के सम्बन्ध में,

28-वादा कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में,

29-खाद्य पदार्थों, पेट्रोल व डीजल पर ''वैट'' कर समाप्त करने के सम्बन्ध में तथा

30-लखनऊ की अवैध कालोनियों को कानून बनाकर वैध घोषित करने के सम्बन्ध में तथा इनको विकसित करने के सम्बन्ध में।''

श्री महेश चन्द्र गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

2-वर्ष 2010-11 के लिए महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में गन्ना नीति को सुधारने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में,

5-बदायूं नगर में आवास विकास मार्ग की रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण के सम्बन्ध में,

6-बदायूं नगर एवं देहात क्षेत्र उझानी की विद्युत आपूर्ति सुधारने के सम्बन्ध में,

7-बदायूं से मेला ककोड़ा ग्राम तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉट मिक्स द्वारा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-बदायूं जनपद के अत्याधिक धार्मिक महत्व के स्थान कछला घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-बदायूं जनपद में कबूलपुरा कुरऊ मार्ग पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-बदायूं जनपद में कछला में पुलिस थाना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद बदायूं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पद के अनुपात में कम तैनाती के सम्बन्ध में,

12-बदायूं नगर की जीर्णशीर्ण मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को समान रूप से नियंत्रित करने के सम्बन्ध में,

14-जनपद बदायूं में पेयजल व्यवस्था सुधारने हेतु इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प विधायकों की संस्तुति से न दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-रोजाना बढ़ती मंहगाई को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में,

16-विनावर व कुंवर गांव में राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

17-बदायूं शहर में भी सरकारी कार्यालय जैसे नहर, सेतु निगम, भूमि अधिग्रहण, सीएनडीएस जल निगम (निर्माण शाखा) को खोले जाने के सम्बन्ध में,

18-बदायूं स्थित गंगा को फैक्ट्रियों के प्रदूषण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में, तथा

19-बदायूं में बाई पास बनवाने के सम्बन्ध में।''

श्री लल्लू सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-फैजाबाद नगर के शिवनगर पहाड़गंज में नगर विकास द्वारा बनाये जा रहे नाले के अधूरे निर्माण को धन अवमुक्त कर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-अयोध्या विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत माझा-वरहटा प्रा0 प्रा0 से मदरहिया परिक्रमा मार्ग तक एवं ऐमी आला फत्तेपुर मुमतजाबाद सम्पर्क मार्ग से तारापुर होते हुए ऐमीपुर आलापुर कुम्हिया मार्ग तथा रसूलाबाद दर्शननगर मार्ग से हैंसा होते हुए रसूलाबाद अर्ती मार्ग तक और ऐमी आलापुर-फतेपुर मुमतजाबाद के अवशेष मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

3-श्रीराम जन्म भूमि पर्यटक स्थल होने एवं आतंकवादियों के निशाने पर होने के कारण 20 कि0मी0 सीमा तक अयोध्या को विद्युत कटौती से मुक्त करने एवं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,

4-पूर्णहरी (बन्धूबाबा) पुनहत ग्राम पंचायत खानपुर, बाबा परमहंस कुटी ग्राम पंचायत हरिनारायणपुर अंजना, देवी मन्दिर कुण्ड का जीर्णोद्धार ग्राम कुसमहा, गुरु सरोवर कुण्ड उदासीन आश्रम रानोपाली अयोध्या का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में,

5-फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु नाला/नाली के निर्माण के सम्बन्ध में,

6-संस्कृत की शिक्षा हेतु फैजाबाद में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

7-पूरा ब्लाक के कुढ़ा केशवपुर तथा मया ब्लाक के मया ग्राम पंचायत में ग्रामीण पेयजल योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में,

8-फैजाबाद व अयोध्या नगर में विकसित मोहल्लों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 300 रु0 प्रति कुन्तल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में आसमान छू रही मंहगाई को कम करने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के सूखाग्रस्त किसानों का समस्त ऋण माफ करने और उन्हें मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की बजट फ्रीज होने के कारण शिक्षकों/वैज्ञानिक/कर्मचारियों को वेतन के अभाव में भुखमरी से निजात दिलाये जाने हेतु बजट दिये जाने के सम्बन्ध में,

13-साधू पांडे का पुरवा अलावलपुर सम्पर्क मार्ग से तुला का पुरवा तक, ब्लाक पूरा बाजार, कर्मा कोड़री सम्पर्क मार्ग से गड़ेरिया का पुरवा होते हुए कुटी तक, ब्लाक-पूरा बाजार, नरियांवा सम्पर्क मार्ग से बाबा कुटी होते हुए दर्शन नगर रसूलाबाद मार्ग तक, ब्लाक-पूरा बाजार मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

14-सिंचाई हेतु कोई साधन न होने के कारण चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत एक नलकूप ग्राम टिकरा पो0 खेवराजपुर, ब्लाक-बनीकोडर जनपद बाराबंकी में लगाये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनहित में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम व पो0 सिल्हौर, ब्लाक बनीकोडर जनपद बाराबंकी में डाक्टर एवं स्टाफ की तैनाती कराकर अविलम्ब चालू कराने के सम्बन्ध में,

16-कृषि विश्वविद्यालय में 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मियों का विनियमितीकरण किये जाने एवं उनके वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद फैजाबाद में गरीब एवं पात्र बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-हैदरगढ़, रायबरेली, इलाहाबाद के लिए आने-जाने में हो रही असुविधा को देखते हुए कमियार घाट (सेमरी) ब्लाक पूरे डलई जनपद में बाराबंकी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-पूरा ब्लाक के पिपरी मूडाडीहा में जल के कटान को रोकने हेतु ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-हनुमान जी की कुटी, रानीमऊ, ब्लाक पूरे डलई जनपद बाराबंकी का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,

21-जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत पूरा बाजार में सड़क के दोनों तरफ जल निकासी हेतु नाली के निर्माण के सम्बन्ध में,

22-मण्डल मुख्यालय फैजाबाद में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

23-फैजाबाद नगर में सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में,

24-फैजाबाद नगर के सभी सड़कों को सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में,

25-अयोध्या में सीवरेज के ट्रीटमेन्ट प्लान के निर्माण के सम्बन्ध में,

26-अयोध्या नगर में द्वितीय व तृतीय फेज सीवर लाइन का विस्तार करने के सम्बन्ध में,

27-अयोध्या में पानी निकासी हेतु लिफ्ट पम्प के माध्यम से कराने हेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-पूरा ब्लाक जनपद फैजाबाद के बलुइया मड़ना में कटान से बचाव हेतु ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-दशरथ समाधि से विल्वहरि घाट से दिलासीगंज तक बंधा निर्माण के सम्बन्ध में तथा

30-पूरा ब्लाक के ग्राम कोड़री चौराहे पर 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में।''

श्री सतीश महाना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-प्रदेश में बढ़ रही भीषण मंहगाई के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में व्याप्त डेंगू की बीमारी की रोकथाम के सम्बन्ध में,

3-कानपुर स्थित लवकुश गंगा बैराज से 200 एम0एल0डी0 वाटरवर्क्स द्वारा आवश्यकतानुसार पानी सप्लाई न करने के सम्बन्ध में,

4-कानपुर गंगा एक्शन प्लान अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट से सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण दूषित जल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

5-कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भू-गर्भ जल दूषित होने की समस्या के सुधार के सम्बन्ध में,

6-घरेलू गैस की भीषण कमी के सम्बन्ध में,

7-कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में,

8-मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

9-कानपुर नगर निगम को रिवाल्विंग फण्ड से कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के सम्बन्ध में,

10-कानपुर नगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में,

11-शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्डपम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी न देने के सम्बन्ध में,

12-कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खराब पड़े ट्यूबवेलों के सुधार के सम्बन्ध में तथा

13-पुरानी ध्वस्त पड़ी सीवर लाइनों के सुधार के सम्बन्ध में।''

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :-

1-विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक आसपुर देवसरा एवं बाबा बेल्खरनाथ धाम में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

2-कौशल्या भारत सिंह गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय ढिढुई पट्टी एवं राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा प्रतापगढ़ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय सहित पी0जी0 कक्षायें खोलने के सम्बन्ध में,

3-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक पट्टी आसपुर देवसरा, बाबा बेल्खर नाथ धाम, मंगरौरा के प्रत्येक न्याय पंचायत में राजकीय इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

4-राम अजोर चौरसिया बालिका इण्टर कालेज पट्टी एवं आसपुर देवसरा में सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

5-पी0डब्लू0डी0 की जो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गयी हैं उन सड़कों को गड्ढा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

6-गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है को तत्काल खरीदे जाने के समुचित उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,

7-खाद्यान्नों, दालों तथा खाद्य तेलों की आसमान छूती कीमतों पर नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

8-आलू उत्पादकों को अधिकतम मूल्य दिये जाने हेतु नीति की घोषणा के सम्बन्ध में,

9-किसानों को फसलवार उर्वरकों की शत-प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद प्रतापगढ़ में सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप 75 मीटर की दूरी में स्थित स्थलों पर वित्तीय वर्ष 2009-2010 में चिन्हित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थलों पर अभी तक इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प पेयजल हेतु लगाये जाने के सम्बन्ध में,

11-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के समस्त ऐसे ग्रामों जिनका विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किये गये हैं का ऊर्जीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद प्रतापगढ़ में लगाये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों तथा रि-बोर किये गये हैण्डपम्पों पर विवरण अंकित किये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,

14-जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सिंचाई हेतु लगाये गये राजकीय नलकूपों की स्थिति सुधारने तथा पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा व्यवस्था को बिचौलियों की लूट-खसोट से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-जनपद प्रतापगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम निर्धन जनता को दिलाने एवं उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

17-जनपद प्रतापगढ़ में विगत पांच वर्षों में वितरित की गयी वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन/विधवा पेंशन/छात्रवृत्ति समायोजन/शादी अनुदान राशि में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश के किसानों को फसलवार उन्नतिशील बीज, पानी, कीटनाशक, उर्वरक दवायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

19-पट्टी विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त श्रेणी के ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में सभी श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति एवं भवन निर्माण के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश के सरकारी प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में मिलने वाले मिड-डे मील की पूरी मात्रा मिलने एवं गुणवत्ता के सुधारने सहित योजना में हो रही कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

22-गम्भीर बीमारी किडनी प्रत्यारोपड़, हृदय रोग, लीवर प्रत्यारोपड़, कैंसर के इलाज में पूरी तरह सरकारी खर्च उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-कृषकों को क्षति होने की दशा में शत-प्रतिशत फसल बीमा दिये जाने के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायक की संस्तुति पर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

25-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में स्थित शहीद स्थल रूर एवं भाऊपुर एवं बैल्हादेवी, कुण्डाधाम, दाऊदपुर सर्वजीतपुर, दुर्गा मन्दिर, शिवाला अमरगढ़, शनिदेव धाम भरोखन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,

26-मार्ग चांदा-पट्टी-दूल्हूपुर वाया गड़ौरी-जामताली के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

27-मार्ग कोंहडौर से पट्टी तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

28-पट्टी नगर पंचायत को श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

29-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में निःशुल्क बोरिंग, गहरी बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, रिचार्चिंग/चेकडैम, सामूहिक नलकूप, सामुदायिक ब्लास्टकूप का कम से कम एक-एक हजार की संख्या स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

30-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में डेरी स्थापना के सम्बन्ध में,

31-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी मार्गों के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी जा रही सड़कों के निर्माण को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

34-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक निःशुल्क शिक्षा पुस्तक, ड्रेस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

36-पट्टी नगर पंचायत को आई0 एच0, एस0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

37-पट्टी, रूर, भाऊपुर महोत्सव के आयोजन के सम्बन्ध में,

38-जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टी नगरपंचायत को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

39-जनपद प्रतापगढ़ में स्थित सई नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

40-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास, महामाया आवास, महामाया सर्वजन आवास स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

41-गेहूं के लिये मूल्य समर्थन योजना 1500 रु0 प्रति कुन्तल किये जाने के सम्बन्ध में,

42-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी, अमरगढ़, कोंहडौर में ब्लड बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में,

43-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के शत-प्रतिशत विकलांगों को पेंशन, ट्राईसाइकिल, बैशाखी, कान की मशीन आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,

45-जनपद प्रतापगढ़ में विकास प्राधिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में तथा

46-आई0टी0आई0 पट्टी में सभी ट्रेडों के पठन-पाठन की व्यवस्था तथा अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।''

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :-

1-सत्ताधारी दल के विधायकों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सन्दर्भ में,

2-नगर निगमीय चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करके मेयर का चुनाव पार्षदों के द्वारा कराये जाने तथा पार्षदों का चुनाव दलविहीन आधार पर कराये जाने के सन्दर्भ में,

3-जिला पंचायत एवं ब्लाक प्रमुख के चुनाव में प्रशासन और सत्ताधारी दल के गठजोड़ द्वारा जबरन निर्विरोध चुनाव कराने के सन्दर्भ में,

4-गोरखपुर में क्षय रोग की संक्रामकता जानने के बावजूद नवजात शिशु एवं प्रसूता चिकित्सालय के ऊपर टी0 वी0 चिकित्सालय के सन्दर्भ में,

5-पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानलेवा बीमारी इन्सेफ्लाइटिस पर अभी तक अनुसंधान कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सन्दर्भ में,

6-माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज की व्यवस्था न किये जाने के सन्दर्भ में,

7-पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीषण आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद इस क्षेत्र के निकास की कोई योजना बनाने तथा उद्योगपतियों को विशेष छूट देकर उन्हें यहां उद्योग-धन्धे लगाने के लिये प्रेरित करने के सन्दर्भ में,

8-गोरखपुर महानगर में भीषण जलजमाव तथा जल निकासी की कोई व्यवस्था न किये जाने के सन्दर्भ में,

9-दस वर्ष से गोरखपुर में बन्द पड़े फर्टिलाइजर कारखाने को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सन्दर्भ में,

10-पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवायी जा रही घटिया सड़कों और ऊपरगामी सेतुओं की उच्च स्तरीय जांच के सन्दर्भ में,

11-पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती के घटते रकबे और किसानों की बढ़ती बदहाली को रोकने के लिये कोई नीति बनाने के सन्दर्भ में,

12-पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के रोकथाम हेतु कोई स्थायी प्रभावी तथा कारगर योजना बनाने के सन्दर्भ में,

13-पूर्वी उत्तर प्रदेश के साढ़े छः करोड़ नागरिकों के बीच अकेले बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर को भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित किये जाने के सन्दर्भ में,

14-दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये जाने के सन्दर्भ में,

15-गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के सन्दर्भ में,

16-अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि को बढ़ाकर 10 लाख किये जाने के सन्दर्भ में,

17-प्रदेश में बढ़ती नकसलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने में शासन की असफलता तथा कोई प्रभावी नीति बनाने के सन्दर्भ में,

18-सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद प्रदेश में अत्यावश्यक पुलिस सुधार न किये जाने के सन्दर्भ में,

19-पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उनके पास गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड न होने के सन्दर्भ में,

20-विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन में व्याप्त भयंकर आर्थिक शोषण को रोकने हेतु कोई नीति न बनाने तथा वास्तविक लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाने में शासन की असफलता के सन्दर्भ में,

21-नगरीय गरीब नागरिकों की आर्थिक बदहाली को सुधारने हेतु कोई जमीनी तथा मूलभूत योजना बनाने के सन्दर्भ में,

22-इन्दिरा आवास योजना के तर्ज पर कांशीराम योजना से हटकर कोई और व्यापक एवं वृदह आवासीय योजना बनाये जाने के सन्दर्भ में,

23-प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या में हो रही गिरावट को रोकने हेतु कोई नीति न बनाये जाने के सन्दर्भ में,

24-गोरखपुर की मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, उद्यान विभाग, सिंचाई विभाग कार्यशाला तथा स्पोर्ट कालेज में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से भी कम वेतन दिये जाने के सन्दर्भ में,

25-बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्नात्कोत्तर डिग्रियों की मान्यता दिलाने तथा एम0बी0बी0एस0 की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 कराने के लिए मेडिकल कालेज में आवश्यक संख्या में शिक्षक, नर्स तथा पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति करने के सन्दर्भ में,

26-पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफ्लाइटिस की महामारी के शिकार मरीजों की निःशुल्क दवा हेतु मेडिकल कालेज में अलग से कोई बजटीय व्यवस्था न किये जाने के सन्दर्भ में,

27-गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने तथा मानदेय शिक्षकों का विनियिमितीकरण किये जाने के सन्दर्भ में,

28-प्रदेश में दलितों के विरुद्ध बढ़ती अपराधिक गतिविधियों तथा सर्वाधिक दलित हत्याओं पर नियंत्रण करने हेतु कोई नीति न बनाने के सन्दर्भ में,

29-महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद अन्य प्रदेशों की तुलना में उ0प्र0 में सर्वाधिक दहेज हत्यायें तथा महिला अपहरण की घटनायें होने के सन्दर्भ में,

30-उ0प्र0 में लूट एवं डकैती की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण करने में असफलता के सन्दर्भ में,

31-उ0प्र0 में बड़ी संख्या में पुलिस फायरिंग से होने वाली मौतों तथा मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर नियंत्रण न किये जाने के सन्दर्भ में,

32-प्रदेश में पुलिस कर्मियों की संख्या अत्यधिक कम होने तथा उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाले संशाधनों के बहुत कम होने के सन्दर्भ में तथा

33-प्रदेश में विद्युत की भीषण कमी को देखते हुए इस सन्दर्भ में कोई कार्यदायी योजना न बनाने के सन्दर्भ में।''

श्री राधेश्याम गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-फतेहपुर जनपद में किसानों का धान सरकार द्वारा न खरीदने के सम्बन्ध में,

2-फतेहपुर जनपद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद में जो छूट मिली है, पंजाब, हरियाणा में 4 प्रतिशत उस छूट को न देकर रिजेक्ट के सम्बन्ध में,

3-फतेहपुर में किसानों को यूरिया खाद, डी0 ए0 पी0 निर्धारित मूल्य पर न दिये जाने के सम्बन्ध में,

4-सिंचाई हेतु नहरों, माइनरों रजवहा में टेल तक पानी न दिये जाने के सम्बन्ध में,

5-विद्युत की लाइनें, भिटौरा विकास खण्ड, हस्वा विकास खण्ड में ध्वस्त हो गयी है। सालों से लाइनें प्राकृतिक आंधी में गिर गयी है उन्हें अभी तक नहीं बनाया गया है जिससे किसानों एवं नागरिकों को विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में,

6-फतेहपुर विकास खण्ड हस्वा, भिटौरा में विद्युतीकरण 60 प्रतिशत ग्रामों में नहीं है जिसमें विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

7-फतेहपुर नगर क्षेत्र के अनुसूचित पिछड़े क्षेत्र के गांवों में विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में,

8-फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी का गम्भीर संकट है, इण्डिया मार्का-2 हैण्डपाइप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

9-फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु मानपुर, कैडेपुर खेरवा, मनीपुर, सोनई बडनपुर, सेमरा, बीबीहाट, हसनापुर चौधखियापुर, एकारी भभैइचा, कुसुम्भी, छिछनी रिठवा, भैरवा, गेडुरी, हसवा, चकमुगल, उसरैना, दिहुली, सचौली, खरसोला मलांव, करियामऊ, करनपुर टीकर, गयासपुर, कमालपुर में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

10-फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में आवागमन हेतु डामरीकरण मार्ग, सुनही से मनीपुर तक बीबीहाट से आमी तक हसनापुर से हैवतपुर जमालपुर इटौली तक मकनपुर पिलखनी तक, कसेरवा से पूरेताज महमूदपुर तक सराय अभैइया से पन्थुआ तक भिटौरा से कैड़ेपुर होते हुये आलमपुर नरही तक तारापुर से आलपुर नरही तक पिलखनी से रहिमापुर तक अतरहा से शहजादेपुर तक अन्दौली से मुराइनपुरवा तक भलेवां से पछली तक, रारा से नयानी तक भिटौरा मार्ग से जगतपुर गाड़ा तक मिश्रामऊ से सूबेदार का पुरवा तक तरगदे मऊ से भदार तक बसोहनी से बनपुरवा तक रसूलपुर से मानपुर तक यासीनपुर से मालीपुर तक जी0 टी0 रोड से सरायमीना शाह तक जी0 टी0 रोड से गड़रियापुरवा मूसेपुर तक लोधीगंज रमवा मार्ग खलीफापुर तक लोधीगंज रमवा मार्ग से चौधकियापुर तक आवागमन हेतु मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में,

11-सराय अभैइया मनीपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी में पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

12-भरैवा घरवासीपुर मार्ग में ससुर खदेरी नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

13-फतेहपुर नगर क्षेत्र रेलवे गेट नम्बर 48 पर ऊपरगामी सेतु अत्यन्त धीमी गति से निर्माण के सम्बन्ध में,

14-फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में 2 वर्षों से अधिक स्वीकृति विद्युत उपकेन्द्र सहिमापुर एवं लतीफपुर में विलम्ब से निर्माण होने के सम्बन्ध में तथा

15-फतेहपुर विद्युत आपूर्ति ट्रान्सफारमरों की कमी एवं जर्जर लाइनों के कारण व्यवस्थित रूप से किसानों को व नागरिकों को विद्युत आपूर्ति बाधित है के सम्बन्ध में।''

श्री सुखलाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-जिला पीलीभीत में बरखेड़ा में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-ब्लाक बरखेड़ा जिला पीलीभीत में गजरौला से सुहास बाजार तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-ब्लाक ललौरीखेड़ा के ग्राम गौनेरी बरी तक रिछा मार्ग से सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4-जहानाबाद से रिछा मार्ग अति खराब स्थिति में है, उसके निर्माण के सम्बन्ध में,

5-पूरनपुर तहसील क्षेत्रफल के अनुसार बहुत बड़ी है इसे विभाजित कर एक नई तहसील कलीनगर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6-पूरनपुर ब्लाक जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लाक है, इसे विभाजित कर मौधौढ़ाडा व गड़वा खेड़ा ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-पूरनपुर से तराई क्षेत्र में जाने के लिए सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-जिला पीलीभीत में सिंचाई व्यवस्था सही किये जाने के सम्बन्ध में,

9-जिला पीलीभीत में आसाम रोड से विठौरा कलां नहर से लेकर ग्राम करोड़ तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-जिला पीलीभीत में गिरते भू-जल स्तर के कारण पानी के संरक्षण के लिए उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,

11-जिला पीलीभीत में मिलों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,

12-जिला पीलीभीत में मण्डी समिति में किसानों का धान आता है, राइस मिलों को लेवी कोटा नहीं बढ़ाया गया जिससे किसानों की धान खरीद नहीं हो रही है, लेवी चावल का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्राइवेट बीज निर्माताओं को बीज निर्माण पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बड़खेड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-जिला पीलीभीत में वन क्षेत्र के किनारे कृषि क्षेत्र को जंगली पशुओं से बचाने के सम्बन्ध में,

16-जिला पीलीभीत में शारदा सागर से होने वाली बाढ़ के रोकथाम के सम्बन्ध में,

17-जिला पीलीभीत में सिंचाई व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में,

18-जिला पीलीभीत के ब्लाक ललौरी खेड़ा के ग्राम भैंसहा में भैंसहा पौटा कलां मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-जिला पीलीभीत के ग्राम जारकल्लियां से ग्राम करनापुर जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

20-जिला पीलीभीत के ग्राम पंडरी को जाने वाले माला नदी के क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-जिला पीलीभीत में ब्लाक ललौरी खेड़ा के ग्राम कढ़ैइया नवादा से नवादा कढ़ैइया ग्राम के बीच आवागमन नहीं है, दस कि0मी0 का ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, जनहित में मार्ग, पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22-जिला पीलीभीत के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में समुचित स्टाफ तैनात किये जाने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश स्तर पर शिक्षा मित्र, किसान मित्र प्रशिक्षित स्नातक संघ सभी आंदोलनरत हैं, इनकी मांगों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

24-कर्मचारी संगठनों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में,

25-प्रशिक्षित स्नातक संघ की मांगों को मानने के सम्बन्ध में,

26-पेयजल व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का योगदान रहे, इस व्यवस्था को शामिल करने के सम्बन्ध में,

27-जिला पीलीभीत में गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-जिला पीलीभीत में पशुओं के अनैतिक व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में,

29-जिला पीलीभीत में वन माफियाओं द्वारा पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में,

30-जिला पीलीभीत में गलत बी0पी0एल0 सूची की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

31-कांशीराम नगर के आवास आवंटन में जिला पीलीभीत की शिकायतों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,

32-जिला पीलीभीत के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-जिला पीलीभीत में पूसपुर ब्लाक के ग्राम चंदिया हजारा में बाढ़ पीड़ितों को अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

34-जिला पीलीभीत में ब्लाक ललौरी खेड़ा के ग्राम कुकरीखेड़ा पर क्षतिग्रस्त नहर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-जिला पीलीभीत में शारदा पार क्षेत्र में जनता को बाढ़ से बचाने के लिये स्पर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

36-जिला पीलीभीत में नौजल्हा क्षेत्र में शारदा नदी के कटान को रोकने के लिये स्पर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

37-जिला पीलीभीत के ग्राम सिमरिया ताराचन्द्र, प्यास मीरापुर, नांद सिमरिया, भैसहा, गाजीपुर, कुंडा आदि गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये स्पर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38-जिला पीलीभीत में बरखेड़ा कलां, विठौरा कलां में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

39-बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में,

40-सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे रोकने के सम्बन्ध में, तथा

41-महापालिका, नगर पंचायत टाउन एरिया के चुनाव सही समय पर दलीय आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री जगन प्रसाद गर्ग

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश में हो रही चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी, लूटपाट व अपहरणों को रोकने एवं ठोस तत्कालिक योजना बनाने के सम्बन्ध में,

2-आगरा पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों को तामील न कराने व बाद में गैर जमानती वारन्ट आने पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों को थाने में बन्द कर उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

3-आगरा एवं पास के जिलों के लिये सस्ता एवं सुलभ न्याय देने हेतु हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में,

4-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में,

5-आगरा स्थित ताजमहल, सिकन्दरा, लाल किला व फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों हेतु आगरा मथुरा के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में,

6-आगरा में कृषि शिक्षा हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

7-आगरा में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिये नगर निगम के स्कूलों के नये निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत व फर्नीचर निर्माण के सम्बन्ध में,

8-आगरा में बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने व सार्वजनिक, धार्मिक एवं विद्यालयों से दूर हटाकर खोले जाने के सम्बन्ध में,

9-आगरा में वी0पी0 आयल मिल के पास घटिया आजम खां व महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धूलियागंज दोनों रेलवे पुलों के नीचे बेलनगंज व एत्मादद्दौला स्मारक के सामने जमुना ब्रिज स्टेशन रोड व आलमगंज पानी की टंकी सहित के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में,

10-आगरा के तोता का ताल, आगरा कालेज फील्ड के बगल नाले, महाराणा प्रताप नगर नाले व राजश्री सिनेमा के बगल वाले नाले तथा बाल्मीकि बस्ती पीर कल्याणी सहित सम्पूर्ण नालों की क्रमवार नियमित सफाई के सम्बन्ध में,

11-आगरा में 89 उत्तरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े लगभग 550 हैण्डपम्पों की मरम्मत व रि-बोर कराकर ठीक कराने के सम्बन्ध में,

12-आगरा के मस्ता बगीची बल्केश्वर, जौन्समिल, जीवनी मण्डी व रावतपाड़ा तथा किनारी बाजार सहित सम्पूर्ण गिरासू विद्युत पोलों तथा खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलने के सम्बन्ध में,

13-अब्बूलाल दरगाह से ए-6, जनता क्वार्टर के सामने पुलिया कमला नगर तक नाला चौड़ा व गहरा बड़ा बनाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों पर सेल टैक्स को दिल्ली व हरियाणा के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,

15-आगरा के मदिया कटरा, लोहा मण्डी, राजा मण्डी व कमला नगर तथा बल्केश्वर आदि प्रमुख क्षेत्रों को बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में,

16-आगरा के राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन जो कि शहर के मध्य है का नाम जो कि हास्यास्पद है को बदलकर आगरा सेन्ट्रल करने के सम्बन्ध में,

17-आगरा की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु सिकन्दरा, खन्दाली चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा व वाटर वर्क्स चौराहे पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में महाशिवरात्रि, भगवान गौतम बुद्ध जयन्ती, भगवान महावीर जयन्ती व गांधी जयन्ती के अवसर पर धर्म प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मांस की दुकानें व बधशालाओं को बन्द कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू कराने के सम्बन्ध में,

20-आगरा में आगरा किला से एत्मादुदौला तक रोप-वे एवं ताजमहल से बल्केश्वर महादेव मन्दिर तक हाथ चलित एवं पेट्रोल चलित नाव चलाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में गौ-रक्षा कानून का सख्ती से पालन कराने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में व्याप्त गुण्डागर्दी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, अपहरण, उद्योगों जैसे दलित महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में बढ़ोत्तरी मानव अंगों की तस्करी, लूटपाट, डकैती आदि को रोकने के सम्बन्ध में,

23-आगरा जनपद में घोबियों को कपड़े धोने हेतु शहर के बाहर नजदीक पर्याप्त नये घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश में भू-गर्भ जल विभाग के अवशेष 418 कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

25-आगरा जनपद में अतिक्रमण के कारण नाले व नालियों की सफाई नहीं होती है इस कारण जल भराव की समस्या बहुत ही ज्यादा है उसके निदान के लिये विशेष रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में,

26-आगरा महानगर में खटीक पाड़ा (रघुनाथ टाकिज के पास) में अनुसूचित जातियों के लिये प्राइमरी स्कूल एवं बारात घर निर्माण के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश में जनसंख्या को देखते हुए मुख्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे-गेहूं, चावल, आटा, दालें, चीनी, गुड़, चना, सरसों का तेल, बनस्पति घी, रिफाइण्ड आयल, डबल रोटी, आलू, प्याज की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण एवं घटतौली व अपमिश्रण की रोकथाम के सम्बन्ध में,

28-आगरा की यातायात व्यवस्था जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ध्वस्त है उसके निवारण के लिये निम्न स्थानों-1-नाला कलक्ट्री, 2-सेंट

जौन्स कालेज रेलवे, 3-मदिया कटरा के रेलवे पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

29-आगरा महानगर के शहरी क्षेत्रों से टेनरियों, दुग्ध व्यवसाय में जुड़े भैस, गाय के बाड़ों, मीट आदि के बिक्री केन्द्रों को हटाकर बाहरी बिना भीड़ भाड़ के इलाकों में स्थानान्तरित किये जाने एवं संबंधित लोगों को आगरा विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् द्वारा सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

30-आगरा महानगर में बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए राजधानी दिल्ली की तरह पर्याप्त मात्रा में चौराहों को, सड़कों को व नालों के ऊपर पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

31-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा, फतेहपुर सीकरी के सभी ऐतिहासिक व धर्मस्थलों को मैट्रो रेल से जोड़ने के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश में शिक्षा मित्रों, होमगार्डों का वेतन बढ़ाने तथा उनसे नियमित कार्य लेने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में प्रत्येक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का बीमा कराकर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

34-किसानों को दैवीय आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि व धन अनुदान स्वरूप दिलाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश में वृद्धों के लिये ओल्ड एज होम पर्याप्त मात्रा में बनाये जाने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश के नारी निकेतन, अनाथालयों, भिक्षुक गृहों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में,

37-प्रदेश के पत्रकार बन्धुओं की सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं यात्रा व्यवस्था हेतु सरकारी अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,

38-आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में आवश्यक रूप से सुलभ शौचालय व पेशाबघर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

39-आगरा महानगर में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निरन्तर 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के सम्बन्ध में,

40-आगरा महानगर में विद्युत तारों, ट्रान्सफार्मर, विद्युत पोल की जर्जर दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

41-आगरा में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई हेतु नये विद्यालय व महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

42-आगरा महानगर में गरीब लोगों की चिकित्सा हेतु निम्न अस्पतालों में (एस0एन0 मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई0एस0आई0 डिस्पेन्सरी) में विस्तार व सुधार के सम्बन्ध में,

43-आगरा में जल निकासी के लिये नाला और नाली व सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में,

44-प्रदेश में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण व दूषित पर्यावरण को रोकने के सम्बन्ध में,

45-आगरा में ताजमहल के आस-पास विशेष सफाई कर्मचारी लगाकर दो समय विशेष सफाई कराने के सम्बन्ध में,

46-प्रदेश के गिरते हुए भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर स्कूलों व इण्टर कालेजों के शिक्षा स्तर को उठाने के सम्बन्ध में,

48-प्रदेश में बेसिक शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

49-आगरा में पोइयाघाट दयालबाग से जमुना पार जाने के लिये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

50-आगरा के जूता व्यवसाय की स्थिति को सुधारने व उन्हें सहायता देने के सम्बन्ध में,

51-आगरा में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में तथा 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,

52-आगरा महानगर में फाउन्ड्री उद्योगों के बन्द होने के कारण बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देने हेतु इलेक्ट्रानिक उद्योग विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,

53-आगरा महानगर में टी0बी0 अस्पताल, एस0एन0 अस्पताल व सरोजनी नायडू महिला अस्पताल व जिला चिकित्सालय की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

54-आगरा महानगर को ताजमहल, सिकन्दरा, लाल किला व एत्माद्दौला जैसे स्मारकों के कारण पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में,

55-आगरा महानगर में पुराने कुओं की सफाई करके पानी को पीने योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,

56-आगरा महानगर में कमला नगर, बल्केश्वर व ट्रान्सपोर्ट नगर में बन्द पड़ी सीवर लाइनों को खुलवाकर चालू करने के सम्बन्ध में,

57-आगरा महानगर में पर्याप्त मात्रा में लोड के अनुसार सीवर लाइन एवं पानी हेतु पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में,

58-प्रदेश में रसोई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,

59-आगरा जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लान्ट लगवाये जाने एवं शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

60-आगरा जल संस्थान का सीवर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जेटिंग मशीन खरीद कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

61-आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा सैकड़ों नलों से व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने व लाइन लीकेज को ठीक करने के सम्बन्ध में,

62-आगरा महानगर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये समरसेबिल पम्प शीघ्र लगाने के सम्बन्ध में,

63-आगरा विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

64-आगरा महानगर में जनसंख्या बढ़ने के कारण सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के सम्बन्ध में,

65-आगरा महानगर की सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, रिक्शा, फावड़े, झाड़ू, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

66-आगरा महानगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु व बचाव साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

67-उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को ही अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सेनेटरी इन्सपेक्टर व चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर बनाने एवं फन्ड व बोनस आदि समय से देने के सम्बन्ध में,

68-आगरा महानगर की स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के सम्बन्ध में,

69-आगरा महानगर में नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण व डूडा द्वारा पार्षद, महापौर, विधायक व जन-प्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,

70-आगरा महानगर में दसियों कान्वेंट स्कूलों का भवन निर्माण होने के बाद उन पर सही हाउस टैक्स न लगाने वाले सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को राजस्व हानि के लिये दण्डित करने के सम्बन्ध में,

71-सम्पूर्ण आगरा को अतिक्रमणों से मुक्त करने हेतु अतिक्रमण हटाओ दस्ता मय मजिस्ट्रेट के बनाने के सम्बन्ध में,

72-हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश में वाहन परिवहन शुल्क एवं सालाना टैक्स बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टैक्स करने के सम्बन्ध में,

73-आगरा महानगर के सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त संख्या में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में,

74-आगरा महानगर में लोहा मण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ0वि0प्रा0 द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

75-प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को क्लास में कम से कम 60 प्रतिशत तक सफल परिणाम आने पर ही पदोन्नति, इंक्रीमेन्ट आदि की सुविधा देने के सम्बन्ध में,

76-आगरा महानगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में,

77-प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों, चिकित्सकों, वकीलों, अभियन्ताओं, बिक्रीकर व आयकर अधिकारियों के निवास स्थान तथा रहन-सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

78-आगरा में गंगा नदी से पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

79-भगवान टाकीज से न्यू आगरा होते हुए व दयालबाग से पोइया घाट तक सड़क का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में,

80-आगरा के देहली गेट पर रेलवे पुल का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व बीच में विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में,

81-गरीब लोगों द्वारा बनाई व खाई जाने वाली रेवड़ी, गजक व पेठा सीजनल मिठाई से वैट हटाने के सम्बन्ध में,

82-आगरा की जनसंख्या अत्यधिक हो जाने के कारण पानी सप्लाई हेतु एक नया जल संस्थान का निर्माण ट्रान्स यमुना कालोनी में करने के सम्बन्ध में,

83-जिलाधिकारी आगरा द्वारा केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की स्वीकृत पर ही शस्त्र लाइसेन्स बनाये जाने व अन्य पार्टी के विधायकों की स्वीकृत से शस्त्र लाइसेन्स न बनाये जाने के कारण पारदर्शी शस्त्र नीति बनाने के सम्बन्ध में,

84-आगरा महानगर के बाल्मीकि बस्ती शिवपुरी बल्केश्वर, मलिन बस्ती कच्छपुरा, नगला फतूरी नाला, वुड़ान सैय्यद, वाटर वर्क्स के पास शास्त्रीनगर के पूर्ण रूप से गिरासू शौचालयों को दोबारा बनाने के सम्बन्ध में,

85-आगरा महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर, ग्रीन पार्क कालोनी तोता का ताल व न्यू राजा मण्डी कालोनी के राजामण्डी स्टेशन स्थित पार्क से अवैध कब्जे हटाकर पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में,

86-आगरा में जमुना किनारा ताजमहल से बल्केश्वर तक घाटों का निर्माण व पार्कों का सौन्दर्यीकरण व लाइटिंग करके बम्बई की तरह चौपाटी बनाने के सम्बन्ध में,

87-आगरा में ताजमहल से लेकर कैलाश महादेव मन्दिर तक जमुना की खुदाई करके (वीयर) बनाकर पानी को रोकने के सम्बन्ध में,

88-आगरा में सुल्तानगंज की पुलिया के निकट कालोनियों की जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में,

89-आगरा में ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा, एत्माद्दौला स्मारकों तथा बल्केश्वर महादेव मन्दिर व कैलाश महादेव मन्दिर को जमुना में नाव (बोट) के माध्यम से दिखाने व घुमाने के सम्बन्ध में,

90-आगरा में गाय व भैसों के मालिकों को शहर के नजदीक तवेला हेतु सस्ती दर पर जगह दिलाने के सम्बन्ध में,

91-आगरा जनपद के मुख्य मार्गों को दबंग लोगों द्वारा खोखे लगाकर अवरुद्ध कर दिया है उनमें से दयालबाग, भगवान टाकीज पुल के नीचे, रामबाग पुल के नीचे, आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, धूलियागंज सहित सम्पूर्ण नाजायज खोखों को हटाने के सम्बन्ध में,

92-आगरा जनपद में नुनिहाई से रेल पटरी पार कर प्रकाश नगर व सुशील नगर जमुना पार जाने के लिये रेलवे पुल अथवा रेलवे फाटक बनाने के सम्बन्ध में,

93-प्रदेश में वैट की दरें अन्य प्रदेशों के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,

94-आगरा जनपद में विगत 5 वर्षों से हो रहे ताज महोत्सव में फिजूल खर्ची के अश्लील नाच व गन्दे गानों पर सरकारी व जनता के धन के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में,

95-आगरा जनपद में बगैर लाइसेन्स के भगवान टाकीज पुल के नीचे, सुल्तानगंज पुलिया चौराहे के पास, गधापाड़ा तिराहे के पास, किदवई पार्क से उतरकर डा0 दयाल की कोठी के पास व नुनिहाई जिला उद्योग केन्द्र के सामने सड़क पर रखकर अवैध रूप से मछली बेचने को रोकने के सम्बन्ध में,

96-प्रदेश में छावनी परिषदों द्वारा कस्बों तथा शहरों से स्थानीय प्रवेश कर हटाने तथा उन्हें प्रदेश फन्ड से सहायता देने के सम्बन्ध में,

97-आगरा जनपद की मोती कुंज व मालवीय कुंज कालोनी सहित प्रदेश की अन्य विस्थापित कालोनी के निवासियों को उनके क्वाटर कम कीमत पर उन्हें ही बेचने के सम्बन्ध में,

98-उ0 प्र0 में वर्ष 2006-07 में मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रत्येक विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में 7 कि0मी0 सड़क निर्माण कराने हेतु दी थी। उस व्यवस्था को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,

99-प्रदेश में बहुत से ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पिता नहीं और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है उन्हें सरकारी सहायता देने अथवा उन्हें कोई हल्का श्रम करने की छूट देने के सम्बन्ध में,

100-प्रदेश में बी0एड0 के छात्रों को पुरानेपन के आधार पर नम्बर बाई नम्बर सरकारी नौकरी देने के सम्बन्ध में,

101-आगरा जनपद में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में मिड-डे-मील खाने में हो रही धांधली रोकने व बासी व मिलावटी खाने को हमेशा के लिए बन्द करने के सम्बन्ध में,

102-आगरा जनपद में सड़क पर घूम रहे आवारा पागल कुत्तों व आवारा पशुओं को पकड़कर वेयर हाउस में रखने के सम्बन्ध में,

103-आगरा जनपद के गन्दे लैट्रिन युक्त नाले जो जमुना जी में जाकर मिल रहे जिसके कारण जमुना जी का पानी विषाक्त हो रहा है हजारों की संख्या में मछली मर गई है उन गन्दे नालों को रोकने के सम्बन्ध में,

104-प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों द्वारा बनाई जाने वाली कालोनियों में स्कूल, पार्क, अस्पताल, कम्युनिटी हाल, पानी की टंकी व बिजली घर के लिए भू-खण्ड अवश्य छोड़े जाने के सम्बन्ध में,

105-आगरा जनपद में ट्रान्सपोर्ट नगर की सड़कें व नालियां विगत 12 वर्षों से नहीं बनी है। पानी की कोई निकासी न होने के कारण जलभराव से साक्षात नरक बन गया है, उन्हें बनवाने के सम्बन्ध में,

106-आगरा जनपद की पालिका नगर कालोनी, जमुना पार की सड़कें व नालियां गायब हैं उनके निर्माण के सम्बन्ध में,

107-आगरा जनपद के मदरसे वाली गली, बजीरपुरा के विद्यार्थियों व वहां के निवासियों को गन्दगी व बदबू से निजात दिलाने के लिए वहां से छोटे कट्टी खाने को हटाने के सम्बन्ध में,

108-आगरा जनपद में शरीर का व धन का नुकसान करने वाली नशे के लिए हो रही टिंचर की अवैध बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में,

109-प्रदेश में रसोई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,

110-उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार के टैक्सों को कम कर एक या दो स्थानों पर ही टैक्स लगाकर ईमानदारी व कड़ाई से वसूल करने के सम्बन्ध में,

111-आगरा जनपद के नुनिहाई के बहुत पुराने शमशान घाट का जीर्णोद्धार व नुनिहाई से बहां तक जाने वाली सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में,

112-आगरा स्थित अनुराग नगर बल्केश्वर से मनोहरपुर तक की जर्जर सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में,

113-आगरा में गरीबों के लिए पेठा मिठाई बनाने वाले पेठा व्यवसाइयों को शहर से बाहर कम कीमत पर डेवलप कर प्लाट उपलब्ध कराने व कंट्रोल रेट पर गैस की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

114-आगरा जनपद की पानी की कमी की विकट समस्या के निवारण हेतु प्रस्तावित बैराज को जल्दी से जल्दी बनवाने के सम्बन्ध में,

115-आगरा जनपद में बनने वाले ताज कोरी डोर को पुनः सुधार अथवा संशोधन करके बनाने के सम्बन्ध में,

116-प्रदेश में स्कूटर व मोटर साइकिल के चालानों का मौका स्थल पर ही जुर्माना कर छोड़ने के सम्बन्ध में,

117-आगरा के आगरा कैन्ट स्टेशन, ताजमहल, किला, सिकन्दरा व एत्मादुद्दौला आदि प्रमुख स्मारकों पर देश-विदेश के पर्यटकों की लूटपाट रोकने हेतु विशेष पुलिस व्यवस्था लगाने के सम्बन्ध में,

118-प्रदेश में परिसीमन होने के कारण व विधायक क्षेत्र बढ़ जाने तथा वोटरों की संख्या बढ़ जाने व मंहगाई बढ़ जाने के कारण विधायक निधि कम से कम 2 करोड़ करने के सम्बन्ध में,

119-आगरा नगर की जर्जर सड़क व नाली जो कि तोता का ताल से नगर निगम स्कूल तक ऊषा देवी मन्दिर मोती कुंज तक तथा सिन्धी गुरुद्वारा बिल्लोचपुरा तक बनवाने के सम्बन्ध में,

120-ग्राम समाज की अतिरिक्त भूमि व नगरों में पड़ी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों किसानों व भूमिहीन नगरवासियों को देने के सम्बन्ध में,

121-उत्तर प्रदेश में बहुत पुराने लम्बित विवादों को निपटाने हेतु न्यायालयों की डबल शिफ्ट लगाने अथवा नये न्यायालय बनाने के सम्बन्ध में,

122-उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य राजस्थान की तरह पत्थरों द्वारा बनायी गयी मूर्तियों को वैट कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में,

123-जिला योजना समिति के सदस्य हेतु नगर निगम व नगरपालिका स्तर से चुनाव कर प्रत्येक से एक सदस्य चुनकर भेजने के सम्बन्ध में,

124-प्रदेश में उत्पीड़न को रोकने हेतु गलत तरीके से लगाये जा रहे दहेज एक्ट एवं हरिजन ऐक्ट को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

125-आगरा में रामबाग पुल के नीचे एवं भगवान टाकीज के पास पुल के नीचे बहुत गन्दगी रहती है, गन्दगी एवं अवैध कब्जों को रोककर उसके नीचे अन्दर स्कूटर, आटो, कार एवं बस पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में,

126-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं पुत्रियों की शादी हेतु सहायता गरीबी के आधार पर बगैर किसी जाति धर्म के दी जा रही है फिर जाति धर्म की प्रमाण-पत्र की बाध्यता को हटाने के सम्बन्ध में,

127-आगरा में आगरा फोर्ट के पास 40 साल से बन्द पड़े हुए पुराने बिजली घर को हटाकर उसके स्थान पर मार्केट या पार्किंग स्थल बनाने के सम्बन्ध में,

128-आगरा में वेदान्त मन्दिर के निकट स्थित यमुना किनारे, कैलाश मन्दिर नगर के सबसे प्राचीन घाटों के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

129-प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को काम एवं खेतों को बिजली-पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

130-प्रदेश को सूखा एवं बाढ़ से बचाने के लिये प्रदेश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के सम्बन्ध में,

131-आगरा में छोटे-छोटे झगड़े तथा प्रदर्शनों को दबाने के लिये गलत तरीके से रासुका लगाने को रोकने के सम्बन्ध में,

132-आगरा में जीवनी मंडी स्थित जागरण अखबार के सामने कृष्णा कालोनी में सम्पूर्ण सड़कें विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गई हैं उनकी मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में,

133-आगरा में ताजमहल व एत्माद्दौला के पीछे जमुना जी में विगत पांच वर्षों से पड़ी भारी गन्दगी व कूड़े के ढेरों को साफ करने के सम्बन्ध में,

134-आगरा जनपद में बहुत से स्थानों पर शौचालय व पेशाबघर नहीं हैं तथा नगर निगम द्वारा बनाये गये अधिकांश शौचालय एवं पेशाबघर गिरासू एवं जर्जर हो गये हैं। उनकी मरम्मत तथा नये शौचालय एवं पेशाबघर बनाने के सम्बन्ध में,

135-आगरा के मनोहरपुर से जमुना पार जाने के लिये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

136-उत्तर प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक लाख की आबादी पर मात्र लगभग सौ (100) पुलिस कर्मी हैं वर्तमान में प्रदेश में हो रही लूट, अपहरण, चोरी, डकैती की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक लाख की आबादी पर एक हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,

137-आगरा के मोतीगंज (जमुना किनारे के पास) की सड़क विगत 5 वर्षों से गड्ढायुक्त एवं जर्जर है। सड़कें व नाली के मरम्मत के सम्बन्ध में,

138-प्रदेश के विधायकों को विधायक निधि के कुछ कार्य नये परिसीमन के अनुसार भी कराने की सुविधा देने के सम्बन्ध में,

139-आगरा की सेन्ट्रल बैंक रोड कमला नगर की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त है तथा कमला नगर की जनसंख्या को देखते हुए उसकी चौड़ाई बहुत कम है। इस सड़क को चौड़ा कर बीच में डिवाईडर डालकर मय लाइट व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

140-बहुत से पुत्र अपनी आर्थिक परेशानी के कारण अपनी विधवा माता व वृद्ध माता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं ऐसी विधवा

माता, वृद्ध माताओं को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 1000/-रु0 सहायता राशि देने के सम्बन्ध में,

141-प्रदेश में मनमाने तरीके से सर्किल दर बहुत बढ़ा दी है उसे कम करने के सम्बन्ध में,

142-उत्तर प्रदेश में विधायकों को कूपन के कारण होने वाली परेशानी से बचाने हेतु कूपन के स्थान पर नगद धनराशि देने के सम्बन्ध में,

143-उ0 प्र0 के सभी विधायकों को विगत वर्ष तक 225 हैण्डपम्पों का कोटा लगवाने हेतु अधिकार दिया गया था उसे पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,

144-आगरा के आर्थिक विकास व देश-विदेश के पर्यटकों के मनोरंजन हेतु वेदान्त मन्दिर जमुना किनारे से एत्माद्दौला होते हुए लाल किला से ताजमहल तक रोपवे चलाने के सम्बन्ध में,

145-आगरा में छावनी परिषद् द्वारा लगाये गये नाजायज प्रवेश शुल्क को हटाने के सम्बन्ध में,

146-आगरा में सम्पूर्ण नगर में सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हैं उनका पेच वर्क (मरम्मत) कराने के सम्बन्ध में,

147-आगरा जीवन ज्योति हास्पिटल के पास बैनारा फैक्ट्री सिकन्दरा के पीछे तथा सामने 10 फुट चौड़ाई, 10 फुट गहराई, 5 कि0मी0 लम्बा नाले की मशीनों द्वारा तलीझाड़ सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

148-आगरा जनपद में कमला नगर क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाने के कारण अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नये थाने के निर्माण के सम्बन्ध में,

149-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल में हो रही मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिये मिट्टी के तेल में दी जाने वाली सब्सिडी (छूट) को बन्द करने व कंट्रोल की दुकान से हटाने के सम्बन्ध में,

150-आगरा जनपद में आलू की अधिकतम पैदावार को देखते हुए आलू पर आधारित चिप्स, पापड़, आलू पाउडर व शराब आदि की इन्डस्ट्रीज आगरा में लगाने के सम्बन्ध में,

151-आगरा में कैलाश महादेव मन्दिर से बल्देव जाने हेतु जमुना पर बड़ा पुल बनाने के सम्बन्ध में,

152-आगरा में कलक्ट्री के पास स्थित नालें के पुल को यातायात व्यवस्था के लिये चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

153-आगरा महानगर के विभिन्न मार्केटों के बाहर खुले में बिक रहे मीट को रोकने के लिये आगरा महानगर की चारों दिशाओं में मीट मण्डी बनाने के सम्बन्ध में,

154-आगरा की सफाई व्यवस्था दो पारी में प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक एवं सायंकालीन 1 बजे से 7 बजे तक कराने के सम्बन्ध में,

155-उ0 प्र0 में सड़कों पर घूम रहे भिखारियों को पकड़कर भिक्षुक गृह में रखकर उन्हें काम सिखाकर स्वावलम्बी बनाने के सम्बन्ध में,

156-आगरा में परिषदीय प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है जो शिक्षा मित्रों की भर्ती 2007 में हुई थी वो भी पर्याप्त नहीं थी। नई शिक्षा मित्रों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,

157-आगरा नगर क्षेत्र के 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय नहीं हैं। उन 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में,

158-आगरा में बाल्मीकि बस्ती महाराणा प्रताप नगर बाईपास से 10 x 10 चौड़े नाले की तलीझाड़ सफाई के सम्बन्ध में,

159-आगरा के बाईपास रोड से कैलाश विहार कालोनी होते हुए डा0 एच0एस0 असोपा हास्पिटल तक की जर्जर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

160-आगरा में प्रकाश नगर, नुनिहाई रेलवे क्रासिंग से जनता के गुजरने हेतु रेलवे का फाटक बनाने के सम्बन्ध में,

161-आगरा में नहर पुलिया लंगड़े की चौकी से मोतिया की बगीची में मानसिंह कुशवाहा के मकान से वाटर वर्क्स रोड तक की जर्जर एवं गड्ढ़ा युक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में तथा

162-आगरा के दिल्ली गेट से डा0 नवल किशोर के हास्पिटल तक की जर्जर एवं गड्ढ़ायुक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।''

श्री विद्यासागर गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-रफी अहमद किदवई वार्ड स्थित बड़ी जुगौली में एक महिला इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

2-रफी अहमद किदवई नगर वार्ड स्थित एल्डिको ग्रीन कालोनी की मुख्य सड़क बनाने के सम्बन्ध में,

3-ऐशबाग वार्ड स्थित बूचर खाने के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में,

4-रामतीर्थ वार्ड स्थित एक बीस सीटर महिला एवं पुरुष शौचालय बनाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा मार्ग पर हजरतगंज बड़े चौराहे पर लाल बत्ती होने पर ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिये हुसैनगंज से विधान सभा मार्ग होते हुए सिकन्दरबाग तक एक फ्लाई ओवर बनाने के सम्बन्ध में,

6-कैंसर के मरीजों के वास्ते प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने के लिये परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने वाले विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये तुरन्त शिक्षक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश में पान मसाले से होने वाली घातक बीमारियों को रोकने के लिये पान-मसाला एवं गुटका के निर्माण एवं बिक्री पर स्थाई प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में औद्योगिक प्लाटों की लीज समाप्त होने के पहले उन्हें फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में,

10-पूरे नगर में सीवर डालने के कारण दो वर्षों से तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें तुरन्त उसी कार्यदायी संस्था से बनवाने के सम्बन्ध में,

11-लखनऊ नगर के पार्कों जैसे दयानिधान पार्क, सरोजनी नायडू पार्क, महानगर पार्क के नीचे पार्किंग बनने के कारण वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या और जटिल होने तथा भविष्य में पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग न बनाने के सम्बन्ध में,

12-दारुलशफा विधायकगणों के निवास का सबसे पुराना भवन है। उसकी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं नालियां टूटी पड़ी हैं जगह-जगह मिट्टी और कूड़े के ढेर लगे हैं दारुलशफा की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,

13-अमीनाबाद झण्डेवाला पार्क सौ वर्ष पुराना ऐतिहासिक पार्क है वहां आवांछित तत्व और गैर कानूनी लोग गलत कार्य करते हैं। झण्डेवाले पार्क की दीवारें ऊंची कराकर वहां चौकीदारी का उचित प्रबन्ध करके पर्यावरण की लिहाज से बेगम हजरतमहल पार्क जैसा निर्मित करने के सम्बन्ध में,

14-नगर निगम, लोक निर्माण विभाग आदि अतिक्रमण को ध्वस्त करके अवैध निर्माण गिरा देते हैं जिसका मलबा वर्षों तक वहीं सड़कों पर पड़ा रहता है जिसका प्रभाव यातायात के लिये काफी दुःखदायी हो जाता है। अतिक्रमण हटाने के दो सप्ताह के अन्दर उस सड़क का निर्माण और बीच में लगे बिजली के खम्भों को हटाने के सम्बन्ध में,

15-लखनऊ महानगर में अभी भी घनी आबादी में दूध की डेरियां बसी हैं जिनसे महामारी फैलती है। उन डेरियों को नगर से बाहर करने के सम्बन्ध में,

16-पूरे लखनऊ में आवारा छुट्टा जानवर जैसे गाय, बैल, कुत्ते एवं सुअर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, नगर को छुट्टा पशुरहित बनाने के सम्बन्ध में,

17-गोमती नगर स्थित समतामूलक चौराहा जानलेवा चौराहा बन चुका है प्रतिमाह वहां दुर्घटनायें होती रहती हैं पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। चौराहे को दुर्घटना मुक्त स्पीड ब्रेकर लगाने के सम्बन्ध में,

18-गोमती नगर विस्तार में एल0डी0ए0 के जिन किसानों के घरों और खेतों को उजाड़कर अतिरिक्त निवास और खेत का हर्जाना देने का आश्वासन दिया है उसे 30 दिन के अन्दर दिलाने के सम्बन्ध में,

19-लखनऊ नगर में सफाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है हर बीट इंचार्ज को वार्डों में ही सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगाकर सफाई सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

20-लखनऊ नगर में हर क्षेत्र में पेयजल की कमी रहती है। इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने में जल निगम फेल हो चुका है सर्दियों में जलस्तर ऊंचा रहता है वो रि-बोर कर देते हैं और गर्मियों में ज्यों ही जलस्तर नीचे चला जाता है वहीं हैण्डपम्प पुनः खराब हो जाता है। प्रदेश में हैण्डपम्प लगाने वाली अलग से कार्यदायी संस्था बनाकर उसे पूरी तरह से नये हैण्डपम्प लगाने और उसके रखरखाव के वास्ते उत्तरदायी बनाने के सम्बन्ध में,

21-मंहगाई को देखते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा गंभीर बीमारी के लिये धनराशि बीस हजार रुपये और घर के मुखिया की मौत हो जाने पर पचास हजार रुपये और शादी के लिये तीस हजार रूपये बढ़ाकर देने के सम्बन्ध में,

22-लखनऊ स्थित मिल रोड, ऐशबाग रोड पर मवैया पुल से एवरेडी चौराहे तक जो बहुत ही पतली है और पाइप लाइन डालने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है के चौड़ीकरण करके डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में,

23-गोमती नगर विस्तार के नाले के किनारे खुली जगह पर ग्वारी गांव में एक स्थानीय शवगृह बनाने के सम्बन्ध में,

24-लखनऊ स्थित मोतीझील ऐशबाग में वधशाला पुराने बूचरखाने को हटाकर आधुनिक पशु वधशाला एवं काराकस यूटीलाइजेशन प्लान्ट की स्थापना हेतु ग्राम सलेमपुर पतौरा में खसरा संख्या-131 क्षेत्रफल

5.145 हे0 का पुनर्ग्रहण होने पर भी चार साल से लम्बित वधशाला तुरन्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-दि मैन्टेनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पैरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटिजन ऐक्ट-2007 जिसे विधायी, कार्मिक, न्याय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा गृह विभाग से अनापत्ति/सहमति दो वर्ष पहले प्राप्त हो चुकी है उसे लागू कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-लखनऊ नगर में ई-सुविधा द्वारा बिजली विभाग के मीटरों की जो रीडिंग ली जाती है, उस पर हर धनराशि के पहले उपभोक्ता की जानकारी के वास्ते व्यवस्था दर्शाये जाने के सम्बन्ध में,

27-लखनऊ नगर में सुअर जो कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं उनके बाड़ों को लखनऊ से बाहर करने और बाड़ों को चलाने वालों को दण्डित करने के सम्बन्ध में,

28-नवयुग कन्या विद्यालय के प्राइमरी विभाग में रिक्त आठ सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति किये जाने विषयक माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा आठ माह पहले आदेश किये जाने पर भी विद्यालय को नियुक्ति-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

29-प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्त्री रोग महिला चिकित्सकों की कमी के कारण अन्य विभागों जैसे उ0प्र0 एड्स नियंत्रण सोसायटी इत्यादि में स्थानान्तरित न करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्रीमती सीमा द्विवेदी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :--

1-गड़वारा विधान सभा के सुजानगंज ब्लाक में महिला विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

2-बेलवारघाट का पुल पिछले 10 वर्ष से अभी तक लम्बित चल रहा है तत्काल कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-जनपद जौनपुर में कानूनगो एवं तहसीलदार की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

4-बेलवार बाजार में 33 के0वी0ए0 का पावर हाउस तत्काल प्रभाव से चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद जौनपुर में महिला चिकित्साधिकारियों की तत्काल नियुक्ति करके बेलवाट, सुजानगंज, महराजगंज एवं इटहां में तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,

6-गड़वारा विधान सभा में सई नदी के किनारे गांवों में पेयजल की समस्या के निदान हेतु 1000 इण्डिया मार्का-2 की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद जौनपुर में किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय-समय पर डी0ए0पी0 तथा रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर जनपद जौनपुर में कम से कम 22 घण्टे विद्युत सेवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-ग्राम रामपुर कोटिला, भीलमपुर, गोलहनाऊ, दीपकपुर, सुल्तानपुर आदि ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद जौनपुर में समस्त आवश्यक खाद्य सामग्री में व्यापक पैमाने पर मिलावट होने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, छापेमारी करके तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में,

11-भुइधरा, अचकारी, तारपट्टी, भेलमपुर, लगधरपुर, इटहा, दारुनपुर, सोनहिता कनौली, बाबूरामपुर आदि सम्पर्क मार्गों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, तत्काल सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में,

12-महाराजगंज वि0खं0 के राजाबाजार में ओवरलोड होने के कारण विद्युत व्यवस्था लुंजपुंज है, तत्काल 250 के0वी0ए0 के स्थान पर 350 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

13-वि0स0 गड़वारा में वि0खं0 सुजानगंज में मधुपुर बरईपार तथा सुजानगंज में बच्चों के खेलने हेतु मिनी स्टेडियम की स्थापना के सम्बन्ध में,

14-वि0खं0 मुंगरा बादशाहपुर कस्बे में विद्युत सप्लाई कम होने की वजह से व्यवसायियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

15-जिला चिकित्सालय सदर, जौनपुर में डिलिवरी के दौरान महिलाओं से दो-दो हजार रुपया अनाधिकृत तौर पर लिया जाता है, इसे रोके जाने के सम्बन्ध में,

16-बढ़ती हुई मंहगाई के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, इसको रोके जाने के सम्बन्ध में,

17-वि0स0 क्षेत्र गड़वारा में सभी नहरों व माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,

18-सुजानगंज चौराहे पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 नागेश्वर द्विवेदी की मूर्ति की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

19-वि0खं0 सुजानगंज के इटहा गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक बनवाये जाने के सम्बन्ध में तथा

20-मंहगाई को देखते हुए विधायक निधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में,

2-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में,

3-सत्ता दल के विधायकों के आतंक, शोषण व दुराचार से महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

5-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों एवं बिहार व नेपाल को तस्करी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

7-वर्ष 2010-11 के लिये महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु घोषित विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

8-पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दरें पड़ोसी राज्य दिल्ली व हरियाणा के बराबर करने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को सरकारी नौकरी में कम्प्यूटर सीट पर आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों का आढ़तिया कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में मिड-डे मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह गृहकर माफ करने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से भी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-कतिपय विधायकों की संस्तुति पर पी0डब्लू0डी0 की सड़क न देने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी नागरिकों के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश में दुधारू पशु के कटान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

25-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गोकशी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

26-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नये मांस प्लांटों को लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में,

27-मेरठ पशु बधशाला (नगर निगम अंतर्गत) पर मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन न होने के सम्बन्ध में,

28-मेरठ पशु बधशाला में मेरठ की खपत से ज्यादा पशु काटे जाने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

29-मेरठ मेडिकल कालेज में 10 शैय्या की बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में,

30-मेरठ में नई कालोनी गंगा नहर, लोहिया नगर, पल्लवपुरम् में थाना खोलने के सम्बन्ध में,

31-मेरठ के मोहल्ला पटेल नगर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में,

32-मेरठ की मलिन बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,

33-मेरठ स्थित हस्तिनापुर एवं परतापुर कताई मिल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

34-देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की प्रतिमा जिले में लगाये जाने के सम्बन्ध में,

35-खेल नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

36-खेल का सामान बनाने वाली कम्पनियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,

37-मेरठ में 24 घण्टे बिजली दिये जाने एवं घरेलू उपभोक्ताओं को चेकिंग के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में,

38-टी0पी0 नगर चौराहे से जैन नगर तिराहे तक नई सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

39-प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने के लिये नीति बनाने के सम्बन्ध में,

40-मेरठ नगर निगम के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

41-मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

42-मेरठ नगर निगम द्वारा नालों की सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में,

43-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में,

44-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि का उपयोग भेदभाव से करने के सम्बन्ध में,

45-मेरठ जिले में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के लिये हजारों की संख्या में चक्कर काट रहे व्यक्तियों को पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

46-मेरठ महानगर में नई आवासीय दलित एवं मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-मेरठ में बढ़ते ट्रैफिक जाम व उसके कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में,

48-नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा मलिन बस्तियों में माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में,

49-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से दलित एवं मलिन बस्तियों में नाली एवं सड़क का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में,

50-प्रदेश के सभी जनपदों में बी0पी0एल0 कार्ड का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में तथा

51-मेरठ जनपद की सभी तहसीलों में जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र बनाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।''

श्री अशोक कंसल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश सरकार द्वारा निर्धन कन्याओं को विवाह के लिए 10 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है, के वह सभी पात्र परिवारों के कन्याओं के विवाह हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-सभी वृद्ध/वृद्धाओं, विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में,

3-जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले शामली कस्बे से मुजफ्फरनगर आने वाली रोड पर गांव पीन्ना बाई पास को सहारनपुर रोड से जोड़कर नया बाई पास बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

4-जनपद मुजफ्फरनगर में जानसठ बाई पास को नवीन मण्डी स्थल से जोड़ते हुए पचेंडा बाई पास से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले पौराणिक स्थल शुक्रताल तीर्थ को मुख्य पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बढ़ते हुए गोवध पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाते हुए कानून का पालन कड़ाई से कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-अन्य आयोगों व निगमों की भांति व्यापार की उन्नति हेतु एक व्यापार आयोग अथवा व्यापार निगम के नाम से बनाकर प्रदेश के किसी व्यापारी नेता को ही उसका अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

8-नक्शा प्राप्त प्रदेश के शहरों व कस्बों के आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी के चलते ध्वस्त किये जा रहे प्रतिष्ठानों को बचाने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अत्याचार को रोकने के सम्बन्ध में,

9-किसानों को उचित दरों पर अच्छे बीज एवं उर्वरक खाद समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-वैट प्रणाली में संशोधन करते हुए बराबर के पड़ोसी राज्यों की भांति पेट्रोल, डीजल एवं चौपहिया गाड़ियों की टैक्स दरों में परिवर्तन करते हुए समानता लाने के सम्बन्ध में,

11-सभी वर्ग के गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिये शासन द्वारा अनुमन्य 2000/-रुपये की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 10,000/-रुपये किये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले गांवों मोलाहेड़ी के निकट काली नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश के शहरी कस्बों में पेयजल की समस्याओं को देखते हुए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बेरोजगार युवक/युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में पेड़ों के अवैध कटान से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,

16-विधान सभा क्षेत्र सदर मुजफ्फरनगर में सभी पात्रों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में निर्माण कार्य कराने वाली सभी निर्माण एजेन्सियों की प्रत्येक माह जनपदवार बैठक कराकर विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-मुजफ्फरनगर विधान सभा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर गलियों व बाहरी मलिन बस्तियों में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में,

19-नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर की जल भराव की समस्या को देखते हुए जल निकासी की नई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में जब कोई अवैध निर्माण या अवैध कालोनियां निर्माणाधीन होती हैं तो अधिकारियों के द्वारा सुविधा शुल्क लेकर अवैध निर्माण करा दिया जाता है जो सरासर अन्याय है ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध कालोनियों को नियमित कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-जनपद मुजफ्फरनगर में कबड्डी, वालीवाल, कुश्ती, क्रिकेट व एथलेटिक्स खेल काफी लोकप्रिय हैं इनके खेलों के खिलाड़ियों के लिए छात्रावास स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

22-विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर जनपद मुजफ्फरनगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने व कम से कम 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,

23-वायदा व्यापार के कारण ही प्रदेश के अन्दर मंहगाई बढ़ती जा रही है एवं युवा व्यापारी भी उसमें नुकसान के कारण आत्महत्या तक

कर रहे हैं इसलिए इस वायदा व्यापार को प्रदेश के अन्दर निष्प्रभावी कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-मेरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गांव जटमुझेड़ा में स्थापित स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज की भूमि को शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की गम्भीर बीमारी का इलाज निःशुल्क कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी व घटतौली को कड़ाई से रोके जाने के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश में सिन्थेटिक दूध को पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किये जाने एवं उसके रोकथाम हेतु कठोर नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

28-मुजफ्फरनगर विधान सभा क्षेत्र में गांधी कालोनी रेलवे फाटक के ऊपर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

29-मुजफ्फरनगर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर खुलेआम बिकने वाले मांसाहारी दुकानों व ठेले वालों को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में तथा

30-प्रदेश में दुधारी पशुओं के अवैध रूप से होने वाले कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री राघव लखन पाल शर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में,

2-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में,

3-सत्ता दल के विधायकों के आतंक, शोषण व दुराचार से महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

5-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों,

जमाखोरों एवं बिहार व नेपाल को तस्करी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

7-वर्ष 2010-11 के लिए महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु घोषित विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

8-पूर्व वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में,

11-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की काला बाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

12-कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की काला बाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,

14-औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने हेतु उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज के रुके निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में,

16-सहारनपुर नगर के लिए बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-सहारनपुर नगर निगम को विकास कार्यों हेतु विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने एवं सार्थक विकास योजनाओं को लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

18-सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि का प्रयोग बिना भेदभाव करवाये जाने के सम्बन्ध में,

19-सहारनपुर से नानौता मार्ग का तथा

20-सहारनपुर देवबन्द मार्ग का पुनः निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

21-सहारनपुर बेहट मार्ग का पुनः निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

22-देवबन्द बड़ागांव मार्ग का पुनः निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

23-सहारनपुर नगर में 500 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

24-सहारनपुर में बी0पी0एल0 कार्डों का कोटा बनवाने के सम्बन्ध में,

25-सहारनपुर नगर निगम की नई कालोनियों के विकास हेतु विशेष पैकेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

26-सहारनपुर नगर के चिलकाना रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु तथा बेहट रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-आवास विकास व आस-पास की नई कालोनियों में नये रूप से सीवर लाइन व सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,

28-सहारनपुर की प्रमुख धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला के सामने पवित्र पांव धोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-सहारनपुर नगर के एस0बी0डी0 बजौरिया सिविल हास्पिटल के आधुनिकीकरण की योजना के सम्बन्ध में,

30-सहारनपुर की आफिसर्स कालोनी, दिल्ली रोड सीवरेज लाइन व सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

31-सहारनपुर नगर के पुराने रोडवेज बस अड्डे को स्थानान्तरित कर किसी नये स्थान को चिन्हित कर आधुनिक रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में,

32-सहारनपुर नगर को विद्युत कटौती मुक्त रखने के सम्बन्ध में,

33-सहारनपुर नगर के अम्बाला रोड स्थित मुख्य पुल जो कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है जिसकी हालत बहुत खराब (जर्जर हालत) है को पूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में,

34-सहारनपुर नगर के उद्योग को पूर्ण जीवित करने हेतु विशेष औद्योगिक पैकेज के सम्बन्ध में,

35-सहारनपुर नगर निगम की कालोनियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु नये ट्यूबवेल पाइपलाइन व हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में,

36-सहारनपुर नगर के बाहरी क्षेत्र में बसी नई कालोनियों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

37-सहारनपुर नगर में बेहतर शिक्षा हेतु नये हाई स्कूल व इण्टर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में,

38-सहारनपुर नगर में बाल्मीकी कालोनियों व अन्य दलित कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे स्वच्छ पानी, सड़क, विद्युत व्यवस्था व पक्के शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

39-सहारनपुर परिक्षेत्र में गो-वध रोकने हेतु कानून का पालन कड़ाई से कराये जाने के सम्बन्ध में,

40-सहारनपुर नगर के आस-पास अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के सम्बन्ध में,

41-सहारनपुर नगर की पवित्र नई पांवधोई नदी की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में,

42-सहारनपुर नगर में ढमोला नदी में मोहल्ला गिल कालोनी की तरफ हो रहे कटान को रोकने तथा कई स्थानों पर पानी के कटान को रोकने हेतु पक्की ढहांगों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

43-सहारनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु दस नई पानी की टंकियों के निर्माण के सम्बन्ध में।''

श्री अनूप कुमार गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नैमिषारण्य तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-मिश्रित तीर्थ की 84 कोशीय परिक्रमा मार्ग में जो कच्चा स्थान है उसको डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-नगरपालिका परिषद् नैमिषारण्य में सफाई कर्मचारी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

4-मिश्रित तहसील में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में,

5-मिश्रित, पिसांवा, महौली, इमिलिया, सुल्तानपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में,

6-महौली को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-महौली में पुराने विद्युत तारों को बदल कर नये विद्युत तार लगाये जाने व ट्रांसफार्मरों की उच्च क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

8-उरदौली रेलवे क्रासिंग पर लो0नि0 विभाग द्वारा फाटक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9-उरदौली/डाडाबाद में विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

10-इमिलिया सुल्तानपुर में विद्युत उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में,

11-महुआ कोला घाट पर पीपे/पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-ब्लाक पिसांवा के अभिरता से कालीपाकर तक अधूरी रोड को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-मैगल गांव से बड़ागांव तक अधूरी सड़क को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-ब्लाक पिसांवा के चिकौहुला व रामनगर के पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-नेरी से पकरिया पाण्डे तक पक्की रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-ब्लाक ऐलिया में राजकीय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

17-महौली व ऐलिया ब्लाक में औद्योगिक कारखाना खोले जाने के सम्बन्ध में,

18-ब्लाक महौली, पिसांवा, ऐलिया, मिश्रित के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में,

19-उक्त चारों ब्लाकों में बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-उक्त चारों ब्लाकों में बन्द पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर, कम्पाउन्डर व ए0 एन0 एम0 की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में तथा

21-पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु 2000 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री अरविन्द सिंह यादव — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है :--

1-जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में जी0टी0 रोड सिकन्दपुर से कसावा का शेष भाग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-छिबरामऊ तालग्राम मार्ग से नत्था नगला तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-ग्राम रूपपुर छछोनापुर, निधौली में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-जी0टी0 रोड, छिबरामऊ प्रेमपुर मार्ग से करमुल्लापुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-छिबरामऊ कन्डोली मार्ग से महुआ नगला तक सड़क निर्माण पर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-छिबरामऊ नगर में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

7-छिबरामऊ तालग्राम रोड से बल्देनगला तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-छिबरामऊ से विशुनगढ़ तक रोडवेज बसे चलवाने के सम्बन्ध में,

9-छिबरामऊ तालग्राम रोड से खजुरियानगला होते हुए रनवा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-विशुनगढ़ कैरडा पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-पिछड़े क्षेत्र विशुनगढ़ में सरकारी डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

12-छिबरामऊ नगर में महिला डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

13-आलू कोल्ड स्टोरेज मिल मालिकों द्वारा 19/-कुन्तल भाड़ा बढ़ाकर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

15-प्रदेश में आये दिन लूट, अपहरण की घटनाओं पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर' प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर सदर अन्तर्गत शारदानगर से ऐरा रोड के बीच शारदा नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-खीरी ब्रान्च ब्लाक लखीमपुर में काला डुण्ड नहर पर रोड से उमरिया के पास रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-परसदहा ग्राम से ककरहा तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4-रामापुर रोड रपटापुर पुल पार कर जमकोहना होकर दोनवापुरवा तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-जमकोहना से तिकोलिया तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6-महंगूखेड़ा रोड से महमदपुर महेवा रोड तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-हरौआ चौराहे से सैदापुर सरैया होकर शारदा पोषक नहर तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-गोला रोड से ढबरा पुल होकर कोरैया चमरू तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9-ब्लाक लखीमपुर में ग्राम झसिया, झसियापुरवा, हसनापुर, भोलनपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-ब्लाक बेहजम में ग्राम ढेहुआ मजरा पिपराहीर एवं शंकरपुर मजरा खागी ओयल में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

11-ऐरा रोड से रूखिया होकर शारदा पोषक नहर तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-कोटखेरवा रोड से मुराउनपुरवा तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

13-सीतापुर रोड से सरैया रोड तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

14-सैदापुर कानपुर रोड से जमुनिया रोड तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-झसिया रोड से झसियापुरवा होकर खीरी लगूचा रोड तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-खीरी लगूचा रोड से बरागर होकर मेनौहुना रोड तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-अलीगंज रोड से मथना शिवाला पुरवा होकर गढ़ी रोड तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-खानपुर के गनेशपुर तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19-सैदापुर भाऊ से मनेउरा तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-बेहजम रोड से बेलवा फार्म होकर जोधपुर तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

21-देवरिया से अम्बर स्रोत तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22-अभिरता पुर रोड से रजवापुर तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23-निजामपुर निकरी से निकटी तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

24-बीराधासी से भरपुरवा तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-बेहजम रोड से काला आम होकर जमैठा तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

26-ग्राम बाजपेई से भवानीपुर रोड तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

27-सीतापुर रोड से सेधुवा होकर अरौहुआ तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

28-मड़राही से पंचौरा तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

29-रामपुर रोड से मैनगीरी तक कारीपोखर तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

30-बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

31-पेयजल समस्या के निदान किये जाने के सम्बन्ध में,

32-लखीमपुर खीरी के शहर की ट्राफिक व्यवस्था के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-लखीमपुर शहर में बिजली व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित न होने के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसानों को धान खरीद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को रोकने के सम्बन्ध में,

36-लखीमपुर खीरी के व्यापारियों, गरीबों, मजदूरों का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

37-लखीमपुर शहर व देहात के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

38-लखीमपुर शहर में बिजली के तार जो जर्जर हो चुके हैं को बदले जाने के सम्बन्ध में।''

श्री माता प्रसाद पाण्डेय — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में तथा साथ ही नेपाल के सीमावर्ती जिलों में नेपाल को की जा रही यूरिया खाद की तस्करी के सम्बन्ध में,

2-बढ़ती बेरोजगारी को न रोक पाने के फलस्वरूप बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसानों की फसल धान को बिचौलियों द्वारा खरीद करने को रोकने के सम्बन्ध में,

4-पूर्वी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से बस्ती मण्डल में गरीबों को दिये जाने वाले खाद्यान्न को खुले आम ब्लैक किये जाने के सम्बन्ध में,

5-बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार व आपराधिक कृत्यों के सम्बन्ध में,

6-गिरती कानून व्यवस्था को रोकने के सम्बन्ध में,

7-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में,

8-संवैधानिक व्यवस्था को क्रमिक रूप से निष्प्रभावी कर रहे सरकारी व्यवस्था को रोकने के सम्बन्ध में,

9-बजट के विभिन्न मदों में आवंटित धन को सरकार द्वारा बिना किसी औचित्य के अनुत्पादक मदों में स्थानान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में तथा

10-सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग कर उसके अवैधानिक रूप से निजी प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में।''

डा0 आर0 ए0 उस्मानी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के मुख्यालय ग्राम पंचायत निघासन को नगर पालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

3-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा निघासन के ग्राम लुधौरी, निघासन, सुधनाबरसोला, (तिकोनिया), रमियाबेहड़, विलरायां मजरा भेडौरी को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

4-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन में शारदा नदी के कटान से बचाने के लिये ग्राम बल्लीपुर से अदललाबाद तक शारदा नदी के उत्तरी तट पर तटबन्ध बनाकर क्षेत्र को विनाश लीला से बचाये जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन में घाघरा नदी के कटान से बचाने के लिये ग्राम सूरत नगर, जसनगर, तिकोनियां आदि गांवों को बचाने के लिये घाघरा नदी के दक्षिणी तट पर तटबन्ध एवं नदी की धार मोड़ने के लिये ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया एवं निघासन में नेपाल से लगी सीमा पर नेपाली नदियों से एवं बनबसा बांध से छोड़े गये पानी की विनाश लीला एवं नेपाल से लगी सीमा पर आतंकवादियों, माओवादियों एवं देश के दुश्मनों से बचाने के लिये स्थाई बांध बनाकर उसके ऊपर हाइवे बनाने के सम्बन्ध में,

7- जनपद लखीमपुर खीरी के हिन्दुस्तान एवं नेपाल के बार्डर पर लगे एस0एस0बी0 के द्वारा आये दिन ग्रामीणों को मारने एवं प्रताड़ित

करने तथा औरतों के साथ जुल्म ज्यादती रोकने तथा एस0एस0बी0 के कैम्पों को गांवों से हटाकर हिन्दुस्तान के बार्डर पर लगाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत अदलाबाद, झण्डी, बैलहा, मूडाबुजुर्ग, गूम, जं0नं0-12, जं0नं0-11, बल्लीपुर, लुघौरी आदि ग्राम पंचायतों के द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत बाढ़ रोकने हेतु शारदा नदी में ठोकरें बनाये जाने हेतु के प्रस्ताव का विकास विभाग द्वारा स्टीमेट बनाये जाने हेतु एवं अनुमोदित के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल तक विद्यालयों की मान्यता शीघ्र दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-कश्यप, निषाद, गोडिया, भर, राजभर, प्रजापति, मुस्लिम, धोबी मुस्लिम, कपडिया, अंसारी, नद्दाफ, बेहना, मंसूरी समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

11-धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आठ प्रतिशत थानों में तैनाती के सम्बन्ध में,

12-साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर फर्जी आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

13-कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने तथा अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में,

14-बेरोजगारी भत्ता योजना को लागू करने के सम्बन्ध में,

15-कन्या विद्याधन योजना को यथावत् लागू करने के सम्बन्ध में,

16-गरीबों के गम्भीर रोगों के इलाज के खर्च के सम्बन्ध में,

17-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों के सम्बन्ध में,

18-गन्ना कृषकों को गन्ने का मूल्य बढ़ाने एवं गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में,

19-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण तथा गन्ने की घटतौली रोके जाने के सम्बन्ध में,

20-जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद् लखीमपुर में चारों तरफ के गांवों जिसमें मिदनियां, रामापुर, सलेमपुर, राजापुर, चनपूरा, छाउछ, पहाड़ापुर, मीरपुर, महेवागंज, सिंगारपुर, ओदरहना आदि ग्राम पंचायतों को मिलाकर लखीमपुर को महापालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर पूरे प्रदेश को 24 घण्टे बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में,

22-व्यापारियों के ऊपर लगाये गये वैट को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

23-बुन्देलखण्ड में किसानों की आत्महत्या रोके जाने के सम्बन्ध में,

24-हज यात्रा से वापस आये हाजी साहबान को खजूर व पानी न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में,

25-55, श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र में बड़ागांव बडेहरा, अलीगंज, नकहा, फूलबेहड़, सुन्रवल को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

26-55, श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के पांचों ब्लाकों, फूलबेहड़, नकहा, विजुआ, बांकेगंज, लखीमपुर में कोई डिग्री कालेज नहीं है प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक-एक डिग्री राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में,

27-ब्लाक नकहा जिला लखीमपुर के ग्राम बेल्हौरा, चाउपुर पडरी, गौडवा, गोडियाना, नौव्वापुर, गदियाना व खानीपुर आदि गांवों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

28-ब्लाक फूलबेहड़ जिला खीरी के ग्राम मेहदी, राजापुर, परसेहरीकला, चौरठिया आदि गांवों को पक्के मार्ग द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

29-55, श्रीनगर विधान सभा के पांचों विकास खण्डों में उच्च स्तरीय अच्छे चिकित्सालय नहीं हैं इसलिये विकास खण्ड नकहा, रमियाबेहड, विजुआ, बांकेगंज, फूलबेहड़ में 100 शय्या वाले अस्पतालों के निर्माण के सम्बन्ध में,

30-लखीमपुर से निघासन मार्ग पर पचपेड़ी घाट के ऊपर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

31-लखीमपुर जनपद के ग्राम चफन्दी तथा चौरठिया में पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में,

32-लखीमपुर जनपद के विकास खण्ड विजुआ की असेवित न्याय पंचायत अषाढ़ी में असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना योजनान्तर्गत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज दाउदपुर खीरी की स्थापना हेतु शीघ्र ही अनुदान अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश के सभी कर्बला तथा कब्रिस्तानों तथा ईदगाह की चाहर दीवारी के निर्माण के सम्बन्ध में,

34-जनपद खीरी एवं सीतापुर के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-उ0 प्र0 के सभी कच्चे घरों को पक्के घर बनवाने हेतु 40,000 रु0 प्रति आवास देकर सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-जनपद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिलों को मिलाकर तराई प्रदेश बनाये जाने के सम्बन्ध में,

37-जनपद बदायूं में छोटे सरकार साहब तथा बड़े सरकार साहब की जियारतों के विकास के लिये दो करोड़ रु0 का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

38-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील लखीमपुर के विकास खण्ड फूलबेहड़ के अम्बेडकर गांव गूम के मजरा चकलुवा जंगल नं0-11 में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

39-जनपद खीरी के शहर लखीमपुर में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

40-उ0 प्र0 के माननीय सदस्य, विधान सभा एवं पूर्व तथा भूतपूर्व सदस्यों के निधन के उपरान्त पारिवारिक पेंशन पाने के सम्बन्ध में,

41-पूरे उ0 प्र0 के मोअल्लिम उर्दू के डिग्री धारकों को बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में,

42-मुस्लिम समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों का लोक सभा तथा विधान सभाओं में उचित भागीदारी हेतु आरक्षण का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में,

43-मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे जुल्म एवं अत्याचारों को रोके जाने हेतु अनुसूचित जनजाति की तरह मुस्लिम समाज अत्याचार निवारण अधिनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

44-मुस्लिम समाज के दबे कुचले एवं पिछड़ेपन को देखते हुए सरकारी नौकरियों एवं प्राइवेट सेक्टर में बीस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

45-मा0 विधायकों को सुरक्षा खतरे को देखते हुए सभी विधायकों को वाई0 श्रेणी की सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

46-फरेदापुरवा से भोला पुरवा तक डामरीकरण विकास खण्ड नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-सम्पर्क मार्ग सेहरुआ से मनिकापुर तक दूरी लगभग 1 कि0 मी0 विकास खण्ड लखीमपुर जिला खीरी को बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

48-विकास खण्ड नकहा के ग्राम गौरियाझीलम से ग्राम सभा पडरी के बार्डर तक सड़क निर्माण दूरी 3 कि0मी0, जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

49-सिंगारपुर महेवागंज विशम्भर कंजड़ के मकान के पास से सुआअंसारी के मकान तक दूरी लगभग 400 मीटर डामरीकरण वि0 खं0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

50-पतराशी से नकहा रोड के बीच गुलरीपुरवा रसे सकेथू पुरवा तक डामरीकरण लगभग 2 कि0मी0 जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

51-साडा से पिपरा मरोडा रोड पर लिलौटी नाथ को मिलाना है दूरी लगभग 1 कि0मी0 डामरीकरण विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

52-सरदार त्रिलोक सिंह जी के घर तक रोड दूरी लगभग 1/2 कि0मी0 डामरीकरण विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

53-दुबग्गा मार्ग से दोनवापुरवा जमकोहना मार्ग तक दूरी लगभग 4 कि0मी0 डामरीकरण विकास खण्ड लखीमुर जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

54-बसहा माफी से ग्राम कोडरी तक दूरी 1 कि0मी0 डामरीकरण वि0ख0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

55-प्लाईबुड फैक्ट्री दलालपुरवा मजरा बालूडीहा से हाजीपुरवा मस्जिद और प्रा0 पा0 बालूडीहा होकर मो0 रजा की दुकान तक दूरी लगभग 1.50 कि0 मी0 डामर रोड विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

56-काशीराम पुरवा से गौरा तक रोड दूरी लगभग 3 कि0मी0 विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

57-छोटी खाभी के पूरब तक डामर रोड मय पुलिया दूरी लगभग 2.50 कि0 मी0 विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

58-रैगवा गांव से कहारनपुरवा तक वाया मथौरा दूरी लगभग 2 कि0 मी0 डामर रोड मय पुलिया विकास खण्ड नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

59-बेलिहान से राजापुर पूरब रपटा पुलिया तक दूरी 2 कि0मी0 डामर रोड विकास खण्ड फूलबेहड़, खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

60-चौका साइफन शारदा नहर से राजपुर गांव तक दूरी 3 कि0 मी0 डामर रोड विकास खण्ड नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

61-राधेश्याम के मकान से शीतला के मकान होकर सुखराम के मकान तक सी0सी0 रोड दूरी लगभग 800 मीटर ग्राम बालूडीहा, विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला में कराये जाने के सम्बन्ध में,

62-भानपुर गांव से गौरतारा गांव होकर शारदा नहर तक दूरी लगभग 3 कि0मी0 डामर रोड तक विकास खण्ड नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

63-वि0ख0 निघासन अदलाबाद शारदानगर नगर बन्धा पर ग्राम पंचायत मूडाबुजुर्ग के बारूबाबा से प्रतापगढ़ चकलूवा जंगल नं0 11 लगभग 4-00 कि0मी0 डामर रोड मय पुलिया रोड का निर्माण जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

64-रामापुर से जमकोहना वाया जुलाहनपुरवा तक विकास खण्ड नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

65-खम्भार खेडा गांव से मझरा वाली सड़क तक दूरी लगभग 3 कि0मी0 डामर रोड वि0ख0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

66-मुडिया मिश्र गांव से चकवा बाजार तक दूरी लगभग 1.50 कि0मी0 डामर रोड वि0खं0 फूलबेहड़, जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

67-कौआखेड़ा से उत्तर की ओर नत्था गौतम के खेत तक दूरी 1 कि0मी0 डामर रोड विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

68-बालूडीह सेहरूआ मार्ग से दीनपुरवा तक दूरी लगभग 1.50 कि0मी0 डामर रोड विकास खण्ड लखीमपुर जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

69-कोपा से भदोरियन पुरवा तक दूरी लगभग 3 किमी0 डामर रोड विकास खण्ड नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

70-तेतारपुर पूरब से गड़रियन पूरवा तक दूरी 4 कि0मी0 डामर रोड विकास खण्ड फूलबेहड़, खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

71-रामापुर बाजार से शिवपुर तक डामर रोड विकास खण्ड नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

72-गुरमीत सिंह के फार्म से रामनगरा तक वाया नई पुलिया दूरी लगभग 4 किमी0 डामर रोड ग्राम पंचायत मकसोहा वि0ख0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

73-मकसोहा मटेही लिंकमार्ग से दुअन्नी गांव तक 1 किमी0 डामर रोड विकास खण्ड फूलबेहड़, खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

74-सम्पर्क मार्ग बरौला से सिंसैया फार्म तक दूरी 1 किमी0 डामर रोड वि0ख0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

75-करहिया, गुरुद्वारा से मेन रोड सिकटिहा तक दूरी लगभग 1 किमी0 डामर रोड वि0ख0 फूलबेहड़, खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

76-राजापुर कर्बला से रपटा पुलिया तक वाया मस्जिद तक डामरीकरण दूरी लगभग 1.30 कि0मी0 खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

77-सिसौरा तेन्धुवा सम्पर्क मार्ग से साभर चौरा तक वाया अजायब सिंह के झाला होते हुए दूरी लगभग 2 किमी0 वि0ख0 फूलबेहड़ खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

78-ज्ञानपुर से पडरिया कलॉ तक डामर रोड दूरी 3 किमी0 वि0खं0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

79-आगर खुर्द से पकरिया तक डामररोड दूरी लगभग 1.50 कि0मी0 वि0खं0 फूलबेहड़, खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

80-आगर बुजुर्ग से सल्लिहा तक दूरी लगभग 2.50 कि0मी0 डामर रोड वि0 खण्ड फूलबेहड़ खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

81-अलीगंज से पचतौर फार्म तक डामर रोड वि0ख0 बाकेगंज जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

82-शिवपुरी से रायपुर सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड विकास खण्ड विजुआ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

83-भैठिया से लगुचा तक की दूरी लगभग 2 किमी डामर रोड वि0 ख0 बाकेगंज जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

84-भैठिया से वशीरगंज गांव तक दूरी लगभग 2 किमी डामर रोड वि0 खं0 बाकेगंज जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

85-शिवपुरी से रायपुर तक दूरी 1 किमी0 डामर रोड विकास खण्ड विजुआ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

86-मलूकापुर कलॉ से पहाडापुर तक लगभग 1.50 किमी0 डामर रोड विकास खण्ड विजुआ, खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

87-मझरा गौढी चौराहा से चौकाघाट तक डामर रोड दूरी लगभग 1.50 कि0मी0 ग्राम पंचायत खम्भारखेडा वि0खं0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

88-दुबग्गा मार्ग से दोनवापुरवा जमकोहना मार्ग तक दूरी 4 कि0मी0 वि0ख0 लखीमपुर जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

89-मिर्जापुर फार्म से कोरारा तक दूरी लगभग 2 कि0मी0 वि0ख0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

90-ग्राम पंचायत मुडियामिश्र में मुडियाखुर्द पीपल के पेड़ से सोसायटी तक बाईपास होकर दूरी लगभग 1.50 कि0मी0 विकास खण्ड फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

91-अलीगंज रोड नकहा पिपरी से टेढवाघाट तक डामररोड वि0खं0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

92-गोपालपुरवा मजरा श्रीनगर से शेकरपुरवा सम्पर्क मार्ग वाया नयनपुरवा मजरा जं0नं0 10 डामरीकरण दूरी लगभग 2.50 कि0मी0 वि0खं0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

93-गंगाबेहडपूरब से हजरतापुर तक डामरीकरण दूरी लगभग 3 किमी वि0खं0 फूलबेहड़, खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

94-मिर्जापुर से कोरारा तक डामररोड दूरी 1.50 कि0मी0 वि0खं0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

95-महोला से बैबहा तक डामररोड दूरी 2 कि0मी0 वि0ख0 नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

96-रेहुआ से विलरिया तक वाया पिपरी दूरी लगभग 4 कि0मी0 वि0ख0 फूलबेहड खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

97-कटकुसुमा डामर रोड से जु0हा0 होते हुए महोला तक डामर रोड 2 कि0मी0 वि0खं0 नकहा खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

98-पतराशी सम्पर्क मार्ग से सिरसी घाटमपुर से नरहर पुल तक दूरी लगभग 4 कि0मी0 डामर रोड वि0ख0 नकहा जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

99-नरी से औघटा सम्पर्क मार्ग डामर रोड वि0ख0 फूलबेहड जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

100-टापरपुरवा से बेडहासोतिया मजरा गूम वि0ख0 फूलबेहड के बीच एक रपटापुलिया का निर्माण जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

101-खम्भारखेडा चीनी मिल से अचाकापुर तक डामरीकरण वि0ख0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

102-भीरा-विजूआ मार्ग पर ग्राम महेवा के सामने एक पुलिया का निर्माण वि0ख0 फूलबेहड़ खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

103-शारदानगर रोड श्रीराम क्रेशर से मथुरापुरवा, मजरा खम्भारखेड़ा दूरी 2.50 कि0मी0 तक डामरीकरण वि0ख0 फूलबेहड़ खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

104-करसौर से एल0बी0बी0 सम्पर्क मार्ग के मध्य छतिग्रस्त पुलिया का निर्माण वि0ख0 विजुआ खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

105-विलरायॉ पानवारी मार्ग निधासन रोड मीलपुरवा के पास पुल का निर्माण वि0ख0 फूलबेहड़ जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

106-वि0ख0 फूलबेहड़ के अम्बेडकर ग्राम गूम का मजरा जंगल नं0 11 चकलुवा में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,

107-वि0ख0 फूलबेहड़ के लिलौटी मंदिर से साडा तक डामरीकरण दूरी 1 कि0मी0 शेष भाग के लिये जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

108-वि0ख0 फूलबेहड़ के पिपराम रोडा गांव से लिलौटी मंदिर हेतु डामरीकरण दूरी लगभग 1 कि0मी0 जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

109- वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम कुवरापुर मजरा महेवा से निघासन मेन रोड तक डामरीकरण दूरी लगभग 2 कि0मी0 जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में,

110- वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम पिपराम रोडा गांव से सैदीपुर गांव तक शेष भाग का डामरीकरण दूरी 1 किमी जिला खीरी में कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

111-तहसील लखीमपुर, निघासन के शारदा नदी कटान प्रभावित गांवों के पास नदी में ठोकर निर्माण कराने के सम्बन्ध में।''

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :-

1-प्रदेश में कृषि उत्पाद जैसे यूरिया, बिजली आदि के बढ़ते दामों को रोके जाने के सम्बन्ध में,

2-बिचौलियों द्वारा धान की खरीद में किसानों को लूट लिये जाने के सम्बन्ध में,

3-गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मूल्य के बढ़ते हुये दर के हिसाब से गन्ना मूल्य का कम से कम 325 रुपये प्रति कु0 की कीमत से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

4-औने-पौने दाम पर सभी प्रक्रियाओं को दर किनार करके प्रदेश के चीनी मिलों को बिक्री कर करोड़ों की लूट किये जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद महराजगंज के मुख्यालय पर पूर्व प्रस्तावित मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

6-गोरखपुर से परतकिल-शिकारपुर-महराजगंज निचलौल (ठूठीबारी) नेपाल की सीमा तथा कैम्पीयरगंज से परियरा परतावल-पड़रौना होते हुये जाने वाली सड़क को राज्य मार्ग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

7-मरहट गोरखपुर से मंगलापुर लावाचा होते हुये बनभौली चौराहा तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-महराजगंज जनपद के घुघली परतावल एवं परियरा विकास खण्डों के लिये प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्दर स्वीकृत मार्गों, महदेवा से सिसवा मुन्सी तरकुलवा तिवारी से जमुनियां, चमखा से परतावल, पकड़ी विसुनपुर से परतावल होते हुये वनकटिया (महराजगंज सीमा) तक भुवना से पकड़ीयार विसुनपुर कोटिया तक बांसपुर से अहिरौली, भटहट घोड़हवां मार्ग, मंगलपुर से लक्ष्मीपुर पोखरभींडा टोला तक, बभनौनी चौराहे से दक्षिणपुर देवहरवा सड़क का प्राथमिक के आधार पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-लक्ष्मीपुर महन्थ विश्वनाथ पुर तथा महुआवा सीपुर्द से टेभर नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-मौन नाले का सुदृढ़ीकरण धरमौली गांव के पास साइफन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-महराजगंज जनपद मुख्यालय से रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-श्यामदेवरवा से बडहरा बरई पार मंगलपुर तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-जनपद महराजगंज में पूर्व प्रस्तावित परतावल की तहसील भिटौली को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

14-बभनौली चौराहा से कमता होते हुये कमला तक पिच रोड का निर्माण तथा विसुनपुरा से उसका तक पिच रोड कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-अपरतावल एवं पनियरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा करने के सम्बन्ध में,

16-धरमपुर चौराहा, पचरुखिया में उप विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

17-परतावल में पूर्व प्रस्तावित में आई0टी0आई0 स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,

18-घुघली चीनी मिल के बिक्री को रोककर इसे पुनः चलवाने के लिये प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में,

19-ब्लाक परतावल घुधली एवं पनियरा के अधिक आबादी वाले गांव, परतावल बडहरा बडई पार, लखमियां, लक्ष्मीपुर देउवरा, मेदनीपुर, पकड़ीयार विसुनपुरा चमखा पकड़ी विसुनपुर तथा पेयजल योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

20-टेड़वा (महराजगंज) काशी छपरा, श्रीनगर छोटी गंडक पर पूर्व प्रस्तावित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-नये सिरे से पी0 बी0 एल0 कार्ड धारक का सर्वेक्षण कराकर नई सूची जारी करने के सम्बन्ध में,

22-महराजगंज से परतावल, कटरारी तथा महराजगंज से पलिया तक सिटी बस चलवाये जाने के सम्बन्ध में,

23-मस्तिष्क ज्वर अनुसंधान केन्द्र को महराजगंज में स्थापित करने के सम्बन्ध में,

24-वन सम्पत्ति पर आधारित उद्योग में परतावल एवं पनियरा में शामिल करना तथा नये चीनी मिल को बभनौनी या लक्ष्मीपुर में नया चीनी मिल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

25-वन टांकिया मजदूर बस्तियों को राजस्व गांव घोषित करना तथा उन्हें हर प्रकार सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

26-जिले के युवकों को गैर प्रान्तों से पलायन रोकने के लिये रोजगार परक योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

27-सिसवा मुन्सी (बयालीस गांवा) मौलागंज, मजूरी तथा बडहरा बहई पार प्राथमिक के स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना तथा पनियरा में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

28-बड़ा गांव होने के कारण नियमानुसार पनियरा में कम से कम चार प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करने के सम्बन्ध में तथा

29-करीब एक करोड़ की लागत से घुघली घाट के दोनों ओर अप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री कृष्ण गोपाल पटेल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-56-निघासन में शारदा नदी के कटान से जिला पीलीभीत व लखीमपुर खीरी की सीमा से लगे गांव गोविन्द नगर व अन्य गांवों के कटान को रोकने के लिये ठोकर लगाये जाने के सम्बन्ध में,

2-56-निघासन के मोहना नदी जो नेपाल से आती है, उसके कटान से प्रभावित गांव दाराभूजी, इन्दिरानगर, सूरतनगर के कटान को रोकने के लिये ठोकर लगाये जाने के सम्बन्ध में,

3-दुधवा नेशनल पार्क के जानवरों से किसानों की फसल व ग्रामवासियों की शारीरिक क्षति को रोकने के लिये पार्क के चारों तरफ तार की बैरीकेटिंग किये जाने के सम्बन्ध में,

4-लखीमपुर से बिलरायां मार्ग को जोड़ने के लिये शारदा नदी पचपेड़ी घाट का स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-पलिया में शारदा नदी के निर्माणाधीन पुल के कार्य को तेजी से कराया जाये जिससे जल्द आवागमन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-पलिया से निघासन स्वीकृत मार्ग का कार्य तेजी से कराया जाये, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियों से जल्द निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

7-निघासन से पिलसयां मार्ग व तिकुनिया कौडियाला घाट जो सिक्खों का तीर्थ स्थल व गुरुद्वारा है, तक निर्माण कार्य तेजी से कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-पलिया से सम्पूर्णानगर होते हुये खजुरिया गोविन्दनगर मार्ग जो जर्जर हालत में है जिस पर आवागमन प्रभावित हो रहा है, आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसका चौड़ीकरण करवाकर बनवाने के सम्बन्ध में,

9-चन्दन चौकी से गौरीफण्टा मार्ग से स्वीकृत है, जिस पर कार्य की प्रगति नगण्य है, पत्थर पड़ा है, यह रोड नेपाल बार्डर तथा थारू जनजाति के गांवों को जोड़ती है, जिसका निर्माण अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-नगर पालिका पलिया की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित है कोई निर्धारित समय नहीं है कब बिजली आती है, कब चली जाती है जिससे जनता में विद्युत आपूर्ति को लेकर प्रशासन से टकराव की स्थिति बनी रहती है, विद्युत आपूर्ति 18 घन्टे समयानुसार सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-मजगई एक बड़ा कस्बा है जिसमें विद्युत की लाइन 35 किलोमीटर के दायरे में फैली है जिससे आये दिन विद्युत खराब रहने से विद्युत बाधित होती है अतः मजगई में 33 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

12-किसानों के लिये विद्युत आपूर्ति का समय निर्धारित करते हुये कड़ाई से पालन किया जाये तथा समयानुसार किसानों को बिना किसी ब्रेक डाउन के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

13-निघासन विधान सभा क्षेत्र में खराब विद्युत ट्रान्सफारमरों को बदलकर नये ट्रान्सफारमर लगाये जाये तथा खराब ट्रान्सफारमरों की अवधि का बिल किसानों का माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

14-मण्डी विकास परिषद् द्वारा 56, निघासन विधान सभा क्षेत्र के सभी खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-56-निघासन विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में महिला डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के सभी चीनी मिलों द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्यों के सम्यक तथा शत-प्रतिशत गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्तविक पात्रों को बी0 पी0 एल0 कार्ड का वितरण किया जाये तथा अपात्र व्यक्तियों के बी0 पी0 एल0 कार्ड निरस्त किये जायें साथ ही लखीमपुर खीरी का कम किया गया खाद्यान्न कोटा बढ़ा कर गरीब लोगों को गेहूं, चावल व मिट्टी के तेल को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता एवं आतंक बनाया जा रहा है तथा जनता का शोषण कर रहे हैं उसको रोके जाने के सम्बन्ध में,

19-दुधवा नेशनल पार्क पलिया में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

20-जनपद लखीमपुर खीरी में शारदानगर के दोनों तरफ पक्के बन्धे बनाये जाने के सम्बन्ध में जिससे हर वर्ष किसानों की हजारों एकड़ भूमि बाढ़ के पानी से कट जाती है तथा तमाम गांव भी कट जाते हैं, अतः शारदा नदी की तबाही से रोकने के सम्बन्ध में,

21-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया व तहसील निघासन में शारदा नदी में आई बाढ़ के पानी से किसानों की धान व गन्ने की फसल नष्ट हो गयी है, नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में,

22-लखीमपुर खीरी में हीरालाल धर्मशाला के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23-लखीमपुर-खीरी से शारदा नगर से होते हुये डफेरवा चौराहे से निघासन तक जो मार्ग जर्जर हालत में है, जिस पर आवागमन प्रभावित हो रहा है एवं आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, उस मार्ग का चौड़ीकरण कराकर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

24-सिंगाही टाउन एरिया में सरजू सहकारी चीनी मिल बिलरायां द्वारा के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, जिससे किसानों द्वारा मिल में गन्ने से कटौती कराकर करोड़ों रुपया स्कूल के नाम का मिल में जमा है, उस पैसे से डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-ग्राम सभा मदनापुर ब्लाक निघासन में बीर बाबा से ग्राम लाल बोझी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

26-तिकुनिया पी0 डब्लू0 डी0 रोड से ग्राम बन्जरिया होते हुये ग्राम पुखरी मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

27-तिकुनिया से बरसोला चौराहे से ग्राम सभा दलराजपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

28-ग्राम सभा मझरा पूरब ब्लाक निघासन की निशान सिंह व भैरों सिंह के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

29-ग्राम सभा-मिर्जागंज ब्लाक-निघासन में मिर्जागंज से महुआ डामर रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

30-ग्राम सभा लुधौरी खमरिया ब्लाक निघासन में डामर रोड से रानीगंज व गुरुद्वारे होते हुये खडरिया फार्म तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

31-निघासन खैरीगत मार्ग में ग्राम सभा भिडौरा जाने वाली सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में,

32-ग्राम सभा खैरीगत ब्लाक निघासन में उद्योग नगर सिसैया होते हुये सुहैली बन्धा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

33-ग्राम सभा गजरौला ब्लाक पलिया में लीला फार्म से ग्राम ऐठपुर होते हुये काशी खोखे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

34-ग्राम सभा गजरौरा ब्लाक-पलिया में लीला फार्म से मेवासिंह के डेरे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

35-ग्राम सभा सजूरिया में सिंह नगर रोड से रामजीत राम व कैलाश पाण्डेय के प्लाट से होते हुये गोविन्द नगर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

36-पलिया सम्पूर्णानगर मार्ग से बैंक आफ बड़ौदा के बराबर से ग्राम सभा नगला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

37-ग्राम सभा छोटी पलिया से ग्राम सभा सरखना पश्चिम को जाने वाली सड़क (सातवीं वाली बाग तक) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

38-ग्राम सभा मजगई ब्लाक पलिया से चौखड़ा फार्म तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

39-ग्राम सभा अतरिया ग्राम से छोटी पलिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

40-ग्राम सभा मानपुर खजूरिया में नाले के निर्माण के सम्बन्ध में,

41-पलिया से दुधवा नेशनल पार्क को जाने वाले मार्ग पर बन्शी नगर के पास रपटा निर्माण के सम्बन्ध में,

42-ग्राम सभा रकेहटी से ढखेरवा खालसा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

43-ग्राम सभा बथुवा से गुजरिया टांडा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

44-सम्पूर्णानगर मार्ग पर पुरानी चक्की से विशेनपुरी तक पक्की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

45-शारदा नदी में आयी बाढ़ से ग्राम गोविन्द नगर, संजय गांधी नगर व डी0 एम0 कालोनियों में हुये कटान से ग्रामवासियों को अन्य स्थान पर बसाने के लिये भूमि का तुरन्त आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

46-शारदा नदी से वर्षों से हो रही बाढ़ के कटान को रोकने के लिये गोविन्द नगर से लेकर अदलाघाट तक दोनों तरफ बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री शिव बालक पासी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-71 कि0मी0 लम्बी 75 नहरों को चलाने वाली राजबहा डीह की जनपद रायबरेली व सी0एस0एम0 नगर और प्रतापगढ़ की सिंचाई की समस्या के निदान हेतु जनहित में इसे दो खण्डों में विभाजित कर (1) जैसा कि जौनपुर शाखा से चल रही है और (2) राजबहा डीह से पश्चिम की ओर चल रही रेवरी सैदपुर माइनर और शारदा सहायक नहर रायबरेली से पूरब की ओर को चल रही बवारीपुर माइनर दोनों के टेल को एक साथ जोड़ कर इस दूसरे खण्ड का हेड शारदा सहायक नहर रायबरेली में निर्मित कर सीधे पूरे क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,

2-सई नदी-क्षेत्र जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर की ग्राम सभा (1) पीरा नगर वि0खं0 सलोन (2) कचनावॉ और (3) पूरब नायन वि0ख0 डीह की सिंचाई की समस्या के हल के लिये सई नदी से पम्प नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में,

3-(1) ग्राम चतुरपुर (2) पूरे पासिन मजरे बेवल (3) कुँवर मऊ वि0ख0 छतोह व (4) मऊ (5) रेवरीसैदपुर वि0खं0 डीह (6) पीरा नगर (7) बैरमपुर और (8) अतरथरिया वि0खं0 सलोन में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

4-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किये जाने के सम्पर्क मार्गों के निर्माण में ली जाने वाली भूमि में अधिग्रहण का प्राविधान लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

5-न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम सभा नूरुद्दीनपुर वि0 खं0 सलोन जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर में विद्युत उप गृह स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-पुलिस थाना नसीराबाद और डीह जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर में अग्निशमन उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

7-लगभग लाख हेक्टेयर जलप्लावित क्षेत्र वि0खं0 सलोन जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर व सदर तहसील प्रतापगढ़ के किसानों को उबारने के लिये (1) बकुलाही (2) औटहिया नालों की खुदाई के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र सलोन के मुख्यालय कस्बा सलोन जनपद सी0एस0एम0 नगर में महिला डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

9-किसानों को रात के बजाय लगातार दिन में ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड जि0 सी0एस0एम0 नगर के कमालगंज बाजार से इच्छनगोडा तक डामर रोड वाया कशिहारामपुर लम्बाई 7 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-सलोन-मानिकपुर रोड जि0-सी0एस0एम0 नगर के मोहम्मदाबाद से आशिकाबाद सलोन ऊंचाहार रोड तक डामर रोड वाया छोट/बड़ा घोपियाना लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

12-जि0-सी0एस0एम0 नगर में जगतपुर-सलोन रोड के उमरपुर से हरिकिशनपुर टिकरा तक डामर रोड लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

13-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड के साहबगंज बाजार से काजीपुर गोसाईं तक डामर रोड लम्बाई 4 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

14-जि0-सी0एस0एम0 नगर में सलोन-धरई रोड के ग्राम धरई से सलोन-मानिकपुर रोड ग्राम ख्वाजापुर तक डामर रोड लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

15-जि0-सी0एस0एम0 नगर में टेकारी सहन-पोठई रोड के टेकारीसहन से रोखा तक डामर रोड वाया पूरे नत्थे व पूरे मदेखॉ लम्बाई 6 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

16-गांधीनगर-छतोह रोड के ग्राम मौहरिया से बेवल तक डामर रोड वाया पूरे पासिन लम्बाई 6 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

17-फुरसतगंज डीह रोड के ग्राम रोखा से बिरनांव तक डामर रोड वाया पूरे शिवगुलाम लम्बाई 6 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

18-फुरसतगंज डीह रोड के ग्राम पूरे खेऊं से कमालपुर बडौला तक डामर रोड वाया पूरे विश्राम लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

19-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड के सहकारी कोल्ड स्टोर सलोन से बहेलियापुर माधवपुरनिनैयां तक डामर रोड वाया उसरी लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

20-नसीराबाद सण्डहा रोड के अशरफपुर से जायस तक डामर रोड वाया कोलवा लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

21-गांधीनगर छतोह रोड के बनी से कोबी तक डामर रोड वाया पूरे चांद व पूरे भारत लम्बाई 5 कि0मी0 के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

22-जि0-सी0एस0एम0 नगर की रजबाहा डीह के ग्राम पूरे कुन्जल से पूरे जालिम सिंह रोखा-अस्थयेरायपुर डामर रोड तक वाया पूरे बिन्धा पासी व पूरे दौलत लम्बाई 6 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

23-डीह सूची रोड के पूरेभरतराय से जमुरवां बुजुर्ग डामर रोड वाया पूरे कुशल लम्बाई 3 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

24-जायस-सलोन रोड के नसीराबाद से पूरे बन्धन नसीराबाद-तेंदुआ रोड तक डामर रोड लम्बाई 3 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

25-रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड के सूची से बराडीह डामर रोड लम्बाई 4 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

26-नसीराबाद-सण्डहा डामर रोड वाया परैयानमकसार लम्बाई 12 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

27-जि0-सी0एस0एम0 नगर के ब्लाक सलोन के ग्राम केंवलपुर तिराहे से पूरे लाल तक डामर रोड वाया ऊंखारा लम्बाई 3 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

28-फुरसतगंज-डीह रोड के ग्राम मऊ से कोरवर पक्की रोड तक डामर रोड वाया पूरे कल्लू मिश्र लम्बाई 4 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

29-बाबूगंज-सण्डहा रोड के अददमऊ से डीघा तक डामर रोड लम्बाई 4 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

30-गांधी नगर-छतोह रोड के ग्राम परैयानमकसार से पूरे खटखट अददूमऊ तक डामर रोड वाया इंटरौरा लम्बाई 6 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में तथा

31-विकास खण्ड सलोन जि0 छत्रपति साहू जी महराज नगर फर्रुखाबाद के बाद उ0प्र0 में दूसरे नम्बर का आलू उत्पादक क्षेत्र है, जहां आलू पर आधारित कोई भी उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।''

श्री पूरन प्रकाश — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद मथुरा के गोवर्धन एवं बल्देव विधान सभा क्षेत्रों के 10,10 ग्रामों के प्रत्येक ब्लाक में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

2-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी में अनिवार्य रूप से 50-50 हजार की आर्थिक सहायत राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में,

3-जनपद मथुरा में अनुसूचित जाति हेतु निर्मित गर्ल्स हास्टल को सी0आर0पी0 के कब्जे से खाली कराने के सम्बन्ध में,

4-गोवर्धन, मथुरा, फरह, बल्देव एवं राया ब्लाकों की उखड़ी (जर्जर) सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

5-जनपद-मथुरा में अवैध बालू एवं मिट्टी के खनन तथा काले तेल कारोबार के माफियाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

6-मथुरा के फरह ब्लाक के अन्दर धानाजीवना एवं गांजोली ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने एवं पूरी सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

7-मथुरा के अन्तर्गत ओल से चौकी पुरा, लुहारा मार्ग को आवागमन हेतु ठीक करने के सम्बन्ध में,

8-सेरसा छड़गांव रोड से पीलूआ ग्राम की सड़क मरम्मत करने के सम्बन्ध में,

9-नेशनल हाइवे बरारी से भाहई एवं आगे ओल मार्ग की मरम्मत एवं भाहई गांव से वेरी मार्ग तक जोड़ने के सम्बन्ध में,

10-जनपद-मथुरा में सूखा राहत धन मथुरा के गोवर्धन बल्देव, राया एवं फरह ब्लाक के किसानों को सूखा राहत धन प्रदान करने के सम्बन्ध में,

11-लोअर आगरा कैनाल मथुरा एवं अपर आगरा कैनाल तथा माट ब्रांच कैनाल के अन्तर्गत आने वाले मथुरा, राया, बल्देव, गोवर्धन, फरह ब्लाकों की जमीन में सिंचाई हेतु पानी सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

12-लोअर आगरा कैनाल मथुरा में लालपुर रसूलपुर पर बनने वाली साइफन एवं आगे पड़ने वाले विभिन्न ग्रामों में नालों के ऊपर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में,

13-मथुरा एवं महावन तहसील के ग्रामीण अंचल के विद्युत जर्जर तारों एवं खम्भे आदि बदलवाने के सम्बन्ध में,

14-अनुसूचित जाति के एवं पिछड़ी जातियों के जू0हा0 हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेजों आदि में छात्रवृत्ति शीघ्र प्रदान कराने तथा वजीफा राशि दो गुनी करने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति अवैध रूप से स्कूल कालेजों के खातों से निकलवा कर छात्रों को प्रदान कराने तथा फीस के नाम अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में,

16-जनपद-मथुरा के फरह ब्लाक, गोवर्धन ब्लाक, बल्देव ब्लाक, राया ब्लाक के ग्रामीण अंचल एवं कस्बों में पेयजल सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

17-जनपद मथुरा के फरह, राया, बल्देव, गोवर्धन ब्लाकों में पेयजल की समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक ब्लाकों में 100-100 इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प ग्रामों में लगवाने के सम्बन्ध में,

18-जनपद-मथुरा में नेशनल हाइवे मथुरा-आगरा में फरह में स्थित रोडवेज के बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार (पूरी मरम्मत, गेट) एवं आफिस की मरम्मत, सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

19-फरह बस स्टैण्ड पर पूर्व वर्षों की भांति रात्रि में बसों का ठहराव एवं कर्मचारियों को रात्रि में ड्यूटी पर रहने के सम्बन्ध में,

20-गोवर्धन क्षेत्र एवं बल्देव क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सड़कों पर कई वर्ष पहले पड़े पत्थरों पर लेपन कार्य के सम्बन्ध में,

21-फरह ब्लाक के अन्दर अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम बरारी वमूरी, लाड़पुर नगला, पौहपी, गढ़ाया, झण्डीपुर, महुअन, धाना तेजा, गांजोली आदि ग्रामों में ग्राम के अन्दर एवं बाहर सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,

22-मथुरा के फरह गोवर्धन एवं बल्देव ब्लाकों के गांवों में खराब पड़े ट्रांसफार्मर बदलवाने के सम्बन्ध में,

23-गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण एरिया में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में,

24-फरह में रोडवेज बस रात्रि में ठहरने के सम्बन्ध में,

25-भाहई ग्राम में जर्जर विद्युत तारों एवं ग्राम की बची गलियों में विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित कराने के सम्बन्ध में,

26-बरारी ग्राम में पैठ स्थान को व्यवस्थित कर एवं पैठ के स्थान की चार दीवारी के बनवाने के सम्बन्ध में,

27-लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा द्वारा गोवर्धन ब्लाक एवं मथुरा ब्लाक तथा फरह ब्लाक में बनायी गयी सड़कों के मानक के अभाव में टूटने के कारण मरम्मत के सम्बन्ध में,

28-नेशनल हाइवे से भाहई, झण्डीपुर, कुरकदा गढाया सड़क मार्ग की मरम्मत करने के सम्बन्ध में,

29-गोवर्धन ब्लाक के अन्तर्गत मथुरा भरतपुर मार्ग से नगला झीगां, बन्डपुरा, मकेरा ग्रामों की सड़कों को ठीक कराने के सम्बन्ध में,

30-जाजन पट्टी से गोवर्धन वाया मगोर्रा, फोडर रसूलपुर सौख, पैठा की सड़क मरम्मत एवं आबादी एरिया में सीमेन्ट (सी0सी0) सड़क बनाने के सम्बन्ध में,

31-नेशनल हाइवे से जुड़े ग्राम रेपुरा जाट के अन्दर मुख्य सड़क की मरम्मत एवं किनारे नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

32-फरह ब्लाक में करनपुर, कोह, मिर्जापुर ब्राहमण, भदाया, पिपरोठ, जिरौली, करनावल, गांजोली, धानाजीवना, किरारई, शहजादपुर, विरौना, भदेरूआ, सलेमपुर, मलिकपुर आदि ग्रामों में सड़क एवं बिजली तथा पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

33-फरह, गोवर्धन, मथुरा, बल्देव, राया, ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में डी0ए0पी0 एवं यूरिया खाद किसानों को प्रदान कराने के सम्बन्ध में,

34-झुडावई, नगला महादेव, नगला छीतर सिंह एवं बलजीत के नगला में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

35-फरह ब्लाक अन्तर्गत कुरकदा, भाहई, बरारी, महुअन, झण्डीपुर, बलरई ग्रामों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

36-फरह ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम आवला सुल्तानुपर, नगला हृदय, सूमपुरा, मिर्जापुर, कवाइला, गढ़ी तिरखा बढोदा में पेयजल एवं आवागमन हेतु सड़क की मरम्मत करने के सम्बन्ध में,

37-फातिहा, सनौरा, दोलतपुर रहीमपुर, पीगरी चुरमुरा, पौरी, शहजादपुर ग्रामों में सड़क मरम्मत तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

38-फरह ब्लाक, बल्देव ब्लाक, राया ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में किसानों को आलू के बीज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में तथा

39-जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक के अन्तर्गत बल्देव से बरौली मार्ग, बरौली से नगला आकोश मार्ग, बरौली से कचनाऊ मार्ग, मादोर मार्ग, नगला पैठ मार्ग, गडसौली मार्ग और नगला मडोरा मार्ग, नगला खरिया मार्ग एवं बरौली से भूडा मार्ग की सड़क निर्माण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।''

श्री उदयभान करवरिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद इलाहाबाद में स्टेट लैंड को उन्हीं (जिनके आवास बने हैं) के पक्ष में फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में,

2-व्यापारी वर्ग के साथ हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

3-जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र की तहसील बारा, कोराव आदि के लाल सलाम के बैनर तले चल रही नक्सल गतिविधियों को रोक लगाने के सम्बन्ध में,

4-इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में बढ़ रहे विस्फोटक सामग्री के व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में,

5-जनपद इलाहाबाद के शहरी क्षेत्र में पूर्व में निर्मित आवासीय फ्लैटों को नियमित कर लाखों की संख्या में रह रहे व्यक्तियों के आवास की समस्या को पूर्ण करने के सम्बन्ध में,

6-जनपद इलाहाबाद के कानपुर, कन्नौज आदि शहरों के गंदे नालों को गंगा नदी में गिराये जाने पर ठोस कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विभाजित न होने देने के सम्बन्ध में,

8-इलाहाबाद के सिविल लाइन्स क्षेत्र में नगर निगम की गुमटियों को न गिराये जाने के सम्बन्ध में,

9-कंजासा ग्राम में यमुना नदी से हो रही कटान में गांव के अस्तित्व को बचाने के सम्बन्ध में,

10-जगदीशपुर माइनर में लाइनिंग का कार्य एवं 1 कि0मी0 आगे तक बढ़ा कर बचे हुये गांवो-खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

11-समस्त बारा एवं करछना तहसील में लगे नलकूप को ठीक कराकर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

12-ग्राम सभा मझियारी विकास खण्ड जसरा, ग्राम सभा झझरा चौबे विकास खण्ड शंकरगढ़, ग्राम सभा ओसा, आंबा, देवरा विकास खण्ड कौंधियारा में नये नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

13-समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

14-बारा तहसील में प्रस्तावित विद्युत परियोजना हेतु कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न करने के सम्बन्ध में,

15-टोंस नदी से पम्प लगाकर माइनर का निर्माण जारी रजबहा से जोड़कर बीच के सभी गांव तक सिंचाई का पानी देने के सम्बन्ध में,

16-सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र को कम से कम 20 घंटा विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,

17-बारा तहसील में प्रस्तावित विद्युत परियोजना से सम्पूर्ण बारा क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,

18-बारा में प्रस्तावित विद्युत परियोजना में जिन कास्तकारों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है उनके प्रत्येक परिवार से कम से कम 1 व्यक्ति को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में,

19-नहरों में टेल तक सिंचाई योग्य पानी देने के सम्बन्ध में,

20-बारा विधान सभा क्षेत्र में इलाहाबाद रीवा मार्ग तथा इलाहाबाद-बांदा मार्ग के बीच के हिस्से को जलभराव से बचाव कराने के सम्बन्ध में,

21-विकास खण्ड शंकरगढ़ जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, में जल की व्यवस्था हेतु प्रत्येक गांव में ब्लास्टिंग कूप के निर्माण के सम्बन्ध में,

22-ग्राम सारंगापुर विकास खण्ड चाका में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइन को बदलकर शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में तथा

23-जारी बाजार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।''

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-उ0प्र0 में डी0ए0पी0 व यूरिया खाद प्रचुर मात्रा में तथा समय पर कृषकों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

2-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत नुमाईश फाटक पर व स्टेशन के पास बुलन्दशहर खुर्जा जाने वाले सड़क पर ओवर फ्लाइयों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-जब तक केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण नियम 1894 में संशोधन न कर दे तब तक कृषकों की भूमि का अधिग्रहण न करने के सम्बन्ध में,

4-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में जो काली नदी के भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में एक एकड़ तक के कृषकों को बी0पी0एल0 परिवारों की सूची में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में,

6-बुलन्दशहर से होकर गुजरने वाली काली नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने सम्बन्धी किसी कार्य योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद बुलन्दशहर के गांव अन्हेड़ा में स्व0 खचेडू सिंह की यादगार में उनके नाम से लगभग 800 मीटर सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद बुलन्दशहर में हो रही अन्धाधुन्ध विद्युत कटौती को रोकने हेतु व 20 घन्टे बिजली आपूर्ति के लिये कोई कार्य योजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में,

9-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् के मोहल्लों में सीवर लाइन व पेयजल लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में,

10-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् अन्तर्गत बिजली के जर्जर व पुराने तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में,

11-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् की टूटी-फूटी सड़कों के सुधार के लिये अभी तक कोई प्रयास नहीं किये गये न ही भविष्य में टूटी-फूटी सड़कों को सुधारने की कोई योजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में एक एकड़ तक के कृषकों को मुफ्त निजी बिजली के नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

13-बुलन्दशहर जनपद की बुलन्दशहर तहसील के गांव किरयावली में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत भूड चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह चौक का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा बुलन्दशहर के गांव भटवारा व फतहगढ़ी के बीच पक्के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-बुलन्दशहर जनपद में खुर्जा से मुडाखेड़ा की तरफ भटवारा की तरफ जाने वाली सड़क जो बहुत ही जर्जर हालत में है उसे ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड अगौता के गांव औलीना में नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-बुलन्दशहर विधान सभा के गांव राजगढ़ी में राजवाहे का पुल, घाट व औरंगाबाद के तरफ जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड अगौता के गांव कडकोड़ा के सामने राजवाहे पर पुल का निर्माण, राजवाहे की पटरी जो क्षतिग्रस्त हो गई उसकी मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के अम्बेडकर ग्राम अकबरपुर रैना में जहां सी0सी0 रोडों का निर्माण चल रहा है सरकारी अस्पताल का रास्ता छोड़ रखा है उस पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

21-जनपद बुलन्दशहर के अम्बेडकर गांव अकबरपुर रैना में प्रसिद्ध मन्दिर बाबा नाथ जी के स्थान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री बैजनाथ दूबे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद गोण्डा के ग्राम-बमडेरा, पूरे ब्रितिहा निवासी लान्स नायक सुनील कुमार तिवारी आतंकवादियों से लड़ते हुये दिनांक 06-01-2011 को शहीद हुये, को वीरता पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-जनपद-गोण्डा के ग्राम-बमडेरा पूरे ब्रितिहा निवासी लान्स नायक सुनील कुमार तिवारी के शहीद होने पर उनकी विधवा को भरण-पोषण हेतु पेट्रोल पम्प दिये जाने के सम्बन्ध में,

3-गौसिहा उसरैना मार्ग के कि0मी0 2 में टूटी पुलिया के स्थान पर 03 मीटर आर0सी0सी0 की पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में रामापुर, दुबहा बाजार होते हुये, कटुआ नाला तक मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में चींटीपुर से नारायणपुर होते हुए कटुआ नाला तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार जनपद-गोण्डा के अवरुद्ध पड़े ट्यूबवेल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में निर्माणाधीन 33 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद गोण्डा के थाना-करनैलगंज के अन्तर्गत बालपुर चौकी को थाना न घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार जनपद-गोण्डा में कटरा में दुबहा मार्ग से पिपरी मांझा मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार जनपद-गोण्डा में देवापसिया से उर्दी गोण्डा मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार जनपद-गोण्डा में एक महिला इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार जनपद-गोण्डा में किसानों का धान क्रय केन्द्र संचालित कर धान क्रय करने के सम्बन्ध में,

13-कौड़िया अशोकपुर मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में स्थित कौड़िया बाजार को नगर पंचायत घोषित करने के सम्बन्ध में,

15-जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के बालपुर बाजार व कौड़िया बाजार में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में तथा

16-जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में क्षतिग्रस्त बिजली के तारों व खम्भों को बदल कर नये खम्भे व तार से विद्युत आपूर्ति संचालित करने के सम्बन्ध में।''

श्री अनूप सण्डा प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-उ0प्र0 में बाध उत्पादन के कार्य में लगे निषाद समुदाय के लोगों को दयनीय आर्थिक दशा से उबारने के लिये खरवार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-सुल्तानपुर जनपद में निषाद समुदाय की बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने व पक्के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में,

3-सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न एवं शोषण को रोकने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में एण्टी रेबीज वैक्सीन (ए0आर0वी0) की अनुपलब्धता को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

5-सुल्तानपुर जिला चिकित्सालयों की बदहाली और अव्यवस्था को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

6-सुल्तानपुर नगर में नबीपुर, शास्त्रीनगर, ओमनगर, बछराजपुर आदि इलाकों में बारिश के मौसम में होने वाले जल भराव को समाप्त करने के लिये विशेष जल निकासी व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

7-सुल्तानपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उजाड़े गये हजारों फुटपाथ एवं गुमटी, ठेला, दुकानदारों को पुनर्वास एवं इन्हें रोजगार हेतु आसान शर्तों पर पक्की दुकानें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

8-सुल्तानपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान में गरीब दुकानदारों को मनमाने ढंग से उजाड़ने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में,

9-सुल्तानपुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने एवं भ्रष्टाचारी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में तथा

10-सुल्तानपुर जिले के समस्त ग्रामों में विशेषकर अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ी जाति की बस्तियों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री सुरेश कुमार खन्ना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-वर्ष 2010-11 के लिये महामहिम द्वारा घोषित सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में गन्ना नीति को सुधारने तथा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में सवा करोड़ बी0पी0एल0 परिवारों को जो बी0पी0एल0 कार्ड से वंचित हैं उनको बी0पी0एल0 की अनुमन्य सुविधाएं दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में किसानों को समय पर डी0ए0पी0/एन0पी0के0 खाद दिलाने तथा वर्तमान में यूरिया खाद की कमी को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में महंगाई को रोकने, जमाखोरों, कालाबाजारी करने वाले खाद व अनाज की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-रोजा थर्मल पावर से शाहजहांपुर जनपद को 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-शाहजहांपुर नगर में बढ़ते हुये अतिक्रमण को रोकने तथा मौजूदा अवरोधों को हटाने के सम्बन्ध में,

10-शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम आदमपुर में करनैल सिंह के झाले तक तथा पैतापुर को जाने वाला मार्ग व ददरौल ब्लाक के राई खुर्द ग्राम से सुभाषनगर तक मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

11-शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों में लटकते विद्युत के तारों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में विशेष रूप से वृज विहार कालोनी, शाह कालोनी के पीछे,

12-शाहजहांपुर नगर के मध्य स्थित पुराने अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सीय सुविधायें चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-गन्ना शोध परिषद् उ0प्र0 को गन्ना (कृषि) विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-शाहजहांपुर नगर में बरेली मोड़ पर सैटेलाइट बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-मोहम्मदी रोड पर शाहजहांपुर से लगभग 5 कि0मी0 दूरी पर आबादी के बीच में प्रदूषण करने वाला हड्डी कारखाना को शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-शाहजहांपुर में घोषित शिड्यूल के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

17-शाहजहांपुर के गांधी फैजाम पोस्ट ग्रेजएट कालेज में स्थाई प्राचार्य नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

18-शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल की ग्राम पंचायत घुसगंवा के समस्त ग्रामों को सड़क, बिजली, पेयजल सुविधाओं से परिपूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

19-शाहजहांपुर में स्ट्रीट लाइट का तार नगर के मुख्य मार्गों में न होने से डायरेक्ट लाइन से सोडियम लैम्पों/बल्वों/राडों को जिससे विद्युत जोड़ने का अनावश्यक खर्चा होता है, उसको रोके जाने के सम्बन्ध में,

20-शाहजहांपुर नगर में रामलीला मैदान, आवास विकास कालोनी स्थित पार्क, कचहरी, रोडवेज पर सुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

21-शाहजहांपुर में आम की फसल को देखते हुये मैंगो रिसर्च सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में,

22-शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में शहीदों के याद में एक संग्रहालय निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

23-शाहजहांपुर नगर में कन्याओं के शिक्षा के कम अवसर को ध्यान में रखते हुए नये कन्या विद्यालय इण्टर कालेज खोलने या मौजूदा विद्यालयों में डबल शिफ्ट व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में,

24-शाहजहांपुर से स्पोर्ट्स स्टेडियम की दशा को सुधारने तथा स्टेडियम को जाने वाला मार्ग का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

25-शाहजहांपुर नगर विधान सभा में 200 स्थानीय विधायक की निशानदेही पर इंडिया मार्का-2 नल लगाने के सम्बन्ध में,

26-शाहजहांपुर के कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में,

27-शाहजहांपुर में जेल के स्थान पर एग्जीबीशन ग्राउण्ड बनाने के सम्बन्ध में,

28-शाहजहांपुर नगर के नालों को ए-टू जेड साफ कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-शाहजहांपुर नगर की टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण कराने तथा चार खम्बा से घंटाघर होते हुये गोविन्दगंज फाटक तक का मुख्य मार्ग हाट मिक्स प्लान्ट से बनवाने के सम्बन्ध में,

30-शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में 20 डाक्टरों तथा ट्रामा सेन्टर चलाने के लिये टेक्नीशियनों की तैनाती के सम्बन्ध में,

31-शाहजहांपुर जनपद में सभी वर्गों के लिये शादी अनुदान की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में,

32-शाहजहांपुर जनपद में पात्रों को वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन नियमित रूप से दिये जाने के सम्बन्ध में,

33-शाहजहांपुर जनपद के अनुदान प्राप्त विद्यालयों में आवश्यक टीचरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

34-शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश के गरीबों को जो जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं उनको सरकारी स्तर पर निःशुल्क इलाज कराने के सम्बन्ध में,

37-प्रदेश में जनसंख्या को कम करने तथा लिंग अनुपात भेद कम करने के सम्बन्ध में,

38-शाहजहांपुर के गर्रा पुल की तत्काल मरम्मत के सम्बन्ध में,

39-गोवंश की हत्या को पूर्ण रूपेण रोकने के लिये किसी कार्य योजना के बनाये जाने के सम्बन्ध में,

40-मा0 उच्च न्यायालय की बेंच पश्चिमी उ0प्र0 में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

41-पेट्रोल, डीजल पर उ0प्र0 सरकार द्वारा लगाये गये विभिन्न करों को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

42-वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों को जीवित रखने की किसी कार्य योजना के बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा

43-निगोही-पुवांया रोड के बीच जो खराब मार्ग 1/2 कि0मी0 का है, उसके निर्माण के सम्बन्ध में।''

श्री राम विशुन आजाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्तावों पर विचार करने हेतु समिति बनाकर जनहित में संशोधन प्रस्ताव का परीक्षण कर समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में,

2-उ0 प्र0 में बढ़ती हुई मंहगाई से जनजीवन भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। मंहगाई रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

4-उ0 प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-उ0 प्र0 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में गन्ना मूल्य 400/-रु0 प्रति कुन्तल किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में गेहूं एवं धान के फसलों का मूल्य 1500 एवं 1300 प्रति कुन्टल किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के कृषकों को सस्ते दर पर खाद, बीज, कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में गरीब छात्र/छात्राओं को स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क किये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में गम्भीर पेयजल समस्या का शीघ्र निदान किये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के निर्बल वर्गों के छप्पर एवं खपरैल मकानों को पक्का मकान निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में बढ़ रहे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जनसामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रोकने के लिए योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर को बचाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-विलुप्त हो रहे गिद्ध प्रजाति एवं कछुआ प्रजाति को बचाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के सभी मण्डलों में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में गरीबों को दिये जा रहे शादी अनुदान की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में वृद्धा, विधवा तथा विकलांग पेंशन 1000/-रु0 किये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को अधिकारियों द्वारा नियमानुसार संचालित न करने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मजदूरों का जाब कार्ड न बनाने एवं महिलाओं/अनुसूचित जातियों को रोजगार न देने की जांच करवाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश के सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में,

23-उ0 प्र0 के माननीय सदस्य विधान सभा/पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन के उपरान्त पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

25-गरीबों एवं बेसहारा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-पूर्व सरकार द्वारा जनपद गोण्डा में स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-जनपद गोण्डा को सर्वाधिक पिछड़ा जनपद मानकर सर्वांगीण विकास हेतु विशेष पैकेज देने के सम्बन्ध में,

28-देवी पाटन मण्डल मुख्यालय गोण्डा में मेडिकल कालेज/महिला डिग्री कालेज एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में,

29-जनपद गोण्डा में स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन 1857 के महान सेनानायक महाराजा देवी बक्श सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा डी0आर0डी0ए0 गोण्डा प्रांगण में लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

30-जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 बाबू गंगा प्रसाद जी के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में,

31-जनपद गोण्डा में जलाशयों एवं पुराने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर पुनः पुराने स्वरूप में किये जाने के सम्बन्ध में,

32-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

33-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत आने वाले वजीरगंज बाजार एवं मसकनवां बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

34-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पेयजल की समस्या को देखते हुए निःशुल्क 600 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में,

35-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत मनकापुर, वजीरगंज, छपिया, नवाबगंज में महिला अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में,

36-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत बलेशरगंज बाजार, तुर्काडीहा बाजार, महराजगंज ग्रन्ट, दुर्जनपुर, कुड़ासन में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में,

37-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वन सीमा से लगे हुए ग्रामों के कृषकों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, सर्वे करवाकर पीड़ित कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने एवं कटीले तार लगाये जाने के सम्बन्ध में,

38-जनपद गोण्डा के टिकरी रामगढ़ रेंज, सादुल्लानगर रेंज में हो रहे अवैध कटान को रोकने के सम्बन्ध में,

39-दर्जीकुआं-मनकापुर एवं मनकापुर-नवाबगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में,

40-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में झिलाही, वजीरगंज मार्ग पर स्थित चौखटघाट पर पक्का पुल, दुर्जनपुर-लिदेहना ग्रन्ट मार्ग पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

41-तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर, मसकनवां के अन्तर्गत आने वाले सभी फीडरों के पुराने तारों को बदलकर नये तारों को लगवाने के सम्बन्ध में,

42-बभनान शुगर मिल का गन्दा पानी मकोइया तालाब एवं दतौली शुगर मिल का गन्दा पानी विसुही नदी और बजाज शुगर मिल का गन्दा पानी चमदही नदी में गिरने से आस-पास के गांवों का जल स्तर प्रदूषित हो चुका है जिसके पीने से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं एवं

नदियों में रहने वाले जीव-जन्तु क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, को बचाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

43-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी गरीबों का पक्का आवास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र पंचायतों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित कर कार्य योजना पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत सर्वे करवाकर अवशेष बचे ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

46-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत बीरेपुर, तुर्काडीहा, परसा तिवारी में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु विद्युत उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।''

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-महापुरुषों, विशेष रूप से महात्मा गांधी, डा0 राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्र, कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण जी के नाम सरकारी योजनाओं में जोड़ने के सम्बन्ध में,

2-गन्ना मूल्य कम से कम 300-00 तीन सौ रुपये प्रति कुन्टल किये जाने के सम्बन्ध में,

3-चीनी मिलों को कम दामों पर न बेचकर सरकार द्वारा स्वयं उसका आधुनिकीकरण करते हुए चलाये जाने के सम्बन्ध में,

4-पूर्वांचल की बदहाली को देखते हुए बजट का सर्वांगीण भाग पूर्वांचल के विकास के लिए खर्च किये जाने के सम्बन्ध में,

5-दलित वर्ग में एक ही जाति की मदद न करते हुए सम्पूर्ण दलित वर्ग की जातियों, पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु सरकार का ध्यान दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

6-सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना व महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना सभी वर्गों की छात्राओं के लिए लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

7-शहर व गांव में निवास करने वाले सभी वर्ग के गरीबो के लिए आवास की निःशुल्क व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

8-पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

9-पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग की सभी गरीब लड़कियों के शादी अनुदान 50 हजार किये जाने के सम्बन्ध में,

10-पुनः सर्वे कराकर सभी गरीबों को बी0पी0एल0 कार्ड दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की तरह ही डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम सभा विकास योजना को पुनः चालू करते हुए गांवों में निवास करने वाले सभी जातियों के पुरवों में विकास समान रूप से किये जाने के सम्बन्ध में,

12-किसानों के आर्थिक उत्थान हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक किसान परिवार को दुधारू जानवर निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रत्येक किसान को निःशुल्क बोरिंग व बिजली कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद जौनपुर की एक मात्र चीनी मिल को (शाहगंज) जमीन की कीमत से कम दाम पर बेच कर सरकार द्वारा स्वयं चलाने के सम्बन्ध में,

15-लुम्बनी-दुद्धी राजमार्ग पर जौनपुर से बेलवाई तक के खराब मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-जनपद जौनपुर के तहसील मुख्यालय शाहगंज स्थित नगरपालिका परिषद् शाहगंज की सीमा विस्तार की पत्रावली शासन में विचाराधीन होने के बावजूद सीमा विस्तार तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद जौनपुर के सुहथा कलां पावर स्टेशन को उच्चीकृत करते हुए 132 के0वी0ए0 क्षमता का करने के सम्बन्ध में,

18-जनपद जौनपुर की पट्टी नरेन्द्रपुर में 33/11 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

19-जनपद जौनपुर के अखण्ड नगर त्रिकौलिया मार्ग के चौड़ीकरण व उच्चीकरण के सम्बन्ध में,

20-जनपद जौनपुर के खुटहन चौराहे से चारों तरफ 5-5 सौ मीटर सड़क का चौड़ीकरण, उच्चीकरण व नाली तथा इन्टरलाकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-खुटहन स्थित 33/11 सब-स्टेशन को उच्चीकृत कर 132 के0वी0ए0 का कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-जनपद जौनपुर के खुटहन पट्टी सरपतहा मार्ग के चौड़ीकरण व उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

23-जनपद जौनपुर के शाहजगंज तहसील में मुंसिफ अदालत न्यायालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-जनपद जौनपुर में स्थित कलान बीबीगंज, गाड़बड़ी अर्सिया होते हुए लखनऊ बलिया मार्ग तक की सड़क को चौड़ी तथा उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

25-जनपद जौनपुर के खुटहन व सुइथाकलां में राजकीय आई0टी0आई0 खोलने के सम्बन्ध में,

26-जनपद जौनपुर के शाहगंज इलाहाबाद मार्ग को शाहगंज से मुंगरा बादशाहपुर तक चौड़ीकरण व उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के सभी जनपदों के थानों में पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्गों के थानाध्यक्षों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश में हो रहे संगठित भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने के सम्बन्ध में,

29-सत्ताधारी दल द्वारा थानों, तहसीलों व ब्लाकों में उत्पन्न अराजकता को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,

30-बेलगाम कानून व्यवस्था से परेशान जनता को राहत दिलाने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में तथा

31-मनरेगा में कार्यरत प्रशासनिक सहायक के रूप में ग्राम रोजगार सेवकों को उनके पद पर स्थाई किये जाने व राज्य कर्मचारी की सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री जावेद अंसारी
एडवोकेट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-पूर्वांचल के सबसे बड़े जनपद ऐतिहासिक नगर जौनपुर के विकास की घोर उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में,

2-जौनपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान होने के बावजूद मेरे द्वारा अनेकों बार विस्तार से सदन में किये गये अनुरोध के बावजूद प्रदेश सरकार ने जौनपुर को पर्यटक स्थल घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में,

3-शिक्षा के केन्द्र के रूप में देश-विदेश में विख्यात जौनपुर जनपद तथा शहर को कम से कम 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति दिलाई जाए तथा निर्धारित शिड्यूल का कड़ाई से पालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-जनपद में अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या होने के बावजूद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का इन्दिरा आवास, शादी अनुदान, महामाया योजना, कांशी राम शहरी आवास योजना आदि समेत किसी भी सरकारी योजना का निष्पक्ष ढंग से लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

5-सदर जौनपुर विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों, पुलों-पुलियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण को पूर्व में प्रस्तावित विकास कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-जौनपुर न0पा0 परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता और की गई लूट की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-शासन के नियमों के अधीन माननीय विधायकगण (विपक्ष) की किसी बात प्रस्ताव पर सम्मानजनक ढंग से ध्यान न दिये जाने से जौनपुर में सत्तारूढ़ दल के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे सभी विभागों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

8-जौनपुर की सदर विधान सभा का क्षेत्र दो नदियों के किनारे बसा होने के कारण लगातार पेयजल संकट से जूझने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 1000 इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे द्वारा उपयुक्त स्थानों पर लगवाये जाने हेतु व्यवस्था अलग से सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

9-खलसहा-प्रेमापुर अनु0 एवं मुसहर बस्ती की 1½ कि0मी0 जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-ग्राम भदेढी वि0 खं0 करंजा कलां में नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-ग्राम कयार स्थित शारदा सहायक नहर पर स्थित पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-नगरपालिका परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत गरीब मुस्लिम बस्तियों की जर्जर आवागमन योग्य न रह गई गलियों तथा बजबजाती नालियों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-ग्राम काफरपुर वि0 खं0 करंजाकलां में गोसाईपुर काजी बाजार होते हुए रामधारी यादव एडवोकेट के मकान के आगे तक की कच्ची सड़क को लेपन स्तर तक बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

14-जौनपुर शहर की अलहादी प्रेस रोड कल्लू के इमामबाड़े से मुफ्ती मुहल्ले की जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-ग्राम गुरैनी वि0 खं0 सोंधी से मानी कलां होते हुए सोंगर तक की अत्यन्त जर्जर सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

16-अरबी-फारसी अनुदानित मदरसों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों की मांगों को दूर करते हुए उनके बकाया वेतन भुगतान को सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-ग्राम भदेठी वि0 खं0 करंजा कलां में बाजार की सड़क जिसे जामा मस्जिद रोड कहा जाता है पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-जौनपुर नगरीय क्षेत्र को सुन्दरीकरण योजना से जोड़ा जाने के सम्बन्ध में तथा

20-प्रसिद्ध शीतला चौकिया सिद्ध पीठ के सम्पूर्ण इलाके की सड़कों को चौड़ी तथा सुन्दर बनाने, गलियों की इन्टर लाकिंग कराने, तीर्थयात्रियों के लिए रैन बसेरे तथा प्रकाश एवं पेयजल समेत सुविधा युक्त बनाये जाने की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्रीमती कृष्णाराज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद लखीमपुर खीरी में प्रत्येक वर्ष नदियों के बाढ़ से पूरा जनपद जनहानि, धन हानि का सामना करता है, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-मोहम्मदी विधान सभा में विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम बड़खर में महाभारत कालीन अवशेष पाये जाते है इसे पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

3-मोहम्मदी लखीमपुर खीरी की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में,

4-मोहम्मदी तहसील में बालिकाओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

5-लखीमपुर जनपद में पेयजल की भंयकर समस्या के निदान हेतु इण्डिका मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद लखीमपुर खीरी में अकूत वन सम्पदा के संरक्षण हेतु व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-ग्राम सभा राजापुर वैनी के ग्राम बढेला में अति प्राचीन काल के सैकड़ों नर कंकाल की जांच पुरातत्व विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद लखीमपुर खीरी में निरंकुश पुलिस प्रशासन को सुधारने हेतु प्रभावी योजना लागू कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद लखीमपुर खीरी में अन्य क्रय केन्द्रों पर किसानों का अन्न न खरीदे जाने के सम्बन्ध में,

10-विकास खण्ड मोहम्मदी मितौली, पसगवा में शिक्षक के अभाव में बन्द पड़े प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-मोहम्मदी विधान सभा में स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-तहसील मोहम्मदी (खीरी) में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

13-लखीमपुर खीरी में पात्र व्यक्तियों को विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन एवं छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री लालजी यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विधान सभा क्षेत्र बांसी में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

2-बांसी ब्लाक में न्याय पंचायत भवारी मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र बांसी के सकारपार से कुड़जा चौराहे के पास राप्ती नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराकर सिद्धार्थनगर मुख्यालय से सीधा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

4-बांसी पनघटिया बांध पर स्थित सिसहनिया के पास रेगूलेटर को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

5-नगरपालिका बांसी के अन्तर्गत मण्डी स्थल का तत्काल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

6-बासी धानी मार्ग पर डडिया बिशुनपुर हाटा के पास राप्ती नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-सिद्धार्थनगर जनपद से सोहास मार्ग पर बने लकड़ी का पुल को पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत बिजली के पुराने तारों को बदलकर नये तार को लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र बांसी इटवा मार्ग जिगन्हिवां से डढ़वा घाट तक पिच सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

10-अम्बेडकर ग्रामों की भांति सभी ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामों में छूटे हुए गरीब, असहाय परिवारों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत फजिहतवां नाले को जिगिन्हिवां बैतियां मार्ग के सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-उ0प्र0 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

13-ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री विशम्भर सिंह यादव — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-ब्लाक कमासिन के यमुना का दक्षिणी किनारे पर कठार पम्प कैनाल की अधूरी योजना को तत्काल चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

2-जनपद बांदा के कमासिन विकास खण्ड के कमसी नेवाजै नदी पर 50 क्यूसिक की पम्प कैनाल बनाये जाने के संबंध में,

3-दादौ में यमुना नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

4-बांदा जनपद और बुन्देलखण्ड के सूखे खेतों को पानी पहुंचाने के लिए यमुना बैराज बनाये जाने के संबंध में,

5-मकोसे गोड़ा होते हुए दादौ रोड के अवशेष मार्ग को तत्काल पूरा कराये जाने के संबंध में,

6-कमासिन राजनपुर मार्ग से जमरेही नाथ बन्धरी ममसी होते हुए सिहपुर मार्ग के अवशेष मार्ग को तत्काल पूरा कराये जाने के संबंध में,

7-ग्राम सभा मकी के मिर्जापुर, बैरफ, खडगतालू मालिनपुरवा आदि बड़ी आबादी के मजरों में आवागमन के लिए पुलिया तथा मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

8-विकास खण्ड खिसण्डा गांव तरवा में वागे नदी पर पक्का पुल बनाने से चित्रकूट और बांदा फतेहपुर के बीच कम दूरी का रास्ता तैयार कराये जाने के संबंध में,

9-बलात्कारियों और गुण्डागर्दी एवं लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की चर्चा कराये जाने के संबंध में,

10-धान खरीद केन्द्र न खोलने से किसानों के लिए कही भी धान खरीद केन्द्र खोले जाने के संबंध में तथा

11-विधान सभा बबेरू में नहरों के टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में।''

श्री सनातन पाण्डेय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद बलिया के अन्तर्गत ब्लाक चिलकहर में सवन, हजौली, अतरौली नगरा जाम व रसड़ा, शिकरिया कला चिलकहर, प्रधानपुर, वीरपुरा ब्लाक नगरा में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के संबंध में,

2-अतरसुवा तथा चौदपुर (अमरहा), रसड़ा कोड़रा चिलकहर में टोंस नदी पर ठोकर बनाकर इन गांवों को नदी में विलीन होने से बचाये जाने के संबंध में,

3-हजौली माइनर तथा नरांव माइनर पर जल रिसाव रोकने की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में,

4-पाण्डेयपुर तथा बेलसरा वि0ख0 चिलकहर तथा जगदरा वि0ख0 पन्दह के 1.00 के आगे नहर पर पुल बनवाकर अवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

5-वीरपुरा (नगरा हजौली चिलकहर) से चलने वाली बसों का संचालन तत्काल कराये जाने के संबंध में,

6-रसड़ा तहसील के सभी जर्जर तार व पोल को बदल कर दो शिफ्ट में विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में,

7-सरयां, सलेमपुर, सवन, सिकरिया कला, कुरेजी, नरांव, नद्दीपुर, हुमरी, गोपालपुर, संवरा मटिही गांवों के जर्जर तार व पोल (लकड़ी या लोहे) को बदलवाये जाने के संबंध में,

8-बेलसरा, नरावं, पाण्डेयपुर, कोड़रा, नगपुरा, अजीतपुर खड़सरा, सुल्तानपुर, अतरौली, फिरोजुपर, प्रधानपुर आदि गांवों में आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पताल खोले जाने के संबंध में,

9-ग्राम सभा हजौली (चिलकहर) में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में,

10-अमरहा, अजीतपुर खड़सरा, सवन, हजौली, डुमरी, बछईपुर, बीरपुरा, तियरा हैदरपुर के जूनियर हाई स्कूल विद्यालय को उच्चीकृत करके शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

11-विधान सभा रसड़ा (नये परिसीमन के आधार पर) के 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में पानी की टंकी लगाकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

12-रघुनाथपुर, गोपालपुर के बीच दोनों गांवों को जोड़ने हेतु लकड़ा नाला पर पुल बनाये जाने के संबंध में,

13-रघुनाथपुर, चिन्टामनपुर होकर सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में,

14-मलय तियरा हैदरपुर होते हुये अतरौसी तक सड़क निर्माण कार्य के संबंध में तथा

15-धान क्रय केन्द्र पर किसानों के धान खरीदने की मुकम्मल व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।''

श्री कैलास चौरसिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मिर्जापुर में जो प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ हुआ है आई0टी0 इन्जीनियरिंग कालेज को पूर्ण कराने के संबंध में,

2-विन्ध्याचल देवी मंदिर व शहर में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने के संबंध में,

3-जौनपुर तिराहे से वाईपास बनाकर जनपद मिर्जापुर चन्दईपुर में मिलाये जाने के संबंध में,

4-सबरी जनपद मिर्जापुर के रेलवे ओवरब्रिज बनाने के संबंध में,

5-जनपद मिर्जापुर के सगमोहाल रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के संबंध में,

6-मिर्जापुर में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने तथा वैट कर से मुक्त कराये जाने के संबंध में,

7-महिला डिग्री कालेज जनपद मुख्यालय पर नया डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में,

8-एल0एल0बी0 की पढ़ाई के लिए जनपद मिर्जापुर में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में,

9-जनपद मिर्जापुर के जिला चिकित्सालय में प्रत्येक तरह की दवाईयां उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

10-जनपद मिर्जापुर की जिला स्तर पर गम्भीर रोगियों के इलाज हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

11-जनपद मिर्जापुर में वी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

12-जनपद मिर्जापुर में गंगा कटान को रोकने हेतु पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

13-शहर मिर्जापुर मुकेरी बाजार से विन्ध्याचल नाला का मरम्मत एवं सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में,

14-मिर्जापुर में फ्लोराइडयुक्त पानी सप्लाई से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे है, को रोकने हेतु आवश्यक व्यवस्था के संबंध में,

15-मिर्जापुर सदर तहसील के अन्तर्गत छानवे क्षेत्र में छानवे हजार भूमि को सिंचित करने हेतु 120 नग ट्यूबवेल एवं सड़क निर्माण के संबंध में,

16-नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में जर्जर सड़कें सी0सी0 निर्माण एवं ड्रेनेज निर्माण के संबंध में,

17-शहर में जर्जर बिजली के तार को बदलने हेतु कार्य योजना बनाकर बदलने के संबंध में,

18-मिर्जापुर जनपद में पर्यटन स्थलों को चिन्हित करके बढ़ावा देने के संबंध में,

19-जिलाधिकारी मिर्जापुर आवास से लेकर शिवपुर विन्ध्याचल तक गंगा कटान रोकने हेतु पिचिंग का कार्य किये जाने के संबंध में,

20-नक्सल प्रभावित जनपद होने पर विशेष विकास की योजनाएं प्राथमिकता पर दिये जाने के संबंध में,

21-जिला कारागार सोनभद्र का लोकार्पण करने के संबंध में,

22-मिर्जापुर जनपद अन्तर्गत राजगढ़ व पटेहरा विकास खण्ड में खरीफ व रवी दोनों फसलों की 90 प्रतिशत भू-भाग पर खेती न होने के कारण इन दोनों विकास खण्डों के किसानों का लगान माफ किये जाने तथा राहत कार्य हेतु कृषि ऋण वसूली स्थगित करते हुए सूखा राहत अनुदान दिये जाने के संबंध में,

23-मिर्जापुर जनपद अन्तर्गत राजगढ़, पटेहरा, लालगंज एवं हकिया में पेयजल संकट समाधान किये जाने के संबंध में,

24-घाघर नहर प्रणाली अन्तर्गत वकहर मड़िहान पोषक नहर का पुनरोद्धार किये जाने के संबंध में तथा

25-मिर्जापुर शहर के वाईपास झिंगुरा, वरकछा, चंडाफाल होते हुए भुजवा चौकी (रींवा रोड तक मार्ग) का चौड़ीकरण किये जाने के संबंध में।''

श्री अम्बिका चौधरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-बिन्द, मल्लाह, राजभर, तुरहा, विश्वकर्मा आदि जातियों को पूर्ववत अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के संबंध में,

2-हाजीपुर, गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर चितबड़ा गांव से लेकर बलिया नगर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में,

3-गड़वार, सुखपुरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग जो पूर्णतया ध्वस्त हो गया है के पुनर्निर्माण के संबंध में,

4-आई0टी0 बन्धा पर बैरिया से लेकर थम्मनपुरा घाट तक ध्वस्त हुई सड़क के निर्माण के संबंध में,

5-धर्मापुर, गोसलपुर बांध पर बने हुए गड्ढों की मरम्मत और उस पर स्थित सड़क के नवीनीकरण के संबंध में,

6-त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में हुई धांधली के संबंध में,

7-टोंस नदी पर थम्मनपुरा घाट पर निर्माणाधीन पुल और उसके सम्पर्क मार्ग को 31 मार्च, 2011 तक चालू कराये जाने के संबंध में,

8-जनपद बलिया में विद्युत आपूर्ति 20 घण्टा किये जाने के संबंध में,

9-फेफता विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु 500 हैण्डपम्प और 10 ओवर हेड टैंक सहित ग्राम समूह पेयजल योजना चालू कराये जाने के संबंध में,

10-सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किये जाने के संबंध में,

11-जनपद बलिया के किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा का नवीनी- करण कराकर इसकी क्षमता में वृद्धि करके और जनपद के गन्ना किसानों की स्थिति को बेहतर किये जाने के संबंध में,

12-बन्द पड़ी कताई मिल के स्थान पर नई मिल लगाई जाने और बन्द कताई मिल के सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन व अन्य देय 2 माह के अन्दर भुगतान करते हुए उनका पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में,

13-जनपद बलिया के सभी जर्जर सड़कों के निर्माण कराये जाने के संबंध में,

14-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध और उसके अन्य उत्पादों का समुचित मूल्य दिलाये जाने के संबंध में,

15-बिहार सीमा पर प्रदेश के सार्वजनिक प्रणाली खाद्यान्न की तस्करी रोके जाने के संबंध में,

16-प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को समुचित सुविधायें दिये जाने और देसी खेलों को प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में,

17-जिला चिकित्सालय बलिया पर मानक के अनुरूप चिकित्सक, पैरा मेडिकल, नर्स व अन्य परिचालक, सफाई कर्मी, टेक्नीशियन नियुक्त किये जाने के संबंध में,

18-जनपद बलिया के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात किये जाने के संबंध में,

19-सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति तत्काल किये जाने के संबंध में,

20-दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने के संबंध में,

21-गंगा और घाघरा की कटान से प्रभावित विस्थापितों को शासन की ओर से भूमि, आवास उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

22-गड़वार, रतसड़ और कोटवा नरायनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण सी0एच0सी0 के रूप में कराये जाने के संबंध में,

23-खरीद दरौली घाट एवं नरहन घाट और महावीर घाट शिवपुर दियर पर पीपे का पुल तत्काल चालू कराये जाने के संबंध में,

24-कटान से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने और उनके पुनर्वास के संबंध में,

25-दोहरी घाट सहायक परियोजना के सम्पूर्ण रूप से नवीनीकरण कराये जाने तथा ब्लस्टर नलकूप लगाये जाने के संबंध में तथा

26-लखनऊ, बलिया राजमार्ग पर सुल्तानपुर से बलिया तक अत्यंत जर्जर स्थिति को समाप्त कर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किये जाने के संबंध में।''

श्री छत्रपाल सिंह — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :-

1-सम्पूर्ण प्रदेश की भांति बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र की ध्वस्त कानून व्यवस्था के सुधार के संबंध में,

2-किच्छा नदी पर ग्राम पनवड़िया में ढोरा नदी पर ग्राम आखा में, सिंगहिया नदी पर ग्राम चौड़ेरा में पुलों के निर्माण के संबंध में,

3-किच्छा नदी के किनारे बसे केशवपुर गुलड़िया, बाकौली, बहूदनपुर, नरायन नगला, रजपुरा, हरहरपुर, मौलाना फार्म, नवांडांडी में पत्थर की पिचिंग बनाकर कटाव रोकने के संबंध में,

4-उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल हरसू नगला को संविदा पर पुनः चलाने के संबंध में,

5-किसानों को भयंकर अतिवृष्टि में हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति की अल्पमात्रा तथा वितरण में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में,

6-किसानों से सरकारी धान क्रय केन्द्रों पर खरीद न करके व्यापारियों से धान की खरीद करना तथा मुनाफा खोरी करने में नौकरशाही की भूमिका के संबंध में,

7-गन्ना कृषकों द्वारा मांगे जा रहे गन्ना मूल्य में वृद्धि 320 रु0 प्रति कुन्तल करने के संबंध में,

8-सहकारी संस्थाओं पर रसायनिक खाद डी0ए0पी0 तथा यूरिया पर हो रही कालाबाजारी द्वारा कृषकों के शोषण के संबंध में,

9-कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त सीमान्त, लघु सीमान्त कृषकों को बीज, खाद रसायनिक दवायें तथा कृषि उपकरणों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

10-सरकार द्वारा प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ब्लाक मुख्यालय दमखोदा पर न बनाकर नगर पंचायत रिछा पर बनाने के विरोध से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

11-सरकार द्वार संचालित समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों व उनके सहायकों तथा दवाइयों की अनुपलब्धता के संबंध में,

12-ग्राम टेहरा में बरौर नदी पर नया डैम तथा ग्राम खमड़िया में बहगुल नदी पर क्षतिग्रस्त डाम की मरम्मत के संबंध में,

13-उत्तराखण्ड स्थित बहगुल डैम से बहगुल नदी की खुदाई कराकर पुनः अस्तित्व में लाने के संबंध में,

14-खाद्य व रसद विभाग में सरकारी राशन की दुकानों के आवंटन तथा रसद के वितरण में व्याप्त धांधली व भ्रष्टाचार के संबंध में,

15-गन्ना विकास विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों की मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त सड़कों की पुनः विभाग द्वारा मरम्मत कराने के संबंध में,

16-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम कुन्डरा, भंगा, उल्हैतापुर, मलकपुर, पतरासी, हरहरपुर मजरा खमड़िया गोपाडांडी के विद्युतीकरण कराने के संबंध में,

17-बहेड़ी तहसील में किच्छा नदी के पश्चिम प्रत्येक गांव में एक-एक सरकारी नलकूप लगवाने के संबंध में,

18-ग्राम कुन्डरा, सहकारी कताई मिल हरसूनगला तथा मानपुर में 33 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के संबंध में,

19-बहेड़ी विधान सभा के लगभग 32 आन्शिक विद्युतीकरण वाले गांव का पूर्ण विद्युतीकरण कराने के संबंध में,

20-विधायक की निशानदेही पर पेयजल संकटयुक्त गांव में 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने के संबंध में,

21-शासन द्वारा स्वीकृत जी0टी0आई0 व आई0टी0आई0 कालेजों को बहेड़ी नगर में भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में,

22-बहेड़ी नगर में रोडवेज के बस अड्डा हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में,

23-बहेड़ी तथा रिच्छा में स्थित 100 राइस मिलों को औद्योगिक जोन घोषित कर विशेष सुविधा देने के संबंध में,

24-बहेड़ी पुलिस द्वारा आम जनता का उत्पीड़न व शोषण व अपराधियों को संरक्षण देकर हत्या, लूटपाट, बालात्कार को प्रोत्साहन देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

25-किच्छा बैराज के वर्षा ऋतु में बाढ़ के कटान से ध्वस्त नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना हेतु शीघ्र धन उपलब्ध कराने के संबंध में,

26-रिछा-जहानाबाद मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कराने के संबंध में,

27-बहेड़ी तथा दमखोदा विकास खण्ड के प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की मानकों के अनुरूप संख्या वृद्धि करने के संबंध में,

28-बहेड़ी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से 8 घन्टे की विद्युत आपूर्ति बढ़ाकर 14 घण्टे अपूर्ति करने के संबंध में,

29-सहकारी समितियों तथा बैंकों द्वारा बाढ़ प्रभावित कृषकों द्वारा लिये गये कर्ज वसूली में हो रहे शोषण के संबंध में तथा

30-ग्राम सकरस से जसाई नागर तक सड़क की मरम्मत कराने के संबंध में।''

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-किसानों के हित में कृषि उपकरण व कृषि रसायन लागत मूल्य पर किसानों को दिए जाने के संबंध में,

2-सार्वजनिक वितरण प्रणाली व लेवी खरीद योजना के लिए न्याय पंचायत स्तर पर गोदाम बनाए जाने के संबंध में,

3-विकास खण्ड, कप्तानगंज जिला कुशीनगर में घोघरा पुल से अमडीहा पिच मार्ग तक 4 कि0मी0 सड़क पिच कराए जाने के संबंध में,

4-जिला-कुशीनगर के विकास खण्ड कप्तानगंज में मौन नाला जिससे सुम्हाख्कारीतीनमहेन्द्राभड़ सरखास, कपर, सोहनी, इन्दरपुर, पटखौली, खाखोपार, नरहर छपरा, महेन्द्रा साहिब आदि गांवों के हजारों एकड़ फसल बरबाद हो जाती है के सफाई कराने एवं तटबन्ध बनाए जाने के संबंध में,

5-जिला कुशीनगर में विकास खण्ड़ कप्तानगंज को नया तहसील बनाए जाने के संबंध में,

6-हाटा तहसील मुख्यालय से बहुत दूर स्थित न्याय पंचायत पकड़ी बाजार, न्याय पंचायत परसौनी के ग्राम पंचायत सनेरा मल्ल छपरा, चक अब्दुल इस्लाम पकड़ी बनवीर, पकड़ी बॉगर, अमडरिया, कुसम्ही, इन्द्रसेनवा, परसौनी, वरवा महादेवा, सोहरोना, अडरौना, माण्डेयराय, खैरटवा आदि गांवों को जो पडरौना के समीप है, उनको पडरौना तहसील या कसया तहसील में मिलाए जाने के संबंध में तथा

7-तहसील हाटा जिला कुशीनगर में वादियों, प्रतिवादियों व अधिवक्ताओं के बैठने के लिए वार एसोसियेशन भवन व चेम्बर बनाए जाने के संबंध में।''

श्री रियाज अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-महोफ रेन्जर के द्वारा पिटाई प्रकरण में मृत ठाकुरदास के मामले में मानवाधिकार आयोग के आदेश के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

2-नौगवां पकड़या रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज की मांग पर राज्य सेतु निगम द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

3-देवहावा शारदा नदी के द्वारा हर साल कटान एवं होने वाली भयंकर बाढ़ से बर्बादी के बचाव के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

4-हरियाली और पर्यावरण को बचाने की कवायत की जा रही है वन क्षेत्र में स्टाफ की भारी कमी को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद पीलीभीत में शुरू में बंगाल से आये बंगाली समुदाय जिसकी संख्या अब तक जनपद की बड़ी संख्या है को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद पीलीभीत के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण बन्द पड़े स्कूलों को खोले जाने के सम्बन्ध में,

7-अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में,

8-उर्दू मोअल्लिम को बी0टी0सी0 के समकक्ष दर्जा दिये जाने एवं नौकरियों में लिये जाने के सम्बन्ध में,

9-बुनकरों को सस्ता सूत एवं 16 घण्टे बिजली रियायती दर पर दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद पीलीभीत के अमरिया ब्लाक के किसानों की मण्डी में अपनी फसल को ले जाने के लिए ग्राम भिखारीपुर के आगे भंगा मोहम्मदगंज के पास देवहा नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद पीलीभीत का सबसे अग्रणी ब्लाक अमरिया खेती उत्पादन में अग्रणी होने के कारण अमरिया ब्लाक के मुख्यालय पर मण्डी समिति द्वारा मण्डी स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-अमरिया क्षेत्र की आये दिन बिजली की समस्या के निदान के लिए अमरिया क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

13-राष्ट्रीय मार्ग-76 जो कि जहानाबाद नगर पंचायत के आगे से अमरिया तक अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिससे भारी वाहनों का आवागमन ठप है, को अविलम्ब ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-मझोला बिरहनी मार्ग के ग्राम बिरहनी तक लगभग 2 कि0मी0 मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-हरदासपुर से कुलारा मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा ठीक न किये जाने के सम्बन्ध में,

16-पीलीभीत शहर वासियों एवं जनपद वासियों के किसानों की सबसे बड़ी भयंकर समस्या नौगवां रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज अविलम्ब बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद पीलीभीत की तहसील पीलीभीत के सबसे बड़े ग्राम अमरिया-भिखारीपुर एवं परेवा वैश्य तथा नौगवां पकड़िया को टाउन एरिया (नगर पंचायत) बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-पीलीभीत में भू-माफियाओं द्वारा वक्फ की जमीन पर किये गये अवैध कब्जों को अविलम्ब खाली कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-शहर पीलीभीत में नगरपालिका परिषद् पीलीभीत की मोहल्ला अशरफ खां, वशीर खां, डालचन्द्र, बेनी चौधरी, छोटा बड़ा खुदागंज, शेर मोहम्मद एवं मोहम्मद बासिल की जीर्ण-शीर्ण गलियों को सीमेन्टेड सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

20-जनपद पीलीभीत की सबसे पुरानी नगर पंचायत न्योरिया हुसैनपुर जो कि 1906 से नगर पंचायत है को नगरपालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में,

21-जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, पीलीभीत जनपद इसी वन के किनारे बसा हुआ है जनपद होने के कारण किसानों को नीलगाय (नीला घोड़ा) के आतंक से बुरी तरह से पीड़ित हैं किसानों की हो रही फसलों की बर्बादी को रोके जाने के सम्बन्ध में एवं नील गायों से छुटकारा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

22-जनपद पीलीभीत प्रदेश में कई बार सबसे ठण्डा जनपद रहा इस कारण इस वर्ष जाड़े से कई मौतें हो गईं मरने वाले गरीबों को मुआवजा दिलाये जाने एवं आगे ठण्ड से होने वाली मौत एवं बीमारी की रोकथाम के उपाय अविलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में तथा

23-जनपद पीलीभीत प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से गन्ना उत्पादक में प्रथम स्थान है और जनपद पीलीभीत में पांच चीनी मिलें कार्यरत भी हैं, इन चीनी मिलों में गन्ना की किसानों द्वारा की गई सप्लाई के दाम 300/-रुपये कुन्तल दिलाये जाने के सम्बन्ध में एवं घटतौली पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री आरिफ अनवर हाशमी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-मंहगाई से प्रदेश की जनता बेहद परेशान है, मंहगाई कम करने के सम्बन्ध में,

2-गन्ना की घटतौली रोकने एवं वाजिब दाम किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में खाद का दाम लगातार बढ़ रहा है उसे घटाये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में ठण्ड से मरने वाले लोगों के परिवारों को सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में ठण्ड से गरीबों को बचाने के लिए अलाव एवं रैन बसेरा की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश के किसानों को समुचित खाद उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के किसानों खासकर गोण्डा एवं बलरामपुर के कृषकों का धान सरकारी एजेन्सियों द्वारा न खरीदे जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद बलरामपुर में सूखा के बावजूद भी इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प बहुत कम लगाये गये हैं अतिरिक्त इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प न दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में कुआनो नदी पर अमघटी घाट पकड़ी भुआल में बलुआघाट का पुल हटई अब्दुला पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

11-सादुल्लानगर ककरघटा मार्ग बिसही नदी पर पक्के पुल का निर्माण के सम्बन्ध में,

12-कृषि विभाग द्वारा उतरौला जनपद बलरामपुर में कृषि मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-बाराबंकी जरवल गोण्डा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-उतरौला तहसील मुख्यालय से बलरामपुर जिला मुख्यालय आसाम रोड को चौड़ीकरण करके निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-गोण्डा से बलरामपुर क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-उतरौला से गोण्डा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-भंसहवा बाबागंज मार्ग पर बने पुल का एप्रोच बनाकर मार्ग को गड्ढामुक्त निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-मसकनवां से चन्ददीप घाट मार्ग का चौड़ीकरण कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-अल्लीपुर से बकसरिया ग्रण्ट मार्ग नदी पर इटहिया घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-विधान मण्डल के सभी पूर्व सदस्यों की विधवाओं को 1952 से पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

21-जनपद बलरामपुर में रेहरा बाबागंज मार्ग से बढ़या फरीद मार्ग 2 कि0मी0 मार्ग का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-जनपद गोण्डा में अम्बेडकर ग्राम तरैनी से शहियापुर भिरवा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-मसकनवां गौरा चौकी मार्ग पर विसुही नदी पर अर्द्धनिर्मित पुल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-सादुल्लानगर से बभनान मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

26-गिन्नी नगर अल्लीपुर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

27-उतरौला तुलसीपुर मार्ग पर राप्ती नदी में पिपराघाट पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

28-वि0 खं0 रेहरा बाजार में पहलीपुरवा, मन्सादगांव सोकरता मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-वैट की दरें कम करके डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें घटाकर जनता को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

30-अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में,

31-उर्दू मोअल्लिम को बी0टी0सी0 के समकक्ष दर्जा दिये जाने एवं नौकरियों में लिये जाने के सम्बन्ध में तथा

32-बुनकरों को सस्ता सूत एवं 16 घण्टे बिजली रियायती दर पर दिये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री दीनानाथ कुशवाहा — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-पहनवा पुल काण्ड के दोषियों को सजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में 11 चीनी मिलों को बिक्री कर विक्रय पत्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

3-देवरिया उपरिगामी सेतु पर हो रहे कार्य को तेज किये जाने के सम्बन्ध में,

4-किसानों की यूरिया एवं फास्फेटिक खाद समय से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-चीनी मूल्य के सापेक्ष गन्ने का मूल्य कम से कम 300 रु0 प्रति कुन्तल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-देवरिया जनपद की गौर रजवाहा के सफाई एवं टेल तक पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-देवरिया सलेमपुर मार्ग को शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

8-देवरिया, कसया मार्ग के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-नक्सल, प्रभावित गांवों के सिसवा, सरौरा, करौदी, महुई एवं मधवापुर में सड़कों, नालियों, गरीबों के आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-ग्राम पंचायत बरियारपुर एवं खुखुन्दू को ब्लाक का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-बरियापुर में अतिशीघ्र विद्युत 132 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-छोटी गण्डक नदी के किनारे स्थित ग्राम सबवट, विन्दुबलिया, हरपुर कोहवलिया, गोहता टोला, पेलवनिया, मुडेरा मिश्र, कुशहरी, बैकुण्डपुर को बचाने हेतु पक्के तटबन्ध को व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-लगड़ा चौराहे से पीपरा तक की 7 कि0मी0 सड़क को पिच किये जाने के सम्बन्ध में,

14-रामपुर कारखाना टाउन एरिया से विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

15-रामपुर कारखाना टाउन एरिया के करमहा चौराहा तक की सड़क पिच कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-चिरकिया मोड़ से मोहन उड़ेरा ग्राम तक की सड़क पिच किये जाने के सम्बन्ध में तथा

17-कैथवलिया से सववट होते हुए नदी के किनारे तक सड़क का पिच किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री विश्वनाथ — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-कुशीनगर जनपद के नहरों की सफाई के लम्बित प्रकरण पर त्वरित सफाई की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

2-किसानों को खाद और बीज की कठिनाई निवारण के सम्बन्ध में,

3-खाद और बीज की भारी पैमाने पर तस्करों से मिली भगत और उसमें किल्लत एवं अभाव पैदा किये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विद्यालयों में कक्षाओं में छात्रों व कक्षाओं की संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

5-जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूलों को उच्चीकृत कर हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर तक किये जाने के सम्बन्ध में,

6-असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में,

7-आवश्यक वस्तुओं के उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरों एवं तस्करों को निष्प्रभावी करने के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों में गल्ला तस्करों द्वारा प्रदेश के गल्ले को सीमावर्ती प्रदेशों में जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

9-सड़कों और आवश्यक पुलों जिनके बिना जनता को अपार कठिनाई हो रही है, निर्माण के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा फाजिलनगर क्षेत्र जनपद कुशीनगर के ग्राम रहसूजनूबी पट्टी में पुरैना घाट पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

11-अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में चौकीदारों का अलग सुरक्षा संवर्ग बनाकर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में होमगार्ड को सुरक्षा हेतु अलग संवर्ग बनाये जाने और उनका वेतनमान स्मारकों पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों के समान किये जाने के सम्बन्ध में,

14-किसानों को जो लघु एवं सीमान्त कृषक हैं उन्हें सिंचाई हेतु डीजल पर सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-पूर्वांचल में इन्सेफेलाइटिस के मरीजों की इलाज और उन्हें अनुदान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर, उपकरण व दवा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

17-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टर की सुनिश्चितता किये जाने के सम्बन्ध में,

18-फाजिलनगर कस्बा जिला कुशीनगर को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19-विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर जिला कुशीनगर के जर्जर विद्युत तारों को हटाये जाने, नये तार लगाये जाने के सम्बन्ध में,

20-विद्युत आपूर्ति 20 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में,

21-गांवों और मजरों के वंचित हिस्सों को विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

22-कारखाना के बने सामानों और कृषि उपज के बीज सन्तुलन मूल्य निश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

23-कृषि उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था उचित और निर्धारित मूल्य पर किये जाने के सम्बन्ध में,

24-बाढ़ से निजात पाने के लिए बांधों और ठोकरों का निर्माण बरसात के पहले ही किये जाने के निश्चय के सम्बन्ध में,

25-बेरोजगार नवजवानों को बेरोजगारी भत्ता, वृद्धों को आवासीय सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

26-गन्ने का मूल्य 350/-रुपये कुन्तल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद बागपत के पिछड़ेपन को दूर कर उसे औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में,

2-उ0 प्र0 व हरियाणा सीमा विवाद को निपटाने हेतु दीक्षित एवार्ड लागू करने के सम्बन्ध में,

3-उ0 प्र0 के चहुमुखी विकास के लिये प्रदेश का बटवारा कर हरित प्रदेश (पश्चिमांचल) व बुन्देलखण्ड प्रदेश बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4-पूरे एन0सी0आर0 में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,

5-कोयल इन्क्लेव योजना (जी0डी0ए0) में निर्मित भवनों को छोड़ने व किसानों के मुआवजे के सम्बन्ध में,

6-हापुड़-मोदीनगर मार्ग बनते ही जर्जर अवस्था में हो जाने के सम्बन्ध में,

7-लखनऊ महानगर में प्रतिबन्ध के बावजूद उदयगंज रोड व ओ0सी0आर0 आदि स्थानों में सुअरों के खुले विचरण के सम्बन्ध में,

8-लखनऊ के उदयगंज रोड पर सरकारी प्राइमरी पाठशाला के बगल से कूड़ाघर हटाये जाने के मा0 नगर विकास मंत्री जी के आदेश के बावजूद अभी तक न हटाये जाने के सम्बन्ध में,

9-विश्वव्यापी खतरनाक ''स्वाइन फ्लू'' बीमारी की रोकथाम हेतु दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था एवं रोकथाम के समुचित उपायों के अन्तर्गत वायरसजनित सुअरों को शहर से बाहर निकालने के सम्बन्ध में,

10-जापनी इन्सेफलाइटिस के उन्मूलन हेतु दवाओं की व्यवस्था एवं सुअरों को बस्तियों से दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

11-आतंकवादियों की बदलती मोड्स एपरेडी में लगातार बदलाव एवं बढ़ती स्थानीय घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु आधुनिक तरीके प्रयोग करने एवं स्लिपिंग सेल को पकड़ने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,

12-सचिवालय विधान भवन के बाहर की सड़कें ऊंची हो जाने से सचिवालय के अन्दर पानी भरने की समस्या का निराकरण के सम्बन्ध में प्रश्न उठाने के बावजूद निराकरण न करने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश के महानगरों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु सी0एन0जी0 की छोटी नगर बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में,

14-महानगरों में ए0सी0 लो फ्लोर बसों के साइलेन्सर की गरम हवा पीछे चलने वाले वाहनों पर पड़ता है उसे अन्य बसों की भांति बगल में किये जाने के सम्बन्ध में,

15-लखनऊ में विधान भवन से दारुलशफा, रायल होटल, एनेक्सी व हजरतगंज जाने हेतु भूमिगत पैदलपथ बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने एवं केन्द्र के समान परिवहन भत्ता, ट्यूशन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

17-मोदीनगर की बन्द मोदी पोन लि0 की जमीन को किसानों को वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

18-गाजियाबाद बड़ौत राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक किये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को नजदीक के विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान करने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-ग्रेटर नोएडा एथारिटी के कार्यालय को कारपोरेट कार्यालय की तर्ज पर स्थायी रूप से सर्व सुविधायुक्त भव्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,

21-मृतक आश्रित को मानवीय आधार पर नौकरी देने में कालबाधित शब्द को हटाये जाने के सम्बन्ध में तथा

22-सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सामग्री की खरीद व स्कूल विद्युतीकरण में ग्राम प्रधानों द्वारा की जा रही जबरदस्ती व दुरुपयोग को रोकने व केन्द्रीय स्तर पर क्रय करने के सम्बन्ध में।''

श्री मदन चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-बिगड़ती प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश के बाढ़ पीड़ित की सहायतार्थ कोई ठोस नीति बनाने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बढ़ाने के सम्बन्ध में,

4-गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य निर्धारण कम से कम 300 रुपये प्रति कुन्तल दिलाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,

6-नहरों व राजबाहों द्वारा सिंचाई के लिये कोई कारगर नीति बनाने के सम्बन्ध में,

7-गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर विकास करने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई पर नियंत्रण हेतु कोई नीति बनाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में फैल रहे भ्रष्टाचार पर तुरन्त प्रभाव से अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

10-बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु सुधार लाने के सम्बन्ध में,

11-मंहगी शिक्षा पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

12-आतंकवाद के द्वारा फैल रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

13-गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों को सुलभ व सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति व उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में नौकरशाही के शोषण से बचाने के सम्बन्ध में,

16-नकली व अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के विक्रय व उत्पादन पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में,

17-पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में,

18-किसानों की जबरदस्ती दबाव के तहत भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त व भ्रष्टाचारी खत्म करने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश के किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश के किसानों के उर्वरक, बीज, खाद व डीजल पर सब्सिडी बढ़ाने के सम्बन्ध में,

24-दुग्ध व्यवसाय/दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में तथा

25-प्रदेश में अवैध खनन तथा मशीनों के द्वारा हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में।''

श्री अवधेश प्रसाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में देश के उन महापुरुषों जैसे-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डा0 राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नरायण जी, सरदार भगत सिंह, वीरांगना उदादेवी, असफाक उल्ला, भगत सिंह जिनकी देश की आजादी में गौरव शाली भूमिका रही है। अपने अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया है। उपरोक्त नामों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

2-बढ़ी हुई मंहगाई को रोकने तथा गिरती हुई कानून व्यवस्था दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

3-गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य कम से कम रुपया 300 दिये जाने के सम्बन्ध में,

4-आलू किसानों के सामने भण्डारण की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

5-विद्युत की घोर संकट होने से उत्पन्न स्थिति से निजात दिलाने के सम्बन्ध में,

6-कल्याणकारी योजना जिसमें किसान पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा सभी जाति के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति, कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

7-पूर्वी उ0 प्र0 समेत जनपद फैजाबाद के वि0स0 क्षेत्र सोहावल मिल्कीपुर, रुदौली में नीलगायों के बढ़ते आतंक के रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर वि0 स0 क्षेत्र के अति पिछड़े को विकसित करने के सम्बन्ध में,

9-जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर वि0 स0 क्षेत्र में आधे से अधिक गांव में विद्युत संकट होने के कारण विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर वि0 स0 क्षेत्र के सबसे ज्यादा पेयजल संकट है इसलिए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर वि0 स0 क्षेत्र के गांवों में जैसे रेवना, घोड़वल, राम पट्टी, टकसरा, जोगियापुर आदि गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के साधन राजकीय नलकूप नगण्य है। राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में तथा

13-जनपद फैजाबाद बीकापुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत केन्द्र जिसकी स्थापना समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी, बन्द पड़ा है। चालू किये जाने के सम्बन्ध में।''

डा0 वकार अहमद शाह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुले आम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने तथा शासन द्वारा विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर बोलने आदि पर पाबंदी लगाये जाने के सम्बन्ध में,

2-विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी कोई स्पष्ट नीति न होने के सम्बन्ध में,

3-नकली दवाइयों, नकली खाद तथा नकली सीमेन्ट की रोकथाम के सम्बन्ध में,

4-आसमान छूती मंहगाई के सम्बन्ध में,

5-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

6-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

7-गोण्डा, बहराइच सहित सीमावर्ती बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के प्रभावी प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश में नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

9-गन्ना किसानों की जीवन्त समस्याओं तथा उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने एवं बुनकरों को सस्ता सूत तथा उन्हें सस्ती बिजली देने के सम्बन्ध में,

10-पिछली सरकार की तरह गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में,

11-प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

13-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

14-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

15-छात्र यूनियन का चुनाव कराने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के सभी ग्रामों/मजरों में विद्युत की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

17-सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के सम्बन्ध में तथा

18-रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 15 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री दुर्गा प्रसाद यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ के अन्तर्गत मदुरी, तहबरपुर, मोहम्मदपुर मार्ग पर कुटौली से मदुरी तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण मिक्स्ड प्लान्ट योजना अन्तर्गत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-भरवारा, चौहान बस्ती से मित्तूपुर मार्ग पर नाले पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में,

3-चन्देश्वर कमरिया मार्ग से गम्भीर वन होते हुए ऊंची गोदाम मार्ग तक 4 कि0मी0 तक विशेष मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

4-आजमगढ़ शहर और देहात अन्तर्गत शहर में करीब 20 घण्टे व देहातों में कम से कम 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

5-राजकीय पालीटेक्निक हेतु 32 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

6-मोहल्ला हर्रा की चुंगी आजमगढ़ में पानी पीने की सप्लाई न होने के कारण हर्रा की चुंगी पर एक नया ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में,

7-शेखपुरागांव से चन्दौकी होते हुए टोंस नदी तक 5 कि0मी0 पक्का नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

8-बैरमपुर, तहबरपुर मार्ग से बसही बन्देदासपुर प्रधान मंत्री मार्ग से हरैया होते हुए गांव ओरा तक 4 कि0मी0 तक पिच कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-तहबरपुर ढढ़नी नैपुरा मार्ग पर अवशेष जो पिच की अधूरी सड़क है 2 कि0मी0 अवशेष सड़क को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-ब्लाक पल्हनी आजमगढ़ अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज और ब्लाक रानी की सरांय में बालिका कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में,

11-रानी की सरांय पिच मार्ग से ऊंची गोदाम होते हुए मिट्टलपुर सहबाजपुर होते हुए चन्देश्वर खम्हरिया मार्ग पर सड़क क्षतिग्रस्त है उसे विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-सेहदा गयासपुर मार्ग पर शिलनी ड्रेन पर पुल अधूरा होने के कारण बच्चों को विद्यालय आने-जाने की असुविधा को देखते हुए अधूरे पुल को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-आजमगढ़-बिलरियागंज मार्ग के आजमपुर गांव से उकरीड़ा गांव तक करीब 5 कि0मी0 कच्ची सड़क को पिच कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-महम्मदपुर-तहबरपुर मदुरी मार्ग पर ग्राम नेवादा के पास सड़क पर बने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

15-आजमगढ़ से बिलरियागंज होते हुए रौनापार जो पी0डब्ल्यू0डी0 का मार्ग है 20 कि0मी0 क्षतिग्रस्त हो गया है, मार्ग की मिक्स्ड प्लान्ट से चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

16-बाग-लखराव से शहर बाईपास पर टोंस नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

17-शहर बाईपास से पगहा गांव तक इस मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाने के सम्बन्ध में,

18-आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग से आजमपुर अनुसूचित जाति बस्ती से उकरौड़ा अनुसूचित जाति बस्ती तक लेपन स्तर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19-लेडुवा, मुजफ्फरपुर मार्ग से नहर की पुलिया होते हुए अरया प्राइमरी पाठशाला तक इस मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-ग्राम सभा आहो पट्टी जो आजमगढ़ नगर के शहरी लाइन से जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-आजमगढ़ शहर की हथियागांव सभा में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है, उसे भी शहरी लाइन से जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में,

22-सरायमंदराज को शहरी लाइन से जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में,

23-मातनपुर का सब-स्टेशन भवरनाथ से सटा हुआ है को भवरनाथ सब-स्टेशन से लाइन जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

24-आजमगढ़ रोडवेज बाईपास से जनपद कारागार, आजमगढ़ तक बंधे को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद बरेली में आवागमन की समस्या को ध्यान में रखते हुए लाल फाटक पर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-33 सन्हा के अन्तर्गत पालपुर कमालपुर में नकटिया नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

3-जनपद बरेली करगैना पराग दुग्ध फैक्ट्री चलाने एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-देवचरा में मण्डी परिषद् का कार्य चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-ब्लाक आलमपुर जाफराबाद के अन्तर्गत गन्ना फैक्ट्री लगाये जाने के सम्बन्ध में,

6-वल्लिया देवचरा दातागंज रोड के निर्माण एक चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

7-विशारतगंज टाउन एरिया में बालिका इण्टर कालेज का निर्माण के सम्बन्ध में,

8-विशारतगंज टाउन एरिया में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-ग्राम क्यादा में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण के सम्बन्ध में,

10-ग्राम टका एवं दसीपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-टाउन एरिया विशारतगंज के वार्ड नं0-1 में बस्ती के ऊपर से हाईटेंशन लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में,

12-बुखारा फरीदपुर मार्ग निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-वाकरगंज में नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-विधन सभा निर्वाचन क्षेत्र 33 सन्हा के अन्तर्गत नील गायों द्वारा किये जा रहे फसल के नुकसान से बचाये जाने के सम्बन्ध में,

15-ब्लाक क्याट्रा के अन्तर्गत मण्डी परिषद् के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-कस्बा बल्लिया में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-ग्राम आजमपुर बलरऊ, दौली रघुबर दयाल सहसिया हुसैनपुर ऊंचा गांव कुयागांव, बिछिया नरायनपुर, रोधी गांवों में राम गंगा द्वारा हो रहे कटान रोकने हेतु बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र 33 सन्हा के अन्तर्गत जर्जर पोल व विद्युत तार के बदलने के सम्बन्ध में,

19-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 33 सन्हा के अन्तर्गत बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराने एवं नये नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

20-चनेहटी रेलवे स्टेशन को बदेली कैन्ट स्टेशन का दर्जा दिये जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा एन0ओ0सी0 दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-आई0टी0वी0पी0 की भर्ती में आये युवकों द्वारा बुखाश मोड़ पर दुकानों में लगाई आग द्वारा दुकानदारों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

22-फरीदपुर द्वारकेश मिल पर मारे गये किसान को मुआवजा देने के सम्बन्ध में,

23-कश्यप, निषाद, बिन्द, मांझी आदि जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

24-जनपद बरेली के अन्तर्गत आयी बाढ़ से किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में तथा

25-गंगा के किनारे रह रहे कटरी के लोगों के विकास के सम्बन्ध में।''

श्री जोखू लाल यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :-

1-प्रदेश में जंगलराज कायम है कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है गिरती हुई कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाये जाने एवं दोषियों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

3-जनप्रतिनिधयों द्वारा किये जा रहे अमर्यादित आचरण, व्यवहार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में बढ़ते हुए आर्थिक भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश के किसानों की भूमि को अधिग्रहीत कर उनकी अधिग्रहण की गयी भूमि का उचित मुवाअजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

8-किसानों को खाद, कीटनाशक दवायें , बिजली सस्ते दर पर दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

9-किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

10-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित कन्या विद्याधन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

11-पूर्ववर्ती सरकार की भांति बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल तथाा खारे पानी से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में तथा

14-प्रदेश के गम्भीर बीमारियों से पीड़ित गरीब जनता का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।''

डा0 राजेन्द्र सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :-

1-आगरा में यमुना नदी पर ताजमहल की डाऊन स्ट्रीम में वैराज बनाने के सम्बन्ध में,

2-आगरा में आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू प्रसंस्करण पार्क के सम्बन्ध में,

3-आगरा में अनतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के सम्बन्ध में,

4-फतेहाबाद वि0स0क्षे0 में पालीटेक्नीक बनाने के सम्बन्ध में,

5-फतेहाबाद वि0स0 क्षेत्र में सावेद के पास खारी नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में,

6-फतेहाबाद व समसाबाद वि0ख0 में माडल स्कू बनाने के सम्बन्ध में,

7-आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कों के मरम्मत के संदर्भ में।

8-भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

9-बढ़ती हुई मंहगाई पर अंकुश लागने के सम्बन्ध में,

10-आगरा जनपद में बढ़ते हुये अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में,

11-फतेहाबाद शमसाबाद ईरादतनगर रोड का चौडीकरण व सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में तथा

12-दिगनेर से ढीपुरीत तक नहर की पटरी को पक्का व चौड़ा करने के सम्बन्ध में।''

डा0 पी0 के0 राय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति में कठिनाई के निवारण के सम्बन्ध में,

3-खाद और बीज की भारी पैमाने पर तस्करों से मिली भगत से उत्पन्न कमी एवं अभाव के सम्बन्ध में,

4-प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विद्यालयों की कक्षाओं में छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों को उच्चीकृत कर क्रमशः हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर तक किये जाने के सम्बन्ध में,

6-असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरों एवं तस्करों को निष्प्रभावी करने के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों में गल्ला तस्करों द्वारा प्रदेश के गल्ले को सीमावर्ती प्रदेशों में जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को सिंचाई हेतु सस्ता डीजल दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-पूर्वांचल में इन्सेफेलाइटिस के मरीजों का इलाज और उनको अनुदान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर, उपकरण तथा दवा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टर की नियुक्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में विद्युत आपूर्ति 20 घण्टे सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में गांवों और मजरों के वंचित हिस्सों में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में बाढ़ की समस्या के निदान हेतु बाधों और ठोकरों का निर्माण बरसात के पहले ही किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, वृद्धों को आवासीय सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

18-प्रदेश में गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।''

पी0एस0यू0पी0-एल0 06 विधान सभा (11)-28-4-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।